IAS BABA

One Stop Destination For UPSC/IAS Preparation

January 2022
Baba's Monthly
CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

हिंदी

IN NEW AVATAR

Revamped With Revolutionary Aspects

- Easy To Remember Tabular Format
- Practice Mcq's At The End
- Top Editorial Summaries Of The Month
- A Comprehensive Compendium Of News Sourced From More Than 5 Reputed Sources

IAS BABA

ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES 2022 (AIPTS)

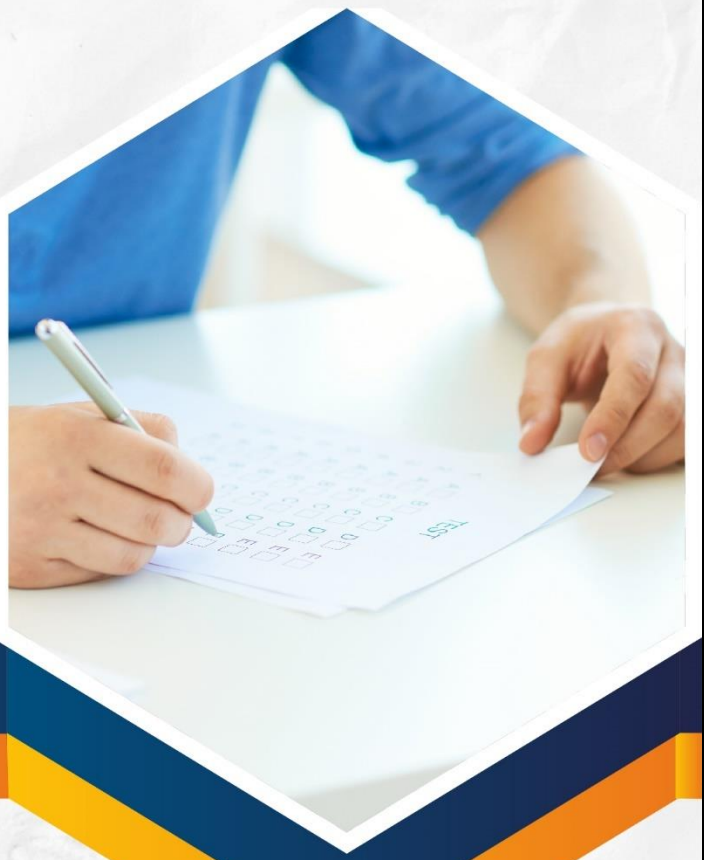

- 34 UPSC Level Mocks - 24 GS, 10 CSAT
- 15-20% Questions framed to help you in Intelligent Guessing
- 10 Exclusive Current Affairs Tests
- 10 Exclusive CSAT Tests
- Subject wise Analytics & Time Analytics helps you understand your Strengths & Weakness with Data Visualization.
- Flexible Tests & Doubt Resolution Page.

Online & Offline

Available in English & हिन्दी

Starting from Feb 14th

REGISTER NOW

Scan here to know more

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 91691 91888

विषय वस्तु

विषय वस्तु 2

राज्यव्यवस्था और शासन 6

भारत के कड़े अधिनियमों में से एक अधिनियम- एनडीपीएस एक्ट 1985 6

EWS कोटा (EWS Quota) 6

National Educational Alliance for Technology (NEAT) 3.0 लांच किया गया 6

वार्षिक समीक्षा: विधायी विभाग 7

यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण (POSH) अधिनियम 7

सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा EWS मानदंडों के तहत NEET काउंसलिंग को फिर से शुरू करने की अनुमति दी 8

भारत में सार्वभौमिक सुगम्यता हेतु नवीन सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और मानक 8

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 8

त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) का दूसरा दौर 9

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की वार्षिक समीक्षा 9

ट्रांसजेंडर कैदी 11

लोक अदालत 11

बैंगनी क्रांति या भारत में अरोमा मिशन 12

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग 13

एससी ने एनईईटी में ओबीसी कोटा को रोक दिया 13

ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन 14

एलएस विशेषाधिकार समिति 14

एनएचआरसी एमएचए को अरुणाचल चकमा के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देशित करता है 15

वैवाहिक अधिकार (Conjugal rights) 16

भारतीय दंड संहिता के 160 वर्ष 16

स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण 18

अर्थव्यवस्था 19

जीएसटी परिषद (GST Council) 19

एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस तीन महीने के लिए बढ़ाए गए 19

वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी 20

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय- वार्षिक समीक्षा-2021 20

आरबीआई ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए रूपरेखा जारी की 21

स्वचालित उत्पादन नियंत्रण (AGC) 21

वार्षिक समीक्षा 2021: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय 22

स्मार्ट सिटी और एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च (SAAR) 24

सभी के लिए किफायती एलईडी के जरिये उन्नत (उजाला) ज्योति योजना 24

केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली– हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण-II को मंजूरी दी 25

भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक जापान को पीछे छोड़ देगी: रिपोर्ट 25

वित्तीय समाधान और जमा बीमा (एफआरडीआई) विधेयक 25

अत्याधुनिक बैटरी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये 18,100 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को मंजूरी 26

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) 26

समर्थ (ताप विद्युत संयंत्रों में कृषि अवशेषों के उपयोग पर सतत कृषि मिशन) 27

सोलर रूफ टॉप योजना (Solar Roof Top Scheme) 27

कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) 28

अचारी खीरा (Gherkins) 28

नॉन-फंगिबल टोकन(एनएफटी) 28

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर)- जनवरी 2022 29

फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज 31

पर्यावरण 32

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व 32
इंद्रावती टाइगर रिजर्व 32
फ़िम्ब्रिस्टिलिस सुनीली; निनोटिस प्रभुई....32
चिल्का झील....33
खबरों में: घड़ियाल (Gharials) प्रजातियां....33
वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 (Global Risks Report 2022)....34
पूर्वी बारहसिंगा या ईस्टर्न स्वैम्प डियर 34
मेघालय के जीवित मूल पुल 35
केरल बर्ड एटलस (KBA)....35
गैनोडर्मा (Ganoderma)....36
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) 36
पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)....37
पेरू ने 'पर्यावरण आपातकाल' घोषित किया 37
नजफगढ़ झील आर्द्रभूमि....38

भूगोल और सुर्खियों में स्थान....40
100 मिलियन का आंकड़ा पार किया: दीनदयाल बंदरगाह....40
कैट्रोल हिल फॉल्ट (KHF) 40
हंगा टोंगा-हंगा हापई ज्वालामुखी 41
समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण इंडोनेशिया ने राजधानी को स्थानांतरित किया 41

इतिहास और संस्कृति 42
रानी वेलु नचियारो की जयंती 42
नई तालीम (Nai Talim) 42
श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व 43
भीमबेटका गुफा 43
बकरी के सिर वाली योगिनी की 10वीं शताब्दी की पत्थर की मूर्ति....44
कथक नृत्यांगना पंडित बिरजू महाराज....44
गुरु रविदास 45
सोमनाथ मंदिर 45
पराक्रम दिवस: नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती....45
कथकली नृत्य....46

विज्ञान और प्रौद्योगिकी 49
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी)....49
वार्षिक समीक्षा: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)....49
भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत 51
गिटहब (GitHub)....51
महत्वपूर्ण और सामरिक महत्व की खनिज आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्रयास 51
मल्टी एजेंसी सेंटर (मैक) 52
ओमीश्योर (OmiSure)....52
उपभोक्ता इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सुरक्षा हेतु कार्यप्रणाली की आचार संहिता....52
हाइपरसोनिक मिसाइल 53
बैलिस्टिक मिसाइल....53
बिना चुंबकीय क्षेत्र वाले धड़कन-युक्त एक तारे की खोज....54
'सी ड्रैगन' अभ्यास 55
ब्रह्मोस मिसाइल का 'सी टू सी' वेरिएंट 56
ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन (Xenotransplantation) 56
इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु संशोधित दिशानिर्देश 56
वैश्विक साइबर सुरक्षा दृष्टिकोण 2022 57
भारत-श्रीलंका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर 5वीं संयुक्त समिति....57

'अमर जवान ज्योति' का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय हुआ 58

अंतरराष्ट्रीय संबंध 59

आर्क डी ट्रायम्फ स्मारक 59

पैंगोंग त्सो झील (Pangong Tso Lake) 59

परमाणु हथियार (Nuclear Weapons) 59

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) 59

त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म 60

सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (CSTO) 60

पहला कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन 61

भारत का पासपोर्ट रैंक 90 से सुधरकर 83 हुआ 61

चीन-ईरान समझौता 61

आईएनएस रणवीर (INS Ranvir) 62

हरित ईंधन पर भारत-डेनमार्क सहयोग 62

भारत-इज़राइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष (I4F) 62

मॉरीशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना 63

प्रथम भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 63

भारत-ओमान रक्षा संबंध 64

विविध 65

ख़बरों में स्थान: हॉर्न ऑफ अफ्रीका 65

भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय: हैदराबाद 65

वीर बाल दिवस 65

तिरुवल्लुवर दिवस: 15 जनवरी 65

पद्म पुरस्कार विजेता शांति देवी 65

राफेल नडाल 65

मुख्य परीक्षा फोकस (MAINS) 66

राज्यव्यवस्था और शासन 66

महिला नेतृत्व 66

द्वेषपूर्ण भाषण (Hate Speech) 67

जनसांख्यिकीय लाभांश रैपिंग (Reaping Demographic Dividend) 68

भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता): एक समीक्षा 70

आईएएस कैडर नियम संशोधन 71

साझा पालन-पोषण की आवश्यकता (Need for shared parenting) 73

तमिलनाडु का सार्वजनिक स्वास्थ्य मॉडल 74

शासन 4.0 (Governance 4.0) 75

अर्थव्यवस्था 77

विदेशी फंड और मिशनरीज ऑफ चैरिटी 77

फ्लेक्स-फ्यूल वाहन 78

डिजिटल बैंक 80

एंट्रिक्स अवार्ड के लिए एएआई की 30 मिलियन डॉलर की संपत्ति जब्त : देवास 81

जीएसटी सुधार के लिए नए बड़े सौदे की आवश्कता 82

ग्रहीय दबाव समायोजित HDI 84

प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा गठबंधन (एनईएटी) योजना 86

भारत की अर्थव्यवस्था और अनौपचारिकता की चुनौती 87

बजट निर्माण को समझना 88

डीएलआई योजना और चिप बनाने का उद्योग 90

पर्यावरण 93

नेट जीरो रेस में वन बहाली (Forest Restoration in the Net Zero Race) 93

वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 94

बाघ को बचाना (Saving the Tiger) 95
भारतीय पर्यावरण सेवा के लिए एक प्रस्ताव 97
केरल की सिल्वरलाइन परियोजना 98
इतिहास 99
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बंगाल की भूमिका 99
वांडीवाश की लड़ाई (Battle of Wandiwash) 101
विज्ञान और प्रौद्योगिकी 102
बैटरी तकनीक में सफलता (Breakthrough in battery tech) 102
कंप्यूटर चिप्स की कमी 103
महामारी से लड़ना (Fighting Epidemics) 105
रोगाणुरोधी प्रतिरोध की चुनौती (The challenge of antimicrobial resistance) 107
वेब 3.0: भविष्य के लिए एक दृष्टि (Web 3.0 : A vision for the future) 109
अंतरराष्ट्रीय संबंध 110
चीन का भूमि सीमा कानून और भारत 110
चीन ने अपने हिस्से में पैंगोंग त्सो झील पर पुल बनाया है 111
परमाणु अप्रसार संधि की स्थिति 113
विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, चीन एक विकासशील देश 114
भारत-नेपाल संबंधों में सुधार की आवश्कता 115
भारत-जर्मनी संबंध 117
पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 118
भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 118
प्रैक्टिस MCQs 120
उत्तर कुंजी 127

भारत के कड़े अधिनियमों में से एक अधिनियम- एनडीपीएस एक्ट 1985	**इसके बारे में** ● भारतीय संसद में 1985 में एनडीपीएस एक्ट पारित किया गया, जिसका पूरा नाम नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है। नारकोटिक्स का अर्थ नींद से है और साइकोट्रोपिक का अर्थ उन पदार्थों से है जो मस्तिष्क के कार्यक्रम को परिवर्तित कर देता है। ● नारकोटिक्स में ऐसे पदार्थ शामिल हैं जो स्तब्धता (बेहोश), मांसपेशियों में छूट और संवेदनशीलता में कमी या उन्मूलन का कारण बनते हैं। ● एनडीपीएस अधिनियम के बनने से पहले भी समस्त भारत के लिए कुछ अधिनियम थे जो इन पदार्थों का नियमन करते थे। जैसे डेंजरस ड्रग्स अधिनियम 1930 था। सभी अधिनियम को समाप्त कर एक अधिनियम बनाया गया, जिसका नाम एनडीपीएस एक्ट 1985 रखा गया। यह अधिनियम इन पदार्थ और ड्रग्स के संबंध में पूरी व्यवस्थित प्रकिया और दंड का उल्लेख करता है। ● इस अधिनियम में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित संपत्ति को ज़ब्त करने तथा रसायनों व औषधियों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थों पर नियंत्रण हेतु 1989 में कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधन किये गए थे। ● वर्ष 2001 में NDPS अधिनियम के सज़ा संबंधी प्रावधानों में संशोधन किया गया। ● इसके तहत 10 से 20 वर्ष का कारावास, आर्थिक दंड और दोहराए गए अपराधों के लिये कुछ मामलों में जुर्माने के साथ मौत की सज़ा का भी प्रावधान है। ● यह व्यक्ति को किसी भी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ के उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन, भंडारण और/या उपभोग करने से रोकता है।
EWS कोटा (EWS Quota)	**संदर्भ:** सुप्रीम कोर्ट में एक सरकारी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि समाज में "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" (EWS) को परिभाषित करने के लिए "आय" एक "व्यवहार्य मानदंड" है। **अन्य संबंधित तथ्य** ● समिति इस धारणा से सहमत नहीं थी कि केंद्र सरकार ने "यंत्रवत् रूप से" 8 लाख रूपये को एक संख्या के रूप में अपनाया था क्योंकि इसका उपयोग ओबीसी क्रीमी लेयर कट-ऑफ के लिए भी किया गया था। ● इसने कहा कि ईडब्ल्यूएस के लिए आय मानदंड ओबीसी क्रीमी लेयर की तुलना में "अधिक कठोर" था। ● "सबसे पहले, ईडब्ल्यूएस का मानदंड आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष से संबंधित है, जबकि ओबीसी श्रेणी में क्रीमी लेयर के लिए आय मानदंड लगातार तीन वर्षों के लिए सकल वार्षिक आय पर लागू होता है। ● दूसरे, ओबीसी क्रीमी लेयर के मामले में, वेतन, कृषि और पारंपरिक कारीगर व्यवसायों से होने वाली आय को विचार से बाहर रखा गया है जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रूपये मानदंड में खेती सहित सभी स्रोत शामिल हैं। ● **पृष्ठभूमि:** यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा अक्टूबर से सरकार की बार-बार की जा रही पूछताछ का परिणाम है, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से समाज के अगड़े वर्गों के बीच ईडब्ल्यूएस की पहचान करने के लिए वार्षिक आय मानदंड के रूप में 8 लाख रूपये' के आंकड़े पर ध्यान दिया गया। अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) चिकित्सा प्रवेश में ओबीसी को 27% कोटा और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी।
National Educational Alliance for Technology (NEAT) 3.0 लांच किया गया	**प्रसंग:** केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री ने देश के छात्रों के लिए सर्वोत्तम विकसित एड-टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एकल मंच प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन-एनईएटी-3.0 का शुभारंभ किया। **अन्य संबंधित तथ्य** ● NEAT डिजिटल डिवाइड को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, खासकर आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के बीच। यह भारत के साथ-साथ विश्व की ज्ञान-आधारित आवश्यकता को पूरा करने में भी मदद करेगा। ● प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन (एनईएटी) शिक्षा क्षेत्र में सर्वोत्तम विकसित तकनीकी समाधानों का उपयोग करने के लिए शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए एक मंच पर युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए एक पहल है। ● ये समाधान बेहतर सीखने के परिणामों और आला क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए व्यक्तिगत और अनुकूलित सीखने के

	अनुभव के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। • 58 वैश्विक और भारतीय एड-टेक स्टार्टअप कंपनियां इस समाधान के लिए एक साथ आई हैं और सीखने के परिणामों को बढ़ाने, रोजगार योग्य कौशल विकसित करने के साथ-साथ सीखने के नुकसान को दूर करने के लिए 100 पाठ्यक्रम और ई-संसाधनों की पेशकश कर रही हैं। • NEAT 3.0 के तहत, 12 लाख से अधिक सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को 253 करोड़ रुपये से अधिक के मुफ्त एड-टेक कोर्स कूपन प्रदान किए गए हैं।
वार्षिक समीक्षा: विधायी विभाग	विधायी विभाग मुख्य रूप से एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। और यह सरकार के मंत्रालयों/विभागों को कानून के माध्यम से नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विधायी विभाग संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में केंद्रीय कानूनों के अनुवाद में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है। **चुनाव कानून और चुनावी सुधार:** जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 और जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में संशोधन करने के लिए संसद द्वारा 21.12.2021 को चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है। उक्त विधेयक में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है: A. मतदाता सूची को आधार प्रणाली से जोड़ने से एक ही व्यक्ति के विभिन्न स्थानों पर एकाधिक नामांकन की समस्या पर अंकुश लगेगा; मतदाता सूची में नामांकन के लिए कई चुनाव तिथियां मतदाता आधार का विस्तार करेंगी और इसके परिणामस्वरूप चुनावी प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं की अधिक भागीदारी होगी; B. हमारे चुनावों के संचालन के साथ-साथ लैंगिक समानता और समावेशिता की स्वीकृत नीति के अनुरूप विधियों को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाना; और C. कर्मचारियों या परिसरों आदि की आवश्यकता के संदर्भ में चुनाव संचालन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। **भारत कोड सूचना प्रणाली (India Code Information System-ICIS)** • प्रत्येक वर्ष विधायिका द्वारा कई विधान (प्रमुख अधिनियम और संशोधन अधिनियम दोनों) पारित किए जाते हैं और न्यायपालिका, अधिवक्ताओं के साथ-साथ नागरिकों के लिए आवश्यक होने पर प्रासंगिक और अद्यतित अधिनियमों को संदर्भित करना मुश्किल होता है। • इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, कानून और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के मार्गदर्शन में भारत कोड सूचना प्रणाली (आईसीआईएस), एनआईसी की मदद से उनके संबंधित अधीनस्थ विधानों सहित सभी केंद्रीय और राज्य विधानों का वन स्टॉप डिजिटल रिपोजिटरी विकसित किया गया है। • यह सभी नागरिकों के कानूनी सशक्तिकरण के साथ-साथ एक राष्ट्र-एक मंच के उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। • अब तक, वर्ष 1838 से वर्ष 2021 तक कुल 823 केंद्रीय अधिनियमों को अद्यतन किया गया है और आम जनता के लिए (आईसीआईएस में) अपलोड किया गया है। **राजभाषा विंग** ने भारत का संविधान (पांचवां द्विभाषिक पॉकेट संस्करण) प्रकाशित किया है। इस संस्करण में भारत के संविधान के मूलपाठ के साथ संवैधानिक (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021 तक के सभी संशोधनों को शामिल करके अद्यतन किया गया है।
यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण (POSH) अधिनियम	**संदर्भ:** हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा यौन उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण (POSH) अधिनियम, 2013 के तहत मामलों में जारी दिशा-निर्देशों को चुनौती दी गई है। जिसको चुनौती दी गई, वह मीडिया के साथ आदेश और निर्णय सहित रिकॉर्ड साझा करने से पार्टियों और अधिवक्ताओं पर 'ब्लैंकेट बार' से संबंधित है। **कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2013** • अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है और शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र बनाता है। यह झूठे या दुर्भावनापूर्ण आरोपों के खिलाफ सुरक्षा उपाय भी प्रदान करता है। • प्रत्येक नियोक्ता को प्रत्येक कार्यालय या शाखा में 10 या अधिक कर्मचारियों के साथ एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है। • शिकायत समितियों को साक्ष्य एकत्र करने के लिये दीवानी न्यायालयों की शक्तियाँ प्रदान की गई है। • शिकायत समितियों को शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किये जाने पर जाँच शुरू करने से पहले सुलह का प्रावधान करना होता है।

	• नियोक्ताओं के लिए दंड निर्धारित किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा। • बार-बार उल्लंघन करने पर अधिक दंड और व्यवसाय संचालित करने के लिये लाइसेंस या पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। • राज्य सरकार हर ज़िले में जिला अधिकारी को अधिसूचित करेगी, जो एक स्थानीय शिकायत समिति (Local Complaints Committee- LCC) का गठन करेगा ताकि असंगठित क्षेत्र या छोटे प्रतिष्ठानों में महिलाओं को यौन उत्पीड़न से मुक्त वातावरण में कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा EWS मानदंडों के तहत NEET काउंसलिंग को फिर से शुरू करने की अनुमति दी	**संदर्भ:** सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) काउंसलिंग को आगे बढ़ने की अनुमति दी है ताकि इस साल मेडिकल प्रवेश को बाधित न हो। • सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई, 2021 के सरकारी आदेश के अनुसार अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण को भी बरकरार रखा। **राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा** • राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) एमबीबीएस, आयुष, पशु चिकित्सा और नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) आयोजित की जाती है। नीट (एनईईटी) पेन और पेपर मोड (ऑफलाइन) में आयोजित की जाने वाली भारत की सबसे बड़ी अंडरग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। **ईडब्ल्यूएस कोटा** • केवल वे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाना है। • इस आय में सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से होने वाली आय भी शामिल होगी। • ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार के पास एक निश्चित आकार की भूमि है जैसे कम से कम पांच एकड़ कृषि भूमि, या कम से कम 1,000 वर्ग फुट का आवासीय फ्लैट इस आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है। • ईडब्ल्यूएस, जैसा कि मूल रूप से जनवरी 2019 के आधिकारिक ज्ञापन द्वारा अधिसूचित किया गया था, को हाल ही में 31 दिसंबर, 2021 को सरकार द्वारा नियुक्त पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे के नेतृत्व वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रतिधारण के लिए अनुशंसित किया गया।
भारत में सार्वभौमिक सुगम्यता हेतु नवीन सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और मानक	**संदर्भ:** हाल ही में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (Central Public Works Department -CPWD) ने 'भारत में सार्वभौमिक सुगम्यता हेतु नवीन सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और मानक' (2021) जारी किये हैं। • ये दिशा-निर्देश दिव्यांग व्यक्तियों और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिये बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण हेतु सामंजस्यपूर्ण दिशा-निर्देशों और अंतरिक्ष मानकों का संशोधन है। • **नोडल मंत्रालय:** आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA)। • संशोधित दिशानिर्देश भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के 'राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान' की एक टीम द्वारा तैयार किए गए हैं। • पूर्व के दिशानिर्देश एक बाधा मुक्त वातावरण (आवाजाही और परिवहन) के लिए थे, लेकिन अब इसमें सार्वभौमिक सुगम्यता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। • एक सुगम्य आवाजाही विकल्प प्रदान करने के लिए रैंप (व्हीलचेयर आदि के लिए ढालू मार्ग) अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन रैंप को दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। • दिशानिर्देश रैंप की ढाल और लंबाई प्रदान करते हैं। • यह दिशानिर्देश केवल दिव्यांगजनों के लिए नहीं हैं, बल्कि सरकारी भवनों के निर्माण से लेकर मास्टर-प्लान वाली शहरी परियोजनाओं में शामिल लोगों के लिए भी हैं।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019	**प्रसंग:** गृह मंत्रालय (MHA) को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA), 2019 के नियमों को तैयार करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी से तीन महीने का और समय मिल गया है। **अन्य संबंधित तथ्य** • लोकसभा और राज्यसभा में दो संसदीय समितियों से नियम बनाने के लिए मांगे गए विस्तार का आखिरी दिन 9 जनवरी

	था। • नियमों के बिना, अधिनियम को लागू नहीं किया जा सकता है। • संसदीय कार्य नियमावली के अनुसार, यदि मंत्रालय/विभाग कानून पारित होने के बाद छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर नियम बनाने में सक्षम नहीं हैं, तो वो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति से बाजिव कारण बताते हुए समय बढ़ाने की मांग कर सकता है। एक बार में यह समयावधि तीन महीने से अधिक नहीं हो सकती। **CAA के बारे में** • सीएए को 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। इसे 12 दिसंबर को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली थी। • जनवरी, 2020 में गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किया था कि CAA 10 जनवरी, 2020 से लागू होगा। • सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के छह गैर-दस्तावेज गैर-मुस्लिम समुदायों को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। इसका फायदा उन्हें मिलेगा, जो 31 दिसंबर, 2014 या उससे पहले भारत में रह रहे हों। यह छह समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है। अर्थात जो पासपोर्ट अधिनियम, 1920 यानी वे 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में निवास कर रहे हों। • कानून इन मुस्लिम-बहुल देशों के मुसलमानों को ऐसी पात्रता प्रदान नहीं करता है। • यह अधिनियम पहली बार था कि भारतीय कानून के तहत नागरिकता के मानदंड के रूप में धर्म को खुले तौर पर इस्तेमाल किया गया था और वैश्विक आलोचना को आकर्षित किया था। • दो अधिनियमों में अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और यहां समाप्त वीजा और परमिट पर रहने के लिए सजा का उल्लेख है।
त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) का दूसरा दौर	**संदर्भ:** हाल ही में, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस) के तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट जारी की। **अन्य संबंधित तथ्य** • **अधिक भर्ती:** नौ सेक्टर जिनमें 10 या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में कुल रोजगार का लगभग 85% हिस्सा है, ने अप्रैल-जून 2021 की तुलना में जुलाई-सितंबर 2021 में दो लाख अधिक लोगों को काम पर रखा। • **बढ़ा हुआ कुल रोजगार:** नौ चयनित क्षेत्रों में अनुमानित कुल रोजगार लगभग 3.10 करोड़ है, जो कि QES के पहले दौर (1 अप्रैल, 2021) से 2 लाख अधिक है। ○ रिपोर्ट में विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्तरां, आईटी / बीपीओ और वित्तीय सेवाएं नौ क्षेत्र हैं जो क्यूईएस के तहत कवर किए गए गैर-कृषि प्रतिष्ठानों में कुल रोजगार का बहुमत प्रदान करते हैं। • 90% प्रतिष्ठानों में 100 से कम कर्मचारी थे, जबकि 30% आईटी/बीपीओ प्रतिष्ठानों में कम से कम 100 कर्मचारी थे। • **महिला भागीदारी:** महिला भागीदारी का कुल प्रतिशत 32.1% रहा, जो QES के पहले दौर के दौरान 29.3% से अधिक था। • निर्माण क्षेत्र में, 20% कामगार ठेके पर थे और 6.4% कैजुअल कामगार थे। • जबकि अधिकांश रिक्तियां (65.8%) अनिर्दिष्ट कारणों से थीं, 23% इस्तीफे के कारण और 11.7% कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण थीं।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की वार्षिक समीक्षा	**भाग :** प्रीलिम्स और मेन्स जीएस-3- स्किल डेवलपमेंट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 PMKVY 3.0 पूरे देश में उद्योग की जरूरतों को पूरा करने, बाजार की मांगों को पूरा करने, सेवाओं में कौशल प्रदान करने और नए युग की नौकरी की भूमिकाओं में कौशल विकास को प्रोत्साहित और बढ़ावा देगा जो महामारी के बाद के युग में महत्वपूर्ण हो गए हैं। • उपलब्ध कौशल के रास्ते पर सूचित विकल्प चुनने के लिए युवाओं के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाएं। • कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए युवाओं को सहायता प्रदान करना। • निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए स्थायी कौशल केंद्रों को बढ़ावा देना।

- देशभर के 8 लाख युवाओं को लाभ।

पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत योजनाएं:

- PMKVY 3.0 के तहत COVID योद्धाओं के लिए अनुकूलित क्रैश कोर्स कार्यक्रम: इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों और संबद्ध पेशेवरों की मांग को पूरा करना, मौजूदा स्वास्थ्य पेशेवरों के बोझ को कम करना और देश के हर कोने में समय पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।
- नागालैंड और कश्मीर में पारंपरिक शिल्प में बुनकरों और कारीगरों के लिए अपस्किलिंग (Upskilling)- पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत एक आरपीएल (पूर्व शिक्षा की मान्यता) परियोजना को उद्यमिता भवन और डिजाइन विकास (ब्रिज मॉड्यूल के साथ आरपीएल टाइप 1) जैसी मूल्य वर्धित सेवाओं के साथ लागू किया जा रहा है।
- जम्मू और कश्मीर में विरासत नमदा शिल्प के पुनरुद्धार पर विशेष परियोजना- नामदा के शिल्प में कौशल विकास की जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य है, जो मुख्य रूप से कश्मीर में प्रचलित है, वास्तविक, दृश्यमान और समग्र लाभ वितरित करने के लिए उचित पैमाने (24 महीने में 2,250 लाभार्थी उम्मीदवार) के साथ।
- पूर्वी दिल्ली नगर निगम में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं (ई-कार्ट लाइसेंस के लिए) के लिए अपस्किलिंग- 2500 स्ट्रीट फूड वेंडरों के लिए आरपीएल, जो ई-कार्ट लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं और उन्हें स्वच्छता, सुरक्षा, ग्राहक केंद्रितता, डिजिटल लेनदेन और उद्यमिता कौशल में अच्छी तरह से पहचान बनाते हैं।
- नागालैंड में आरपीएल परियोजना का शुभारंभ: पीएमकेवीवाई के घटक, पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के तहत नागालैंड के बेंत और बांस कारीगरों के कौशल के लिए; पारंपरिक हस्तशिल्प में आरपीएल मूल्यांकन और प्रमाणन के माध्यम से अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्थानीय बुनकरों और कारीगरों को कौशल प्रदान करना। इस परियोजना का लक्ष्य 4,000 से अधिक शिल्पकारों और कारीगरों को कौशल प्रदान करना है।

आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)

- एमएसडीई की एक केंद्र प्रायोजित योजना, विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त ऋण है ।
- **उद्देश्य:** अल्पकालिक कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और देश में कौशल के प्रमुख मुद्दों का समाधान करना; इसके तीन प्रमुख परिणाम क्षेत्रों के माध्यम से मिले, अर्थात्

(i) राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत सुदृढ़ीकरण;
(ii) कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार; तथा
(iii) हाशिए की आबादी को कौशल विकास कार्यक्रमों में शामिल करना।

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस)

- शिक्षुओं को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों को वित्तीय प्रोत्साहन का एक पैकेज प्रस्तुत करके भारत में शिक्षुता कार्यक्रम को बढ़ावा देना।
- इस पैकेज का उद्देश्य विशेष रूप से एमएसएमई खंड में शिक्षुता को समर्थन और बढ़ावा देना है ताकि इसकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ-साथ क्षमता निर्माण को बढ़ाया जा सके।

जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना

- गैर-साक्षर, नव-साक्षर और स्कूल छोड़ने वालों को ऐसे कौशलों की पहचान करके व्यावसायिक कौशल प्रदान करना जिनका उनके प्रतिष्ठान के क्षेत्र में बाजार है।

भारत के कौशल विकास कार्यक्रम

नाम	वर्ष	प्रकार	उद्देश्य
औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आईटीआई)	1950	केंद्रीय क्षेत्र	भारत में मौजूदा दीर्घकालिक प्रशिक्षण पारिस्थितिकी विस्तार और आधुनिकीकरण करना।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2015	2015	केंद्रीय क्षेत्र	भारत के युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण के अवस करना।
राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना	2015	केंद्रीय क्षेत्र	इसके साथ पंजीकृत नौकरी चाहने वालों के लिए अपनी कैरियर सेवा (एनसीएस) परियोजना के माध्यम ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।

	औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव)	2016	विश्व बैंक सहायता प्राप्त-भारत सरकार परियोजना	आईटीआई के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और शिक्षुता के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करना।
	प्रधानमंत्री युवा योजना (युवा उद्यमिता विकास अभियान)	2016	केंद्र प्रायोजित	उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना; समर्थन और उद्यमिता समर्थन नेटवर्क तक आसान पहुंच और समावेशी विकास के लिए सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देना।
	आजीविका के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)	2018	केंद्र प्रायोजित योजना ने विश्व बैंक के साथ सहयोग किया।	अभिसरण और समन्वय के माध्यम से जिला स्तरीय कौशल पारिस्थितिकी तंत्र।
	शिक्षुता और कौशल में उच्च शिक्षा युवाओं के लिए योजना (SHREYAS)	2019	केंद्रीय क्षेत्र	राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के माध्यम से अप्रैल 2019 में बाहर निकलने वाले सामान्य स्नातकों को उद्योग शिक्षुता अवसर प्रदान करना।
	आत्म निर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण (ASEEM)	2020		कुशल लोगों को स्थायी आजीविका के अवसर खोजने में मदद करना।
	प्रशिक्षण केंद्रों का कौशल प्रबंधन और प्रत्यायन (स्मार्ट)			यह सिंगल विंडो आईटी एप्लिकेशन प्रदान करता है जो कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) की मान्यता, ग्रेडिंग संबद्धता और निरंतर निगरानी पर केंद्रित है।

ट्रांसजेंडर कैदी

संदर्भ: हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखा कि वे कारागार में बंद ट्रांसजेंडरों के अधिकारों की रक्षा करें और उनके लिए अलग से वॉर्ड सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें किसी भी तरह के शोषण से बचाया जा सके।

अन्य संबंधित तथ्य

- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम-2019, ट्रांसजेंडर की पहचान को मान्यता देता है और सरकार की ओर से उठाए गए कल्याणकारी कदमों में किसी भी भेदभाव का निषेध करता है।
- कारागार में उनके लैंगिक पहचान के आधार पर रहने और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाय।
- ट्रांसमैन और ट्रांसविमेन के लिए अलग से रहने या वॉर्ड की व्यवस्था की जा सकती है और यह स्थान पुरुष और महिला वॉर्ड से अलग होना चाहिए।
- ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए एंट्री की प्रक्रिया, मेडिकल चेकअप, तलाशी, कपड़े, पुलिस सुरक्षा की मांग, जेलों के अंदर इलाज और देखभाल के दौरान उनकी खुद की पहचान का हर समय सम्मान किया जाना चाहिए ।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई कि जेल प्रवेश रजिस्टर को पुरुष और महिला लिंग के अलावा अन्य श्रेणी के रूप में "ट्रांसजेंडर" को शामिल करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है।
- इसी तरह का प्रावधान कारागार प्रबंधन प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए किया जा सकता है।

लोक अदालत

संदर्भ : लोक अदालत का उदय वैकल्पिक विवाद समाधान का सबसे प्रभावशाली उपकरण साबित हुआ है।

- हमारी कानूनी प्रणाली के तहत उचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु गरीबों के लिए न्याय तक पहुंच एक संवैधानिक जनादेश है। इसलिए, न्याय को सुलभ और सभी के लिए वहनीय बनाने के लिए लोक अदालतों (शाब्दिक रूप से, 'पीपुल्स कोर्ट') की स्थापना की गई।
- 1976 में संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, "समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता" सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 39ए को शामिल किया गया।
- इस उद्देश्य के लिए, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और यह 1995 में "समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने" और "लोक अदालतों के संचालन को सुरक्षित करने के लिए" लागू हुआ था। कानूनी प्रणाली समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देती है।"

	• वर्ष 2021 में कुल 1,27,87,329 मामलों का निपटान किया गया। **प्रक्रिया** • ऐसी लोक अदालतों के दौरान अधिकतम निपटान की दिशा में उनका मार्गदर्शन करने के लिए सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ पूर्व परामर्शी और समीक्षा बैठकों का आयोजन। • प्रत्येक राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से पहले, सभी राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के कार्यकारी अध्यक्षों के साथ कई संवाद आयोजित किए गए, जिसमें तैयारियों का जायजा लेने के साथ-साथ लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए आमने-सामने बातचीत की गई। हितधारकों ने लोक अदालतों के आयोजन का कार्य सौंपा। • सभी तैयारी और जुटाने के उपायों के संचयी प्रभाव के परिणामस्वरूप वर्ष 2021 के दौरान असाधारण निपटान के आंकड़े सामने आए। • इन गतिविधियों के माध्यम से नालसा ने बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया, जिससे आम नागरिकों को लंबे समय तक चलने वाली कानूनी लड़ाई को समाप्त करने या रोकने से राहत मिली। **लोक अदालतों की सफलता के पीछे क्या कारण हैं?** **A. प्रौद्योगिकी** • जून 2020 में, कानूनी सेवा प्राधिकरणों ने विवाद निपटान के पारंपरिक तरीकों के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत किया और वर्चुअल लोक अदालतों की शुरुआत की, जिन्हें 'ई-लोक अदालत' भी कहा जाता है। तब से, राष्ट्रीय लोक अदालतों सहित सभी लोक अदालतों का आयोजन वर्चुअल और हाइब्रिड मोड के माध्यम से किया जाता है। • कार्यवाही के दौरान एक निर्बाध अनुभव प्रदान करने के लिए, देश भर में कानूनी सेवा प्राधिकरण अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को लगातार उन्नत कर रहे हैं। • लोक अदालतों के पर्यवेक्षण और निगरानी के प्रभावी तरीके प्रदान किए। **B. राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक रणनीतियां तैयार करना** • इन रणनीतियों के तहत, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया था कि वे हर स्तर पर विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित करें, ताकि उनका पूर्ण सहयोग और समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। • प्राधिकारियों को एक वादी के अनुकूल दृष्टिकोण का पालन करने के साथ-साथ ऐसे वादियों को कानूनी प्रस्तावों से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए राजी करने के लिए निर्देशित किया गया था। • इसके अलावा, कानून के कुछ क्षेत्रों में निपटान की अधिक संभावनाएं जैसे एनआई अधिनियम के मामले, अन्य वित्तीय मामलों के साथ बैंक वसूली मामलों पर प्रकाश डाला गया और अधिकारियों को ऐसे मामलों में समझौता करने की सभी संभावनाओं का पता लगाने का निर्देश दिया गया। • प्राधिकारियों को सलाह दी गई थी कि वे ऐसे वित्तीय मामलों में जारी करने और प्रक्रियाओं को पूरा करने के साथ-साथ मामले को निपटाने के लिए पूर्व-लोक अदालत की बैठकों का संचालन करने के लिए सक्रिय रूप से निगरानी करें।
बैंगनी क्रांति या भारत में अरोमा मिशन	**ख़बरों में:** जम्मू में डोडा ज़िले के गाँवों के लगभग 500 किसानों ने मक्का की खेती से लैवेंडर की ओर स्थानांतरण के बाद से अपनी आय में चौगुनी वृद्धि दर्ज की है, जिसे 'बैंगनी क्रांति' के नाम से जाना जा रहा है। यह अरोमा मिशन के तहत की गई पहल के कारण संभव हो पाया है। **अरोमा मिशन** • अरोमा मिशन, अरोमा (सुगंध) उद्योग एवं ग्रामीण रोज़गार के विकास को बढ़ावा देने के लिये कृषि, प्रसंस्करण और उत्पाद विकास क्षेत्रों में वांछित हस्तक्षेप के माध्यम से अरोमा (सुगंध) क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाना है। **उद्देश्य:** • यह मिशन ऐसे आवश्यक तेलों के लिये सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देगा, जिनकी अरोमा (सुगंध) उद्योग में काफी अधिक मांग है। • यह मिशन भारतीय किसानों और अरोमा (सुगंध) उद्योग को 'मेन्थॉलिक मिंट' जैसे कुछ अन्य आवश्यक तेलों के उत्पादन और निर्यात में वैश्विक प्रतिनिधि बनने में मदद करेगा। • इसका उद्देश्य उच्च लाभ, बंजर भूमि के उपयोग और जंगली एवं पालतू जानवरों से फसलों की रक्षा करके किसानों को समृद्ध बनाना है।

	• महिला किसानों को रोजगार उपलब्ध कराना • **नोडल एजेंसियां:** सीएसआईआर-केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधे संस्थान (सीएसआईआर-सीआईएमएपी), लखनऊ। • सुगंधित पौधों में लैवेंडर, गुलाब, मुश्क बाला (इंडियन वेलेरियन) आदि शामिल हैं। **उत्पाद** • इसका मुख्य उत्पाद लैवेंडर तेल है, जो कम-से-कम 10,000 रुपए प्रति लीटर बिकता है। • लैवेंडर इत्र का उपयोग अगरबत्ती बनाने के लिये किया जाता है। • हाइड्रोसोल, जो फूलों से आसवन के बाद बनता है, साबुन और फ्रेशनर बनाने के लिये उपयोग किया जाता है। • **कवरेज:** इस मिशन के तहत सभी वैज्ञानिक हस्तक्षेप विदर्भ, बुंदेलखंड, गुजरात, मराठवाड़ा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अन्य राज्यों के ऐसे सभी क्षेत्रों में लागू होंगे, जहाँ बार-बार मौसम की चरम घटनाएँ दर्ज की जाती हैं और जहाँ आत्महत्याओं की दर अधिकतम है। **परिणाम:** • अतिरिक्त 5500 हेक्टेयर क्षेत्र को सुगंधित नकदी फसलों की खेती के तहत लाना, इसके तहत विशेषतौर पर वर्षा आधारित/निम्नीकृत भूमि को लक्षित किया जाएगा। • पूरे देश में आसवन और मूल्य वृद्धि के लिये किसानों/उत्पादकों को तकनीकी एवं अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करना। • किसानों/उत्पादकों के लिये पारिश्रमिक कीमतें सुनिश्चित करने में प्रभावी। • बायबैक (पुनर्खरीद) तंत्र उपलब्ध कराना। • तेलों एवं अरोमा सामग्री का मूल्य-संवर्द्धन सुनिश्चित करना ताकि वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में उनका एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके। **अद्यतन (Update):** • पहले चरण के दौरान सीएसआईआर ने 6000 हेक्टेयर भूमि पर खेती में मदद की और देश भर के 46 आकांक्षी जिलों को कवर किया। 44,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है और कई करोड़ किसानों का राजस्व अर्जित किया गया है। • अरोमा मिशन के दूसरे चरण में, देश भर में 75,000 से अधिक कृषक परिवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 45,000 से अधिक कुशल मानव संसाधनों को शामिल करने का प्रस्ताव है।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग	**संदर्भ:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल के तीन साल के विस्तार को मंजूरी दे दी है जो 31 मार्च को समाप्त होने वाला था। **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग** • राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) का गठन 12 अगस्त 1994 को संसद के एक अधिनियम द्वारा एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। 'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993' • अधिनियम "राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी अधिनियम, 1993" फरवरी 2004 में समाप्त हो गया। • आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है जिसका कार्यकाल समय-समय पर सरकारी प्रस्तावों के माध्यम से बढ़ाया जाता है।
एससी ने एनईईटी में ओबीसी कोटा को रोक दिया	**संदर्भ:** हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से चिकित्सा/दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) हेतु अखिल भारतीय कोटा (All India Quota- AIQ) योजना में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) हेतु 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिये 10% कोटा की घोषणा की है। **NEET के विषय में:** • राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (National Eligibility-cum-Entrance Test- NEET) देश के सभी स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षा है। • वर्ष 2016 तक अखिल भारतीय प्री-मेडिकल टेस्ट (All India Pre-Medical Test- AIPMT) मेडिकल कॉलेजों के लिये राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा थी।

	• जबकि राज्य सरकारें उन सीटों के लिये अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करती थीं, जिन पर अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा नहीं होती थी। • सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2016 में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम (Indian Medical Council Act), 1956 की नई सम्मिलित धारा 10-D को बरकरार रखा, जो हिंदी, अंग्रेज़ी और विभिन्न अन्य भाषाओं में स्नातक स्तर एवं स्नातकोत्तर स्तर पर सभी चिकित्सा शैक्षणिक संस्थानों के लिये एक समान प्रवेश परीक्षा प्रदान करती है। • वर्तमान में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम (National Medical Commission Act), 2019 द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने के बाद निरस्त कर दिया गया है, जो 8 अगस्त, 2019 को अस्तित्व में आया था। • यह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (National Testing Agency) द्वारा आयोजित किया जाता है। **अखिल भारतीय कोटा (AIQ) योजना के बारे में:** • वर्ष 1986 में AIQ योजना को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत पेश किया गया था ताकि किसी भी राज्य के छात्रों को दूसरे राज्य में स्थित मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने की स्थिति में डोमिसाइल से मुक्त तथा योग्यता के आधार पर अवसर (Domicile-Free Merit-Based Opportunities) प्रदान किया जा सके। • इसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में UG सीटों का 15% और PG सीटों का 50% कोटा शामिल है। • राज्य के मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में सीटों का शेष हिस्सा अपने-अपने राज्यों में रहने वाले छात्रों के लिये आरक्षित है।
ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन	**ख़बरों में:** संशोधित ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना फॉर्मूलेशन और कार्यान्वयन (राडपीएफआई) दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। • RADPFI 2021 दिशानिर्देश स्थानिक ग्रामीण नियोजन को बढ़ावा देने की दिशा में मंत्रालय के प्रयासों का हिस्सा है और यह गाँवों में दीर्घकालिक नियोजन हेतु एक परिप्रेक्ष्य विकसित कर ग्रामीण परिवर्तन का मार्ग तैयार करेगा। • यह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी भूमि उपयोग नियोजन और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम होगा। • यह ग्रामीण क्षेत्रों में जीवंत आर्थिक समूहों के विकास को बढ़ावा देगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देंगे। • यह केंद्र सरकार के प्रयासों जैसे पंचायती राज मंत्रालय की 'स्वामित्व योजना' और ग्रामीण विकास मंत्रालय के रुर्बन मिशन का भी पूरक होगा और भू-स्थानिक जानकारी के बेहतर उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा। • **उद्देश्य-** इसका उद्देश्य गाँवों में रहने की सुगमता सुनिश्चित करना और सभी आवश्यक बुनियादी ढाँचे एवं सुविधाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के लिये संसाधन व अवसर प्रदान करके बड़े शहरों में प्रवास को कम करने में मदद करना है। • शामिल हैं o इसमें शहरी क्षेत्रों में नगर नियोजन योजनाओं की तर्ज पर 'ग्राम नियोजन योजना' (VPS) शामिल है। o ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम (GPDP) को स्थानिक भूमि उपयोग योजना से जोड़ने के प्रावधान। o ग्राम पंचायत विकास के लिये स्थानिक मानक। **पृष्ठभूमि:** • हालांकि, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में भारत में कई स्थानिक विकास पहल लागू किए गए हैं, लेकिन पंचायत / गांवों की ग्रामीण स्थानिक योजना के लिए कोई व्यापक अभ्यास नहीं किया गया है। • हाल के दिनों में, ग्रामीण इलाकों में बड़ी वृद्धि हुई है लेकिन इस अनियोजित विकास ने ग्रामीण क्षेत्रों में भू-स्थानिक क्षमता के अक्षम उपयोग को उजागर किया है। • इस प्रकार, शहरी केंद्रों के आसपास स्थित गांवों के लिए विशेष रूप से स्थानिक योजना और प्रमुख सड़क गलियारे के साथ, जो आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि विभिन्न अनुमोदित और गैर-स्वीकार्य भूमि-उपयोग गतिविधियों को इष्टतम विकास के लिए तय करने की आवश्यकता होती है। **नोट:** स्थानीय स्व-सरकार की पंचायती राज प्रणाली को भारत के संविधान के 73 वें संशोधन द्वारा पेश किया गया था। भाग IX को संविधान में 1993 में 73 वें संवैधानिक संशोधन के लिए एक अनुक्रम के रूप में डाला गया था, जो 'पंचायत' को संवैधानिक अनिवार्य स्थिति प्रदान करता था।
एलएस विशेषाधिकार समिति	**संदर्भ:** हाल ही में, करीमनगर से एक सांसद, हैदराबाद लोकसभा की 15 सदस्यीय विशेषाधिकार समिति के समक्ष दिखाई (appeared) दिया। **विशेषाधिकार समिति**

	• इसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। • इसकी कार्यप्रणाली अर्द्ध न्यायिक है। • यह सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करता है और उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है। • विशेषाधिकार समिति (लोकसभा) की वर्तमान अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी हैं। • लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत पंद्रह सदस्यीय समिति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से संदर्भित किये जाने पर सदन के विशेषाधिकार के हनन के मामलों का परीक्षण किया जाता है और अपेक्षित सिफारिश की जाती है। • उल्लेखनीय है कि राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में दस सदस्य होते हैं, जिन्हें सभापति द्वारा मनोनीत किया जाता है। • **प्रक्रिया:** कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से सदस्य या सदन के विशेषाधिकार के हनन का मामला उठा सकता है। इसके लिये सदस्य को लोकसभा के महासचिव को प्रश्न के लिये प्रस्तावित दिन (10 बजे सुबह) ही लिखित सूचना देना आवश्यक है। यदि प्रश्न दस्तावेज़ पर आधारित होता है तो निश्चित रूप से सूचना को इसके साथ संलग्न किया जाता है। यदि सूचना 10 बजे पूर्वाह्न के बाद दी जाती है तो उसे अगले दिन के लिये 10 बजे पूर्वाह्न माना जाएगा। सदन की एक बैठक में केवल एक ही प्रश्न उठाने की अनुमति होती है। प्रश्न हाल में हुए किसी विशिष्ट मामले से ही संबंधित होता है। साथ ही प्रश्न ऐसे होने चाहिये जिसमें संसद का हस्तक्षेप आवश्यक है।
एनएचआरसी एमएचए को अरुणाचल चकमा के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देशित करता है	**संदर्भ:** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार को चकमा और हाजोंग लोगों की नस्लीय रूपरेखा और पुनर्वास पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। **चक्मा और हजोंग कौन हैं?** • दरअसल, चकमा बौद्ध हैं, जबकि हाजोंग हिन्दू हैं। • चकमा और हाजोंग शरणार्थी मूलतः पूर्वी पाकिस्तान के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स (Chittagong Hill Tracts) के निवासी थे। परन्तु कर्नाफुली (Karnaphuli) नदी पर बनाए गए कैपटाई बांध (Kaptai dam) के कारण जब वर्ष 1960 में उनका क्षेत्र जलमग्न हो गया तो उन्होंने अपने मूल स्थान को छोड़कर भारत में प्रवेश किया। • इन दोनों जनजातियों ने बांग्लादेश में कथित तौर पर धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया तथा असम की लुशाई पहाड़ी (जिसे अब मिज़ोरम कहा जाता है) के माध्यम से भारत में प्रवेश किया। • भारतीय सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में राहत शिविर स्थापित किए और उनमें से अधिकतर 50 वर्षों के बाद भी वहां रहते हैं। • ध्यातव्य है कि वर्ष 1964-69 में इनकी संख्या मात्र 5,000 थी, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या एक लाख हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में उनके पास न ही भारत की नागरिकता है और न ही भूमि संबंधी अधिकार, परन्तु उन्हें राज्य सरकार द्वारा मूलभूत सुविधाएँ (basic amenities) मुहैया कराई जाती हैं। **इन्हें शरणार्थी क्यों कहा जाता है?** • भारत में निवास कर रहे चकमा और हाजोंग शरणार्थी भारतीय नागरिक हैं। इनमें से अधिकांश मिज़ोरम से हैं जोकि मिज़ो जनजातीय संघर्ष के कारण दक्षिणी त्रिपुरा के राहत शिविरों में रहते हैं। **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)** • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission-NHRC) एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर, 1993 को की गई थी। • मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और 12 अक्टूबर, 2018 को इसने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे किये। • यह संविधान द्वारा दिये गए मानवाधिकारों जैसे - जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। • यह 1991 में पेरिस में आयोजित मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अपनाई गई पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है। **NHRC की संरचना** • NHRC एक बहु-सदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं।

	• यह आवश्यक है कि 7 सदस्यों में कम-से-कम 3 पदेन (Ex-officio) सदस्य हों। • अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। • अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों या 70 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो, तक होता है। • इन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जाँच में उन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो जाएं। • इसके अतिरिक्त आयोग में पाँच विशिष्ट विभाग (विधि विभाग, जाँच विभाग, नीति अनुसंधान और कार्यक्रम विभाग, प्रशिक्षण विभाग और प्रशासन विभाग) भी होते हैं। • राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के परामर्श पर की जाती है।
वैवाहिक अधिकार (Conjugal rights)	**चर्चा में क्यों?** सर्वोच्च न्यायालय (SC), हिंदू पर्सनल लॉ (हिंदू विवाह अधिनियम 1955) के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली (वापसी) की अनुमति देने वाले प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने वाला है। **वैवाहिक अधिकारों के बारे में** • हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 वैवाहिक अधिकारों की बहाली से संबंधित है। • वैवाहिक अधिकार विवाह द्वारा स्थापित अधिकार हैं, अर्थात् पति या पत्नी दोनों को एक-दूसरे के प्रति साहचर्य का अधिकार होता है। • कानून इन अधिकारों को मान्यता देता है जिसके तहत विवाह, तलाक आदि से संबंधित हिंदू पर्सनल लॉ तथा आपराधिक कानून में पति या पत्नी को भरण-पोषण और गुजारा भत्ता के भुगतान की आवश्यकता होती है। • हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 वैवाहिक अधिकारों के एक पहलू- साथ जीवन व्यतीत करने वाले अधिकार को मान्यता देती है तथा इस अधिकार को लागू करने के लिये पति या पत्नी को न्यायालय में जाने की अनुमति देती है। **कानून को चुनौती देने का कारण:** • अधिकारों का उल्लंघन: o कानून को अब इस मुख्य आधार पर चुनौती दी जा रही है कि यह निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। o वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। o निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 (Article 21) के तहत जीवन के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के रूप में संरक्षित है। o वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने समलैंगिकता के अपराधीकरण, वैवाहिक बलात्कार, वैवाहिक अधिकारों की बहाली, बलात्कार की जांच में टू-फिंगर टेस्ट जैसे कई कानूनों हेतु संभावित चुनौतियों के लिये एक आधार निर्मित किया है। o याचिका में तर्क दिया गया है कि न्यायालय द्वारा दाम्पत्य अधिकारों की अनिवार्य बहाली राज्य की ओर से एक "ज़बरदस्ती अधिनियम" (Coercive Act) है, जो किसी की यौन और निर्णयात्मक स्वायत्तता तथा निजता एवं गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। • **महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण :** o यद्यपि यह कानून लैंगिक रुप से तटस्थ है क्योंकि यह पत्नी और पति दोनों को वैवाहिक अधिकारों की बहाली की अनुमति देता है, अत: प्रावधान महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करते हैं। o प्रावधान के तहत महिलाओं को अक्सर अपने पति के घर वापस आना पड़ता है और यह देखते हुए कि वैवाहिक बलात्कार एक अपराध नहीं है, इच्छा न होने के बावजूद उन्हें पति के साथ रहना होता है। o यह भी तर्क दिया जाता है कि क्या विवाह को सुरक्षित करने में राज्य की इतनी अधिक रुचि हो सकती है कि राज्य कानून द्वारा पति-पत्नी को एक साथ रहने के लिये बाध्य कर सकता है।
भारतीय दंड संहिता के 160	**संदर्भ:** वर्ष 1862 में गठित, भारतीय दंड संहिता अपने अस्तित्व के 160 वर्ष पूरे कर लिए। भारतीय दंड संहिता, वह कानून है जिसके साथ एक सामान्य नागरिक सबसे अधिक सूचना का आदान प्रदान करता है, और राज्य के साथ उसके संबंधों को नियंत्रित

वर्ष	करता है, अभी भी औपनिवेशिक विचारों में निहित है। ● यद्यपि संशोधनों और न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से कुछ परिवर्तन किए गए हैं, कानून उस संविधान की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं जो स्वतंत्रता और समानता को प्राथमिकता देता है। ● केस इन पॉइंट - अदालतों को समलैंगिकता और व्यभिचार को अपराध से मुक्त करने में 158 साल लग गए। **आपराधिक कानूनों में सुधार की आवश्यकता क्यों है?** ● **लंबे समय से लंबित होना :** भारतीय दंड संहिता और उसके परिणामी कानून, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता, पहली बार 19 वीं शताब्दी के अंत में लागू किए गए थे, जिनमें व्यापक संशोधन नहीं हुआ है। ● **औपनिवेशिक हैंगओवर:** 150 साल पहले भारत में औपनिवेशिक सरकार की सहायता के लिए आईपीसी और सीआरपीसी को बड़े पैमाने पर औपचारिक रूप दिया गया था। वे अभी भी संशोधनों और निर्णयों के बावजूद औपनिवेशिक विचारों में निहित हैं। ● **व्यक्तिगत एजेंसी की पर्याप्त मान्यता का अभाव:** IPC उस संविधान की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है जो स्वतंत्रता और समानता को प्राथमिकता देता है। ● **अभी भी विक्टोरियन नैतिकता का प्रतिनिधित्व करना :** जबकि अदालतों को समलैंगिकता (आईपीसी की धारा 377) और व्यभिचार को अपराध से मुक्त करने में 158 साल लग गए, आईपीसी में ऐसे कई प्रावधान मौजूद हैं जो अभी भी विक्टोरियन नैतिकता को प्रतिध्वनित करते हैं, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए सही है। ● **आधुनिक युग के अपराधों से अनभिज्ञ:** आईपीसी में नए विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और यौन अपराधों को परिभाषित और संबोधित करने की आवश्यकता है। उदाहरण: जुआ और सट्टेबाजी की सुविधा प्रदान करने वाली डिजिटल तकनीक को। **आगे की राह** ● सरकार को एक आपराधिक कानून प्रणाली तैयार करने के लिए 'अपराधों' और आपराधिक प्रक्रिया के एक बड़े और विविध परिदृश्य को कवर करना चाहिए जो वास्तव में समय के अनुरूप हो। उदाहरण: न्यायालय की अवमानना, वैवाहिक बलात्कार, एसिड अटैक, घृणा अपराध आदि। ● सरकार को लोकलुभावन मांगों के आगे नहीं झुकना चाहिए और अत्यधिक पुलिसिंग तथा अति-अपराधीकरण का जोखिम नहीं उठाना चाहिए ● मृत्युदंड के लिए एक विधायी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, न कि केवल न्यायपालिका पर बोझ डालने की। ● आपराधिक कानून के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर, क़ानून की किताबों को अदालती फैसलों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। ● जो पीड़ित अक्सर न्याय प्रक्रिया से हाशिये पर रहते हैं उन पर संस्थागत देरी का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। ● सबसे ऊपर जवाबदेही, नागरिक के अधिकारों और राज्य की अनिवार्यताओं के बीच संतुलन का मार्गदर्शन करना चाहिए। **निष्कर्ष** ● मैकाले ने स्वयं इस संहिता के नियमित पुनरीक्षण का समर्थन किया था जब भी कोई कमी या अस्पष्टता पाई या अनुभव की गई थी। वर्तमान निराशाजनक स्थिति के लिए आईपीसी के मूल वास्तुकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ● भले ही आईपीसी को 75 से अधिक बार बेतरतीब ढंग से संशोधित किया गया हो, लेकिन कोई व्यापक संशोधन नहीं किया गया है। ● परिणामस्वरूप, कई बार असंतोषजनक परिणामों के साथ, बड़े पैमाने पर अदालतों को यह कार्य करना पड़ा है। ● वर्ष 2013 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले के बाद संशोधन जैसी तात्कालिक परिस्थितियों के जवाब में अधिकांश

	संशोधन तदर्थ और प्रतिक्रियाशील रहे हैं। ● इस प्रकार, पुराने प्रावधानों को हटाने और आधुनिक समय/अब तक बहिष्कृत अपराधों को शामिल करने के लिए आईपीसी को अद्यतन करने की आवश्यकता है। **ध्यान देना** ● 1833 का चार्टर अधिनियम लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किया और सिफारिशों के कारण आईपीसी का मसौदा तैयार हुआ। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?** **1.** क्या आईपीसी ने भारतीय समाज की जरूरतों के अनुसार सेवा की है? या यह अभी भी एक औपनिवेशिक हैंगओवर है? इसकी जांच कीजिए। **2.** क्या आईपीसी अपराध के बदलते स्वरूप के साथ तालमेल बिठाने में सफल रही है? चर्चा कीजिए।
स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण	**ख़बरों में :** हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने दिसंबर 2021 के आदेश को वापस लेने का फैसला किया, जिसके माध्यम से स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिये 27% आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी। ● सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देने की ज़िम्मेदारी पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंपी है। ● महाराष्ट्र अकेला ऐसा राज्य नहीं है जहाँ स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई गई थी। दिसंबर 2021 में, शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार के लिये एक समान आदेश पारित किया, जिसमें ओबीसी सीटों को तीन-परीक्षण मानदंडों (जैसा कि 2010 के फैसले में कहा गया है) का पालन करने में विफल रहने पर सामान्य श्रेणी के रूप में अधिसूचित किया गया था। ○ इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसी तरह का एक आवेदन किया है, जिसमें राज्य में 51% ओबीसी आबादी होने का दावा किया गया है। **महत्वपूर्ण तथ्य** ● SC ने राज्य सरकार को तीन शर्तों का पालन करने के लिये कहा था- ओबीसी आबादी से संबंधित अनुभवजन्य डेटा एकत्र करने के लिये एक समर्पित आयोग की स्थापना, आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना और यह सुनिश्चित करना कि आरक्षित सीटों का संचयी हिस्सा कुल सीटों में से 50% का उल्लंघन न करे। ● सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने ओबीसी के अनुभवजन्य डेटा के लिये समर्पित आयोग की नियुक्ति की और 50% आरक्षण की सीमा को पार किये बिना स्थानीय निकायों में ओबीसी को 27% तक आरक्षण देने के लिये एक अध्यादेश भी जारी किया। ● हालाँकि शीर्ष अदालत ने दिसंबर 2021 में यह कहते हुए रोक लगा दी कि इसे अनुभवजन्य डेटा के बिना लागू नहीं किया जा सकता है और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को ओबीसी सीटों को सामान्य श्रेणी में रखकर चुनाव कराने को कहा है। **निहितार्थ:** ● सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में OBC कोटा बहाल करने की संभावना को बढ़ा दिया है। ● सरकारी आंकड़ों में राज्य के ग्रामीण विकास विभाग और शहरी विकास विभाग के गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्रों हेतु स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न सर्वेक्षण शामिल हैं। ● सरकार पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग के आंकड़ों और वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों का भी हवाला दे सकती है। **वर्ष 2010 का निर्णय** ● के. कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ वाद (2010) में सर्वोच्च न्यायालय के पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 243D(6) और अनुच्छेद 243T(6) की व्याख्या की थी, जो कानून के अधिनियमन द्वारा क्रमशः पंचायतों और नगर निकायों में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण की अनुमति देते हैं। इसमें सर्वोच्च न्ययालय ने यह माना था कि राजनीतिक भागीदारी की बाधाएँ, शिक्षा एवं रोज़गार तक पहुँच को सीमित करने वाली बाधाओं के समान नहीं हैं।

	• समान अवसर देने हेतु आरक्षण को वांछनीय माना जाता है, जैसा कि उपरोक्त अनुच्छेदों द्वारा अनिवार्य है जो कि आरक्षण के लिये एक अलग संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं, जबकि अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत शिक्षा व रोज़गार में आरक्षण की परिकल्पना की गई है। • यद्यपि स्थानीय निकायों को आरक्षण की अनुमति है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि यह आरक्षण स्थानीय निकायों के संबंध में पिछड़ेपन के अनुभवजन्य डेटा के अधीन है।

अर्थव्यवस्था

जीएसटी परिषद (GST Council)	**संदर्भ :** जीएसटी परिषद ने कपड़ा क्षेत्र के लिए कर की दर में वृद्धि को अस्थायी रूप से वापस लेने का निर्णय लिया है। • यह कदम गुजरात, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित कई राज्यों की मांगों के बाद उठाया गया है। • फुटवियर (footwear) की समान मांग पर विचार नहीं किया गया और इस क्षेत्र पर जनवरी से 12% जीएसटी लगेगा। **जीएसटी परिषद के बारे में** • GST परिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। • यह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें करता है। • जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्तमंत्री करते हैं। • इसके अन्य सदस्य केंद्रीय राजस्व या वित्तमंत्री और सभी राज्यों के वित्त या कराधान (Taxation) के प्रभारी मंत्री होते हैं।
एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस तीन महीने के लिए बढ़ाए गए	**संदर्भ:** केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एफसीआरए-पंजीकृत एनजीओ के लाइसेंस की वैधता को तीन महीने और बढ़ा दिया है, जिनका 31 दिसंबर तक नवीनीकरण नहीं किया गया था। **एफसीआरए क्या है?** • यह भारत के अंदर गैर सरकारी संगठनों और अन्य लोगों को कुछ व्यक्तियों या संघों द्वारा प्रदान किए गए विदेशी योगदान (विशेष रूप से मौद्रिक दान) को विनियमित करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून है। • वर्ष 1976 में FCRA को पहली बार अधिनियमित किया गया था। वर्ष 2010 में विदेशी अंशदान को विनियमित करने के लिये नए उपायों को अपनाने के पश्चात् इसे संशोधित किया गया। • FCRA विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले सभी संघों (Associations), समूहों (Groups) और NGOs पर लागू होता है। ऐसे सभी NGOs के लिये FCRA के तहत स्वयं को पंज़ीकृत करवाना अनिवार्य है। • सरकार ने कुछ गैर सरकारी संगठनों के बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए वर्षों से इस अधिनियम का इस्तेमाल किया है, जो गलत उद्देश्यों के लिए भारत के राष्ट्रीय हित को प्रभावित कर रहे थे। • **मंत्रालय:** गृह मंत्रालय **क्या आप जानते हैं?** • विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकरण किसी भी गैर सरकारी संगठन या संघ के लिए विदेशी धन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है और इसे हर पांच साल में नवीनीकृत किया जाता है। • एफसीआरए में निर्धारित शर्तों के अनुसार, एक संगठन विदेशी फंडिंग तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह 2010 के अधिनियम के तहत पंजीकृत न हो, सिवाय इसके कि जब उसे किसी विशिष्ट परियोजना के लिए सरकार की मंजूरी मिलती है। • एफसीआरए अधिनियम के तहत, पंजीकृत गैर सरकारी संगठन पांच उद्देश्यों के लिए विदेशी योगदान प्राप्त कर सकते हैं - सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक।

वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी	**ख़बरों में :** हाल ही में पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने 'वन नेशन-वन ग्रिड-वन फ्रीक्वेंसी' यानी नेशनल ग्रिड के संचालन की वर्षगाँठ मनाई। **प्रमुख बिंदु** ● क्षेत्रीय आधार पर राष्ट्रीय ग्रिड प्रबंधन 60 के दशक में शुरू हुआ। ● योजना और परिचालन उद्देश्यों के लिये भारतीय विद्युत प्रणाली को पाँच क्षेत्रीय ग्रिडों में विभाजित किया गया है। ● नब्बे के दशक की शुरुआत में क्षेत्रीय ग्रिड के एकीकरण और इस तरह राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की अवधारणा की गई थी। ● प्रारंभ में राज्य ग्रिड को एक क्षेत्रीय ग्रिड बनाने के लिये आपस में जोड़ा गया था और भारत को 5 क्षेत्रों अर्थात् उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में सीमांकित किया गया था। ● श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन सिस्टम नेशनल ग्रिड से जुड़ा था, और 2019 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय- वार्षिक समीक्षा-2021	**भाग:** प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा जीएस-III: अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी ● केंद्रीय कैबिनेट ने बहु-आयामी संपर्क प्रदान करने के लिए "प्रधानमंत्री गति शक्ति - राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी)" को मंजूरी दी। ● इसमें निरंतरता के लिए संस्थागत ढांचा, कार्यान्वयन, निगरानी और सहायता प्रणाली शामिल हैं। ● वर्ष 2021 में दो एमएमएलपी परियोजनाओं- नागपुर (सिंधी) और चेन्नई के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के साथ मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) पर काम करने की गति तेज हुई। ● यह 'समग्र बुनियादी ढांचे' के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये की एक परियोजना है। ● इस योजना का उद्देश्य सड़क, रेल, वायु और जलमार्गों के बीच आसानी से अंतर्संबंध बनाना है ताकि यात्रा के समय को कम, औद्योगिक उत्पादकता में सुधार और अधिक सामंजस्यपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में तालमेल विकसित किया जा सके। ● **विश्व रिकॉर्ड:** दिल्ली-वड़ोदरा एक्सप्रेसवे खंड पर 24 घंटे के भीतर 2.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन कंक्रीट फुटपाथ का निर्माण किया गया। ● स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपेज नीति की घोषणा, 2021 में की गई प्रमुख पहलों में से एक है। यह देश में अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर देगी। इस नीति के चलते न केवल सड़क से पुराने व अनुपयुक्त वाहनों की वजह से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि इससे रोजगार के पर्याप्त अवसर भी पैदा होंगे। इस नीति का उद्देश्य पूरे देश में स्वचालित जांच स्टेशनों और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) के रूप में स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है। ● नागरिक-केंद्रित पहल के तहत मंत्रालय ने बीएच सीरिज के तहत वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिह्न शुरू किया है। इसमें योजना के लिए पात्र लोगों को दूसरे राज्य में जाने के दौरान अपने वाहन की नंबर प्लेट बदलने की जरूरत नहीं है। यह फिर से पंजीकरण करने के बोझ को कम करने के लिए किया गया, जो एक दुष्कर और समय खर्च करने वाली प्रक्रिया है। ● राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मंत्रालय ने सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। ● **अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट:** मंत्रालय ने अधिसूचना जीएसआर 15(ई) जारी की। यह अधिसूचना उन भारतीय नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) जारी करने के लिए की गई, जिनकी आईडीपी की अवधि विदेश में रहने के दौरान समाप्त हो गई। ● **ई20 ईंधन के लिए व्यापक उत्सर्जन मानक:** मंत्रालय ने ई20 ईंधन के लिए व्यापक उत्सर्जन मानकों को अपनाने के संबंध में जी.एस.आर 156(ई) अधिसूचना जारी की। बीआईएस पहले ही ई20 ईंधन के

	लिए ईंधन विनिर्देशों को अधिसूचित कर चुका है। • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा प्रदान की जा रही वेसाइड सुविधाओं (डब्ल्यूएसए) के हिस्से के रूप में डेवलपर द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन प्रदान किए जाने हैं। • वस्तुओं के परिवहन में क्रांति लाने और व्यापक लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने को लेकर ऑटोमोटिव उद्योग मानक समिति ने सड़क-ट्रेनों की सुरक्षा जरूरतों को शामिल करने के लिए अपने एआईएस-113 मानक में संशोधन किया है। • मंत्रालय ने "इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन" के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करने वाली एक अधिसूचना भी जारी की। इसके तहत चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। • देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार के लिए 2021 में कई कदम उठाए गए हैं। इनमें मुसीबत के समय सहायता करने वाले नेक व्यक्ति के लिए इनाम योजना की घोषणा और सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन शामिल है। इसी तरह पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए पर्यावरण के अनुकूल वाहनों और ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
आरबीआई ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए रूपरेखा जारी की	**संदर्भ :** भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कार्ड, वॉलेट, मोबाइल उपकरणों आदि का उपयोग करके ऑफ़लाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए एक रूपरेखा जारी की है। **अन्य संबंधित तथ्य** • सितंबर 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में इस योजना के तहत तीन प्रायोगिक को सफलतापूर्वक संचालित किया गया था। • ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान के लिए इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है। • ऑफ़लाइन मोड के तहत, भुगतान किसी भी चैनल या साधन जैसे कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके आमने-सामने (निकटता मोड) किया जा सकता है। • इन लेन-देन के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (AFA) की आवश्यकता नहीं होगी, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, चूंकि लेनदेन ऑफ़लाइन हैं, इसलिए ग्राहक को अलर्ट (एसएमएस और / या ई-मेल के माध्यम से) एक समय अंतराल के बाद प्राप्त होगा। • चूंकि लेन-देन ऑफ़लाइन हैं, ग्राहक को एक समय अंतराल के बाद अलर्ट (एसएमएस और/या ई-मेल के माध्यम से) प्राप्त होंगे। • प्रति लेनदेन 200 रुपये तक ऑफ़लाइन भुगतान की अनुमति दी गई, जो कि 2,000 रुपये की कुल सीमा के अधीन है। आरबीआई ने कहा कि ढांचा 'तुरंत' प्रभावी हुआ।
स्वचालित उत्पादन नियंत्रण (AGC)	**संदर्भ:** केंद्रीय ऊर्जामंत्री ने राष्ट्र को स्वचालित उत्पादन नियंत्रण (Automatic Generation Control-AGC) समर्पित किया। **अन्य संबन्धित तथ्य** • इस परियोजना से सरकार के 2030 तक 500 गीगावा गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। • AGC का परिचालन पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन (POSOCO) द्वारा राष्ट्रीय भार पारेषण केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। • AGC के जरिये POSOCO प्रत्येक चार सेकंड में बिजली संयंत्रों को बिजली प्रणाली की 'फ्रीक्वेंसी' और विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए संकेत भेजता है। • AGC के माध्यम से राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र विद्युत प्रणाली की निरंतरता और विश्वसनीयता कायम रखने के लिए हर चार सेकंड पर 50 बिजली संयंत्रों को संकेत भेजता है। • इसके जरिए परिवर्तनीय और सविराम नवीकरणीय ऊर्जा की पैदावार को स्वमेव निरंतरता नियंत्रण जैसे

	अधिक कारगर तरीके से सुनिश्चित किया जा सकेगा। • श्री आर.के. सिंह ने "Assessment of Inertia in Indian Power System" (भारती विद्युत प्रणाली में जड़ता का मूल्यांकन) नामक रिपोर्ट भी जारी की जिसे POSOCO ने आईआईटी, बॉम्बे के सहयोग से तैयार किया था। **पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन (POSOCO)** • पॉसोको दिवस (POSOCO Day) प्रतिवर्ष तीन जनवरी को मनाया जाता है। • इसी दिन वर्ष 2017 में इसने स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया था। • यह पावरग्रिड से अपनी सहायक संस्था के रूप में अलग होने के बाद विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक विद्युत सार्वजनिक उपक्रम के रूप में आता है। • यह विश्वसनीय, कुशल और सुरक्षित तरीके से ग्रिड के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। • इसमें 5 क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (RLDCs) और राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (NLDC) शामिल हैं।
वार्षिक समीक्षा 2021: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय	**प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू)** • केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय 2022 तक सभी पात्र लाभार्थियों को हर तरह के मौसम के लिये अनुकूल 'पक्के मकान' उपलब्ध कराने के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है। • मूल रूप से यह योजना निम्न आर्थिक वर्ग और कम आय वर्ग के लोगों को आवास प्रदान करने के लिये बनाई गई थी। एक वर्ष बाद इसका दायरा बढ़ाकर मध्यम आय वर्ग को भी इसमें शामिल कर लिया गया। • भारत के प्रधानमंत्री ने नए साल के पहले दिन 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट (LHP) की नींव रखी। • इसके तहत मिडिल क्लास और गरीबों के लिए सस्ते और मजबूत घर बनाए जाएंगे। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया (GHTC) के तहत यह योजना अगरतला (त्रिपुरा), रांची (झारखंड), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), इंदौर (मध्य प्रदेश), राजकोट (गुजरात) और चेन्नई (तमिलनाडु) में शुरू की गई है। • इस पहल ने भारत में निर्माण प्रौद्योगिकी में एक नए युग की शुरुआत की, इस प्रकार मेक इन इंडिया पहल को प्रोत्साहन मिला। • लोगों और प्रौद्योगिकी को एक साथ लाने से, एलएचपी एक नए पारिस्थितिकी तंत्र का मार्ग प्रशस्त करेगा जहां लागत प्रभावी, पर्यावरण के अनुकूल और तेजी से निर्माण के लिए विश्व स्तर पर सिद्ध प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाएगा। • इन एलएचपी के कई फायदे हैं, जिनमें स्थायित्व, जलवायु-लचीलापन, सामर्थ्य, सुरक्षा और गति प्राथमिक हैं। **प्रौद्योगिकी उप-मिशन (Technology Sub-Mission-TSM)** • उप-मिशन पारम्परिक निर्माण के स्थान पर आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकियों एवं सामग्री के विकास को आसान एवं बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विनियामक एवं प्रशासनिक इकाईयों के साथ समन्वय करेगा। • प्रौद्योगिकी उप-मिशन हरित एवं ऊर्जाक्षम प्रौद्योगिकी जलवायु परिवर्तन इत्यादि में कार्यरत अन्य एजेंसियों के साथ भी समन्वय स्थापित करेगा। • देश में समग्र आवास निर्माण क्षेत्र में एक आदर्श बदलाव लाने की क्षमता रखता है। **किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (Affordable Rental Housing Complexes-ARHC) योजना** • COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप देश में बड़े स्तर पर कामगारों/शहरी गरीबों का पलायन देखने को मिला है, जो बेहतर रोज़गार के अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों से शहरी क्षेत्रों में आए थे। • सामान्यत ये प्रवासी किराया बचाने के लिये झुग्गी बस्तियों, अनौपचारिक/ अनाधिकृत कॉलोनियों या अल्प विकसित शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।

- ये लोग कार्यस्थलों पर जाने के लिये अपना काफी समय सड़कों पर चलकर/साइकिल चलाकर बिताते है और खर्च बचाने के लिये अपने जीवन को ज़ोखिम में डालते रहे हैं।
- ARHC के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में कार्यस्थल के नज़दीक सस्ते किराये वाले आवासों की उपलब्धता हो सकेगी।
- ARHC के अंतर्गत निवेश से रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा।
- ARHC द्वारा लोगों के अनावश्यक यात्रा वहन तथा प्रदूषण में कमी आएगी।
- सरकार द्वारा वित्तपोषित खाली पड़े आवासों को किफायती उपयोग के लिये ARHC में कवर किया जाएगा।

सिटी इनोवेशन एक्सचेंज (CiX) प्लेटफॉर्म

- सिटी इनोवेशन एक्सचेंज (CiX) प्लेटफॉर्म को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव द्वारा लॉन्च किया गया था।
- सिटी इनोवेशन एक्सचेंज (CiX) शहरों को राष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र में इनोवेटर्स से जोड़ेगा ताकि उनकी चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान तैयार किया जा सके।
- 'हर कोई एक नवप्रवर्तक है' के दर्शन पर बनाया गया, मंच एक पारदर्शी और टिकाऊ तरीके से शहरी भारत के भविष्य के लिए सह-निर्माण करने के लिए नागरिक संगठनों-अकादमिया-व्यवसायों-सरकार को एक साथ लाएगा।
- मंच एक मजबूत, पारदर्शी और उपयोगकर्ता केंद्रित प्रक्रिया के माध्यम से समाधानों की खोज, डिजाइन और सत्यापन को आसान बनाएगा जो कि इनोवेटर्स और शहरों के लिए उपयुक्त समाधान खोजने के लिए बाधाओं को कम करेगा।
- प्लेटफ़ॉर्म में लॉन्च के समय 400 से अधिक स्टार्ट-अप, 100 स्मार्ट सिटी, 150 से अधिक चुनौतियों के बयान और 215 से अधिक समाधान हैं।

स्मार्टकोड

- स्मार्टकोड एक ऐसा मंच है जिसे एमओएचयूए द्वारा लॉन्च किया गया था और जो इकोसिस्टम के सभी हितधारकों को शहरी प्रशासन के लिये विभिन्न समाधानों और अनुप्रयोगों को ओपन-सोर्स कोड के लिये संग्राहक में योगदान करने में सक्षम बनाता है।
- यह शहरी चुनौतियों का समाधान करने के लिये डिजिटल अनुप्रयोगों के विकास और इस्तेमाल के लिये शहरी स्थानीय निकायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें शहरों को यह सुविधा मिलती है कि वो किसी नये समाधान को पूरी तरह शुरुआत से विकसित करने की जगह पहले से मौजूद कोड को अपनी जरूरत के आधार पर विकसित कर सकें।
- इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज को स्मार्ट सिटीज मिशन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आईआईएससी), बेंगलुरु के बीच साझेदारी में विकसित किया गया है।
- एससीएम के तहत परियोजनाओं की उचित समीक्षा और कार्यान्वयन में परियोजना निगरानी के लिए एक नयी स्मार्ट सिटी वेबसाइट और भू-स्थानिक प्रबंधन सूचना प्रणाली जीएमआईएस भी विकसित की गयी।

ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल

- आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी नागरिकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने वाले समाधान विकसित करने के लिये शहरों, नागरिक समूहों और स्टार्ट-अप को एक साथ लाने के उद्देश्य से ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल लॉन्च किया।
- इसने ईटस्मार्ट सिटीज चैलेंज भी शुरू किया जिसका उद्देश्य स्मार्ट शहरों को एक ऐसी योजना विकसित करने के लिए प्रेरित करना था जो संस्थाओं, वास्तविक, सामाजिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा समर्थित हो और भोजन से जुड़े मुद्दों को हल करने के साथ स्वस्थ, सुरक्षित और लंबे समय तक कायम रह सकने वाले फूड इकोसिस्टम को विकसित करने में मदद करे।

	राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) • नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) शहरी भारत के लिए एक साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करेगा, जो शहरों और कस्बों को समग्र समर्थन प्रदान करने के लिये लोगों, प्रक्रिया और प्लेटफॉर्म के तीन स्तंभों पर काम करेगा। • यह 2022 तक 2022 शहरों में और 2024 तक भारत के सभी शहरों और कस्बों में शहरी शासन और सेवा वितरण के लिए एक नागरिक-केंद्रित और इकोसिस्टम-संचालित दृष्टिकोण को संस्थागत रूप देगा। **प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मानिभर निधि (पीएम स्वानिधि) योजना** • स्ट्रीट फूड वेंडर्स की हजारों उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान की है और इन विक्रेताओं को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद की है। • एमओएचयूए ने पीएम स्वनिधि लाभार्थियों और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक रुपरेखा बनाने के लिये पीएम स्वनिधि से समृद्धि के लिए मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया- जिससे उन्हें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा सके। **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) योजना** • एक प्रमुख योजना जिसका उद्देश्य मजबूत सामुदायिक संस्थानों के निर्माण, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए किफायती ऋण तक पहुंच, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए सहायता और शहरी बेघरों के लिए आश्रयों के माध्यम से शहरी गरीबी को कम करना है। • डीएवाई-एनयूएलएम योजना ने शहरी गरीब महिलाओं को पर्याप्त कौशल और अवसर प्रदान करने और उन्हें लंबे समय तक कायम रह सकने वाले सूक्ष्म उद्यमों स्थापित करने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। • यह इन महिलाओं के समर्थन में प्रणाली तैयार करने के लिये शहरी गरीब परिवारों की महिलाओं को एसएचजी और उनके संघों से जोड़ता है।
स्मार्ट सिटी और एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च (SAAR)	**ख़बरों में:** हाल ही में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने "स्मार्ट सिटी एंड एकेडेमिया टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च (सार)" (Smart cities and Academia Towards Action & Research-SAAR) कार्यक्रम की शुरुआत की है • यह आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआईयूए) और देश के अग्रणी भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। • इस कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेज़ीकरण करेंगे। • इन दस्तावेज़ो में सर्वोत्तम परंपराओं से सीखने, छात्रों को शहरी विकास परियोजनाओं पर जुड़ाव के अवसर प्रदान करने और शहरी पेशेवरों तथा शिक्षाविदों के बीच तत्काल सूचना के प्रसार के उपायों का उल्लेख किया जाएगा।
सभी के लिए किफायती एलईडी के जरिये उन्नत (उजाला) ज्योति योजना	**ख़बरों में:** सभी के लिए अफोर्डेबल एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 5 जनवरी, 2015 को लॉन्च किया गया था। बहुत ही कम समय में, यह कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा शून्य सब्सिडी वाला घरेलू प्रकाश कार्यक्रम बन गया है। • इसके तहत देश भर में 36.78 करोड़ से अधिक LED वितरित किए जा चुके हैं। • इसके परिणामस्वरूप 47.65 बिलियन किलोवाट की वार्षिक ऊर्जा बचत हुई है। • CO2 उत्सर्जन में 3,86 करोड़ टन की कमी के साथ-साथ 9,565 मेगावाट की पीक डिमांड को टाला गया है। • घरेलू प्रकाश उद्योग को गति दी • नियमित थोक खरीद के माध्यम से निर्माताओं को बड़े पैमाने की मितव्ययिता प्रदान की। • सभी राज्यों द्वारा आसानी से अपनाए गए, उजाला ने वार्षिक घरेलू बिजली बिलों को कम करने में मदद की।

	• भारत के शीर्ष प्रबंधन स्कूलों से ध्यान आकर्षित किया; अब भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), अहमदाबाद में लीडरशिप केस स्टडी का एक हिस्सा है। इसके अलावा, इसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली– हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण-II को मंजूरी दी	**ख़बरों में:** आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएनएसटीएस) के लिये हरित ऊर्जा कॉरिडोर (जीईसी) चरण-II की योजना को मंजूरी दी। • हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना के दूसरे चरण में लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें और 27,500 मेगा वोल्ट- एम्पीयर (एमवीए) सबस्टेशनों की क्षमता में वृद्धि होगी। • इस योजना से सात राज्यों- गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश में ग्रिड एकीकरण और लगभग 20 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की बिजली निकासी परियोजनाओं को मदद मिलेगी। • इस योजना से सात राज्यों- गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश में ग्रिड एकीकरण और लगभग 20 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की बिजली निकासी परियोजनाओं को मदद मिलेगी। • इस योजना से 2030 तक 450 गीगावॉट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। • यह योजना देश में दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करेगी तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करके पारिस्थितिक रूप से सतत वृद्धि को बढ़ावा देगी। • इससे बिजली और अन्य सम्बंधित सेक्टरों में कुशल और अकुशल, दोनों तरह के कामगारों के लिये बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।
भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक जापान को पीछे छोड़ देगी: रिपोर्ट	**संदर्भ :** आईएचएस मार्किट ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत वर्ष 2030 तक जापान को पीछे छोड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। • उस समय तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आकार जर्मनी एवं ब्रिटेन से भी आगे हो जाने और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। **रिपोर्ट के मुख्य अंश** • भारत इस समय अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी एवं ब्रिटेन के बाद दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। • इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत का बाजार मूल्य पर जीडीपी के वर्ष 2021 के 2,700 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 8,400 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। • वर्ष 2030 तक, भारतीय अर्थव्यवस्था जर्मनी, फ्रांस और यू.के. की सबसे बड़ी पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के आकार में बड़ी होगी। • भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण को कई प्रमुख विकास कारकों द्वारा समर्थित किया गया है। • इस उच्च वृद्धि दर को दीर्घकालिक परिदृश्य में कई अहम कारकों से समर्थन मिलने की उम्मीद है। तेजी से बढ़ता मध्य वर्ग का आकार भारत में उपभोक्ता व्यय को मजबूती दे रहा है • देश का उपभोग व्यय 2020 में $1.5 ट्रिलियन से दोगुना होकर 2030 तक $3 ट्रिलियन हो जाएगा। • भारतीय अर्थव्यवस्था के 2022-23 वित्तीय वर्ष में 6.7% की गति से जोरदार वृद्धि जारी रहने का अनुमान है। • इसके बड़े औद्योगिक क्षेत्र ने विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य बना दिया है।
वित्तीय समाधान और जमा बीमा (एफआरडीआई) विधेयक	**संदर्भ:** हाल ही में वित्त मंत्रालय ने वित्तीय क्षेत्र में फर्मों के दिवालियेपन से निपटने के लिये वित्तीय समाधान और जमा बीमा (FRDI) विधेयक के एक संशोधित संस्करण का मसौदा तैयार करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से सुझाव मांगे हैं वर्ष 2018 में सरकार ने बैंक जमाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच FRDI विधेयक 2017 को वापस ले लिया था।

	FRDI बिल के बारे में • FRDI विधेयक, 2017 वित्तीय क्षेत्र में फर्मों के दिवालियेपन के मुद्दे को संबोधित करने के लिये था। • इसका उद्देश्य बैंकों, बीमा कंपनियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, पेंशन फंड और स्टॉक एक्सचेंज जैसे संस्थानों की विफलता के नतीजों को सीमित करना है। • केंद्र सरकार के आश्वासन के बावजूद जमा की सुरक्षा को लेकर जनता के बीच चिंताओं के कारण विधेयक को वापस ले लिया गया था। • आलोचना का एक प्रमुख बिंदु विधेयक में तथाकथित 'बेल-इन क्लॉज़' था जिसमें कहा गया था कि बैंक के दिवालिया होने की स्थिति में जमाकर्त्ताओं को अपने दावों में कमी करके समाधान की लागत का एक हिस्सा वहन करना होगा। • अब एक संशोधित संस्करण के तहत, जमाकर्ताओं के डर को दूर करने के लिए जमा बीमा कवर भी 1 लाख रुपये प्रति खाता से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।
अत्याधुनिक बैटरी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये 18,100 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को मंजूरी	**ख़बरों में:** सरकार ने अत्याधुनिक रसायन सेल (एसीसी) बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये 18,100 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को मंजूरी दे दी। **अन्य संबन्धित तथ्य** • सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के मकसद से राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैट्री भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दी गयी है। • इससे 45,000 करोड़ रुपये का विदेशी और घरेलू निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। • इस पहल का मकसद 50,000 मेगावाट प्रति घंटा एसीसी (उन्नत रसायन सेल बैटरी) विनिर्माण क्षमता हासिल करना है। • एसीसी नई पीढ़ी की अत्याधुनिक भंडारण प्रौद्योगिकी है। • इसके जरिये बिजली को इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर रसायनिक ऊर्जा के रूप में भंडारित किया जा सकता है। बाद में जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिक ऊर्जा में तब्दील किया जा सकता है। • उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान, बिजली से चलने वाले वाहन, उन्नत विद्युत ग्रिड, सौर ऊर्जा आदि में बैट्री की आवश्यकता होती है। • यह जलवायु परिवर्तन, हरित वृद्धि, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिये काफी फायदेमंद पहल है। यह विदेशी के साथ-साथ घरेलू निवेश लाएगा और रोजगार के अवसर सृजित करेगा। • एसीसी कार्यक्रम देश के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिये महत्वपूर्ण कारक होगा। • एसीसी की मांग भारत में इस समय आयात के जरिये पूरी की जा रही है। • इस योजना के तहत एसीसी बैट्री निर्माण से विद्युत चालित वाहन (ईवी) को प्रोत्साहन मिलेगा और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी। इससे 2 से 2.50 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी। • एसीसी बैट्री भंडारण निर्माता में से प्रत्येक को कम से कम पांच गीगावॉट घंटा (एक गीगावाट बराबर 1,000 मेगावाट) की निर्माण सुविधा सुनिश्चित करने की जरूरत होगी।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी)	**संदर्भ:** सुप्रीम कोर्ट ने देवास (डिजिटली एन्हांस्ड वीडियो और ऑडियो सर्विसेज) को बंद करने के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (National Company Law Tribunal-NCLT) के फैसले को बरकरार रखा है, जिसे कभी सैटेलाइट के माध्यम से डिजिटल मीडिया और प्रसारण सेवाओं में क्रांति लाने के कदम के रूप में माना जाता था। हालांकि, यह सीबीआई जांच के तहत धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले के रूप में समाप्त हुआ। **नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या है?** • दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 भारत के आर्थिक इतिहास में सबसे बड़े दिवाला सुधारों में से एक है। इस कोड को कॉर्पोरेट व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के पुनर्गठित और दिवाला समाधान के लिए समयबद्ध तरीके से ऐसे व्यक्तियों के लिए संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने के लिए अधिनियमित किया गया था। • निर्णायक प्राधिकरण कंपनियों और एलएलपी के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण

	(एनसीएलटी) और व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) है। • यह भारत में एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो भारत में कंपनियों से संबंधित मुद्दों का न्यायनिर्णयन करता है। • यह 1 जून, 2016 को स्थापित (कंपनी अधिनियम, 2013) किया गया। • यह न्यायमूर्ति एराडी समिति की सिफारिशों के आधार पर गठित है। • यह मुख्य रूप से कंपनी कानून और दिवाला कानून से संबंधित मामलों से संबंधित है। • **सदस्यों का कार्यकाल:** नियुक्तियां कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक के लिए होंगी।
समर्थ (ताप विद्युत संयंत्रों में कृषि अवशेषों के उपयोग पर सतत कृषि मिशन)	**संदर्भ:** केंद्रीय ऊर्जा सचिव ने हाल ही में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में समर्थ के लिए संचालन समिति यानी नेशनल मिशन ऑन बायोमास के उपयोग पर दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। **समर्थ के बारे में** • इसे खेतों में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के मुद्दे को संबोधित करने और कोयले पर काम करने वाले ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पन्न कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए बनाया गया था। • यह कृषि अवशेषों का उपयोग करने के लिए एक सरकारी पहल है, जिसे पहले अपशिष्ट माना जाता था। • इसे ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन के रूप में भी माना जाता है **इसका उद्देश्य :** • सह-फायरिंग के स्तर को बढ़ाने के लिए (एक ही समय में दो अलग-अलग प्रकार की सामग्रियों का दहन)। • ताप विद्युत संयंत्रों से "कार्बन तटस्थ विद्युत उत्पादन" का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करना। • बायोमास छर्रों में सिलिका और क्षार की अधिक मात्रा को संभालने के लिए बॉयलरों को डिजाइन करने में अनुसंधान और विकास कार्य करना। • विद्युत संयंत्रों को ऐसे पैलेटों और कृषि अवशेषों की आपूर्ति में बाधाओं को दूर करने की दिशा में कार्य करना। • बायोमास सह-फायरिंग में नियामक मुद्दों पर विचार करना।
सोलर रूफ टॉप योजना (Solar Roof Top Scheme)	**प्रसंग:** सोलर टॉप योजना को सरल बनाने की आवश्यकता है, ताकि लोग इसे आसानी से प्राप्त कर सकें। **परिवर्तन:** परिवार स्वयं भी रूफ टॉप स्थापित कर सकते हैं या अपनी पसंद के किसी भी विक्रेता द्वारा रूफ टॉप स्थापित करवा सकते हैं, और वितरण कंपनी को सिस्टम की एक तस्वीर के साथ स्थापना के बारे में सूचित कर सकते हैं जहाँ यह स्थापित किया गया हो। **रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के बारे में:** • वर्ष 2022 तक रूफटॉप सौर परियोजनाओं से 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। • ग्रिड से जुड़े रूफटॉप या छोटे सोलर वोल्टाइक पैनल सिस्टम में, सोलर वोल्टाइक पैनल से उत्पन्न डीसी पावर को पावर कंडीशनिंग यूनिट का उपयोग करके एसी पावर में परिवर्तित किया जाता है और ग्रिड को फीड किया जाता है। • यह योजना राज्यों में वितरण कंपनियों (DISCOMs) द्वारा लागू की जा रही है। • केंद्र सरकार 3 किलोवाट तक के सोलर प्लांट पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी और 3 किलोवाट के बाद 10 किलोवाट तक 20 प्रतिशत तक की सब्सिडी देगी। • एक किलोवाट सौर ऊर्जा के लिए 10 वर्ग मीटर जगह की जरूरत होती है। **रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के उद्देश्य:** • आवासीय, सामुदायिक, संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के बीच ग्रिड से जुड़े एसपीवी रूफटॉप और छोटे एसपीवी बिजली उत्पादन संयंत्रों को बढ़ावा देना। • जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता को कम करना और पर्यावरण के अनुकूल सौर बिजली उत्पादन को प्रोत्साहित करना।

	• निजी क्षेत्र, राज्य सरकार और व्यक्तियों द्वारा सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। • छत और छोटे संयंत्रों से ग्रिड तक सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना।
कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम)	**ख़बरों में:** भारत सरकार ने कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) योजना के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि मशीनीकरण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों जैसे कस्टम हायरिंग केंद्र, फार्म मशीनरी बैंक, हाईटेक हब की स्थापना और विभिन्न कृषि मशीनरी आदि के वितरण के लिए विभिन्न राज्यों को धन जारी किया है। • कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में SMAM को लॉन्च किया। • कृषि मंत्रालय ने एक बहुभाषी मोबाइल एप, 'सीएचसी (कस्टम हायरिंग सेंटर)- फार्म मशीनरी' भी विकसित किया है जो किसानों को उनके क्षेत्र में स्थित कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर से जोड़ता है। **कुछ जानकारी जिसमें ड्रोन हमारी मदद कर सकते हैं:** • **पौधों की गिनती:** पौधे का आकार, प्लॉट के आंकड़े, स्टैंड नंबर, समझौता किए गए प्लॉट, प्लांटर स्किप), • **पौधे की ऊंचाई:** फसल की ऊंचाई और घनत्व • **वनस्पति सूचकांक:** पत्ती क्षेत्र, विसंगति का पता लगाना, उपचार प्रभावोत्पादकता, संक्रमण, फेनोलॉजी • **पानी की आवश्कता:** नुकसान / डूबना • ड्रोन बोने से लेकर कटाई तक खेत में फसल की स्थायी निगरानी सुनिश्चित करते हैं। **खेती में ड्रोन के इस्तेमाल के फायदे -** • **इनपुट अनुकूलित करना :** बीज, उर्वरक, पानी • **खतरों के प्रति तेजी से प्रतिक्रिया करना:** खरपतवार, कीट, कवक • **फसल स्काउटिंग में समय बचाना :** उपचार और क्रियाएं • **परिवर्तनीय दरों में सुधार आवेदन:** रीयल टाइम मैपिंग • **उपज का अनुमान लगाना :** क्षेत्र की विशेषताओं की सटीक गणना करना
अचारी खीरा (Gherkins)	**संदर्भ:** भारत दुनिया में अचारी खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। **अन्य संबंधित तथ्य** • वित्त वर्ष 2020-2021 में भारत ने 200 मिलियन डालर के कृषि प्रसंस्कृत उत्पाद, अचार, ककड़ी या कॉर्निचन्स के निर्यात को पार कर लिया है। • इसे विश्व स्तर पर गेरकिंस या कॉर्निचन्स के रूप में जाना जाता है। • खीरे की खेती, प्रसंस्करण और निर्यात की शुरूआत भारत में 1990 के दशक में कर्नाटक में एक छोटे से स्तर के साथ हुई थी तथा बाद में इसका आरंभ पड़ोसी राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी हुआ। • वैश्विक स्तर पर खीरे की मांग का लगभग 15% हिस्सा भारत में उत्पादित होता है। • खीरा वर्तमान में 20 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है, जिसमें प्रमुख गंतव्य उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय देश और महासागरीय देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्राँस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, दक्षिण कोरिया, कनाडा, जापान, बेल्ज़ियम, रूस, चीन, श्रीलंका तथा इज़राइल शामिल हैं। • निर्यात क्षमता के अलावा, खीरा उद्योग ग्रामीण रोजगार के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ○ पूरे भारत में 90,000 छोटे और सीमांत किसानों द्वारा अनुबंध खेती के तहत खीरा की खेती की जाती है। इन किसानों का सालाना उत्पादन क्षेत्र 65,000 एकड़ है। • **खीरा का फसल चक्र:** किसान खीरा की दो फसलें सालाना ले सकते हैं, क्योंकि यह 90 दिनों की फसल है।
नॉन-फंगिबल टोकन(एनएफटी)	**संदर्भ:** फ्रांसीसी लक्ज़री फैशन ब्रांड हर्मेस एक अमेरिकी डिजिटल आर्टिस्ट्स पर मुकदमा कर रहा है, जिसने क्रिप्टोवर्ल्ड का तेजी से बढ़ता हुआ हिस्सा एनएफटी (नॉन-फंगिबल टोकन) की मेटाबर्किन्स श्रृंखला

	(MetaBirkins series) बनाई। **अन्य संबंधित तथ्य** • NFTs यानी की नॉन फंजिबल टोकन (Non-Fungible Tokens) एक तरह का डिजिटल एसेट या डेटा होता है, और इसे ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किया जाता है। • NFT एक तरह का डिजिटल टोकन होता है। इसमें आप इमेज, गेम, वीडियो, ट्वीट किसी को भी NFT में बदलकर मॉनेटाइज कर सकते हैं। • इसमें खास यह है कि, इन डिजिटल एसेट को क्रिप्टोकरेंसी के जरिए ही खरीदा और बेचा जाता है। • नॉन फंजिबल टोकन काफी यूनिक है, क्योंकि इसका एक यूनिक आईडी कोड होता है इसलिए दो NFT कभी भी आपस में मैच नहीं कर सकते हैं इसके साथ ही उनको डुप्लीकेट भी नहीं बनाया जा सकता है। • बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी भी फंगसेबल हैं, जिसका अर्थ है कि एक बिटकॉइन को दूसरे के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। • लेकिन एक एनएफटी को दूसरे एनएफटी से बदला नहीं जा सकता क्योंकि दोनों अलग हैं और इसलिए अद्वितीय हैं। • प्रत्येक टोकन का एक अलग मूल्य होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। • यदि कोई अपनी डिजिटल संपत्ति को NFT में परिवर्तित करता है, तो उसे ब्लॉकचेन द्वारा संचालित स्वामित्व का प्रमाण प्राप्त होगा। • एनएफटी 2021 में लोकप्रिय हो गए, जब आर्टिस्टों द्वारा उन्हें अपने काम से कमाई करने के एक सुविधाजनक तरीके के रूप में देखा जाने लगा। • OpenSea.io, Rarible, Foundation कुछ एनएफटी मार्केटप्लेस हैं। • NFT की खरीद और विक्री हेतु एक क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट और एक एनएफटी मार्केटप्लेस की आवश्यकता होती है। **अन्य कौन से कारण हैं जिनकी वजह से एनएफटी की अत्यधिक मांग है?** • एनएफटी विकेंद्रीकृत वित्त (डीएफआई) नामक एक नई तरह की वित्तीय प्रणाली का एक हिस्सा है, जो बैंकों जैसे संस्थानों की भागीदारी को दूर करता है। • इस कारण से, विकेन्द्रीकृत वित्त को एक अधिक लोकतांत्रिक वित्तीय प्रणाली के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह बैंकों और अन्य संबद्ध संस्थानों की भूमिका को अनिवार्य रूप से समाप्त करके आम लोगों के लिए पूंजी तक पहुंच को आसान बनाता है।
वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर)- जनवरी 2022	**संदर्भ:** हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) जारी की। **वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report-FSR) का क्या महत्व है?** • एफएसआर प्रत्येक वर्ष दो बार आरबीआई द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य का आकलन प्रस्तुत करता है। • आरबीआई एक प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (एसआरएस) भी आयोजित करता है, जिसमें यह विशेषज्ञों और बाजार सहभागियों से पांच अलग-अलग प्रकार के जोखिमों पर वित्तीय प्रणाली का आकलन करने के लिए कहता है। o ग्लोबल o वित्तीय o मैक्रोइकॉनॉमिक o संस्थागत o सामान्य • एफएसआर विभिन्न वित्तीय संस्थानों जैसे सभी विभिन्न प्रकार के बैंकों और गैर-बैंकिंग ऋण देने वाले संस्थानों की वर्तमान स्थिति का विवरण देता है।

- यह ऋण वृद्धि की स्थिति और उस दर का भी मानचित्रण करता है जिस पर उधारकर्ता ऋण का भुगतान करने में चूक कर रहे हैं।
- एफएसआर जानने से हमें यह पता चलता है कि हमारी वित्तीय प्रणाली - विशेष रूप से बैंकिंग प्रणाली अर्थव्यवस्था में बदलाव के प्रति कितनी मजबूत या कमजोर है।
- एक परिणाम के रूप में, हमें यह भी बताता है कि क्या और किस हद तक हमारे बैंक और अन्य ऋण देने वाले संस्थान (जैसे गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां और आवास वित्त कंपनियां) भविष्य के विकास का समर्थन करने में सक्षम होंगे।

हाल ही में जारी FSR से महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं?

- चूंकि यह एक द्विवार्षिक प्रकाशन है, इसलिए डिफ़ॉल्ट तुलना अंतिम FSR से है।

1. वैश्विक विकास कम होने लगा है

- एफएसआर के जुलाई 2021 के अंक के बाद, 2021 की पहली छमाही में वैश्विक सुधार के कायाकल्प ने गति खोना शुरू कर दिया है, इससे प्रभावित
  o दुनिया के कई हिस्सों में संक्रमणों का पुनरुत्थान
  o आपूर्ति में व्यवधान और अड़चनें
  o लगातार मुद्रास्फ़ीतिकारी दबाव
- विश्व व्यापार संगठन के सामान व्यापार बैरोमीटर से पता चलता है कि विश्व व्यापारिक व्यापार की मात्रा, जो 2021 की दूसरी तिमाही में वर्ष-दर-वर्ष 22.4% बढ़ी थी, यह वर्ष की दूसरी छमाही में धीमी रही है।
- बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, जो ड्राई बल्क जिंसों के लिए शिपिंग शुल्क का एक उपाय है, अक्टूबर 2021 में यह अपने उच्चतम स्तर को पार कर गया, लेकिन उसके बाद इसमें अचानक गिरावट दर्ज की गई।
- ग्लोबल इकोनॉमिक सरप्राइज इंडेक्स (GESI), जो आने वाले डेटा की तुलना अर्थशास्त्रियों के पूर्वानुमानों से करता है, जो आश्चर्यजनक तत्व को पकड़ने के लिए है, वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही के दौरान नकारात्मक क्षेत्र में चला गया।
- अपेक्षाकृत उच्च टीकाकरण दर वाले देशों में भी गतिविधि में मंदी आ गई।

2. वास्तविक अर्थव्यवस्था और भारत के इक्विटी बाजारों के बीच संबंध तोड़ना

- दुनिया भर के इक्विटी बाजारों में तेजी से उठा, भारतीय इक्विटी बाजार में तेजी आई और निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी ने मूल्य-आय (पी/ई) अनुपात को काफी हद तक बढ़ा दिया है।

3. बैंक ऋण वृद्धि में सुधार हो रहा है, लेकिन पर्याप्त तेजी से नहीं

- बैंकिंग स्थिरता संकेतक (banking stability indicator-BSI), जो भारत के वाणिज्यिक बैंकों की अंतर्निहित स्थितियों और जोखिम कारकों में बदलाव को इंगित करता है, ने सुदृढ़ता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, तरलता और लाभप्रदता मापदंडों में सुधार दिखाया।
- ऋण वृद्धि दर में सुधार हुआ है क्योंकि यह "यू-आकार" की वसूली करता है लेकिन फिर भी कुछ चिंता का विषय हैं।
  - विकास दर अभी भी आदर्श स्तर से बहुत दूर है।
  - खुदरा ऋण (5 करोड़ रुपये से कम) एक अच्छी क्लिप में बढ़ रहा है लेकिन थोक ऋण (5 करोड़ रुपये और उससे अधिक) की वृद्धि संघर्ष जारी है।
  - अधिकांश थोक ऋण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उठाया जा रहा है जबकि निजी क्षेत्र नए सिरे से धन जुटाने से पीछे हट रहा है।

4. गैर निष्पादित एसेट्स (Non Performing Assets-NPA) सितंबर 2022 तक बढ़ना

- सितंबर 2021 में नवीनतम एफएसआर भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के एनपीए को 6.9% पर आंका गया है।
- दबाव परीक्षणों से संकेत मिलता है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए अनुपात आधारभूत परिदृश्य के तहत सितंबर 2022 तक 8.1% तक और गंभीर दबाव में 9.5% तक बढ़ सकता है।

	● बैंक समूहों के भीतर, सितंबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जीएनपीए अनुपात 8.8% था, जो आधारभूत परिदृश्य के तहत सितंबर 2022 तक घटकर 10.5% हो सकता है। **5. बैंकिंग संभावनाओं में सुधार** ● लगभग 64% उत्तरदाताओं का मानना है कि अगले 1-2 वर्षों में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, जबकि 22% का मानना है कि इसमें 3 साल तक लग सकते हैं। ● नवीनतम FSR के विश्लेषण से पता चलता है कि जुलाई 2021 की रिपोर्ट के बाद से भारत की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली में काफी सुधार हुआ है। ● लेकिन वैश्विक विकास के लड़खड़ाने, विकसित देशों में मौद्रिक सख्ती के साथ-साथ ओमाइक्रोन के उदय के साथ, जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।
फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज	**संदर्भ:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 'फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज' का एक नया मॉडल प्रस्तावित किया है, जिसके तहत एक नागरिक की कई डिजिटल आईडी जैसे पैन और आधार से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट नंबर तक एक यूनिक आईडी के जरिए इंटरलिंक, स्टोर और एक्सेस किए जा सकते हैं। इस योजना के बाद लोगों सभी पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि एक ही आईडी से काम चल जाएगा। **अन्य संबंधित तथ्य** ● फ़ेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज़ का प्रस्ताव मंत्रालय के इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर 2.0 (India Enterprise Architecture 2.0) का एक हिस्सा है। ● IndEA को 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ई-गवर्नेंस में विविधता में एकता स्थापित करना है। ● इसका उद्देश्य ICT अवसंरचना के इष्टतम उपयोग के साथ शासन प्रदान करना है। ● 2.0 संस्करण सार्वजनिक और निजी कंपनियों को सीमाओं से परे आईटी आर्किटेक्चर का निर्माण और डिजाइन करने में सक्षम बनाता है। यह संस्करण डोमेन आर्किटेक्चर पैटर्न और स्टेट आर्किटेक्चर पैटर्न पर केंद्रित है। **"Federated Digital Identities" कैसे काम करती है?** ● यह इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रियों को जोड़ती है और आसान पेपरलेस डेटा सत्यापन की अनुमति देता है। ● जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वितरण योजना के तहत पंजीकृत होता है तो उसकी पहचान उसके आधार से होती है। जब व्यक्ति को पैन मिलता है तो आधार लिंकिंग आईडी होती है। ● जब वही व्यक्ति म्यूच्यूअल फण्ड खोलता है तो पैन लिंकिंग आईडी होता है। इससे व्यक्ति PDS, आधार, पैन और म्यूचुअल फंड से जुड़ा होता है। अब चारों के लिए एक समान संख्या में एक नया नंबर बनाया गया है।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व	**संदर्भ :** असम सरकार आमतौर पर अधिक बाढ़ के दौरान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नौ गलियारों पर एक एलिवेटेड रोड के लिए केंद्र की मंजूरी का इंतजार कर रही है। • 35 कि.मी. एलिवेटेड सड़क मौजूदा मुख्य राजमार्ग के साथ-साथ रहेगी। • "काजीरंगा परियोजना" में दो सुरंगें होंगी और पहली की अनुमानित लंबाई 1.5 किमी और दूसरी 600 मीटर की होगी। **काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान** • काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (Kaziranga National Park) भारत के असम राज्य के गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और नागांव जिलों में एक राष्ट्रीय उद्यान है। और लगभग 42,996 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। • डिफ्लू नदी उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। • काजीरंगा दुनिया में संरक्षित क्षेत्रों में बाघों के उच्चतम घनत्व का घर है। इसे 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। • इस अभयारण्य में दुनिया के दो-तिहाई एक-सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। इस पार्क को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। • काजीरंगा को पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। • काजीरंगा में जंगली जल भैंसों की सबसे बड़ी आबादी है, जो विश्व की आबादी का लगभग 57% है।
इंद्रावती टाइगर रिजर्व	**संदर्भ:** पहली बार, इंद्रावती टाइगर रिजर्व का एक बड़ा क्षेत्र (400 वर्ग किलोमीटर) जो एक माओवादी प्रभावित क्षेत्र है, को बाघ जनगणना कार्य में शामिल किया गया है। **इसके बारे में** • इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। • यह राष्ट्रीय उद्यान इंद्रवती नदी से अपना नाम प्राप्त करता है, जो पूर्व से पश्चिम तक बहता है और भारतीय राज्य महाराष्ट्र के साथ आरक्षित की उत्तरी सीमा बनाता है। • यह छत्तीसगढ़ में उदांति-सीतानदी के साथ दो परियोजना बाघ स्थलों में से एक है। • यह दुर्लभ जंगली भैंस की आखिरी आबादी में से एक है। • 1981 में इंद्रावती को राष्ट्रीय उद्यान और 1983 में बाघ अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। • पार्क की स्थलाकृति में मुख्य रूप से ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाके शामिल हैं। • इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की वनस्पति मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय नम और शुष्क पर्णपाती प्रकार की है जिसमें बांस, साल और सागौन की प्रधानता है । • पार्क में सबसे आम पेड़ सागौन, लेंदिया, सलाई, महुआ, तेंदू, सेमल, हल्दू, बेर और जामुन हैं। • राष्ट्रीय उद्यान कई अन्य अनगिनत प्रजातियों का भी घर है। इसमें मुख्यतः गौर (भारतीय बायसन), नीलगाय , कृष्णमृग , चौसिंघा (चिकारा), सांभर , चीतल , भारतीय मंटजेक, भारतीय चित्तीदार मूषक मृग और जंगली सूअर, बाघ , तेंदुआ , सुस्त भालू , ढोल (जंगली कुत्ता) और धारीदार लकड़बग्घा का घर है। • यह पार्क बड़ी संख्या में पक्षियों को आश्रय भी देता है जिनमें से मैना पहाड़ी सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है। • पिछली जनगणना के अनुसार वर्ष 2018-19 में रिजर्व में तीन बाघ थे।
फ़िम्ब्रिस्टिलिस सुनीली; निनोटिस प्रभुई	**संदर्भ :** शोधकर्ताओं ने तिरुवनंतपुरम और वायनाड जिलों में जैव विविधता संपन्न पश्चिमी घाट क्षेत्रों से दो नई पौधों की प्रजातियों की रिपोर्ट की। इनका नाम फिम्ब्रिस्टिलिस सुनिलि और नेनोटिस प्रभुई रखा गया है। **फ़िम्ब्रिस्टिलिस सुनिलि:** • तिरुवनंतपुरम में पोनमुडी पहाड़ियों के घास के मैदानों से एकत्रित, फिम्ब्रिस्टाइलिस सुनिलि का नाम वनस्पति वर्गीकरण विज्ञानी एवं एसएनएम कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर 'सी.एन. सुनील' के नाम पर रखा गया है।

	• यह 'सायपेरेसी' (Cyperaceae) परिवार का एक बारहमासी पौधा है, जो लंबाई में 20-59 सेमी होता है और इसे 1,100 मीटर की ऊंचाई से एकत्र किया जाता है। • फिम्ब्रिस्टाइलिस सुनिलि को IUCN रेड लिस्ट श्रेणियों के तहत डेटा की कमी (DD) के रूप में अनंतिम रूप से मूल्यांकन किया गया है। **निनोटिस प्रभुई:** • यह एक बारहमासी जड़ी बूटी है। इसका नाम सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक के.एम. प्रभुकुमार के नाम पर रखा गया है। • वायनाड के चेम्बरा पीक घास के मैदानों में खोजा गया, यह पादप 'रुबियासी' (Rubiaceae) परिवार से है और अधिक ऊंचाई वाले घास के मैदानों पर उगता है। • यह 70 सेमी लंबाई तक का पुष्पीय पादप है, जिसमें हल्के गुलाबी रंग की पंखुड़ियों वाले फूल खिलते हैं।
चिल्का झील	**संदर्भ:** चिल्का झील, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी खारे पानी की झील और पक्षियों के सर्दियों के मैदान में, इस साल असामान्य मंगोलियाई गल सहित, लाखों पक्षियों ने इस जलाशय का दौरा किया। • पिछले साल चिल्का में यह संख्या 12 लाख से अधिक थी। • कमी का कारण उच्च जल स्तर और आसपास के क्षेत्रों में खेती वाले खेतों में पानी की उपस्थिति है। जल पक्षी बड़े मडफ्लैट्स पर झुंड बनाना पसंद करते हैं। **चिल्का झील के बारें में** • चिल्का एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। • शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा मैदान होने के साथ ही यह पौधों और जानवरों की कई संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थान है। • वर्ष 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व का पहला भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। • चिल्का में प्रमुख आकर्षण इरावदी डॉलफिन (Irrawaddy Dolphins) हैं जिन्हें अक्सर सातपाड़ा द्वीप के पास देखा जाता है। • लैगून क्षेत्र में बड़े नलबाना द्वीप (फारेस्ट ऑफ रीड्स) को वर्ष 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। • कालिजई मंदिर- यह मंदिर चिल्का झील में एक द्वीप पर स्थित है। • चिल्का झील कैस्पियन सागर, बैकाल झील, अरल सागर, रूस के सुदूर हिस्सों, मंगोलिया के किर्गिज़ स्टेप्स, मध्य और दक्षिण-पूर्व एशिया, लद्दाख तथा हिमालय से हज़ारों मील दूर प्रवास करने वाले पक्षियों की मेज़बानी करती है।

खबरों में: घड़ियाल (Gharials) प्रजातियां	**संदर्भ:** असम सरकार ने ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से तीन गुना अधिक बनाने के लिए अधिसूचना जारी की है और विस्तारित क्षेत्र में घड़ियाल को फिर से लाने की योजना बना रही है।
	घड़ियाल के बारे में
	• घड़ियाल एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे, पतले थूथन के कारण अलग आकृति का होता है।
	  ○ मगरमच्छ सरीसृपों का एक समूह है जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल, कैमन आदि शामिल हैं।
	• भारत में मगरमच्छों की तीन प्रजातियां हैं अर्थात्:
	  ○ घड़ियाल (गेवियलिस गैंगेटिकस): IUCN रेड लिस्ट- गंभीर रूप से संकटग्रस्त
	  ○ मगर (Crocodylus Palustris): IUCN- सुभेद्य।
	  ○ खारे पानी का मगरमच्छ (Crocodylus Porosus): IUCN- कम चिंतनीय।
	• तीनों को CITES के परिशिष्ट I और वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध किया गया है।
	  ○ हालांकि, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी की खारे पानी की मगरमच्छ आबादी को CITES के परिशिष्ट II में शामिल किया गया है।
	• **पर्यावासों में शामिल हैं:** भारत के उत्तरी भाग का ताज़ा पानी - चंबल नदी, घाघरा, गंडक नदी और सोन नदी

	(बिहार)। • घड़ियाल की आबादी स्वच्छ नदी के पानी का एक अच्छा संकेतक है। • **संरक्षण के प्रयास:** ○ लखनऊ, उत्तर प्रदेश में कुकरैल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र व प्रजनन केंद्र, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (घड़ियाल इको पार्क, मध्य प्रदेश)। **ओरंग राष्ट्रीय उद्यान** • यह राष्ट्रीय उद्यान असम के दारांग और सोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। • वर्ष 2016 में इसे बाघ अभयारण्य के रूप में मान्यता दी गई थी और इसे अक्सर 'मिनी काजीरंगा' कहा जाता है। • यह एक सींग वाले गैंडे, बाघ, हाथी, जंगली सूअर, पिग्मी हॉग और कई प्रकार की मछलियों के लिए जाना जाता है। • असम में अन्य राष्ट्रीय उद्यान: काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू-सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई।
वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 (Global Risks Report 2022)	**संदर्भ:** हाल ही में विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम) द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 17वां संस्करण जारी किया गया। **वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के बारे में** • रिपोर्ट विशेषज्ञों एवं व्यापार, सरकार एवं नागरिक समाज में विश्व के नेतृत्वकर्ताओं के मध्य वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है। • यह अध्ययन पांच श्रेणियों-आर्थिक, पर्यावरण, भू-राजनीतिक, सामाजिक एवं तकनीकी में जोखिमों का परीक्षण करता है। **वर्तमान रिपोर्ट की मुख्य बातें** • विश्व ने COVID-19 महामारी के तीसरे वर्ष में प्रवेश किया, जलवायु संकट मानवता के सामने सबसे बड़ा दीर्घकालिक खतरा बना हुआ है। • वैश्विक जोखिम रिपोर्ट-2022 में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी चिंता जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिम को लेकर है। शीर्ष 10 वैश्विक जोखिमों में पांच जलवायु या पर्यावरण से संबंधित हैं। • विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (चीन को छोड़कर) 2024 तक अपनी पूर्व-महामारी अपेक्षित जीडीपी वृद्धि से 5.5% कम हो जाएंगी, जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाएं इसे 0.9% से आगे निकल चुकी होंगी। • यह संभावना है कि 2050 तक शुद्ध-शून्य लक्ष्य प्राप्त करने वाला कोई भी संक्रमण वर्तमान प्रतिबद्धताओं की अपर्याप्त प्रकृति के कारण अव्यवस्थित होगा। • डिजिटल असमानता और साइबर सुरक्षा विफलता भी महत्वपूर्ण लघु और मध्यम अवधि के खतरों में शामिल हैं। **क्या आप जानते हैं?** • WEF द्वारा जारी की गई रिपोर्टें निम्नलिखित हैं: ○ वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ○ प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना ○ वैश्विक सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट ○ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट
पूर्वी बारहसिंगा या ईस्टर्न स्वैम्प डियर	**संदर्भ:** दक्षिण एशिया में हर जगह विलुप्त हो चुके, संवेदनशील श्रेणी में दर्ज ईस्टर्न स्वैम्प डियर (Eastern Swamp deer) की आबादी 'काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान' और 'टाइगर रिजर्व' में काफी कम हो गयी है। **अन्य संबंधित तथ्य** • बारहसिंगा को 'दलदली हिरण' या स्वैम्प डियर भी कहा जाता है। ये जीव 'काजीरंगा' के लिए स्थानिक है। • पूर्वी दलदली हिरण (पूर्वी बारहसिंगा), एक समय काजीरंगा के 'मध्य कोहोरा' और 'बागोरी पर्वतमाला' में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते थे। • यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का 'राजकीय पशु' भी है।

	• **विस्तार:** मध्य भारत से लेकर उत्तरी भारत और दक्षिणी नेपाल। • **भारत:** असम, जमना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। • अच्छे संकेत यह है कि जानवर अब ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और लाओखोवा-बुराचापोरी वन्यजीव अभयारण्यों जैसे अन्य क्षेत्रों में चले गए हैं। ○ स्वैम्प डीयर को आईयूसीएन में 'अतिसंवेदनशील' (vulnerable), CITES के परिशिष्ट I में और भारत के 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
मेघालय के जीवित मूल पुल	**संदर्भ**: भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टैग प्राप्त करने के लिए मेघालय राज्य के जीवित मूल पुलों के लिए कुछ हरे नियमों को रेखांकित किया है। **जीवित जड़ों के बारे में** • एक जीवित जड़ पुल एक निलंबन पुल की तरह होता है जो रबड़ के अंजीर के पेड़ (फिकस इलास्टिका) की लचीला जड़ों को एक धारा या नदी में निर्देशित करता है और जड़ों को समय के साथ बढ़ने और मजबूत होने देता है। • यह बताने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है कि खासी समुदाय ने जड़ सेतु की जीवित परंपरा कब शुरू की, लेकिन पारिस्थितिकीविदों का कहना है कि यह वैश्विक दर्शकों के लिए लोगों और प्रकृति के बीच सहजीवी संबंधों को उजागर करता है। • मेघालय में सिंगल टू डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज हैं। इस तरह के पुल को स्थानीय रूप से जिंगकिएंग जरी कहा जाता है। • लिविंग रूट ब्रिज पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में एक सुदूर गांव के अंदर स्थित है। • हालांकि लिविंग रूट ब्रिज को अपना आकार लेने में लगभग 10 से 15 साल लगते हैं, लेकिन यह 500 साल तक चल सकता है। वे मेघालय की विरासत के प्रतीक हैं। **यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के बारे में** • विश्व धरोहर स्थल एक ऐसा स्थान है जो यूनेस्को द्वारा अपने विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के लिए सूचीबद्ध है। • विश्व धरोहर स्थलों की सूची का रखरखाव यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय 'विश्व विरासत कार्यक्रम' द्वारा किया जाता है। • यूनेस्को दुनिया भर में मानवता के लिए उत्कृष्ट मूल्य मानी जाने वाली सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की पहचान, संरक्षण और संरक्षण को प्रोत्साहित करना चाहता है। • यह विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन नामक एक अंतरराष्ट्रीय संधि में सन्निहित है, जिसे 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाया गया था। • वर्ष 2021 से भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं।
केरल बर्ड एटलस (KBA)	**संदर्भ:** केरल बर्ड एटलस (Kerala Bird Atlas-KBA) भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है। वर्षों से तैयार किए गए एटलस में राज्य में पाई जाने वाली कई प्रजातियों को शामिल किया गया है, जिससे भविष्य के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला है। **अन्य संबंधित तथ्य** • यह एक नागरिक विज्ञान संचालित अभ्यास के रूप में आयोजित किया जाता है। • पक्षी देखने वाले समुदाय के 1000 से अधिक स्वयंसेवकों की भागीदारी के साथ एक नागरिक विज्ञान संचालित अभ्यास के रूप में आयोजित, केबीए 2015 और 2020 के बीच गीले (जुलाई से सितंबर) और सूखे (जनवरी से मार्च) मौसम के दौरान साल में 60 दिनों में दो बार व्यवस्थित सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया था। • केबीए ने 361 प्रजातियों के लगभग तीन लाख रिकॉर्ड बनाए। • भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से यह यकीनन एशिया का सबसे बड़ा पक्षी एटलस है। **मुख्य निष्कर्ष** • यह पाया गया कि गीले मौसम की तुलना में शुष्क मौसम के दौरान प्रजातियों की संख्या अधिक थी।

	• प्रजाति समृद्धि और समानता दक्षिणी जिलों की तुलना में उत्तरी और मध्य जिलों में अधिक थी। • अधिकांश स्थानिकमारी वाले पश्चिमी घाट में केंद्रित थे जबकि संकटग्रस्त प्रजातियां ज्यादातर तट के किनारे थीं। • सर्वेक्षण में प्रवासी प्रजातियों के कम अवधि के पारित होने की अनदेखी की गई।
गैनोडर्मा (Ganoderma)	**संदर्भ:** केरल के शोधकर्ताओं ने जीनस गैनोडर्मा से कवक की दो नई प्रजातियों की पहचान की है जो नारियल के तने की सड़न रोग से जुड़ी हैं, जो पौधों के लिए एक अपरिवर्तनीय रोग है। **अन्य संबंधित तथ्य** • शोधकर्ताओं ने दो कवक प्रजातियों को जीनोटाइप किया है, जिनका नाम गनोडर्मा केरलेंस और जी स्यूडोएप्लानेटम है। • यह खोज दुनिया भर में ज्ञात सभी गणोडर्मा प्रजातियों के डीएनए की तुलना करके रूपात्मक लक्षणों, केरल संग्रह के डीएनए अनुक्रमों और फ़ाइलोजेनेटिक विश्लेषण पर आधारित थी। • डीएनए बारकोड को डीएनए अनुक्रम रिपॉजिटरी में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है ताकि भविष्य के अध्ययन रोगज़नक़ का जल्द पता लगाने के लिए इसका उपयोग हो सकें। • भारत के विभिन्न हिस्सों में नारियल के बट रोट या बेसल स्टेम रोट को कई नामों से जाना जाता है जैसे गणोडर्मा विल्ट (आंध्र प्रदेश), अनाबेरोगा (कर्नाटक) और तंजावुर विल्ट (तमिलनाडु)। **लक्षण:** • संक्रमण जड़ों से शुरू होता है, लेकिन लक्षणों में तनों और पत्तियों का रंग बदलना और सड़ना शामिल है। • बाद के चरणों में, फूल और अखरोट का सेट कम हो जाता है और अंत में नारियल की हथेली (कोकोस न्यूसीफेरा) मर जाती है। • एक लाल-भूरा रंग दिखाई देता है। यह रिसाव केवल भारत में ही बताया गया है।
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA)	**संदर्भ:** हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (Indian Renewable Energy Development Agency -IREDA) में 1500 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी। **अन्य संबंधित तथ्य** • यह इक्विटी निवेश प्रति वर्ष लगभग 10,200 नौकरियों के रोजगार सृजन में मदद करेगा और एक वर्ष में Co2 के बराबर उत्सर्जन में लगभग 7.49 मिलियन टन की कमी करेगा। • यह विशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्त एजेंसी के निवल मूल्य को भी बढ़ाएगा, जो इसे अतिरिक्त वित्तपोषण में मदद करेगा। **इरेडा के बारे में** • इरेडा केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनी रत्न (श्रेणी-1) कंपनी है, जिसे 1987 में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक विशेष गैर-बैंकिंग वित्तीय एजेंसी के रूप में काम करने के लिए स्थापित किया गया था. • इरेडा का आदर्श वाक्य "हमेशा के लिए ऊर्जा" है। • 34 से अधिक वर्षों की तकनीकी-वाणिज्यिक विशेषज्ञता के साथ इरेडा, आरई परियोजना वित्तपोषण में एक उत्प्रेरक भूमिका निभाता है जो वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को इस क्षेत्र में उधार देने के लिए विश्वास दिलाता है। • यह पवन और सौर ऊर्जा परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा बांड जारी करने में सहायता के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना प्रदान करता है। **क्या आप जानते हैं?** • जलवायु परिवर्तन से लड़ने की पहल के हिस्से के रूप में भारत का लक्ष्य 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना है. इसके अलावा, देश 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50 प्रतिशत पूरा करना चाहता है। • साथ ही, देश 2030 तक अपने कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 अरब टन कम करने का इरादा रखता है। • इसके अलावा, केंद्र ने 2021 में पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी निर्धारित समय सीमा 2025 तक कम कर दी है. पहले 2030 का लक्ष्य रखा गया था। • देश ने 392 गीगावॉट की बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित की है, जिसमें 209 गीगावॉट कोयला और 104

	गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है।
पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)	**संदर्भ:** ग्रेट निकोबार द्वीप में मेगा-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिये हाल ही में जारी 'पर्यावरण प्रभाव आकलन' (Environment Impact Assessment-EIA) मसौदा रिपोर्ट के विवरण ने गंभीर प्रश्न उठाए हैं। • इसके तहत गलत या अधूरी जानकारी प्रस्तुत करने, वैज्ञानिक अशुद्धि और उचित प्रक्रिया का पालन न करने से संबंधित गंभीर सवाल उठाए गए हैं। • रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए एक जन सुनवाई निर्धारित की गई है। **मामला किससे संबंधित है?** यह मामला नीति आयोग द्वारा संचालित रुपये से जुड़ा है। नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में 72,000 करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है, जिसमें एक मेगा पोर्ट, एक हवाई अड्डा परिसर, 130 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत शहर, सौर और गैस आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण शामिल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (ANIIDCO) परियोजना प्रस्तावक है। पारिस्थितिक विज्ञानी और शोधकर्त्ता इस परियोजना के बारे में एक साल से अधिक समय से चिंता ज़ाहिर कर रहे हैं। **पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)** • यह प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है। • यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 द्वारा वैधानिक रूप से समर्थित है। • पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 ने विकास परियोजनाओं को दो श्रेणियों - श्रेणी ए (राष्ट्रीय स्तर मूल्यांकन) और श्रेणी बी (राज्य स्तरीय मूल्यांकन) में वर्गीकृत करके पर्यावरण मंजूरी परियोजनाओं को विकेंद्रीकृत किया है। ○ **श्रेणी A परियोजनाएं -** उन्हें अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है और इस प्रकार वे स्क्रीनिंग प्रक्रिया से नहीं गुजरती हैं। ○ **श्रेणी B परियोजनाएं-** वे स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजरती हैं और उन्हें दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: ■ श्रेणी B1 परियोजनाएं (अनिवार्य रूप से ईआईए की आवश्यकता है)। ■ श्रेणी B2 परियोजनाएं (ईआईए की आवश्यकता नहीं है)।
पेरू ने 'पर्यावरण आपातकाल' घोषित किया	**संदर्भ:** हाल ही में, पेरू की सरकार ने तेल रिसाव के बाद क्षतिग्रस्त तटीय क्षेत्रों में 90-दिवसीय "पर्यावरणीय आपातकाल" की घोषणा की है, इस तेल रिसाव की घटना के दौरान समुद्र में 6,000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ था। • यह रिसाव टोंगा में एक ज्वालामुखी के विस्फोट के परिणामस्वरूप उत्पन्न 'फ्रीक वेव्स' यानी अत्यधिक प्रतिक्रियाशील लहरों के कारण हुआ था। **पर्यावरण आपातकाल क्या है?** • एक पर्यावरणीय आपातकाल को "अचानक शुरू होने वाली आपदा या प्राकृतिक, तकनीकी या मानव-प्रेरित कारकों, या इनमें से एक संयोजन के परिणामस्वरूप दुर्घटना के रूप में परिभाषित किया गया है, जो गंभीर पर्यावरणीय क्षति के साथ-साथ मानव जीवन और संपत्ति के नुकसान का कारण बनता है या खतरा है। " • यूएनईपी के अनुसार, पर्यावरणीय आपातकाल का सामना करने वाले देशों को अक्सर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने, प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और तेजी से ठीक होने के लिए तकनीकी सहायता और विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। **तेल रिसाव क्या है?** • तेल रिसाव पर्यावरण में कच्चे तेल, गैसोलीन, ईंधन या अन्य तेल उत्पादों के अनियंत्रित रिसाव को संदर्भित करता है। • तेल रिसाव की घटना भूमि, वायु या पानी को प्रदूषित कर सकती है, हालाँकि इसका उपयोग सामान्य तौर पर समुद्र में तेल रिसाव के संदर्भ में किया जाता है। **पेरू के बारे में** • पेरू पश्चिमी दक्षिण अमेरिका का एक देश है। इसकी राजधानी लीमा है। • प्रमुख नदी अमेजॉन और मुद्रा न्यूवो सोल है। • यहाँ तीन तरह की जलवायु पाई जाती है- एँडीज़ में सर्द, तटवर्ती मैदानों में शुष्क -सुहानी और वर्षा वाले जंगलों में गर्म

	और उमस वाली। यह देश इंका नाम की प्राचीन सभ्यता के लिए भी जाना जाता है। • यह मूलतः एक उष्ण कटिबंधीय देश है। • पेरू की भाषा स्पेनिश और क्वेशुका हैं तथा 90 प्रतिशत लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। • प्रमुख उद्योग मछली और खनन हैं। यहाँ सभी प्रकार की धातुओं का प्रचुर खनिज भंडार है तथा अनाज, फल और कोको की खेती होती है। पर्यटन उद्योग भी यहाँ की आय का एक प्रमुख साधन है। • ठंडी पेरू धारा (या हम्बोल्ट धारा), इसकी प्रशांत तटरेखा के साथ बहती है।
नजफगढ़ झील आर्द्रभूमि	**संदर्भ:** हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली और हरियाणा को पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) को लागू करने का निर्देश दिया है, जिसे दोनों सरकारों ने नजफगढ़ झील, एक ट्रांसबाउंडरी आर्द्रभूमि (वेटलैंड) के कायाकल्प और संरक्षण के लिये तैयार किया है। **अन्य संबंधित तथ्य** • एनजीटी के अनुसार, इन कार्य योजनाओं से संबंधित कार्यान्वयन की निगरानी राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के माध्यम से राष्ट्रीय आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा की जानी है। • इससे पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एकीकृत रूप से ईएमपी (EMP) को तैयार करने के लिये तीन-सदस्यीय समिति का गठन किया था। • पैनल ने एक "ट्रांसबाउंडरी नजफगढ़ झील प्रबंधन समिति" स्थापित करने का सुझाव दिया। • आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत नजफगढ़ झील एवं उसके प्रभाव क्षेत्र को अधिसूचित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। • ये नियम आर्द्रभूमि और उनके 'प्रभाव क्षेत्र' के भीतर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित और विनियमित करते हैं। **एक आर्द्रभूमि क्या है?** • आर्द्रभूमि स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन भूमि है जहां जल स्तर आमतौर पर सतह पर या निकट होता है या यह उथले पानी से ढकी भूमि हो सकती है। • महत्व- आर्द्रभूमि समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करती है और जल भंडारण तथा शुद्धिकरण, बाढ़ शमन, कटाव नियंत्रण, जलभृत पुनर्भरण आदि जैसी व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करती है। • भारत में केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर पहचानी गई 115 आर्द्रभूमि हैं। • इनमें से 26 को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में पहचाना गया है जिसे रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। ○ रामसर सूची आर्द्रभूमि स्थलों की एक सूची है जिन्हें रामसर कन्वेंशन, 1971 के तहत "अंतर्राष्ट्रीय महत्व" के रूप में समझा जाता है (भारत इसका एक हस्ताक्षरकर्ता है)। ○ सूची का उद्देश्य "आर्द्रभूमि के एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना और बनाए रखना है जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण के लिए उनके पारिस्थितिकी तंत्र घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के रखरखाव के माध्यम से मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं"। **नजफगढ़ झील/मार्श आर्द्रभूमि के बारे में** • साहिबी नदी द्वारा पोषित नजफगढ़ झील, दक्षिण पश्चिम दिल्ली में एक विशाल झील हुआ करती थी। • यह यमुना नदी से एक प्राकृतिक उथले नाले से जुड़ा था जिसे नजफगढ़ नाला कहा जाता है। • झील में 281 पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति की सूचना मिली है, जिनमें इजिप्टियन वल्चर, सारस क्रेन, स्टेपी ईगल, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, इंपीरियल ईगल जैसे कई संकटग्रस्त और मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ प्रवास करने वाले पक्षी शामिल हैं। • यह यमुना के बाद दिल्ली-एनसीआर में दूसरा सबसे बड़ा जल निकाय है। • यह झील बड़े पैमाने पर गुरुग्राम और दिल्ली के आस-पास के गाँवों से निकलने वाले सीवेज (मल-जल) से भरी हुई है। झील का एक हिस्सा हरियाणा के अंतर्गत आता है। **एनजीटी क्या है?**

	• यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार 2010 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। • यह एक विशेष न्यायिक निकाय है जो पूरी तरह से देश में पर्यावरणीय मामलों के न्यायनिर्णयन के उद्देश्य से विशेषज्ञता से लैस है। • एनजीटी के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। • यह नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा। • ट्रिब्यूनल के आदेश बाध्यकारी हैं और इसके पास प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे और हर्जाने के रूप में राहत देने की शक्ति है। • NGT का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य चार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित हैं।

100 मिलियन का आंकड़ा पार किया: दीनदयाल बंदरगाह	देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल गुजरात के कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह हो गया है। पहले इस बंदरगाह को कांडला बंदरगाह कहा जाता था और यह गुजरात के कच्छ में है। **कच्छ की खाड़ी के बारे में** • कच्छ की खाड़ी, गुजरात के जामनगर जिले में, भारत के पश्चिमी तट के साथ स्थित अरब सागर की एक इनलेट है। • यह कच्छ और गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप क्षेत्रों को विभाजित करता है। रुक्मावती नदी अरब सागर में समीप से निकलती है। खंभात की खाड़ी दक्षिण में स्थित है और कच्छ का महान रण खाड़ी के उत्तर में स्थित है। • अत्यधिक दैनिक ज्वार-भाटे के लिए प्रसिद्ध, इस प्रकार यह ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की उच्चतम क्षमता वाला क्षेत्र बन गया है। • कच्छ की खाड़ी की अधिकतम गहराई 401 फीट (122 मीटर) है। • पहला कोरल गार्डन कच्छ की खाड़ी में मीठापुर के पास स्थापित किया जाएगा। • मूंगों की विभिन्न प्रजातियां सेटअप की जाएंगी और संरक्षण और पर्यटन उद्देश्यों के लिए अंडरवाटर गार्डन विकसित किया जाएगा। • इसे गुजरात वन विभाग, वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और टाटा केमिकल्स के संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित किया जाएगा। • कच्छ की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जामनगर जिले में कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क है। मरीन नेशनल पार्क में जामनगर तट पर 42 द्वीप हैं, जिनमें से अधिकांश चट्टान से घिरे हैं। • डुगोंग (असुरक्षित), जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, यहाँ पाई जाती है। • जिन मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है: सीमेंट उद्योगों द्वारा मूंगों और रेत का निष्कर्षण, पानी की बढ़ी हुई मैलापन, तेल रिफाइनरियों, रासायनिक उद्योगों और मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं।
कैट्रोल हिल फॉल्ट (KHF)	**संदर्भ:** हाल के एक अध्ययन के अनुसार, पिछले 30,000 वर्षों में बड़े भूकंप की घटनाओं के परिणामस्वरूप कच्छ क्षेत्र, गुजरात में कैट्रोल हिल फॉल्ट (KHF) के परिदृश्य में शानदार परिवर्तन हुए हैं। **अन्य संबंधित तथ्य** • कैट्रोल हिल फॉल्ट (KHF) गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। • तलछट के एक अध्ययन से पता चला है कि कच्छ क्षेत्र में भूकंपीयता अत्यधिक जटिल है क्योंकि यह कई पूर्व-पश्चिम ट्रेंडिंग फॉल्ट लाइनों के रूप में कई भूकंपीय स्रोतों की विशेषता है, जो भूकंप पैदा करने वाले अंतराल पर लगातार जमा होने वाले विवर्तनिक तनावों को छोड़ती हैं।

	• अध्ययन को फील्ड मैपिंग और परिष्कृत फील्ड उपकरणों जैसे ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और प्रयोगशाला उपकरण जैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करके तलछट के नमूनों का विश्लेषण करने के लिए किया गया था। • 2001 भुज भूकंप के बाद से भूकंपों की रीयल-टाइम निगरानी से संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में अधिकांश दोष भूकंपीय रूप से सक्रिय हैं। • अध्ययनों ने अनुमान लगाया है कि पिछले ~30,000 वर्षों के दौरान तीन बड़े परिमाण के भूकंपों से उत्पन्न सतह के टूटने की लंबाई लगभग 21 किमी है। **भूकंप के बारे में** • भूकंप पृथ्वी के हिलने की एक प्राकृतिक घटना है। • यह पृथ्वी के स्थलमण्डल (लिथोस्फ़ीयर) में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकम्पीय तरंगों की वजह से होता है। • भूकंप की असली वजह टेक्टोनिकल प्लेटों में तेज हलचल होती है, यही नहीं उल्का प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप आते हैं। • पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहाँ से भूकंप शुरू होता है, हाइपोसेंटर कहलाता है, और पृथ्वी की सतह पर इसके ठीक ऊपर के स्थान को उपरिकेंद्र कहा जाता है। • भूकंप का मापन भूकम्पमापी यंत्र से किया जाता है, जिसे सीस्मोग्राफ कहा जाता है। • झटकों की तीव्रता का मापन विकसित मरकैली पैमाने पर किया जाता है। **क्या आप जानते हैं?** • कच्छ क्षेत्र में भूकंपीयता अत्यधिक जटिल है क्योंकि यह कई पूर्व-पश्चिम ट्रेंडिंग फॉल्ट लाइनों के रूप में कई भूकंपीय स्रोतों की विशेषता है। • ये भ्रंश रेखाएं अंतराल पर लगातार जमा होने वाले विवर्तनिक तनावों को छोड़ती हैं जिसके परिणामस्वरूप भूकंप आते हैं।
हंगा टोंगा-हंगा हापई ज्वालामुखी	**संदर्भ:** हाल ही में प्रशांत देश टोंगा ने एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट का अनुभव किया, जिसके बाद एक सुनामी आई जिसने राजधानी नुकु'आलोफ़ा के कुछ हिस्सों में बाढ़ ला दी। • अभी तक संपत्ति के नुकसान या हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। • हंगा टोंगा-हंगा हापाई ज्वालामुखी के विस्फोट ने पूरे दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में सदमे की लहरें भेज दीं। **इस ज्वालामुखियों के बारे में** • ज्वालामुखी पृथ्वी की पपड़ी में एक उद्घाटन है जो सतह के नीचे से मैग्मा, राख और गैसों को फूटने देता है। • यह एक मैग्मा कक्ष, एक वेंट, एक गड्ढा और राख और लावा की परतों से बने शंकु के आकार के पहाड़ से बना है। • ज्वालामुखीय गतिविधि अंतर्जात प्रक्रिया का एक उदाहरण है। • ज्वालामुखी की विस्फोटक प्रकृति के आधार पर, विभिन्न भू-आकृतियों का निर्माण किया जा सकता है जैसे पठार या पहाड़।
समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण इंडोनेशिया ने राजधानी को स्थानांतरित किया	**संदर्भ:** हाल ही में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को धीरे-धीरे डूब रहे जकार्ता से जंगलयुक्त बोर्नियो द्वीप में 2,000 किलोमीटर दूर एक साइट पर स्थानांतरित करने की मंज़ूरी दे दी है, जिसे "नुसंतारा" नाम दिया जाएगा। • समुद्र के बढ़ते स्तर और घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर भारी भीड़भाड़ के कारण कानून पारित किया गया। • देश की मौजूदा राजधानी जकार्ता एक भीड़-भाड़ भरा, तंग और प्रदूषित शहर हो चुका है। यहां बार-बार बाढ़ आती है और शहर अक्सर डूब जाता है। इस कारण प्रशासन के कामकाज पर भी असर होता है। • जकार्ता जावा के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है। इंडोनेशिया में सबसे बड़े द्वीप सुमात्रा, जावा, कालीमंतन (इंडोनेशियाई बोर्नियो), सुलावेसी और न्यू गिनी का इंडोनेशियाई हिस्सा हैं। **समुद्र के स्तर में वृद्धि (SLR) के बारे में** • एसएलआर जलवायु परिवर्तन, विशेष रूप से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के कारण विश्व के महासागरों के स्तर में

	वृद्धि है, • यह तीन प्राथमिक कारकों से प्रेरित है: ऊष्मीय विस्तार, ग्लेशियरों का पिघलना और ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक बर्फ की चादरों को हानि। • समुद्र के स्तर को मुख्य रूप से ज्वार स्टेशनों और उपग्रह लेज़र अल्टीमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। • वैश्विक समुद्र स्तर पिछली शताब्दी में बढ़ रहा है, और हाल के दशकों में दर में तेजी आई है।

इतिहास और संस्कृति

रानी वेलु नचियारो की जयंती	• रानी वेलू नचियार का जन्म 1730 में हुआ था। • शिवगंगा एस्टेट की रानी वेलु नचियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली पहली भारतीय रानी थीं। उन्हें तमिलनाडु में वीरमंगई भी कहा जाता है। • वेलू नचियार रामनाथपुरम, तमिलनाडु राज्य की राजकुमारी व रामनाद साम्राज्य के राजा चेल्लामुतहू विजयाराघुनाथ सेतुपति और रानी सक्थिममुथल सेतुपति की इकलौती संतान थीं। • रानी नचियार ने बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और मार्शल आर्ट्स की विधिवत शिक्षा ली थी। • वे कई भाषाओं की ज्ञाता थीं। एक तरफ वे युद्ध कला में निपुण थीं, तो फ्रेंच, अंग्रेज़ी और उर्दू में भी प्रवीणता थी • रानी वेलू नचियार की शादी शिवगंगा के राजा मुथुवादुग्नाथापेरिया उदायियाथेवर से हुई थी, जिनसे उन्हें एक बेटी हुई थी। • रानी नचियार ने 1780 में मैसूर के सुल्तान हैदर अली की मदद से एक सेना बनाई थी। यह सेना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उतारी गई। • रानी नचियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल से अपने राज्य को बाहर निकाल लिया था। वे देश की पहली महिला क्रांतिकारी रानी मानी जाती हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। उनकी बेटी अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान मारी गई थी। रानी ने उसी की याद में सेना का गठन किया था और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। • कहा जाता है कि मानव बम का पहली बार प्रयोग रानी नचियार ने ही किया था। यह अंग्रेजों के खिलाफ था। रानी ने करीब 10 साल तक शासन किया। लंबी बीमारी के चलते 1796 में उनका निधन हो गया था।
नई तालीम (Nai Talim)	**संदर्भ :** हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति स्कूल स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को महत्व देकर महात्मा गांधी की 'नई तालीम' का अनुसरण करती है। **नई तालीम के बारे में-** • नई तालीम, को बुनियादी शिक्षण के नाम से भी जाना जाता है, का अर्थ है बुनियादी शिक्षा। • इसे अनुभवात्मक अधिगम भी कहा जाता है।

	• इसने छात्रों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के अलावा मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया था। • सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यों की केंद्रीयता के कारण यह अनिवार्य रूप से एक जन शिक्षा दृष्टिकोण है, और शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली बनाने की उम्मीद की गई थी। • वर्ष 1937 में वर्धा में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित नई तालीम में छात्रों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के अलावा मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया था।
श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व	• सिख समुदाय के दसवें धर्म-गुरु (सतगुरु) गोबिंद सिंह जी के जन्म उत्सव को 'गुरु गोबिंद जयंती' के रूप में मनाया जाता है। यह हर साल पौष महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। इस पर्व को प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, इस बार 9 जनवरी 2022 को गुरु गोबिंद सिंह की जयंती है। • सिख समुदाय के 10 वें गुरू गोबिंद सिंह से एक महान योद्धा, कवि, भक्त और आध्यात्मिक व्यक्तित्व वावे महापुरुष थे। • गोबिंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी और इसे ही सिखों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। • इनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में 1666 ई. में सिख धर्म के नौवे गुरु तेगबहादुर साहब और माता गुजरी के घर हुआ। • गुरु गोबिंद जी ने अपनी शिक्षाओं और दर्शन के माध्यम से सिख समुदाय का नेतृत्व किया और जल्द ही ऐतिहासिक महत्व प्राप्त कर लिया। • गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी मृत्यु से पहले 1708 में गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ घोषित किया था। • गुरु गोबिंद सिंह जी एक महान योद्धा थे। वह कविता और दर्शन और लेखन के प्रति अपने झुकाव के लिए जाने जाते थे। उसने मुगल आक्रमणकारियों को जवाब देने से इनकार कर दिया और अपने लोगों की रक्षा के लिए खालसा के साथ लड़ाई लड़ी। उनके मार्गदर्शन में, उनके अनुयायियों ने एक सख्त संहिता का पालन किया। उनके दर्शन, लेखन और कविता आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। • गुरु गोबिंद सिंह जयंती मनाने के लिए, दुनिया भर के सिख गुरुद्वारों में जाते हैं, जहां गुरु गोबिंद सिंह जी के सम्मान में प्रार्थना सभाएं होती हैं। • लोग गुरुद्वारों द्वारा आयोजित जुलूसों में भाग लेते हैं, कीर्तन करते हैं और समुदाय के लिए सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सेवा भी करते हैं।
भीमबेटका गुफा	**भाग :** प्रारंभिक और जीएस-I इतिहास और संस्कृति **प्रसंग :** हाल ही में मध्य प्रदेश (एमपी) के भीमबेटका रॉक शेल्टर में दो सींग वाले सुमात्रा गैंडे का चित्रण खोजा गया। • यह भीमबेटका परिसर की गुफाओं में से एक, उरडेन (Urden) में एक लाल वर्णक के साथ खींचा गया था। • यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक मानव प्रवास का सुझाव देता है। **भीमबेटका गुफा के बारे में** • भीमबेटका रॉक शेल्टर मध्य में एक पुरातात्विक स्थल हैं भारत जो प्रागैतिहासिक पुरापाषाण और मेसोलिथिक अवधियों के साथ-साथ ऐतिहासिक काल तक फैला है। **पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक काल** • यह भारत में मानव जीवन के शुरुआती निशानों को प्रदर्शित करता है और पाषाण युग के साक्ष्य को एचुलियन काल में साइट पर शुरू करता है। • यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। • **खोज:** भीमबेटका रॉक शेल्टर वी एस वाकणकर द्वारा 1957 में पाए गए थे। • यह अपने प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए लोकप्रिय है जो लाल और सफेद रंग में किए गए हैं। **सुमात्रा राइनो** • सुमात्रन राइनो, सभी राइनो प्रजातियों में सबसे छोटा और दो सींगों वाला एकमात्र एशियाई गैंडा है, जो

	मलेशिया के जंगलों से विलुप्त हो गया है। • उनमें से बहुत कम इंडोनेशिया के सुमात्रा और बोर्नियो में बचे हैं। **क्या आप जानते हैं?** • **राइनो की अन्य प्रजातियां:** ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, एक सींग वाले गैंडे, जावन राइनो। • **IUCN की रेड लिस्ट में स्थिति:** o **व्हाइट राइनो:** खतरे या संकट के करीब। o **एक सींग वाले गैंडे:** सुभेद्य। o **ब्लैक राइनो:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त। o **जावन:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त o **सुमात्रा राइनो:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त
बकरी के सिर वाली योगिनी की 10वीं शताब्दी की पत्थर की मूर्ति	**ख़बरों में:** उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के लोखरी गांव में एक मंदिर से अवैध रूप से हटाई गई बकरी के सिर वाली योगिनी की 10वीं शताब्दी की पत्थर की मूर्ति को यूके से भारत वापस किया जा रहा है। • एक बकरी के सिर वाली योगिनी की यह मूर्ति मूल रूप से बलुआ पत्थर में 'पत्थर के देवताओं' (stone deities) के एक समूह से संबंधित है। • लोखरी के उसी मंदिर से चुराई गई भैंस के सिर वाली वृषणा योगिनी की एक समान मूर्ति 2013 में पेरिस से बरामद की गई थी। • योगिनियां पूजा की तांत्रिक पद्धति से जुड़ी देवियों का एक समूह हैं। • उन्हें 64 के समूह के रूप में पूजा जाता है और माना जाता है कि उनके पास अनंत शक्तियां हैं।
कथक नृत्यांगना पंडित बिरजू महाराज	• बिरजू महाराज कथक नर्तकियों के महाराज परिवार के वंशज थे। • लखनऊ के कालका-बिंदादीन घराने से थे। • संगीत नाटक अकादमी (28) से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के कलाकारों में से एक थे। • पद्म विभूषण से सम्मानित। • वर्ष 2012 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। **कथक नृत्य रूप के बारे में** • कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के आठ प्रमुख रूपों में से एक है। • कथक की उत्पत्ति पारंपरिक रूप से प्राचीन भारत के उत्तरी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले बार्डों के लिए जिम्मेदार है, जिन्हें कथाकार या कहानीकार के रूप में जाना जाता है। • कथक शब्द वैदिक संस्कृत शब्द कथा से लिया गया है जिसका अर्थ है "कहानी", और कथकर जिसका अर्थ है "वह जो एक कहानी कहता है", या "कहानियों के साथ करना"। • भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जिसका मुस्लिम संस्कृति से संबंध है, यह कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। • उन्नीसवीं शताब्दी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया। उन्होंने भाव, मनोदशा और भावनाओं की अभिव्यक्ति पर अपने मजबूत उच्चारण के साथ लखनऊ घराने की स्थापना की। • जयपुर घराना अपनी लयकारी या लयबद्ध गुण के लिए जाना जाता है और बनारस घराना कथक नृत्य के अन्य प्रमुख स्कूल हैं। • **रासलीला:** वैष्णव पंथ जिसने 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत को प्रभावित किया। और परिणामी भक्ति आंदोलन ने गीत और संगीत रूपों की एक पूरी नई श्रृंखला में योगदान दिया। राधा-कृष्ण विषय मीराबाई, सूरदास, नंददास और कृष्णदास के कार्यों के साथ बेहद लोकप्रिय साबित हुआ। • भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तहत यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त।

गुरु रविदास	**संदर्भ:** हाल ही में, चुनाव आयोग ने गुरु रविदास जयंती के मद्देनजर पंजाब चुनाव 2022 को एक सप्ताह के लिए 20 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है, इनकी जयंती 16 फरवरी को पड़ रही है। **गुरु रविदास के बारे में** • गुरू रविदास (रैदास) का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा दिन रविवार को संवत 1433 को हुआ था। • गुरु रविदास जी 15 वीं-16 वीं शताब्दी में एक महान संत, दार्शनिक, कवी, समाज सुधारक और भारत में भगवान के अनुयायी हुआ करते थे • उन्होंने रविदासिया धर्म की स्थापना की और एक नया पवित्र ग्रंथ अमृतबनी गुरु रविदास जी का संकलन किया। • उनका जन्म वाराणसी में चमड़े का काम करने वाली चमार जाति में हुआ था। • वह एक निराकार ईश्वर की पूजा को महत्व देते थे। • कबीर के साथ, वह भगत रामानन्द के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। • भक्त रविदास के 41 छंद सिखों की धार्मिक पुस्तक आदि ग्रंथ में शामिल हैं। • वे वर्ण (जाति) व्यवस्था के खिलाफ मुखर थे। • उन्होंने बेगमपुरा नामक एक समतावादी समाज की कल्पना की, जिसका अर्थ है "दुख के बिना भूमि"। • उनके शिष्यों को रविदास-पंथी के रूप में और अनुयायियों को रविदासियस के रूप में जाना जाने लगा।
सोमनाथ मंदिर	**संदर्भ:** भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास बने नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। • इस सर्किट हाउस में कई तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं। • सर्किट हाउस उच्च श्रेणी के सुइट्स, वीआईपी और डीलक्स रूम, कांफ्रेंस रूम, आडिटोरियम की सुविधाओं से लैस हैं। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर कमरे से समुद्र का नजारा दिखेगा। **सोमनाथ मंदिर के बारे में** • सोमनाथ मंदिर, जिसे सोमनाथ मंदिर या देव पाटन भी कहा जाता है, गुजरात के वेरावल के प्रभास पाटन में स्थित है। • सोमनाथ मंदिर के निर्माण में लगभग पांच साल लगे थे। • मंदिर का शिखर करीब 150 फीट ऊंचा है। • मंदिर के शिखर पर एक कलश स्थित है जिसका वजन 10 टन है। • यह मंदिर 10 किमी तक फैला हुआ है। इसमें 42 मंदिर और हैं। मुख्य मंदिर के अंदर गर्भगृह, सभामंडपम और नृत्य मंडपम है। मंदिर के दक्षिण ओर समुद्र के किनारे एक स्तंभ है जिसे बाणस्तंभ के नाम से जाना जाता है। • यह हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, • उनका मानना है कि यह शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से पहला है। • वर्तमान सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हिंदू मंदिर वास्तुकला की मारू-गुर्जर शैली में किया गया है।
पराक्रम दिवस: नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती	**ख़बरों में:** इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की एक 'भव्य प्रतिमा' स्थापित की जाएगी। ग्रेनाइट से बनी यह प्रतिमा स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अपार योगदान के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी, और उनके प्रति देश के ऋणी होने का प्रतीक होगी। जब तक नेताजी बोस की ग्रेनाइट से बनी भव्य मूर्ति पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा इस जगह पर मौजूद रहेगी। **नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन** • भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो बार निर्वाचित अध्यक्ष, (1938-हरिपुर और 1939-त्रिपुरी)। • उन्होंने वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया और वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन तथा गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया। • राजनीतिक मतभेदों के कारण, उन्होंने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और बंगाल में कांग्रेस के अंदर एक अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। • उन्होंने बिना शर्त स्वराज (Unqualified Swaraj) अर्थात् स्वतंत्रता का समर्थन किया और मोतीलाल नेहरू

	रिपोर्ट (Motilal Nehru Report) का विरोध किया जिसमें भारत के लिये डोमिनियन के दर्जे की बात कही गई थी। • कलकत्ता में, बोस ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसे नजरबंद कर दिया गया, जहां से वह फरार हो गए। • युवाओं को संगठित किया और ट्रेड यूनियन आंदोलनों को बढ़ावा दिया। 1930 में, वे कलकत्ता के मेयर चुने गए, उसी वर्ष वे AITUC के भी अध्यक्ष चुने गए। **आजाद हिंद फौजी** • आजाद हिंद सरकार के नेता। • निर्वासित भारत सरकार के इस अनंतिम राज्य के प्रमुख। • बोस का मानना था कि सशस्त्र संघर्ष ही भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। वह 1920 और 1930 के दशक के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कट्टरपंथी विंग के नेता थे, 1938 और 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन महात्मा गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के साथ मतभेदों के कारण उन्हें हटा दिया गया। • इस बीच सुभाष चंद्र बोस 1941 में भारत से भाग कर जर्मनी चले गए और भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने लगे। सन् 1943 में वह भारतीय स्वतंत्रता लीग का नेतृत्व करने के लिए सिंगापुर आए और भारतीय राष्ट्रीय सेना (आज़ाद हिंद फौज) का पुनर्निर्माण करके इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए एक प्रभावी साधन बनाया। • आजाद हिंद फौज में लगभग 45,000 सैनिक शामिल थे, जो युद्ध-बंदियों के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों में बसे भारतीय भी थे। • नेताजी अंडमान गए जिस पर जापानियों का कब्जा था और वहां उन्होंने भारत का झंडा फहराया था। सन् 1944 की शुरुआत में, आज़ाद हिंद फौज (INA) की तीन इकाइयों ने भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्सों पर अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए हमले में भाग लिया। • आजाद हिंद फौज का 'दिल्ली चलो' नारा और सलाम 'जय हिंद' देश के अंदर और बाहर बसे भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। नेताजी ने भारत की आजादी के लिए दक्षिण-पूर्वी एशिया में रहने वाले सभी धर्मों और क्षेत्रों के भारतीयों के साथ मिलकर रैली की थी। • भारतीय महिलाओं ने भी भारत की स्वतंत्रता के लिए गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजाद हिंद फौज में एक महिला रेजिमेंट का गठन किया गया था, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में थी। इसे रानी झांसी रेजिमेंट कहा जाता था। • नेताजी, जो स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के सबसे महान नेताओं में से एक थे, वे जापान के आत्मसमर्पण करने के कुछ दिनों बाद एक हवाई दुर्घटना में मारे गए। **विचार करें:** • **नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप:** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का रॉस द्वीप।
कथकली नृत्य	**सुर्ख़ियों में:** प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना सुश्री मिलिना साल्विनिक के निधन पर शोक व्यक्त किया। **कथकली नृत्य के बारे में** • कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। • कथकली नृत्य, संगीत और अभिनय का मिश्रण है और कहानियों का नाटक करती है, जो ज्यादातर भारतीय महाकाव्यों से अनुकूलित होती हैं। • भारत के आठ शास्त्रीय नृत्यों में से एक हैं। • यह शैलीबद्ध कला रूप है, इसमें अभिनय के चार पहलू- अंगिका, अहार्य, वाचिका, सात्विका और नृत्त, नृत्य तथा नाट्य पहलुओं का सम्मिश्रण है। • नर्तक गाए गए छंदों (पदमों) का बारीकी से अनुसरण करते हुए, संहिताबद्ध हस्तमुद्रा और चेहरे के भावों के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करता है। • कथकली को बलराम भारतम और हस्तलक्षण दीपिका से इसकी शाब्दिक स्वीकृति मिली है।

	• कथकली आकाश का प्रतीक है। **राज्य:** केरल; कथकली नर्तकी का चेहरा केरल पर्यटन का प्रतीक है केवल पुरुष नर्तकियों द्वारा अभ्यास किया जाता है, हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में कथकली (मृणालिनी साराभाई) में महिलाओं की भागीदारी में एक कूद (a leap) देखी गई है। • भक्ति आंदोलन के हिस्से के रूप में उत्पन्न हुआ और माना जाता है कि यह राज्य के सैनिकों द्वारा किया गया था, क्योंकि नाटक खुद एक राजकुमार द्वारा लिखे गए थे। • चूंकि वे कलारी की मार्शल आर्ट में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे, इसलिए पूरे देश में उनके पदचिन्हों पर चलने वाली मंडलियों ने भी प्रशिक्षण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कठिन अभ्यासों को लागू किया। और वहां से पैरों (चैविटी उझिचिल) का उपयोग करके शरीर की मालिश का अभ्यास शुरू किया। यह प्रथा एक प्रमुख कारण माना जाता है कि कला की खोज में महिलाओं का स्वागत नहीं किया गया था। **अद्वितीय नाम (Unique names)** • **अहार्य:** श्रृंगार कृष्ण जैसे चरित्र के अनुकूल है और राम मोर पंख से सजाए गए विशेष मुकुट पहनते हैं। • **आजम:** यह एक भक्ति संख्या है जहां एक या दो अक्षर देवताओं के आशीर्वाद का आह्वान करते हैं • **सोपना संगीत:** इसे गर्भगृह की ओर जाने वाली सीढ़ियों की उड़ान पर अष्टपदियों का अनुष्ठान गायन कहा जाता है। **अद्वितीय विशेषताएं** • **वेशभूषा:** अन्य नृत्य रूपों के विपरीत, विस्तृत श्रृंगार और वेशभूषा का उपयोग कथकली के केंद्र में है। वे कहानी कहने में विभिन्न पात्रों के बीच अंतर करते थे जैसे कि एक नोबल, एक रॉयल्टी, एक बुराई आदि। • **चेहरे के भाव:** भरतनाट्यम और ओडिसी जैसे अधिकांश अन्य नृत्य रूपों में हाथ के इशारों और शरीर की मुद्राओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, एक कथकली नर्तक विभिन्न भावनाओं को चित्रित करने के बजाय उनके चेहरे के भावों पर जोर देता है। यहां शरीर की गतिविधियों को विशेष रूप से नियंत्रित किया जाता है। • **संगीत:** अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष को प्रदर्शित करने के लिए भारी और तेज वातावरण बनाने के लिए ड्रमों का भारी उपयोग। • चकियारकूथु, कूडियट्टम, कृष्णट्टम और रामनाट्टम केरल की कुछ कर्मकांड प्रदर्शन कलाएं हैं जिनका कथकली पर उसके रूप और तकनीक पर सीधा प्रभाव पड़ा है।

IAS BABA
You Might Be An
Early Bird Or A Night Owl.
But, When It Comes To Prelims,
The Best Way To Study Is By
PRACTICING DAILY.
Early Bird Offer
TEST
300 Hours Of Prelims Focused Classes
100+ Meticulously Prepared Practice Tests
1:1 Mentorship
Prelims Strategy Classes
Prelims Specific & Exclusive Handouts
PRELIMS EXCLUSIVE PROGRAM (PEP) -2022
Crack UPSC Prelims 2022 in a Go!
REGISTER HERE
www.iasbaba.com
pep@iasbaba.com
9169191888

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी)	**संदर्भ:** दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रयोगशाला और भारत के जीनोम अनुक्रमण नेटवर्क में एक प्रमुख प्रयोगशाला ने राज्यों को अस्थायी रूप से COVID-19 सकारात्मक नमूने भेजने को रोकने के लिए कहा है। **राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के बारे में** ● राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली में स्थित है पहले इसका नाम राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान हुआ करता था। ● NICD को वर्ष 2009 में उभर चुके एवं फिर से पनप रहे रोगों को नियंत्रित करने के लिये राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में तब्दील कर दिया गया था। ● यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रयोगशाला विज्ञान एंटोमोलॉजिकल (Entomological) सेवाओं हेतु विशेष कार्यबल के प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है और विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों में शामिल है। ● **प्रमुख कार्य** ○ यह पूरे देश में किसी भी रोग के प्रकोप की जाँच करता है। ○ व्यक्तियों, समुदाय, मेडिकल कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और राज्य स्वास्थ्य निदेशालयों को रेफरल डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान करता है। ○ महामारी विज्ञान, निगरानी और प्रयोगशालाओं आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान के सृजन एवं प्रसार करना। ○ संचारी रोगों के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ गैर-संचारी रोगों के कुछ पहलुओं में एकीकृत अनुसंधान को बढ़ावा देना। ● संस्थान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
वार्षिक समीक्षा: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)	● आधार विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम है जो बायोमैट्रिक तथा जनसांख्यिकी आधारित अनूठी डिजिटल पहचान प्रदान करता है जिसे कहीं भी, किसी भी समय प्रमाणित किया जा सकता है और डुप्लीकेट तथा नकली पहचानों को समाप्त किया जा सकता है। यह विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की प्रदायगी के लिए एक पहचान का बुनियादी ढांचा उपलब्ध करता है। डिजिटल पहचान-आधार 126.09 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। ● पीएमजीदिशा का लक्ष्य 31.03.2022 तक 6 करोड़ ग्रामीण घरों (प्रति घर एक व्यक्ति) को कवर करते हुए ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता उपलब्ध कराना है। आज की तिथि तक, लगभग 5.36 करोड़ प्रत्याशियों का नामांकन किया जा चुका है तथा 4.54 करोड़ को प्रशिक्षित किया जा चुका है जिसमें से 3.37 करोड़ प्रत्याशियों को पीएमजीदिशा के तहत प्रमाणित किया गया है। ● देश भर के 60 संस्थानों में अत्याधुनिक वीएलएसआई प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं ● बी. टेक, एम.टेक तथा पीएचडी स्तरों पर लगभग 52,000 विशिष्ट श्रमबल प्रशिक्षित किए गए। ● सभी हितधारकों के समन्वित प्रयास के फलस्वरूप, डिजिटल ट्रांजेक्शन की संख्या 50.42 प्रतिशत की सीएजीआर की दर से वित्त वर्ष 2016-17 के 1085 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में 5,554 करोड़ हो गई। ● वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, मिशन को 5,500 करोड़ डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन का लक्ष्य दिया गया था अब अब यह उससे अधिक अर्थात 5,554 करोड़ हो गया है। ● वर्तमान में, लगभग 247 बीपीओ/आईटीईएस यूनिट या तो प्रचालनगत हैं यहां उन्होंने लगभग 45,500 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराने के जरिये आईबीपीएस तथा एनईबीपीएस के तहत अपनी अवधि पूरी कर ली है।

- वित वर्ष 2021-22 के दौरान, एनएसएम के दूसरे चरण के तहत, सी-डैक पहले ही एक आईआईटी हैदराबाद में तथा एक सी-डैक बंगलुरु में, 650 टीएफ (800 टीएफ पीक) की दो प्रणालियां कमीशन कर चुकी है।
- सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईएससी बैंगलोर में 3पीएफ पीक, आईआईटी रुड़की में 1.66 पीएफ पीक और आईआईटी गुवाहाटी, नाबी मोहाली, आईआईटी गांधीनगर, एनआईटी त्रिची और आईआईटी मंडी में 833 टीएफ पीक सहित सिस्टम मार्च 2022 तक स्थापित किए जाएंगे।
- **वर्चुअल न्यायालय**
    - इसका उद्देश्य न्यायालय में उल्लंघनकर्ता या अधिवक्ता की शारीरिक उपस्थिति को समाप्त करने के जरिये न्यायालयों में आने वाले लोगों की संख्या में कमी लाना है। वर्चुअल न्यायालय का प्रबंधन वर्चुअल न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है जिनके अधिकार क्षेत्र को समस्त राज्य तक बढ़ाया जा सकता है तथा काम के घंटों को सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे तक विस्तारित किया जा सकता है। न तो वादी को न्यायालय जाने की आवश्यकता है और न ही न्यायाधीश को शारीरिक रूप से न्यायालय में रह कर निर्णय सुनाने की आवश्यकता है जिससे न्यायालयों के बहुमूल्य समय की बचत हो सकती है।
    - राज्य भर में यातायात चालानों के न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या को घटा कर वर्चुअल तरीके से एक न्यायाधीश तक लाया जा सकता है। न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले ई-चालान स्वचालित रूप से निर्णय के लिए वर्चुअल न्यायालय में दायर किए जाते हैं। वर्चुअल न्यायाधीश कहीं से भी वर्चुअल न्यायालय आवेदन को एक्सेस कर सकते हैं, मामलों को देख सकते हैं तथा मामलों का ऑनलाइन निर्णय कर सकते हैं।
- ई-डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी): ई-डिस्ट्रिक्ट एक मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) है जिसका लक्ष्य जिला या उप-जिला स्तर पर चिन्हित उच्च मात्रा नागरिक केंद्रित सेवाओं की इलेक्ट्रानिक डिलीवरी है।
- ई-गवर्नमेंट डेवेलपमेंट सूचकांक (इजीडीआई) संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के ई-गवर्नमेंट डेवेलपमेंट सूचकांक की स्थिति प्रस्तुत करता है।
    - किसी भी देश में वेबसाइट विकास पैटर्न के आकलन के साथ ई-गवर्नमेंट डेवेलपमेंट सूचकांक में अवसंरचना तथा शैक्षणिक स्तरों जैसी एक्सेस की विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है जिससे कि यह दर्शाया जा सके कि देश किस प्रकार एक्सेस तथा अपने लोगों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकीयों का उपयोग कर रहा है। इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) इजीडीआइ का नोडल मंत्रालय है।
    - इजीडीआइ ई-गवर्नमेंट के तीन महत्वपूर्ण आयामों जिनके नाम हैं: ऑनलाइन सेवा सूचकांक, दूरसंचार अवसंरचना सूचकांक तथा मानव पूंजी सूचकांक, का एक समग्र माप है।
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक्स नीति 2019 (एनपीई 2019) देश में चिपसेट सहित मुख्य कंपोनेंट के विकास के लिए देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित एवं विकसित करने एवं उद्योग के लिए वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए इलेक्ट्रोनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए एक सक्षमकारी वातावरण का सृजन करने के द्वारा भारत को वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना करती है।
    - एक मजबूत विनिर्माण परितंत्र के निर्माण की दृष्टि से जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक परिसंपत्ति होगी, सरकार मूल्य श्रृंखला में एक मजबूत परितंत्र विकसित करने और इसे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ समेकित करने की आशा कर रही है।
    - यह इन चार योजनाओं का सार है जिनके नाम हैं, (i) व्यापक पैमाने पर इलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई), (ii) इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट एवं सेमीकंडक्टरों

	के विनिर्माण के संवर्धन के लिए स्कीम (स्पेक्स) (ii) मोडीफायड इलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स (ईएमसी 2.0) स्कीम और (iv) आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई)।
भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत	विमानवाहक पोत को 'आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बड़ा प्रतीक' करार देते हुए, श्री नायडु ने कहा कि आईएनएस विक्रांत एक स्वदेशी वाहक के तौर पर देश के सपने को साकार करता है। • INS विक्रांत भारत का सबसे जटिल युद्धपोत है जिसे भारतीय नौसेना के लिए कोचीन शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया है। • कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा शिपयार्ड और बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एकमात्र शिपयार्ड है। • वर्तमान में, भारत के पास केवल एक विमानवाहक पोत है, रूसी मूल का आईएनएस विक्रमादित्य। **आईएनएस विक्रांत (आईएसी-1) के बारे में** • INS विक्रांत की विरासत को सम्मान देने हेतु पहले IAC को INS विक्रांत के रूप में नामित किया जाएगा। • भारतीय नौसेना के अनुसार, यह युद्धपोत मिग-29K लड़ाकू जेट, कामोव-31 हेलीकॉप्टर, MH-60R बहु-भूमिका हेलीकॉप्टर और स्वदेशी रूप से निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (ALH) का संचालन करेगा। • जहाज से चलने वाले हथियारों में बराक LR SAM और AK-630 शामिल हैं, जबकि इसमें सेंसर के रूप में MFSTAR और RAN-40L 3D रडार हैं। • इसमें विमान संचालन को नियंत्रित करने के लिए रनवे की एक जोड़ी और 'शॉर्ट टेक ऑफ लेकिन अरेस्ट रिकवरी' सिस्टम है। **महत्व** • वायुयान वाहक की युद्धक क्षमता, पहुंच और बहुमुखी प्रतिभा से रक्षा क्षेत्र में जबरदस्त क्षमताएं बढ़ेंगी और समुद्री क्षेत्र में भारत के हितों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। • यह लंबी दूरी पर वायु शक्ति को प्रक्षेपित करने की क्षमता के साथ एक अतुलनीय सैन्य उपकरण की पेशकश करेगा।
गिटहब (GitHub)	**संदर्भ:** हाल ही में, इस प्लेटफ़ॉर्म पर भारत में मुस्लिम महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने हेतु एक 'बुल्ली बाई' (Bulli Bai) नामक एक आपत्तिजनक 'ऐप' (App) को बनाने और साझा करने के लिए इस्तेमाल लिया गया था, इसके बाद से 'गिट हब' चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। **गिटहब क्या है?** • गिटहब (GitHub) एक वेब-आधारित सेवा है जो सॉफ्टवेयर परियोजनाओं के कोड आदि रखने की सुविधा देती है। गिटहब निजी सॉफ्टवेयरों के लिए सशुल्क है जबकि मुक्तस्रोत परियोजनाओं के लिए निःशुल्क। • 'गिट हब' (GitHub) विश्व का सबसे बड़ा एक ओपन-सोर्स 'डेवलपर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म' (Developer Community Platform) है। इस प्लेटफ़ॉर्म पर उपयोगकर्ता अपने प्रोजेक्ट्स और कोड, अन्य डेवलपर्स को दिखाने, संपादित करने और उसमे सुधार करने के लिए अपलोड करते हैं। • **GitHub** का विचार: कोई भी डेवलपर जो भी सॉफ़्टवेयर कोड या ऐप कोड या सॉफ़्टवेयर विचार उनके पास प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड कर सकता है, और दूसरों को उनके साथ सहयोग करने, त्रुटियों को खोजने और समस्याओं को ठीक करने में मदद करने के लिए कह सकता है। • प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर गिट का उपयोग करता है, जिसे 2005 में ओपन-सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के डेवलपर लिनुस ट्रोवाल्ड्स द्वारा फाइलों के एक सेट में परिवर्तन को ट्रैक करने और सॉफ्टवेयर विकास में समन्वय के लिए बनाया गया था।
महत्वपूर्ण और सामरिक महत्व की खनिज आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने	**सुर्ख़ियों में:** खान मंत्रालय ने राष्ट्र की खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण व सामरिक महत्व वाले खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल) की सहभागिता के साथ खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआईएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है।

के प्रयास	• लिथियम, कोबाल्ट आदि जैसे महत्वपूर्ण एवं सामरिक महत्व की प्रकृति की विदेशी खनिज संपत्तियों की पहचान और अधिग्रहण करना अनिवार्य है। • आत्मनिर्भर भारत को अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह पहल महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे ई-गतिशीलता, नवीकरणीय ऊर्जा, चिकित्सा, एयरोस्पेस, विमानन आदि की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। • वर्तमान में खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड की भागीदारी ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली जैसे स्रोत देशों के साथ चल रही है, जो उद्धृत महत्वपूर्ण और सामरिक महत्व के खनिजों से संपन्न हैं।
मल्टी एजेंसी सेंटर (मैक)	**संदर्भ :** देश में बढ़ते आतंकवादी खतरों और देश की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों से मल्टी एजेंसी सेंटर (Multi Agency Centre -MAC) के माध्यम से अधिक खुफिया जानकारी साझा करने के लिए कहा है। • एमएसी मैक, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के तहत आतंकवाद विरोधी ग्रिड है, जिसे 2001 में कारगिल युद्ध के बाद शुरू किया गया था। इसमें केंद्र और राज्यों की एजेंसियां सूचनाएं साझा करती हैं। • रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ), सशस्त्र बल और राज्य पुलिस सहित 28 संगठन मैक का हिस्सा हैं। • विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां मैक पर रीयल-टाइम इंटेलिजेंस इनपुट साझा करती हैं। **केंद्र के बारे में** • MAC का गठन दिसंबर 2001 में कारगिल घुसपैठ और कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट तथा GoM रिपोर्ट द्वारा सुझाए गए भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के बाद के किया गया था। • तदनुसार, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) को नई दिल्ली में एक बहु-एजेंसी केंद्र (MAC) बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। • अब खुफिया जानकारी साझा करने के लिए नोडल निकाय के रूप में 24/7 कार्य करते हुए, मैक कई एजेंसियों, विभिन्न मंत्रालयों, केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय करता है। • जैसा कि 2016 की संसदीय रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, मैक को खुफिया जानकारी के प्रमुख योगदानकर्ता रक्षा खुफिया एजेंसी (डीआईए) और अनुसंधान और विश्लेषण विंग (रॉ) थे।
ओमीश्योर (OmiSure)	**संदर्भ:** भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के 'ओमिक्रॉन' वेरिएंट का पता लगाने के लिए एक टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है। • 'ओमीश्योर' किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक लिमिटेड (टाटा एमडी) ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के साथ मिलकर किया है। • 'ओमीश्योर' किट आरटी-पीसीआर जांच के दौरान नाक और मुंह से लिए गए नमूनों में कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप की मौजूदगी का पता लगाने में सक्षम है। • किट का उपयोग रोगियों में ओमाइक्रोन की एस-जीन लक्ष्य विफलता (एसजीटीएफ) रणनीति के साथ पुष्टि करने के लिए किया जाएगा। • ओडिशा इस किट की खरीदारी के लिए ऑर्डर देने वाला देश का पहला राज्य है। **क्या है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR)** • ICMR, नई दिल्ली जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और प्रचार के लिए भारत में शीर्ष निकाय है। • **मंत्रालय:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। • यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। • ICMR के शासी निकाय की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करते हैं।
उपभोक्ता इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सुरक्षा हेतु कार्यप्रणाली की आचार संहिता	**सुर्ख़ियों में:** हाल ही में संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आने वाले दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (TEC) ने उपभोक्ता इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) उपकरणों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से "उपभोक्ता इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) को सुरक्षित करने के लिये अभ्यास संहिता" (Code of Practice for Securing Consumer Internet of Things)

	नामक एक रिपोर्ट जारी की है। • ये दिशा-निर्देश उपभोक्ता IoT उपकरणों और पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करने के साथ-साथ सुभेद्यताओं को प्रबंधित करने में मदद करेंगे। • IoT डिवाइस निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं/सिस्टम इंटीग्रेटर्स और एप्लिकेशन डेवलपर्स आदि द्वारा उपयोग के लिए अभिप्रेत है। • इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) दुनिया भर में सबसे तेजी से उभरती हुई तकनीक में से एक है, जो समाज, उद्योग और उपभोक्ताओं के लिए अत्यधिक लाभकारी अवसर प्रदान करती है। इसका उपयोग विभिन्न वर्टिकल जैसे बिजली, मोटर वाहन, सुरक्षा और निगरानी, दूरस्थ स्वास्थ्य प्रबंधन, कृषि, स्मार्ट होम और स्मार्ट सिटी आदि में जुड़े उपकरणों का उपयोग करके स्मार्ट बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए किया जा रहा है। आईओटी सेंसर, संचार प्रौद्योगिकियों (सेलुलर और गैर-सेलुलर), एआई/एमएल, क्लाउड/एज कंप्यूटिंग इत्यादि जैसी कई प्रौद्योगिकियों में हालिया प्रगति से लाभान्वित है। • यह आशा की जाती है कि 2022 तक 5 बिलियन में से लगभग 60% अर्थात 3 बिलियन कनेक्टेड डिवाइस भारत में मौजूद हो सकते हैं। • IoT उपकरणों की प्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि IoT समापन बिंदु सुरक्षा और सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हैं। • दैनिक जीवन में उपयोग किये जा रहे उपकरणों/नेटवर्क की हैकिंग से कंपनियों, संगठनों, राष्ट्रों और अधिक महत्त्वपूर्ण रूप से लोगों को नुकसान होगा। इसलिये IoT इकोसिस्टम को एंड-टू-एंड यानी डिवाइस से एप्लीकेशन तक सुरक्षित करना बहुत महत्त्वपूर्ण है। • कनेक्टेड IoT उपकरणों के लिये 'एंड टू एंड' सुरक्षा सुनिश्चित करना इस बाज़ार में सफलता की कुंजी है। इस सुरक्षा के बिना IoT का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
हाइपरसोनिक मिसाइल	**प्रसंग:** उत्तर कोरिया ने इस साल परमाणु-सशस्त्र राष्ट्र द्वारा पहले बड़े हथियारों के परीक्षण में एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। • यह हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग मिसाइलों का दूसरा रिपोर्टेड परीक्षण था, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और निंदा के बावजूद परिष्कृत तकनीक का अनुसरण करता है। **हाइपरसोनिक हथियार क्या हैं?** • वे युद्धाभ्यास योग्य हथियार हैं जो ध्वनि की गति से पांच गुना अधिक मैक 5 से अधिक गति से उड़ते हैं। • ध्वनि की गति मैक 1 है, और सुपरसोनिक की गति मैक 5 तक है तथा हाइपरसोनिक की गति मैक 5 से ऊपर है। • हालांकि बैलिस्टिक मिसाइलें बहुत तेज होती हैं, ये तीन स्टेज में काम करती है। जो लांच होने के तीसरे चरण में जाकर अपने टारगेट को नष्ट करती है। इस दौरान यह मिसाइल दो बार वायुमंडल और एक बार अंतरिक्ष का सफर करती है। • इसके विपरीत, हाइपरसोनिक हथियार वातावरण के अंदर यात्रा करते हैं और बीच में ही पैंतरेबाज़ी कर सकते हैं जो उनकी उच्च गति के साथ मिलकर उनका पता लगाने और अवरोधन को बेहद मुश्किल बना देता है। यह उन्हें बहुत शक्तिशाली बनाता है। • इसका मतलब यह है कि रडार और वायु रक्षा तंत्र उनका तब तक पता नहीं लगा सकते जब तक कि वे बहुत करीब न हों और उनके पास प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत कम समय हो। • हाइपरसोनिक हथियारों के दो वर्ग हैं: हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन (HGV) और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल (HCM)। • HGV को लक्ष्य पर जाने से पहले रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाता है, जबकि HCM अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद उच्च गति, वायु-श्वास इंजन या स्क्रैमजेट द्वारा संचालित होते हैं।
बैलिस्टिक मिसाइल	**संदर्भ:** ईरान ने हाल ही में तीन बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रदर्शन किया। • 'डेजफुल' (Dezful), 'कियाम' (Qiam) और 'जोलफघार' (Zolfaghar) नाम वाली मिसाइलों की

	आधिकारिक मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक की है। **बैलिस्टिक मिसाइल के बारें में** • बैलिस्टिक मिसाइल एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर एक या अधिक आयुध (warheads) पहुंचाने के लिए बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र (ballistic trajectory) का अनुसरण करती है। • कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें पृथ्वी के वायुमंडल में रहती हैं। दूसरी ओर, अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) एक उप-कक्षीय प्रक्षेपवक्र पर लॉन्च की जाती हैं। • यह एक रॉकेट चालित स्व-निर्देशित रणनीतिक-हथियार प्रणाली है। • यह पारंपरिक उच्च विस्फोटकों के साथ-साथ रासायनिक, जैविक, या परमाणु युद्ध सामग्री ले जा सकता है। • 'बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता' (ICOC) जिसे अब 'बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ हेग आचार संहिता' के रूप में जाना जाता है, एक राजनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार को रोकना है। ○ भारत इस कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता है। • अप्रैल 1987 में स्थापित 'स्वैच्छिक मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था' (MTCR) का उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइलों और अन्य मानव रहित वितरण प्रणालियों के प्रसार को सीमित करना है जिनका उपयोग रासायनिक, जैविक तथा परमाणु हमलों के लिये किया जा सकता है। ○ भारत भी MTCR का हिस्सा है। **भारत की कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें:** • अग्नि पी मिसाइल • शौर्य मिसाइल • पृथ्वी मिसाइल • धनुष मिसाइल
बिना चुंबकीय क्षेत्र वाले धड़कन-युक्त एक तारे की खोज	**सुर्ख़ियों में:** भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक समूह ने एक अनोखा बाइनरी स्टार ढूंढ निकाला है, जिसमें धड़कन है, लेकिन कोई नाड़ी-स्फुरण नहीं है, जैसा कि बाइनरी स्टार के मामले में होता है। बाइनरी स्टार में धड़कन और नाड़ी-स्पंदन दोनों होते हैं। यह तारा प्रीसिप (M44) में HD73619 कहलाता है, जो कर्क तारामंडल में स्थित है। कर्क तारामंडल पृथ्वी के सबसे करीब स्थित खुले तारा मंडलों में से एक है। • कर्क नक्षत्र में एक समूह में स्थित है, जो पृथ्वी के निकटतम खुले तारा समूहों में से एक है। • यह बाइनरी स्टार सिस्टम है, जहां हर तारा पिंड के सामान्य केंद्र के चारों तरफ उच्च अंडाकार कक्ष में यात्रा करता है। • तारे जब बाइनरी सिस्टम के बेहद करीब होते हैं तो उनकी चमक और तीव्रता में अचानक से वृद्धि होती है और यह तीव्रता कई पार्ट्स प्रति हजार (पीपीटी) तक होती है। • आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (एआरआईईएस) के डॉ संतोष जोशी के नेतृत्व में 33 वैज्ञानिकों की टीम ने फोटोमेट्रिक और एचडी73619 के हाई-रिजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस का विश्लेषण किया। • एआरआईईएस भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी (डीएसटी) विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संस्थान है। वैज्ञानिकों की टीम ने पाया कि एचडी73619 बाइनरी रासायनिक रूप से ऐसे अजीबोगरीब तारों के हार्टबीट सिस्टम्स का पहला सदस्य है, जो बेहद करीब आने की स्थिति में कोई धड़कन या कंपन नहीं दिखाता है। • वैज्ञानिकों के डाटा से यह भी साफ हुआ कि नए खोजे गए हार्टबीट स्टार या तो काफी कमजोर होते हैं या फिर उनका कोई मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। • कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति का मतलब है कि एचडी73619 पर किसी काले धब्बे होने का कोई और या फिर अज्ञात कारण हो सकता है, जबकि रौशनी वाले स्थान मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के कारण बनते हैं।

	• गैर-चुंबकीय तारों में धब्बों के कारण विषमताओं के अध्ययन और स्पंदनात्मक परिवर्तनशीलता की उत्पत्ति की जांच के लिए खोज का महत्वपूर्ण महत्व है। **हार्टबीट** • डीएसटी के अनुसार, कुल 180 'दिल की धड़कन' सितारे आज तक ज्ञात हैं। • 'हार्टबीट' नाम तारे के पथ के मानव हृदय के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से मिलता जुलता है। ये बाइनरी स्टार सिस्टम हैं जहां प्रत्येक तारा द्रव्यमान के सामान्य केंद्र के चारों ओर एक अत्यधिक अण्डाकार कक्षा में यात्रा करता है, और दो सितारों के बीच की दूरी बहुत भिन्न होती है क्योंकि वे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। • "जब तारे बाइनरी सिस्टम के निकटतम मार्ग पर होते हैं, तो कई भागों-प्रति-हजार (पीपीटी) के क्रम के आयाम के साथ एकीकृत चमक में अचानक वृद्धि देखी जाती है। • जैसे-जैसे घटक अलग-अलग होते हैं, प्रकाश भिन्नता गिरती है और अंत में सपाट हो जाती है, यह दर्शाता है कि संयुक्त प्रवाह कम हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप उनके प्रकाश वक्रों में बारी-बारी से चोटियाँ और गर्त होते हैं। • ऐसे सितारों की स्पंदनात्मक गतिविधि घटक सितारों में दोलनों के कारण होती है, जब वे अपने निकटतम दृष्टिकोण पर होते हैं।
'सी ड्रैगन' अभ्यास	**संदर्भ:** भारत और कनाडा तथा दक्षिण कोरिया के साथ चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड (Quadrilateral Security Dialogue or Quad) में उसके सहयोगी पश्चिमी प्रशांत में गुआम में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन में भाग ले रहे हैं। **इस व्यायाम के बारे में** • यह एक अमेरिकी नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास और चर्चा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। • यह अभ्यास मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध (एएसडब्ल्यू) प्रशिक्षण पर केंद्रित है। • इसमें 270 घंटे से अधिक का इन-फ्लाइट प्रशिक्षण और गतिविधियां शामिल होंगी, जिसमें नकली लक्ष्यों पर नज़र रखने से लेकर अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी पर नज़र रखने तक की गतिविधियाँ शामिल होंगी। • प्रत्येक घटना को श्रेणीबद्ध किया जाएगा और उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले देश को ड्रैगन बेल्ट पुरस्कार प्राप्त होगा। • रॉयल कैनेडियन वायु सेना ने पिछले साल के अभ्यास में ड्रैगन बेल्ट जीती और सी ड्रैगन 2022 में खिताब का बचाव कर रही है। • युद्ध के अभ्यास में भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना, रॉयल कैनेडियन वायु सेना, जापान की समुद्री आत्मरक्षा बल और दक्षिण कोरियाई नौसेना के दल शामिल हैं। **क्वाड (Quad) के बारे में** • चतुर्भुज सुरक्षा संवाद' (QUAD- Quadrilateral Security Dialogue) अर्थात् क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। • भारत-प्रशांत में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और इस क्षेत्र में चीन के विस्तारवादी प्रयासों को रोकने के लिए रणनीतिक गठबंधन का गठन किया गया था। • इसे पहली बार 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति डिक चेनी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समर्थन से पेश किया था। • यह संवाद एक अभूतपूर्व पैमाने के संयुक्त सैन्य अभ्यासों के समान था, जिसका शीर्षक मालाबार अभ्यास था। • क्वाड और सिंगापुर के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का चीन के कूटनीतिक विरोध प्रदर्शन के बाद, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री केविन रुड ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद, फरवरी 2008 में ऑस्ट्रेलिया

	की वापसी के बाद क्वाड की पहली यात्रा को बंद कर दिया। • हालांकि, 2017 के आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान सभी चार पूर्व सदस्य चतुर्भुज गठबंधन को पुनर्जीवित करने के लिए वार्ता में शामिल हुए। • वर्ष 2017-2019 में चतुर्भुज पांच बार मुलाकात किये। • मार्च 2020 में, चतुर्भुज के अधिकारियों ने COVID-19 महामारी पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की और वे पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम से जुड़े।
ब्रह्मोस मिसाइल का 'सी टू सी' वेरिएंट	**सुर्ख़ियों में :** भारत ने आईएनएस विशाखापत्तनम से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल (BrahMos supersonic cruise missile) का सफल परीक्षण किया। बताया जा रहा है कि मिसाइल के 'सी-टू-सी' वेरिएंट (Sea To Sea Varient) का अधिकतम सीमा पर परीक्षण किया गया और इसने सटीक सटीकता के साथ एक जहाज को निशाना बनाया। भारतीय नौसेना का नवीनतम स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक दोहरी उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है: • यह जहाज की युद्ध प्रणाली और आयुध परिसर की सटीकता को प्रमाणित करता है। • यह एक नई क्षमता की पुष्टि करता है जो मिसाइल नौसेना और राष्ट्र को प्रदान करती है **ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में** • ब्रह्मोस, जिसे नौसेना द्वारा अपने युद्धपोतों पर पहली बार 2005 में तैनात किया गया था, रडार क्षितिज से परे समुद्र-आधारित लक्ष्यों को हिट करने की क्षमता रखता है। • यह एक मल्टीप्लेटफॉर्म मिसाइल है यानी इसे ज़मीन, हवा और समुद्र तथा बहु क्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है, जो किसी भी मौसम में दिन और रात में काम करती है। • ब्रह्मोस सबसे तेज़ क्रूजज़ मिसाइलों में से एक है, यह वर्तमान में मैक 2.8 की गति के साथ कार्य करती है, जो कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक है। • इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। • यह दो चरणों वाली (पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट) मिसाइल है। • यह दुनिया की सबसे तेज जहाज रोधी क्रूज मिसाइल है जो वर्तमान में प्रचालन में है। • ब्रह्मोस मिसाइलों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और रूस के माशिनोस्ट्रोयेनिया द्वारा स्थापित एक संयुक्त उद्यम कंपनी ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन (Xenotransplantation)	**प्रसंग :** हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टरों ने एक आनुवंशिक रूप से परिवर्तित सुअर के दिल को एक रोगी में प्रत्यारोपित किया जिसे ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन (जानवरों से मनुष्यों में) के रूप में जाना जाता है। **ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन के बारे में** • ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन (Xenotransplantation) में मानव में अमानवीय (मनुष्य के अलावा किसी अन्य से) ऊतकों या अंगों का प्रत्यारोपण शामिल है। • ऐसी कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों को xenograft या xenotransplants कहा जाता है। • जीन-एडिटिंग से गुज़रने वाले सुअर के दिल का उपयोग उसकी कोशिकाओं में शुगर को हटाने के लिये किया गया है जो उस अंग अस्वीकरण हेतु उत्तरदायी है। • जीनोम एडिटिंग (जिसे जीन एडिटिंग भी कहा जाता है) तकनीकों का एक समूह है जो वैज्ञानिकों को एक जीव के डीऑक्सी-राइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) को बदलने की क्षमता प्रदान करता है। • यह औद्योगीकृत दुनिया के कुछ हिस्सों में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या, अंतिम चरण के अंग विफलता के लिए एक संभावित उपचार प्रदान करता है। • यह कई नवीन चिकित्सा, कानूनी और नैतिक मुद्दों को भी उठाता है।
इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु संशोधित दिशानिर्देश	**संदर्भ:** केंद्र ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु संशोधित दिशानिर्देश और मानदंड जारी किए हैं। • इसका उद्देश्य सुरक्षित, विश्वसनीय, सुलभ और किफायती चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इको-सिस्टम सुनिश्चित

	करके भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने में सक्षम बनाना है। • यह पूरे ईवी इको-सिस्टम को बढ़ावा देकर देश की ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ उत्सर्जन की तीव्रता में कमी को भी सुनिश्चित करेगा। **अन्य संबंधित तथ्य** • इन दिशानिर्देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के व्यक्तिगत मालिकों के लिए प्रावधान शामिल हैं। • मालिक अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का उपयोग करके अपने निवास और कार्यालयों में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकते हैं। • कोई भी व्यक्ति/संस्था बिना लाइसेंस की आवश्यकता के सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। • बशर्ते कि ऐसे स्टेशन ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा समय-समय पर निर्धारित मार्गनिर्देशों के तहत निष्पादन संबंधी मानदंडों तथा प्रोटोकोल के साथ-साथ तकनीकी, सुरक्षा संबंधी मानदंडों/मानकों/विनिर्देशों को पूरा करते हों। • द्योगिकी के अनुकूल चार्जिंग मानक: न केवल बाजार में उपलब्ध प्रचलित अंतरराष्ट्रीय चार्जिंग मानकों के लिए बल्कि नए भारतीय चार्जिंग मानकों के प्रावधान द्वारा मार्गनिर्देशों को और भी अधिक प्रौद्योगिकी के अनुकूल बनाया गया है। • इलेक्ट्रिक वाहनों की वृद्धि होने तक की अवधि में चार्जिंग स्टेशन को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने की चुनौती के समाधान को लेकर, उपयोग की जाने वाली भूमि के लिए एक राजस्व हिस्सेदारी मॉडल रखा गया है। **फेम योजना (FAME scheme)** • यह 2015 में शुरू हुई थी। • यह नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 का एक हिस्सा है। • इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के निर्माण को बढ़ावा देना और उसका सतत विकास सुनिश्चित करना।
वैश्विक साइबर सुरक्षा दृष्टिकोण 2022	**संदर्भ:** विश्व आर्थिक मंच (WEF) के ऑनलाइन दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन (Online Davos Agenda Summit) के दौरान जारी 'वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक 2022' (Global Cybersecurity Outlook 2022) रिपोर्ट जारी की गई। **रिपोर्ट के मुख्य भाग** • महामारी की शुरुआत के साथ डिजिटलीकरण (Digitalization) के बढ़ते चलन के बीच दुनियाभर में साइबर हमलों (Cyber Attacks) की घटनाओं में भी तेजी आई है, साइबर अपराध के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला वर्ष बन गया, तथ्य यह है कि पिछले साल (2021) में दुनियाभर में रैन्समवेयर के हमलों (Ransomware Attacks) में रिकॉर्ड 151 फीसदी की वृद्धि देखने को मिली। • प्रत्येक सफल साइबर उल्लंघन की कीमत पिछले वर्ष एक कंपनी को $3.6 मिलियन (लगभग 27 करोड़ रुपये) थी। • COVID-19 महामारी के दौरान वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ साइबर अपराध में भी वृद्धि हुई। • **रैंसमवेयर:** 80% उत्तरदाताओं ने बलपूर्वक कहा कि रैंसमवेयर सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक खतरनाक एवं बढ़ता हुआ खतरा है।
भारत-श्रीलंका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर 5वीं संयुक्त समिति	**सुर्ख़ियों में:** भारत और श्रीलंका ने अपशिष्ट जल प्रौद्योगिकियों, बायोटेक, टिकाऊ कृषि, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, और कृत्रिम बुद्धि, साथ ही औद्योगिक जैसे नए क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ मौजूदा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को 3 और वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया है। **भारत और श्रीलंका के बीच संबंध**

	• भारत और श्रीलंका के पास 2500 साल से अधिक पुराने बौद्धिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संपर्क तथा संबंधों की एक महान विरासत है। • हाल के दिनों में शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में व्यापार और निवेश और सहयोग बढ़ा है और इस क्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। • सम्राट अशोक के समय श्रीलंका में बौद्ध धर्म का आगमन सीमा-पार प्रवचन का परिणाम था। • श्रीलंका के बौद्ध मंदिरों में आज भी हिंदू देवी-देवताओं के मंदिर हैं। • यूरोपीय समुद्री राष्ट्रों के औपनिवेशिक विस्तार ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को नया रूप दिया। • दक्षिण भारत से श्रम श्रीलंका में बागानों में काम करने के लिए लाया गया था, जिसने स्वतंत्रता के बाद के युग में स्वदेशी समुदायों के साथ तनाव पैदा किया और आज भी जारी है। • भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव श्रीलंका पर भी पड़ा। संस्कृति, परंपरा, स्थानीय भाषाओं, आध्यात्मिक प्रथाओं और दर्शन, और शिक्षा के पुनरुद्धार के लिए सीमा पार समर्थन था। • दोनों देश औपनिवेशिक शासन के तहत संवैधानिक और संस्थागत शासन के साथ आधुनिक राष्ट्रों में परिवर्तित हो गए। • श्रीलंकाई सेना और लिट्टे के बीच लगभग तीन दशक लंबे सशस्त्र संघर्ष मई 2009 में समाप्त हो गया। इस संघर्ष के दौरान, भारत ने श्रीलंकाई सरकार के अधिकार का समर्थन किया।
'अमर जवान ज्योति' का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय हुआ	**संदर्भ:** प्रतिष्ठित अमर जवान ज्योति, जिसका उद्घाटन 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के बाद किया गया था, को हाल ही में विलय कर दिया गया। • इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के साथ मिला दिया गया। • भारतीय प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट के चारों ओर प्रतीकवाद का पुनर्गठन करते हुए सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा के निर्माण की भी घोषणा की। **क्या आप जानते हैं?** • राष्ट्रीय समर स्मारक या युद्ध स्मारक भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली के इंडिया गेट के आसपास के क्षेत्र में अपने सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया एक स्मारक है। • यह इंडिया गेट, नई दिल्ली में स्थित है।

आर्क डी ट्रायम्फ स्मारक	**संदर्भ :** राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन के दक्षिणपंथी विरोधियों द्वारा उन पर फ्रांसीसी पहचान को "मिटाने" का आरोप लगाने के बाद, फ्रांसीसी अधिकारियों ने पेरिस में आर्क डी ट्रायम्फ स्मारक से यूरोपीय संघ के ध्वज की एक अस्थायी स्थापना को हटा दिया। **अन्य संबंधित तथ्य** • नए साल की पूर्व संध्या पर, यूरोपीय संघ परिषद के घूर्णन अध्यक्ष के रूप में फ्रांस की बारी का सम्मान करने के लिए फ्रांसीसी ध्वज के स्थान पर बड़ा नीला झंडा फहराया गया था। • द आर्क डी ट्रायम्फ डे ल'एटोइल ('ट्रायम्फल आर्क ऑफ द स्टार') पेरिस, फ्रांस में सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। • यह उन लोगों का सम्मान करता है जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी और नेपोलियन युद्धों में फ्रांस के लिए लड़े और मारे गए, इसकी आंतरिक और बाहरी सतहों पर सभी फ्रांसीसी जीत और जनरलों के नाम अंकित हैं। • मेहराब, युद्ध में मारे गए लोगों का स्मारक, और एफिल टॉवर और पैन्थियन जैसे अन्य स्मारकों को नीली रोशनी से रोशन किया गया।
पैंगोंग त्सो झील (Pangong Tso Lake)	**संदर्भ :** चीन पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो (झील) के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ने वाले एक पुल का निर्माण कर रहा है, जिससे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के लिए दोनों क्षेत्रों के बीच सैनिकों और उपकरणों को स्थानांतरित करने में लगने वाले समय में काफी कमी आएगी। यह पुल चीन के क्षेत्र में है और भारतीय सेना को अपनी परिचालन योजनाओं में इसे शामिल करना होगा। **झील के बारे में** • लद्दाखी भाषा में पैंगोंग का अर्थ है समीपता और तिब्बती भाषा में त्सो का अर्थ है झील। • पैंगोंग त्सो या पैंगोंग झील पूर्वी लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में फैली एक एंडोर्फिक (लैंडलॉक) झील है। • इसे पांच उप-झीलों में बांटा गया है, जिन्हें पैंगोंग त्सो, त्सो नायक, रम त्सो (जुड़वां झील) और नायक त्सो कहा जाता है। • इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के मध्य से गुज़रती है। • शीत ऋतु में जमने के बाद इस खारे पानी की झील में आइस स्केटिंग और पोलो खेला जाता हैं | खारे पानी के कारण इसमें जलीय जीवन अनुकूल नहीं है लेकिन यह कई प्रवासी पक्षियों के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। • इसमें एक छोटे से ऊंचे रिज द्वारा सिंधु नदी के बेसिन से अलग एक भूमि-बंद बेसिन है, लेकिन माना जाता है कि यह प्रागैतिहासिक काल में उत्तरार्द्ध का हिस्सा रहा है।
परमाणु हथियार (Nuclear Weapons)	**संदर्भ:** पांच वैश्विक परमाणु शक्तियों ने इस साल के अंत में एक प्रमुख परमाणु संधि की समीक्षा से पहले एक दुर्लभ संयुक्त बयान में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु संघर्ष से बचने का संकल्प लिया। **अन्य संबंधित तथ्य** • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों - चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यू.एस. ने कहा है कि इस तरह के हथियारों के प्रसार को रोका जाना चाहिए। • परमाणु हथियारों के अप्रसार संधि (एनपीटी) की नवीनतम समीक्षा के बाद बयान जारी किया गया था, जो पहली बार 1970 में लागू हुआ था। • यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव उस ऊंचाई पर पहुंच गया है जो शीत युद्ध के बाद से शायद ही कभी देखा गया हो, मास्को द्वारा यूक्रेन की सीमा के पास एक सैन्य टुकड़ी का निर्माण किया गया था। • इससे यह आशंका बढ़ गई है कि रूस अपने पश्चिमी समर्थक पड़ोसी पर एक नए हमले की योजना बना रहा है। • इस बीच चीन के उदय ने यह चिंता भी बढ़ा दी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तनाव विशेष रूप से ताइवान द्वीप पर संघर्ष का कारण बन सकता है।
मुक्त व्यापार समझौता (FTA)	**संदर्भ:** हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा है कि भारत 5 देशों - यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इज़राइल के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करना चाहता है।

	एक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) क्या है?
	• एफटीए, जिसे क्षेत्रीय व्यापार समझौता (आरटीए) भी कहा जाता है, यह दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने के लिए एक समझौता है।
	• एक मुक्त व्यापार नीति के तहत, वस्तुओं और सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा और बेचा जा सकता है, जिसमें उनके विनिमय को बाधित करने के लिए बहुत कम या कोई सरकारी शुल्क, कोटा, सब्सिडी या निषेध नहीं है।
	• मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद के विपरीत है।
	• एफटीए शामिल राष्ट्रों के एक औपचारिक और आपसी समझौते के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
	• हालांकि, एक मुक्त व्यापार नीति केवल किसी भी व्यापार प्रतिबंध की अनुपस्थिति हो सकती है।
	• व्यापार समझौते दो प्रकार के होते हैं - द्विपक्षीय और बहुपक्षीय।
	  ○ एफटीए एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते का एक उदाहरण है।
	  ○ बहुपक्षीय व्यापार समझौते तीन या अधिक देशों के बीच समझौते हैं, इसमें बातचीत और सहमत होना सबसे कठिन रहता है।
	• एफटीए उन शुल्कों और कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं जो देश व्यापार बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लक्ष्य के साथ आयात और निर्यात पर लगाते हैं, इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं।

त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म	**संदर्भ:** श्रीलंका में एक रणनीतिक परियोजना में एक प्रमुख मील का पत्थर चिह्नित करते हुए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की सहायक लंका आईओसी, सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और श्रीलंका सरकार ने पूर्वी श्रीलंका में त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए तीन पट्टा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। **अन्य सम्बंधित तथ्य** • यह कदम 1987 के भारत-लंका समझौते के समय से चर्चा की गई परियोजना में भारत की भूमिका को मजबूत करता है। • यह त्रिंकोमाली के गहरे पानी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के करीब 'चाइना बे' में स्थित है। • इसमें 99 भंडारण टैंक शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 12,000 किलोलीटर है, जो लोअर टैंक फार्म और अपर टैंक फार्म में फैले हुए हैं। • त्रिंकोमाली में 3.7 लाख मुस्लिम, तमिल और सिंहली है। • श्रीलंका के युद्ध के बाद के वर्षों में, यह दुनिया भर के सर्फर्स के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है, जो धीरे-धीरे अपने तट पर आलीशान रिसॉर्ट्स और रेस्तरां के साथ बदल रहा है। • साथ ही, अपने बेहतरीन प्राकृतिक बंदरगाह और महत्वपूर्ण स्थान के साथ, त्रिंकोमाली अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों के लिए एक संभावित पारगमन बिंदु के रूप में सुर्खियों में बना हुआ है, यह विशेष रूप से भारत को आकर्षित करता है जो वहां रणनीतिक हितों को जानता है।
सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (CSTO)	**संदर्भ :** मॉस्को के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने कजाकिस्तान में बढ़ती अशांति को शांत करने में मदद करने के लिए सैनिकों को भेजा क्योंकि पुलिस ने कहा कि दर्जनों लोग सरकारी इमारतों पर हमला करने की कोशिश में मारे गए। **पृष्ठभूमि** • ईंधन की बढ़ती कीमतों पर व्यापक अशांति के रूप में बढ़ रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद दशकों में ऊर्जा संपन्न कजाकिस्तान अपने सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है। • कजाकिस्तान को मध्य एशिया के पूर्व सोवियत गणराज्यों में सबसे स्थिर माना गया है। • कजाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-ज़ोमार्ट टोकायव ने विरोध से निपटने में मदद करने के लिए सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (CSTO) से सहायता मांगी है। **क्या आप जानते हैं?** • सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (Collective Security Treaty Organization - CSTO) यूरेशिया में एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। • **सदस्यता:** आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान।

	• इसका मुख्यालय मास्को, रूस में है।
पहला कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन	**सुर्ख़ियों में :** पिछले महीने नवंबर, 2021 के मध्य भारत, मालदीव और श्रीलंका की प्रमुख समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच पहला 'कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन केंद्रित ऑपरेशन' आयोजन किया गया। **अन्य संबंधित तथ्य** • **द्वारा होस्ट किया गया:** राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर (गुजरात) और कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सचिवालय के सहयोग से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस)। • भारतीय नौसेना, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल और श्रीलंकाई नौसेना के जहाज और विमानों ने दक्षिणी अरब सागर में तीनों देशों के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों के बड़े इलाके में इस ऑपरेशन में भाग लिया। • सदस्यों और पर्यवेक्षक राज्यों ने सहयोग के चार स्तंभों पर सहमति व्यक्त की थी o समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा, o आतंकवाद और कट्टरपंथ, o तस्करी और संगठित अपराध तथा साइबर सुरक्षा और o महत्वपूर्ण अवसंरचना का संरक्षण। **कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन क्या है?** • कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की स्थापना का निर्णय नवंबर 2020 में हिंद महासागर के तीन देशों के बीच समुद्री और सुरक्षा मामलों पर घनिष्ठ सहयोग बनाने के लिए भारत, श्रीलंका और मालदीव की एनएसए-स्तरीय बैठक में लिया गया था। • 'कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन' नाम से एक त्रिपक्षीय बैठक का प्रथम विचार श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे द्वारा सर्वप्रथम 2011 में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता के दौरान दिया गया था।
भारत का पासपोर्ट रैंक 90 से सुधरकर 83 हुआ	**संदर्भ:** हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने 2022 की पहली तिमाही के लिए पासपोर्ट रैंकिंग जारी की, और भारत के पासपोर्ट में 2021 की तुलना में अपनी रैंक में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। • वर्ष 2022 में जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट फिर से दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में उभरे हैं जबकि इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है। • भारतीय पासपोर्ट अब 83वें स्थान पर है, जो पिछले साल 90वें स्थान से सात स्थान ऊपर चढ़ गया था। • वर्ष 2022 में, भारत का पासपोर्ट युगांडा और रवांडा के बाद मध्य अफ्रीका में साओ टोम और प्रिंसिपे के साथ रैंकिंग साझा करता है। **क्या आप जानते हैं?** • हेनले पासपोर्ट इंडेक्स या एचपीआई अपने सामान्य पासपोर्ट धारकों के यात्रा स्वतंत्रता के अनुसार दुनिया भर के देशों की वैश्विक रैंकिंग है। • यह दुनिया के 199 पासपोर्टों के लिए रैंकिंग प्रदान करता है, जिनके धारक वीजा-मुक्त यात्रा कर सकते हैं। रैंकिंग जितनी मजबूत होगी, विभिन्न देशों में उतनी ही अधिक वीजा-मुक्त यात्राओं की अनुमति होगी। • 2005 के बाद से, एचपीआई ने दुनिया के पासपोर्टों को उन गंतव्यों की संख्या के अनुसार स्थान दिया है जहां उनके धारक बिना पूर्व वीजा के पहुंच सकते हैं। रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों पर आधारित है। **बढ़ती असमानता** • भारत के पास अब आर्मेनिया और ओमान के साथ दुनिया भर में 60 गंतव्यों के लिए वीजा-मुक्त पहुंच है। 2006 से देश ने 35 और गंतव्य जोड़े हैं। • समग्र वृद्धि वैश्विक उत्तर के देशों और दक्षिण के देशों के बीच बढ़ती असमानता को दर्शाती है।
चीन-ईरान समझौता	**संदर्भ :** चीन दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ईरान के साथ एक रणनीतिक समझौते को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन ने ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंधों के विरोध की भी पुष्टि की। **अन्य संबंधित तथ्य** • चीन और ईरान ने ऊर्जा, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और संचार सहित क्षेत्रों में फैले व्यापक साझेदारी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए।

	• चीन ईरान का प्रमुख व्यापार भागीदार है और तत्कालीन यू.एस. से पहले देश के तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2018 में व्यापक एकतरफा प्रतिबंधों को फिर से लागू किया। • चीन ने आधिकारिक तौर पर ईरान से तेल का आयात करना बंद कर दिया है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि ईरानी कच्चे तेल का अन्य देशों से आयात के वेश में देश में प्रवेश जारी है। **वियना वार्ता** • यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान के परमाणु हथियारों के विकास को रोकने के लिए एक संभावित समझौते पर वियना में बातचीत जारी है। • ईरान, यू.एस., चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी द्वारा सहमत 2015 के एक समझौते ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंधों के बदले इसमें राहत की पेशकश की। • लेकिन यू.एस. 2018 में समझौते से हट गया, और कड़े प्रतिबंधों को फिर से लागू किया तथा ईरान को अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने के लिए प्रेरित किया।
आईएनएस रणवीर (INS Ranvir)	**संदर्भ:** भारतीय नौसेना के मुंबई स्थित डॉकयार्ड पर आईएनएस रणवीर में एक धमाके में नौसेना के तीन कर्मी मारे गए और 11 घायल हो गए। • आईएनएस रणवीर नवंबर 2021 से पूर्वी नौसेना कमान से क्रॉस-कोस्ट ऑपरेशनल तैनाती पर था और जल्द ही अपने बेस पोर्ट पर लौटने वाला था। • INS रणवीर भारतीय नौसेना का राजपूत श्रेणी के 5 विध्वंसकों में से चौथा है. इसे 36 साल पहले 28 अक्टूबर 1986 को नौसेना में शामिल किया गया था। • इस विध्वंसक जहाज की लंबाई 147 मीटर (482 फीट) है, इसकी स्पीड 35 समुद्री मील (65 किमी/ घंटा) है । इसे 35 अधिकारियों सहित 310 नाविकों के एक दल द्वारा संचालित किया जाता है।
हरित ईंधन पर भारत-डेनमार्क सहयोग	**संदर्भ:** भारत-डेनमार्क संयुक्त समिति ने दोनों देशों के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) में राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकताओं और विकास पर चर्चा की, जिसमें हरित अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में निवेश के लिए भविष्य की रणनीति पर विशेष ध्यान दिया गया। वर्चुअल बैठक 14 जनवरी को हुई थी। **अन्य संबंधित तथ्य** • इस समझौते के अलावा, भारत-डेनमार्क संयुक्त समिति ने दोनों देशों में राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकताओं और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के विकास पर चर्चा की। • वर्चुअल मीटिंग में भविष्य के हरित समाधानों पर विशेष ध्यान दिया गया - हरित अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में निवेश की रणनीति। • समिति ने मिशन-संचालित अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी के विकास में द्विपक्षीय सहयोग पर जोर दिया, जिसमें जलवायु और हरित संक्रमण, ऊर्जा, पानी, अपशिष्ट, भोजन, आदि शामिल हैं, जैसा कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप- कार्य योजना 2020-2025 को अपनाते हुए सहमति व्यक्त की थी।
भारत-इज़राइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष (I4F)	**संदर्भ:** भारत और इजराइल के विशेषज्ञों ने अपनी 8वीं प्रबंध निकाय की बैठक में 'भारत-इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी नवाचार कोष (India-Israel Industrial R&D and Technological Innovation Fund: I4F) के दायरे को व्यापक बनाने के बारे में विचार-विमर्श किया। **अन्य संबंधित तथ्य** • उन्होंने 5.5 मिलियन डॉलर की 3 संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी और एक व्यापक भारत-इजरायल सहयोगी इकोसिस्टम का सृजन करने के उपायों का सुझाव दिया। • भारत-इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष (I4F), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), भारत सरकार और इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी, इजराइल सरकार के बीच एक सहयोग है। • इसका उद्देश्य सहमति प्राप्त क्षेत्रों में चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत और इजराइल की कंपनियों के बीच संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देना, सुविधा प्रदान करना और समर्थन करना है। • ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एलायंस (GITA) को भारत में I4F कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी इजराइल में कार्यान्वयन एजेंसी है।

मॉरीशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना	**भाग :** मेन्स जीएस -2: भारत और उसके पड़ोस **ख़बरों में:** संबंधित देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से मॉरीशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया। ● इस परियोजना को भारत और मॉरीशस के बीच जीवंत विकास साझेदारी के तहत कार्यान्वित किया गया है। ● दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विकास समर्थन के हिस्से के रूप में शुरू की गई दो अन्य परियोजनाओं की नींव भी रखी - ○ अत्याधुनिक सिविल सर्विस कॉलेज का निर्माण ○ 8 मेगावाट सोलर पीवी फार्म ● दो प्रमुख द्विपक्षीय समझौतों का आदान-प्रदान शामिल है: ○ मेट्रो एक्सप्रेस और अन्य बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये भारत द्वारा मॉरीशस को 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट के विस्तार हेतु समझौता। ○ लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर समझौता ज्ञापन। **भारत और मॉरीशस के बीच संबंध** ● कोविड -19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, भारत-मॉरीशस विकास भागीदारी परियोजनाओं में तेजी से प्रगति हुई है। ● भारत और मॉरीशस हमारे साझा इतिहास, वंश, संस्कृति और भाषा में घनिष्ठ संबंध साझा करते हैं। यह हमारे दोनों देशों के बीच विशेषाधिकार प्राप्त विकास साझेदारी में परिलक्षित होता है, जिसमें मॉरीशस हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के लिए एक प्रमुख विकास भागीदार है। ● भारत ने मई 2016 में मॉरीशस सरकार को विशेष आर्थिक पैकेज (एसईपी) के रूप में 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया था, ताकि मॉरीशस सरकार द्वारा पहचानी गई पांच प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को निष्पादित किया जा सके। ● ये थे: मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, नया ईएनटी अस्पताल, प्राथमिक स्कूली बच्चों को डिजिटल टैबलेट की आपूर्ति, और सामाजिक आवास परियोजना। ● सामाजिक आवास परियोजना के उद्घाटन के साथ, एसईपी के तहत सभी हाई प्रोफाइल परियोजनाओं को लागू किया गया है।
प्रथम भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन	**संदर्भ:** हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने आभासी प्रारूप में पहले भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसमें कज़ाखस्तान गणराज्य, किर्गिज़ गणराज्य, ताजिकिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपतियों ने भाग लिया। **अन्य संबंधित तथ्य** ● फोकस के प्रमुख क्षेत्र: o व्यापार और कनेक्टिविटी o विकास साझेदारी का निर्माण o सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना, ● अनेक वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रम भी चर्चाओं का एक बड़ा हिस्सा होंगे।

	• भारत और इस क्षेत्र के बीच व्यापार बढ़ाने के तरीके भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं। • भारत चाबहार पर ईरान और उज्बेकिस्तान के साथ अपने त्रिपक्षीय कार्यकारी समूह का निर्माण करने की उम्मीद करता है ताकि इस क्षेत्र से संपर्क को मजबूत किया जा सके। **मध्य एशिया** • मध्य एशिया एशिया का एक क्षेत्र है जो पश्चिम में कैस्पियन सागर से लेकर पूर्व में चीन और मंगोलिया तक और दक्षिण में अफगानिस्तान तथा ईरान से लेकर उत्तर में रूस तक फैला हुआ है। • इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान के पूर्व सोवियत गणराज्य शामिल हैं। • शीत युद्ध के पश्चात् वर्ष 1991 में USSR के पतन के बाद सभी पाँच राष्ट्र स्वतंत्र राज्य बन गए।
भारत-ओमान रक्षा संबंध	**संदर्भ:** ओमान के शीर्ष रक्षा अधिकारी मोहम्मद नासिर अल ज़ाबी, भारतीय रक्षा सचिव के साथ संयुक्त सैन्य सहयोग समिति (Joint Military Cooperation Committee-JMMC) की सह-अध्यक्षता करने के लिए दिल्ली के आधिकारिक दौरे पर हैं। **अन्य संबंधित तथ्य** • जेएमसीसी रक्षा के क्षेत्र में भारत और ओमान के बीच जुड़ाव का सर्वोच्च मंच है जो दोनों पक्षों के बीच रक्षा आदान-प्रदान के समग्र ढांचे का मूल्यांकन और मार्गदर्शन प्रदान करता है। • जेएमसीसी की सालाना बैठक होने की उम्मीद है, लेकिन 2018 के बाद से इसका आयोजन नहीं किया जा सका जब ओमान में 9वीं जेएमसीसी की बैठक हुई थी। **ओमान रक्षा, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है?** • ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का सबसे करीबी रक्षा भागीदार है और भारत के रक्षा और सामरिक हितों के लिए एक महत्वपूर्ण लंगर है। • भारत-ओमान रणनीतिक साझेदारी के लिए रक्षा सहयोग एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है। रक्षा आदान-प्रदान एक फ्रेमवर्क एमओयू द्वारा निर्देशित होते हैं जिसे हाल ही में 2021 में नवीनीकृत किया गया था। • ओमान खाड़ी क्षेत्र का एकमात्र देश है जिसके साथ भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेवाएं नियमित रूप से द्विपक्षीय अभ्यास और स्टाफ वार्ता आयोजित करती हैं। • ओमान समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए अरब सागर में भारतीय नौसेना की तैनाती को महत्वपूर्ण परिचालन सहायता भी प्रदान करता है। • ओमान हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। • हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों के बीच द्विवार्षिक बैठकों की एक श्रृंखला है। ○ यह समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने, क्षेत्रीय समुद्री मुद्दों पर चर्चा करने और सदस्य देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है

विविध

ख़बरों में स्थान: हॉर्न ऑफ अफ्रीका	**संदर्भ :** चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए एक विशेष दूत नियुक्त करेगा, जो चीन के संघर्षग्रस्त क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभाने का संकेत देता है। **हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका या HOA** ● यह अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित एक प्रायद्वीप है। ● हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका अरब सागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है और अदन की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यह अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे पूर्वी विस्तार है। ● प्राचीन और मध्ययुगीन काल में, इस क्षेत्र को बिलाद अल बारबार कहा जाता था जिसका अर्थ है बर्बरों की भूमि। ● हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका में सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती जैसे देश स्थित हैं।
भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय: हैदराबाद	**ख़बरों में :** केंद्रीय राज्य मंत्री ने हैदराबाद में भारत का पहला अनूठा 'रॉक' संग्रहालय उद्घाटन किया। ● हैदराबाद में ओपन रॉक संग्रहालय की स्थापना कई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में जनता को शिक्षित और प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से की गई है। ● इस संग्रहालय में चट्टानों की आयु 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर लगभग 55 मिलियन वर्ष तक है। ● ओपन रॉक संग्रहालय भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित करता है। ● ये चट्टानें पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, जो पृथ्वी की सतह से 175 किमी की दूरी तक है। ● संग्रहालय में प्रदर्शित चट्टानों को ओडिशा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और अन्य से प्राप्त किया गया है। ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं के युग में 'बिग अर्थ डेटा' रणनीतिक उच्च आधार पर है और भारत इस नए क्षेत्र का पूरी तरह से दोहन कर रहा है जो आगे पृथ्वी विज्ञान की प्रगति में योगदान देगा।
वीर बाल दिवस	● सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की जयंती पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि इस साल से अगले प्रत्येक 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' मनाया जाएगा। ● आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे भारत के लोग 10वें गुरु गोबिंद सिंह के छोटे बेटों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को सिख धर्म की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए 26 दिसंबर 1705 को क्रमशः नौ और छह साल की उम्र में उनके सर्वोच्च और अद्वितीय बलिदान के लिए सलाम करते हैं।
तिरुवल्लुवर दिवस: 15 जनवरी	● तिरुवल्लुवर जिन्हें वल्लुवर भी कहा जाता है, एक तमिल कवि-संत थे। ● उनके द्वारा संगम साहित्य में तिरुक्कुरल या 'कुराल' (Tirukkural or 'Kural') की रचना की गई थी। ● तिरुक्कुरल की तुलना विश्व के प्रमुख धर्मों की महान पुस्तकों से की गई है। ● कन्याकुमारी में मूर्ति
पद्म पुरस्कार विजेता शांति देवी	● गरीबों और वंचितों की आवाज के रूप में जानी जाती हैं। ● उन्होंने दुखों को दूर करने और एक स्वस्थ और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया। ● उन्होंने माओवादी प्रभावित रायगड़ा क्षेत्र में आदिवासी लड़कियों की शिक्षा और उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित करते हुए लगभग छह दशकों तक गरीबों की सेवा की।
राफेल नडाल	● स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने 21वां ग्रैंड स्लैम जीतकर इतिहास रच दिया। ● नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फ़ाइनल में दो सेट से पिछड़ने के बाद भी रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया। ● टेनिस एक रैकेट खेल है जिसे व्यक्तिगत रूप से एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ या दो खिलाड़ियों की दो टीमों के बीच खेला जाता है ● संगठित टेनिस खेल के विश्व शासी निकाय, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आईटीएफ) द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार खेला जाता है।

राज्यव्यवस्था और शासन

महिला नेतृत्व

प्रसंग: राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की टिप्पणियों के बाद लड़कियों के विवाह की कानूनी आयु (Legal Age of Marriage) को 18 से 21 वर्ष तक बढ़ाने के विधेयक की जांच करने वाले संसदीय पैनल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की कमी जांच के दायरे में आ गई।

- यह दर्शाता है कि प्रमुख राजनीतिक भूमिकाओं में महिलाओं की प्रभावकारिता के बारे में पूर्वाग्रहों को व्यवस्थित रूप से समाप्त करने की आवश्यकता है।

जर्मनी, ताइवान और न्यूजीलैंड में क्या समानता है?

- इन सभी देशों में जहां महिलाएं अपनी सरकारों का नेतृत्व कर रही हैं।
- यद्यपि वे तीन अलग-अलग महाद्वीपों में स्थित हैं, ऐसा लगता है कि तीनों देशों ने अपने पड़ोसियों की तुलना में महामारी का बेहतर प्रबंधन किया है।
- इसी तर्ज पर बहुत कुछ, संयुक्त राज्य अमेरिका में शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किए गए एक विस्तृत अध्ययन में बताया गया है कि जिन राज्यों में महिला राज्यपाल हैं, उनमें COVID-19 से संबंधित मौतों की संख्या कम है, इसलिए कि महिला राज्यपालों ने घर में रहने के आदेश जारी करके ज्यादा निर्णायक रूप से कार्य किया।
- हालांकि, डेटा में कमियों की ओर इशारा करके आलोचना की गई थी, माना जाता है कि कुछ हद तक सीमित - या विश्लेषण की अर्थमितीय कठोरता है। कई लोग यह भी कहेंगे कि एक अध्ययन के आधार पर व्यापक सामान्यीकरण करना सही नहीं है।

इस तरह के अध्ययनों से महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है?

- व्यापक सामान्यीकरण करने के खतरे के बारे में बात सही है। बेशक, इस तरह के अध्ययन अपने पुरुष समकक्षों पर सभी महिला नेताओं की श्रेष्ठता स्थापित नहीं करते हैं।
- सभी महिला नेता आवश्यक रूप से कुशल नहीं हैं, और ऐसे कई पुरुष हैं जो सबसे प्रभावी और करिश्माई नेता साबित हुए हैं।
- हाल के अनुभव और इस तरह के अध्ययनों से महत्वपूर्ण निष्कर्ष नेतृत्व की भूमिकाओं में महिला प्रभावशीलता के बारे में निहित पूर्वाग्रहों और धारणाओं से छुटकारा पाने की आवश्यकता है।

भारत की ग्राम पंचायतों का अनुभव कैसा है?

- महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला नेता भी कुछ अलग पेश करती हैं। विशेष रूप से, वे महिलाओं के हितों को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करने में पुरुषों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
- यह नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्लो और सह-लेखक राघबेंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन में प्रदर्शित किया गया, जिन्होंने महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए ग्राम पंचायतों में प्रधानों के अनिवार्य आरक्षण की प्रणाली का इस्तेमाल किया।
- उनका अध्ययन भारतीय संविधान के 1993 के संशोधन द्वारा संभव बनाया गया था, जिसमें यह अनिवार्य था कि सभी राज्यों को प्रधान के पदों का एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करना होगा।
- चट्टोपाध्याय और डुफ्लो ने निष्कर्ष निकाला कि प्रधानों ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश किया जो उनके अपने लैंगिक (gender) की बेहतर जरूरतों को पूरा करता था। उदाहरण के लिए, महिला प्रधानों के पीने के पानी तक आसान पहुंच प्रदान करने में निवेश करने की अधिक संभावना थी क्योंकि पीने के पानी का संग्रह मुख्य रूप से महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है।
- सार्वजनिक नीति में महिलाओं के लिए अधिक स्थान को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण महत्व के अलावा, यह लैंगिक समानता के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

मताधिकार और भागीदारी के साथ क्या स्थिति है?

- मतदान का अधिकार यकीनन सार्वजनिक जीवन में भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है।
- जहां तक महिलाओं के मताधिकार का संबंध है, स्वतंत्र भारत को अपनी उपलब्धि पर गर्व होना चाहिए। महिलाओं को

	वर्ष 1950 के बाद से वोट देने की अनुमति दी गई और वर्ष 1951-52 के पहले आम चुनाव से पुरुषों के साथ समान स्तर पर भाग ले सकते थे। यह पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के तथाकथित "परिपक्व लोकतंत्रों" के अनुभव के विपरीत है। ○ यू.एस. में, 1920 में महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने से पहले कई दशकों तक संघर्ष करना पड़ा। ○ यूरोप के अधिकांश देशों ने भी अंतर-युद्ध काल के दौरान सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त किया। • चूंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अधिकांश सक्षम पुरुष युद्ध के मैदान में चले गए थे, इसलिए महिलाओं की बढ़ती संख्या के पास यह दिखाने का अवसर था कि वे उन गतिविधियों में पर्याप्त विकल्प थीं जो पहले पुरुषों के लिए एकमात्र संरक्षण थीं। यह सुझाव दिया गया है, यह महिला विरोधी पूर्वाग्रह को कम करता है और यूरोपीय देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार अर्जित करता है। • केंद्र में वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार में महिला प्रतिनिधित्व शायद भारतीय केंद्र और राज्य सरकारों में विशिष्ट लिंग संरचना से बहुत दूर नहीं है। महिला सदस्यों की संख्या कुल मंत्री पद की संख्या का केवल 10% है। ○ भारत में महिला मंत्रियों का कम प्रतिनिधित्व इस तथ्य में भी परिलक्षित होता है कि सुश्री ममता बनर्जी वर्तमान में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं। • भारतीय विधायिकाओं में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व और भी अधिक चौंकाने वाला है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2019 के चुनाव ने लोकसभा में सबसे अधिक संख्या में महिलाओं को भेजा। इसके बावजूद, महिलाएं लोकसभा की कुल संख्या का केवल 14% से अधिक हैं। ○ टाइनी रवांडा अपने निचले सदन में महिलाओं के कब्जे वाली 60% सीटों के साथ शीर्ष पर है। • महिला आरक्षण विधेयक के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कोटा बढ़ाने का भी प्रयास किया गया है। ○ विधेयक को सबसे पहले वर्ष 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा सरकार द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। कई पार्टियों के पुरुष सदस्यों ने कई तरीके से विधेयक का विरोध किया। ○ इसके बाद, एनडीए और यूपीए सरकारों ने लगातार संसदों में विधेयक को फिर से पेश किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। • हालांकि, वर्ष 2010 में राज्यसभा ने विधेयक पारित किया था, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं ने अभी तक अपनी मंजूरी नहीं दी है बीते 24 साल के बावजूद इसे पहली बार लोकसभा में पेश किया गया था। **पूर्वाग्रह को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए?** • बेशक, समस्या का एक सरल समाधान है। • एनडीए और यूपीए गठबंधन के प्रमुख दल घटक महिलाओं के लिए पार्टी के नामांकन का एक तिहाई आरक्षित करके संसद में गतिरोध को दूर कर सकते हैं। • इसका परिणाम निश्चित रूप से विधानसभाओं और बाद में मंत्रिमंडलों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि होगी। • इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि नीति निर्माण में महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि नेतृत्व की भूमिकाओं में महिला प्रभावशीलता के बारे में धारणाओं को बेहतर बनाने में एक लंबा रास्ता तय करती है। • इससे महिला उम्मीदवारों के प्रति मतदाताओं में पूर्वाग्रह कम होता है, और इसके परिणामस्वरूप महिला राजनेताओं के चुनाव लड़ने और जीतने के प्रतिशत में वृद्धि होती है। • इसलिए, ऐसे कोटा का अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह का प्रभाव होता है। • वास्तव में, महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता के बारे में मतदाताओं की धारणा लंबे समय में इतनी तेजी से बदल सकती है कि अब कोटा की आवश्यकता नहीं रह सकती है!
द्वेषपूर्ण भाषण (Hate Speech)	**संदर्भ:** हाल ही में उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित एक धार्मिक सम्मेलन में हिंदुत्व के समर्थकों, उनमें से कई धार्मिक संगठनों के नेताओं द्वारा भड़काऊ औरनफरत भरे भाषण (हेट स्पीच) दिए गए। • रिपोर्टों में कहा गया है कि कई वक्ताओं ने मुसलमानों के खिलाफ संगठित हिंसा का आह्वान किया और म्यांमार जैसे 'सफाई अभियान' का संकेत दिया।

	• राजनीतिक दलों और संबंधित नागरिकों ने इन्हें 'अभद्र भाषा' करार दिया है और नफरत और हिंसा के प्रचार-प्रसार में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। **'अभद्र भाषा' क्या है?** • 'अभद्र भाषा' की कोई विशिष्ट कानूनी परिभाषा नहीं है। • कानून में प्रावधान भाषणों, लेखन, कार्यों, संकेतों और अभ्यावेदन को अपराध मानते हैं जो हिंसा को भड़काते हैं और समुदायों तथा समूहों के बीच वैमनस्य फैलाते हैं और इन्हें 'अभद्र भाषा' के रूप में समझा जाता है। • भारत के विधि आयोग ने अपनी 267वीं रिपोर्ट में कहा है: "अभद्र भाषा आम तौर पर नस्ल, जातीयता, लिंग, यौन अभिविन्यास, धार्मिक विश्वास और इसी तरह के संदर्भ में परिभाषित व्यक्तियों के समूह के खिलाफ घृणा के लिए एक उत्तेजना है, इस प्रकार, अभद्र भाषा किसी भी शब्द को लिखा या बोला गया, किसी व्यक्ति की सुनने या देखने के भीतर भय या अलार्म, या हिंसा के लिए उकसाने के इरादे से दृश्य प्रतिनिधित्व है। " • सामान्य तौर पर, अभद्र भाषा को मुक्त भाषण पर एक सीमा माना जाता है जो किसी व्यक्ति या समूह या समाज के वर्ग को घृणा, हिंसा, उपहास या अपमान के लिए उजागर करने वाले भाषण को रोकने या प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। **भारतीय कानून में इसका सुधार कैसे किया जाता है?** • भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 505 को आम तौर पर मुख्य दंडात्मक प्रावधानों के रूप में लिया जाता है जो भड़काऊ भाषणों और अभिव्यक्तियों से निपटते हैं जो 'अभद्र भाषा' को दंडित करने का प्रयास करते हैं। • धारा 153A के तहत, 'धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना', तीन साल के कारावास से दंडनीय अपराध है। यदि पूजा स्थल, या धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोहों में लगी सभा में प्रतिबद्ध है तो यह पांच साल की अवधि तक हो सकता है। • आईपीसी की धारा 505 इसे "सार्वजनिक शरारत के लिए योगदान देने वाले बयान" बनाने के लिए अपराध बनाती है। उप-धारा (3) के तहत, वही अपराध पांच साल की जेल की सजा हो सकती है, यदि यह पूजा स्थल में, या धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोहों में लगी किसी सभा में होता है। **विधि आयोग ने क्या प्रस्ताव रखा है?** • विधि आयोग ने प्रस्तावित किया है कि भड़काऊ कृत्यों और भाषणों से संबंधित मौजूदा धाराओं में शामिल किए जाने के बजाय विशेष रूप से घृणास्पद भाषण को अपराधी बनाने के लिए आईपीसी में अलग-अलग अपराध जोड़े जाएं। • इसने प्रस्ताव किया है कि दो नई धाराएं, धारा 153C और धारा 505A जुड़े। • इसके मसौदे में कहा गया है कि धारा 153सी को इसे अपराध बनाना चाहिए यदि कोई (a) भय पैदा करने के इरादे से गंभीर रूप से धमकी भरे शब्दों, बोले या लिखित या संकेत या दृश्य प्रतिनिधित्व का उपयोग करता है; या (b) धर्म, नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, यौन अभिविन्यास, जन्म स्थान, निवास, भाषा, विकलांगता या जनजाति के आधार पर हिंसा को बढ़ावा देने वाली घृणा की सिफारिश करता है। इसके लिए दो साल की जेल और/या ₹5,000 का जुर्माना या दोनों प्रस्तावित है। • धारा 505ए के लिए इसके मसौदे में किसी व्यक्ति की सुनने या देखने के अंदर शब्दों, या लेखन या संकेतों के प्रदर्शन को अपराधीकरण करने का प्रस्ताव है, जो डर या अलार्म का कारण बनता है या उसके खिलाफ गैरकानूनी हिंसा के उपयोग को भड़काने के इरादे से व्यक्ति या कोई अन्य "। इसमें एक साल तक की जेल और/या ₹5,000 तक के जुर्माने या दोनों का प्रस्ताव है। • नस्लीय भेदभाव या अभद्र भाषा को बढ़ावा देने वाले कृत्यों और बयानों को दंडित करने के लिए आईपीसी में धाराएं जोड़ने के समान प्रस्ताव एमपी बेजबरुआ समिति और टी.के. विश्वनाथन समिति द्वारा किए गए। • वर्तमान में, आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए समिति, जो आपराधिक कानून में अधिक व्यापक बदलाव पर विचार कर रही है, नफरत फैलाने वाले भाषण से निपटने के लिए विशिष्ट प्रावधान होने के मुद्दे की जांच कर रही है।
जनसांख्यिकीय लाभांश रैपिंग	**संदर्भ:** घटते प्रजनन दर (वर्तमान में 2.0) के साथ भारत की औसत/मध्यम आयु (Median Age) वर्ष 2011 में 24 वर्ष से बढ़कर अब 29 वर्ष हो गई है और वर्ष 2036 तक इसके 36 वर्ष हो जाने का अनुमान है। 'निर्भरता अनुपात' (Dependency

(Reaping Demographic Dividend)	Ratio) में गिरावट—जहाँ इसके अगले दशक में 65% से घटकर 54% होने का अनुमान है (15-59 आयु वर्ग को कामकाजी आयु आबादी मानते हुए), के साथ भारत एक जनसांख्यिकीय ट्रांजिशन (Demographic Transition) के मध्य में है। ● भारत का जनसांख्यिकीय ट्रांजिशन तीव्र आर्थिक विकास का अवसर प्रदान करता है। ● हालाँकि भारत में जनसांख्यिकीय ट्रांजिशन से सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त लाभ एशिया के अन्य समकक्ष देशों की तुलना में कम रहा है और यह अभी से ही संकुचित होता जा रहा है। **जनसांख्यिकीय संक्रमण की चुनौतियां क्या हैं?** ● उपयुक्त नीतियों के अभाव में कामकाजी आयु आबादी में वृद्धि से बेरोज़गारी बढ़ सकती है जो आर्थिक एवं सामाजिक जोखिम बढ़ा सकते हैं। ● इसके लिए भविष्योन्मुखी नीतियों को शामिल करने की आवश्यकता है ● जनसंख्या वृद्धि o शिक्षा और कौशल o हेल्थकेयर o लैंगिक संवेदनशीलता o युवा पीढ़ी को अधिकार और विकल्प प्रदान करना। **जनसांख्यिकीय लाभांश का सर्वोत्तम लाभ उठाने के लिए किन उपायों की आवश्यकता है?** ● **नेशनल ट्रांसफर अकाउंट्स (एनटीए) आकलन अपडेट करना :** भारत का प्रति व्यक्ति खपत पैटर्न अन्य एशियाई देशों की तुलना में काफी कम है।भारत में एक बच्चा 20 से 64 आयु वर्ग के वयस्क द्वारा किये जाने वाले उपभोग का लगभग 60% उपभोग करता है, जबकि इसकी तुलना में चीन में एक बच्चे का उपभोग लगभग 85% है। भारत के लिए एनटीए डेटा (राज्य-विशिष्ट) को 2011-12 से इस तरह के निवेश पर हुई प्रगति को पकड़ने के लिए अद्यतन करने की आवश्यकता है। ● **बच्चों और किशोरों में अधिक निवेश करना :** यह देखते हुए कि भारत का कार्यबल कम उम्र में शुरू होता है, माध्यमिक शिक्षा से सार्वभौमिक कौशल और उद्यमिता में संक्रमण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसा कि दक्षिण कोरिया में किया गया है। ● **स्वास्थ्य में निवेश करना :** स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1% पर स्थिर बना हुआ है। साक्ष्य बताते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य बेहतर आर्थिक उत्पादन की सुविधा देता है। ● **प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने का अधिकार-आधारित दृष्टिकोण:** नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के अनुसार भारत में परिवार नियोजन की 9.4% आवश्यकता है चीन में 3.3% और दक्षिण कोरिया में 6.6% की तुलना में अधिक है, जिसे पाटने की आवश्यकता है। ● **अपूर्ण शैक्षिक आवश्यकताएँ:** शिक्षा में लैंगिक असमानता चिंता का विषय है, क्योंकि भारत में बालिकाओं की तुलना में बालक माध्यमिक और तृतीयक स्तर के विद्यालयों में नामांकित होने की अधिक संभावना रखते हैं। तुलनात्मक रूप से फिलीपींस, चीन और थाईलैंड में विलोम स्थिति है, जबकि जापान, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया में लिंग अंतर बेहद कम है। ● **राज्यों के बीच विविधता को संबोधित करना:** जबकि भारत एक युवा देश है, जनसंख्या की आयु में वृद्धि की स्थिति और गति विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। जनसांख्यिकीय ट्रांजिशन के विषय में उन्नत दक्षिणी राज्यों में वृद्ध लोगों का प्रतिशत अधिक हो चुका है। जबकि केरल की जनसंख्या प्रौढ़ होती जा रही है, बिहार में कामकाजी आयु वर्ग के वर्ष 2051 तक वृद्धि करने का अनुमान किया गया है। ● **शासन सुधारों के लिए संघीय दृष्टिकोण:** विभिन्न उभरते जनसंख्या मुद्दों जैसे प्रवास, उम्र बढ़ने, कौशल, महिला कार्यबल भागीदारी और शहरीकरण पर राज्यों के बीच नीति समन्वय के लिए एक नया ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता है। ● **महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाना :** वर्ष 2019 तक, 20.3% महिलाएं काम कर रही थीं या काम की तलाश में थीं, जो 2003-04 में 34.1% थी। अर्थव्यवस्था में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी के लिए नए कौशल और अवसरों की तत्काल आवश्यकता है। **महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाना महत्वपूर्ण क्यों है?**

	• काम खोजने से उसकी शादी की उम्र में देरी होने की संभावना होना और वह अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादक रूप से भाग लेना, साथ ही अपने अधिकारों और विकल्पों का भी प्रयोग करना।
	• दक्षिण कोरिया की महिला कार्यबल भागीदारी दर 50% पर आधारित है।
	  ○ जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा और नीतियों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करने हेतु कानूनी रूप से अनिवार्य जेंडर बजटिंग करना
	  ○ बाल देखभाल लाभ की वृद्धि करना
	  ○ अंशकालिक कार्य के लिये कर प्रोत्साहन को बढ़ावा देना
	• यह भविष्यवाणी की गई है कि यदि भारत में घरेलू कर्तव्यों में लगी सभी महिलाओं जो काम करने की इच्छुक हैं, उनके पास नौकरी है, तो महिला श्रम बल की भागीदारी में लगभग 20% की वृद्धि होगी।

भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता): एक समीक्षा	**संदर्भ:** हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक, देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) ज़रूरी और अनिवार्य रूप से आवश्यक है, इस टिप्पणी के बाद भारत में समान नागरिक संहिता की घटना को समझने की ज़रूरत बढ़ गई है। • संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत जो यह घोषणा करता है कि राज्य नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा. यह लेख संविधान के भाग IV में है जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है, जो किसी भी अदालत में लागू नहीं होते हैं, लेकिन इसमें निर्धारित सिद्धांत देश के शासन में मौलिक अधिकार का दर्ज़ा पाते हैं, और यह राज्य का कर्तव्य होगा कि इन सिद्धान्तों को कानून में शामिल किया जा सके। • निदेशक सिद्धांतों से जुड़े महत्व को मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया मामले में मान्यता दी गई थी, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि मौलिक अधिकारों को निदेशक सिद्धांतों के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और इस तरह का सामंजस्य संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है। **समान नागरिक संहिता का विचार** • ऐतिहासिक रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विचार 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोपीय देशों में तैयार किए गए इसी तरह के कानून से प्रभावित था और विशेष रूप से 1804 के फ्रांसीसी संहिता ने उस समय प्रचलित सभी प्रकार के परंपरागत या वैधानिक कानूनों को ख़त्म कर दिया था और इसे समान संहिता से बदल दिया था। • हालांकि, 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटेन को एक सख़्त संदेश दिया कि वो भारतीय समाज के ताने बाने को नहीं छेड़े और शादियां, तलाक, मेनटेनेंस, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों से संबंधित कोड में कोई बदलाव लाने की कोशिश न करे। • स्वतंत्रता के बाद, विभाजन की पृष्ठभूमि के विरूद्ध, नतीजे के तौर पर सांप्रदायिक वैमनस्यता और व्यक्तिगत कानूनों को हटाने के प्रतिरोध में यूसीसी को एक डायरेक्टिव प्रिसिंपल के रूप में समायोजित किया गया जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। • हालांकि, संविधान के लेखकों ने संसद में एक हिंदू कोड बिल लाने का प्रयास किया जिसमें महिलाओं के उत्तराधिकार के समान अधिकार जैसे प्रगतिशील उपाय भी शामिल थे, लेकिन दुर्भाग्य से, इसे हक़ीक़त में नहीं बदला जा सका। • सितंबर 2005 को जब हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005, भारत के राष्ट्रपति की सहमति से पारित हुआ तब कहीं जाकर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संपत्ति के अधिकारों के बारे में भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाया जा सका। **क्या यूसीसी- समय की मांग है?** • सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में यूसीसी होने के महत्व पर जोर दिया है - शाह बानो बेगम मामले से लेकर हाल ही में शायरा बानो बनाम भारत संघ के मामले में, जिसने तलाक-ए-बिदत (तीन तलाक) की प्रथा की वैधता पर सवाल उठाया था और इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। • मो. अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम और अन्य मामला: सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पति द्वारा उनके ख़िलाफ़ तलाक़ की घोषणा करने के बाद, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत रखरखाव के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया। इस मामले पर फैसला सुनाते हुए, मुख्य न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ ने कहा कि संसद को एक सामान्य नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा साधन है जो कानून के समक्ष राष्ट्रीय सद्भाव और समानता की सुविधा प्रदान करता है। इसके बावजूद, सरकार ने इस मुद्दे के समाधान में अपनी सक्रियता नहीं दिखाई और 1986 में तलाक़ पर मुस्लिम महिला अधिकारों का संरक्षण अधिनियम ले आई।

	• सरला मुद्गल, अध्यक्ष, कल्याणी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य का मामला आया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से समान नागरिक संहिता को एक हिंदू मॉडल के रूप में देश की रक्षा और राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने के लिए इसे अमल में लाने का आग्रह किया। • इसी तरह, लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और एबीसी बनाम द स्टेट (एनसीटी ऑफ दिल्ली) के मामलों का भी निपटारा किया गया। पूर्व के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराधिकार के संदर्भ में यूसीसी के महत्व पर ज़ोर दिया, और बाद के मामले में यह माना गया कि गार्ज़ियन एंड वॉर्ड्स एक्ट 1890 के तहत ईसाई धर्म की सिंगल मदर, बच्चे के कुदरती बाप की सहमति के बिना भी अपने बच्चे की एकमात्र गार्ज़ियनशिप के लिए आवेदन कर सकती है। इस संदर्भ में, अदालत ने समान नागरिक संहिता की कमी के चलते होने वाली समस्याओं की ओर इशारा किया था। **निष्कर्ष** • जबकि विभिन्न अल्पसंख्यक अपने व्यक्तिगत और धर्म के अधिकारों को बनाए रखने के लिए यूसीसी का विरोध करते रहे हैं; बहुसंख्यक चाहते हैं कि यह एकरूपता बनाए रखे। विभिन्न हितधारकों को ध्यान में रखते हुए समाधान वाद-विवाद, विचार-विमर्श में निहित है, राष्ट्रीय हित को मूल में रखते हुए इसे पूरी तरह से गैर-राजनीतिकीकृत प्रक्रिया होनी चाहिए। यह ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण से अधिक नीचे से ऊपर होना चाहिए। • हाल ही में वर्तमान सरकार ने विवाह के लिए बालिकाओं की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने जैसे उपाय किये हैं, जो लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है। यह सोचने की ज़रूरत है कि यूसीसी लाकर महिलाओं सहित समाज के समग्र विकास को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 51 ए (एफ) और अनुच्छेद 51 ए (ई) के उद्देश्यों को कैसे संतुलित किया जा सकता है, जो मूल्य निर्धारण के पहलुओं से संबंधित है, और जो मिली-जुली संस्कृति और त्याग की समृद्ध विरासत को संरक्षित और उन परंपराओं को ख़त्म करता है जो महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक हैं। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?** **1.** यूसीसी की अवधारणा कैसे अस्तित्व में आई? स्वतंत्रता के बाद की अवधि में यूसीसी को लाने के लिए क्या कदम उठाए गए थे? **2.** वर्तमान सरकार की इसे लागू करने में विफलता के पीछे क्या है, और आगे बढ़ने का संभावित तरीका क्या है?
आईएएस कैडर नियम संशोधन	**संदर्भ:** केंद्र ने आईएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए आईएएस (कैडर) नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जो अक्सर केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष का मूल रहा है। **एआईएस की महत्वपूर्ण भूमिका** • यह सरदार पटेल थे जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) को "अखिल भारतीय सेवाओं" (एआईएस) के रूप में बनाया था, जिनके सदस्यों को केंद्र द्वारा भर्ती और नियुक्त किया जाएगा और विभिन्न राज्यों को आवंटित किया जाएगा। और जो राज्य और केंद्र दोनों के अधीन सेवा कर सके। • उन्होंने एआईएस को एक विशाल और विविध देश के प्रशासनिक ढांचे को एक एकीकृत पूरे में बुनने और क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन और शीर्ष पर नीति निर्माण के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी प्रदान करने के लिए आवश्यक माना। **प्रतिनियुक्ति पर वर्तमान नियम क्या है?** • केंद्र, राज्यों और संबंधित अधिकारियों को शामिल करते हुए परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से एआईएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए उपलब्ध कराया जाता है। • भारतीय प्रशासनिक सेवा में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति आईएएस (संवर्ग) नियम-1954 के नियम -6 (1) के अंतर्गत आती है, जिसे मई 1969 में सम्मिलित किया गया था। ○ इसमें कहा गया है: "एक संवर्ग अधिकारी, संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की सहमति से, केंद्र सरकार (या किसी अन्य राज्य या सार्वजनिक उपक्रम) के अधीन सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।" • अतीत में, आम तौर पर कुछ स्वस्थ परंपराओं का पालन किया जाता था।एआईएस के किसी भी अधिकारी को केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए बुलाए जाने से पहले उसकी सहमति जरूरी है। • प्रत्येक वर्ष, राज्य उन अधिकारियों की "प्रस्ताव सूची" तैयार करेंगे, जिन्होंने मनमाने ढंग से बिना किसी नाम के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का विकल्प चुना था। केंद्र केवल राज्यों के "प्रस्ताव पर" अधिकारियों में से ही अधिकारियों का चयन करेगा।

- केंद्र द्वारा उठाए गए अधिकारियों को राज्य जल्द से जल्द राहत देंगे।
- 2020 में, डीओपीटी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक अधिकारी केंद्र में आएं, मानदंडों में बदलाव किया और 2007 बैच से आईएएस अधिकारियों के लिए अनिवार्य रूप से अपनी सेवा के पहले 16 वर्षों के भीतर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में दो साल के लिए अनिवार्य रूप से सेवा करना अनिवार्य कर दिया, यदि वे चाहते थे। भविष्य में संयुक्त सचिव रैंक के लिए पैनल में शामिल किया जाए।

ऐसी प्रतिनियुक्ति के साथ राजनीतिक चुनौतियां क्या थीं?

- दुर्भाग्य से, केंद्र और राज्यों दोनों ने कभी-कभी राजनीतिक कारणों से उपरोक्त स्वस्थ परंपराओं का उल्लंघन किया है।
- जुलाई 2001 में, केंद्र ने एकतरफा रूप से तमिलनाडु कैडर के तीन IPS अधिकारियों की सेवाओं को "अपने निपटान में रखा"।
- दिसंबर 2020 में केंद्र ने पश्चिम बंगाल कैडर के तीन IPS अधिकारियों के संबंध में ऐसा ही किया।
- मई 2021 में, केंद्र ने एकतरफा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की सेवा के अंतिम दिन से ठीक पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी किए।
- इन सभी मामलों में, संबंधित राज्यों ने अधिकारियों को कार्यमुक्त करने से इनकार कर दिया।
- कुछ राज्य बदले की भावना से कुछ अधिकारियों के नाम वापस लेते थे जिन्होंने केंद्र में प्रतिनियुक्ति का विकल्प चुना था या केंद्र द्वारा उन्हें उठाए जाने के बाद राहत में देरी हुई थी।
- दूसरी ओर, केंद्र सरकार विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में निदेशक और संयुक्त सचिव स्तर पर रिक्त पदों को भरने में असमर्थ थी।
    - लगभग 40% या 390 केंद्रीय कर्मचारी योजना (सीएसएस) पद संयुक्त सचिव स्तर (19 वर्ष से अधिक अनुभव) पर हैं और 60% या 540 ऐसे पद उप सचिव (नौ वर्ष) या निदेशक रैंक (14 वर्ष की सेवा) के पद पर हैं।)

क्या हैं प्रस्तावित संशोधन?

आईएएस (संवर्ग) नियमावली के नियम 6 में चार संशोधन प्रस्तावित हैं।

- प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों में से एक यह है कि यदि राज्य सरकार राज्य कैडर के अधिकारी को केंद्र में पोस्ट करने में देरी करती है और निर्दिष्ट समय के भीतर केंद्र सरकार के निर्णय को प्रभावी नहीं करती है, तो अधिकारी को पद से मुक्त कर दिया जाएगा।
    - वर्तमान में, अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति मंजूरी लेनी होती है।
- प्रस्तावित अन्य परिवर्तन यह है कि केंद्र राज्य के परामर्श से केंद्र सरकार को प्रतिनियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों की वास्तविक संख्या तय करेगा और बाद में ऐसे अधिकारियों के नामों को योग्य बनाना चाहिए।
    - मौजूदा मानदंडों के अनुसार, राज्यों को केंद्र सरकार के कार्यालयों में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों सहित अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करनी होती है और किसी भी समय यह कुल कैडर की संख्या का 40% से अधिक नहीं हो सकता है।
- तीसरा प्रस्तावित संशोधन कहता है कि केंद्र और राज्य के बीच किसी भी असहमति के मामले में, केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा और राज्य केंद्र के निर्णय को "एक निर्दिष्ट समय के भीतर" लागू करेगा।
- **राजनीतिक दुरुपयोग का दायरा:** राजनीतिक कारणों से नए नियमों का दुरुपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए: केंद्र एकतरफा अपने निपटान में मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और प्रतिद्वंद्वी पार्टी द्वारा शासित राज्य के अन्य प्रमुख अधिकारियों की सेवाएं दे सकता है, जिससे राज्यों के सुचारू प्रशासन में बाधा उत्पन्न होती है।
- **राज्यों के प्रशासन को प्रभावित करना :** राज्य प्रस्तावित संशोधनों को आईएएस अधिकारियों को तैनात करने के उनके अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के रूप में देखते हैं, विशेष रूप से जब नीति कार्यान्वयन का अत्याधुनिक राज्य स्तर पर होता है।
- **अखिल भारतीय सेवाओं की चमक कम होना :** विचाराधीन परिवर्तनों का आईएएस अधिकारियों की स्वतंत्रता, सुरक्षा और मनोबल पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यदि राज्यों को आईएएस अधिकारियों की वफादारी पर संदेह करना शुरू हो जाता है, तो वे आईएएस कैडर पदों की संख्या और आईएएस अधिकारियों की वार्षिक भर्ती में भी कमी करते हैं। वे अधिक से अधिक पदों को संभालने के लिए राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को प्राथमिकता देते हैं।

	निष्कर्ष ● एक संघीय व्यवस्था में, यह अपरिहार्य है कि केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद और विवाद उत्पन्न होंगे। लेकिन ऐसे सभी झगड़ों को सहकारी संघवाद की भावना से और व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सुलझाया जाना चाहिए। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** ● नौकरशाही में पार्श्व प्रवेश ● मिशन कर्मयोगी
साझा पालन-पोषण की आवश्यकता (Need for shared parenting)	**संदर्भ:** चाइल्ड कस्टडी मामलों में, महामारी प्रेरित प्रतिबंधों के कारण अदालतों तक पहुंच कठिन होती जा रही है, जो गैर-संरक्षक में रहने वाले माता-पिता और बच्चों दोनों को प्रभावित कर रही है। ● विवाह टूटने की स्थिति में बच्चे की कस्टडी की मांग करना एक गन्दा मामला है। जबकि साझा पालन-पोषण की अवधारणा यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में एक वास्तविकता है, यह भारत में एक विकल्प नहीं है। यहां, प्राचीन कानून रोस्ट पर शासन करते हैं। **कानून क्या कहता है?** ● भारत में दो कानून बच्चों की कस्टडी तय करते हैं। ● पहला 1956 का हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम (HMGA) है, जिसमें कहा गया है कि एक हिंदू नाबालिग लड़के या अविवाहित लड़की का प्राकृतिक अभिभावक पिता और माता होगा, बशर्ते कि उस नाबालिग की हिरासत जिसने पांच साल की उम्र पूरी नहीं की हो। सामान्यत: माता के साथ रहेगा। ● लेकिन एचएमजीए में हिरासत के अधिकार तय करने या अदालत द्वारा नियुक्त अभिभावक घोषित करने के लिए कोई स्वतंत्र, कानूनी या प्रक्रियात्मक तंत्र शामिल नहीं है। इसलिए, हम दूसरे कानून पर वापस आते हैं, जो प्रकृति में औपनिवेशिक है। यह गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890 (GWA) है। ● दूसरा कानून 1890 का अभिभावक और वार्ड अधिनियम (जीडब्ल्यूए) है जो बच्चे और संपत्ति दोनों के संबंध में एक व्यक्ति को एक बच्चे के 'अभिभावक' के रूप में नियुक्त करने से संबंधित है। ○ माता-पिता के बीच बाल हिरासत, संरक्षकता और मुलाक़ात के मुद्दों का निर्धारण GWA के तहत किया जाता है, यदि कोई प्राकृतिक माता-पिता अपने बच्चे के लिए एक विशेष अभिभावक के रूप में घोषित होना चाहता है। ● जीडब्ल्यूए के तहत एक याचिका में माता-पिता के बीच विवाद होने पर, एचएमजीए के साथ पढ़ा जाता है, संरक्षकता और हिरासत एक माता-पिता के साथ दूसरे माता-पिता के मुलाक़ात के अधिकार के साथ निहित हो सकती है। ● ऐसा करने में, अवयस्क का कल्याण या "बच्चे के सर्वोत्तम हित" सर्वोपरि होगा। **"बच्चे के सर्वोत्तम हित" का क्या अर्थ है?** ● भारत बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरसी) का एक हस्ताक्षरकर्ता है। ● किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में यूएनसीआरसी से "बच्चे के सर्वोत्तम हितों" की परिभाषा को शामिल किया गया है। ● "बच्चे के सर्वोत्तम हित" का अर्थ उसके मूल अधिकारों और जरूरतों, पहचान, सामाजिक कल्याण और शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास की पूर्ति सुनिश्चित करना है। ● 2019 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लहरी सखामुरी बनाम शोभन कोडाली में आयोजित किया कि "बच्चे के सर्वोत्तम हित" अपने अर्थ में व्यापक हैं और "प्राथमिक देखभाल, यानी शिशु के मामले में मां या केवल कुछ साल के बच्चे के मामले में प्यार और देखभाल नहीं रह सकता है।" एक शिशु या बच्चा जो केवल कुछ वर्ष का है।" यह बाल केंद्रित दृष्टिकोण है। ● फिर से, 2022 में, वसुधा सेठी बनाम किरण वी. भास्कर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बच्चे का कल्याण, न कि माता-पिता का व्यक्तिगत या व्यक्तिगत कानूनी अधिकार, हिरासत की लड़ाई में सर्वोपरि है। माता-पिता के अधिकारों पर बच्चे के कल्याण को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। **क्या संयुक्त पालन-पोषण के लिए कोई सिफारिश की गई है?** ● विभिन्न समितियों द्वारा संयुक्त पालन-पोषण के लिए सिफारिशें की गई हैं। ● वर्ष 2015 में भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट, भारत में संरक्षकता और हिरासत कानूनों में सुधार पर, संयुक्त हिरासत

	और साझा पालन-पोषण की सिफारिश की। ● यह एक माता-पिता के साथ एकवचन बाल अभिरक्षा के विचार से असहमत था। ● विधि आयोग ने संयुक्त हिरासत के लिए एचएमजीए और जीडब्ल्यूए में संशोधन के लिए और इस तरह की हिरासत, बाल सहायता और मुलाकात व्यवस्था के लिए दिशानिर्देशों के लिए विस्तृत सिफारिशें कीं। ● बच्चों के संरक्षण (अंतर-देश निष्कासन और प्रतिधारण) विधेयक का एक पूरा मसौदा, गलत तरीके से हटाने और प्रतिधारण को परिभाषित करते हुए, निवारण के लिए एक पूर्ण तंत्र के साथ, न्यायमूर्ति बिंदल समिति द्वारा भारत सरकार को दो-खंड की रिपोर्ट में दिया गया था। **इन सिफारिशों का क्या हुआ है?** ● दुर्भाग्य से, इन रिपोर्टों को नज़रअंदाज कर दिया गया और इस मुद्दे पर गतिरोध के परिणामस्वरूप बदसूरत हिरासत विवादित हो गए ● वर्ष 2017 में, इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, विवेक सिंह बनाम रोमानी सिंह में, सुप्रीम कोर्ट ने माता-पिता के अलगाव सिंड्रोम की अवधारणा पर प्रकाश डाला, जो एक बच्चे के अपने माता-पिता के प्रति अनुचित तिरस्कार को दर्शाता है। ● निर्णय ने इसके "मनोवैज्ञानिक विनाशकारी प्रभावों" को रेखांकित किया। अफसोस की बात है कि अलग-थलग पड़े बच्चे अपने माता-पिता से बात करना या देखना भी नहीं चाहते हैं, जिनकी हिरासत में वे नहीं हैं। ● अदालत ने माना कि "एक बाल-केंद्रित मानवाधिकार न्यायशास्त्र उस समय इस सिद्धांत पर स्थापित होता है कि सार्वजनिक भलाई बच्चे के उचित विकास की मांग करती है, जो राष्ट्र का भविष्य है।" ● अफसोस की बात है कि एक लंबे समय तक अलगाव परिवारों को विभाजित करता है। **आगे की राह** ● भारत में संयुक्त पालन-पोषण के विचार के बावजूद, कानून अपरिवर्तित हैं। न्यायालय एचएमजीए/जीडब्ल्यूए के लिए बाध्य हैं और उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। परिणामस्वरूप, यह बच्चे जो ख़ामोशी में पीड़ित हैं। ● महामारी के दौरान, हिरासत में लिए गए माता-पिता द्वारा कानूनों का लाभ उठाने और गैर-संरक्षक माता-पिता को मुलाक़ात के अधिकार से वंचित करने के कई मामले सामने आए हैं। ● समान अधिकारों के साथ साझा या संयुक्त पालन-पोषण बच्चे के इष्टतम विकास के लिए एक व्यवहार्य, व्यावहारिक, संतुलित समाधान है। ● फैमिली कोर्ट्स 1984 के फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत कानून की तकनीकी से स्वतंत्र अपनी खुद की प्रक्रिया तैयार करने के लिए सुसज्जित हैं। वे लीक से हटकर तरीके तैयार कर इस बात पर जोर दे सकते हैं कि बच्चों को पिता और माता द्वारा साझा किया जाए। ● एक बच्चे के लिए एक पारंपरिक एकल अभिभावक हिरासत में रहना (custody trap) बच्चे के लिए पुरातन और विनाशकारी (archaic and destructive) है। यह बच्चे के जीवन को बर्बाद कर देता है और माता-पिता के लिए भी दुख का कारण बनता है, खासकर उस व्यक्ति के लिए जिसके पास हिरासत नहीं है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** ● बाल श्रम और महामारी ● लॉकडाउन का महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव ● महामारी और घरेलू हिंसा
तमिलनाडु का सार्वजनिक स्वास्थ्य मॉडल	**संदर्भ:** उच्चतम न्यायालय ने यूजी और पीजी चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) में अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था बरकरार रखी है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को देश में सामाजिक न्याय के इतिहास में मील का पत्थर माना गया। ● न्यायालय ने कहा कि योग्यता को प्रतिस्पर्धी परीक्षा में प्रदर्शन की संकीर्ण परिभाषा तक कमतर नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सिर्फ समान अवसर प्रदान करती है। **तमिलनाडु का सार्वजनिक स्वास्थ्य मॉडल** ● **सरकार इन-सर्विस डॉक्टर आरक्षण:** राज्य सेवारत सरकारी डॉक्टरों के लिए स्नातकोत्तर और सुपर-स्पेशियलिटी मेडिकल सीटों के 50% आरक्षण प्रदान करता है। ● **ग्रामीण सेवा का मानदंड:** ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में तीन साल तक सेवा करना स्नातकों

	के लिए इस आरक्षण नीति का लाभ उठाने के लिए एक पात्रता मानदंड है। ● **सेवानिवृत्ति तक सरकारी सेवा का बंधन:** आरक्षण नीति में इन सरकारी डॉक्टरों के लिए अद्वितीय सेवानिवृत्ति बांड है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो लोग सेवाकालीन आरक्षण का लाभ उठाकर स्नातकोत्तर या सुपर-स्पेशियलिटी सीटें हासिल करते हैं, वे अपनी सेवानिवृत्ति तक सरकार की सेवा करेंगे। **ऐसे सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति मॉडल के क्या गुण हैं?** ● **कुशल जनशक्ति में वृद्धि होना:** आरक्षण योजना की शुरूआत ने सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करके सरकारी अस्पतालों में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में एक विवर्तनिक बदलाव की शुरुआत की। ● **क्षेत्रीय विकास होना :** इसने न केवल चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरै जैसे महानगरीय शहरों में बल्कि 1990 के दशक की शुरुआत में टियर-2 शहरों में भी बहु-विशिष्ट विशेषज्ञों की उपलब्धता में लगातार वृद्धि की। ● **सुदृढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र:** इसने युवा एमबीबीएस स्नातकों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि यह आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए मानदंड का हिस्सा था। परिणामस्वरूप, राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में कभी भी डॉक्टरों की कमी नहीं देखी गई और लोगों को उनके दरवाजे पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलीं। ● **ब्रेन ड्रेन को रोकना :** ब्रेन ड्रेन एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल शिक्षित और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के एक महत्वपूर्ण प्रवासन के लिए किया जाता है। जब प्रतिभाशाली एवं शिक्षित व्यक्ति बेहतर सुख-सुविधाओं को पाने के लिए अपना देश छोड़कर दूसरे देश में नौकरी या व्यापार करते हैं, तो उसे ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन कहा जाता है। ○ सेवानिवृत्ति बांड ने यह सुनिश्चित किया है कि अधिकांश विशेषज्ञ अपने पूरे करियर में सरकारी क्षेत्र में अपनी सेवा जारी रखें। इसने ब्रेन ड्रेन को या तो निजी क्षेत्र में या विदेशों में जाने से रोक दिया। **NEET की शुरुआत के साथ क्या बदलाव लाए गए हैं?** ● मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में छूट देते हुए सर्विस डॉक्टरों को केवल 50% पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा सीट देने की नीति बनाई है। ● साथ ही, अलग-अलग राज्यों के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वे अधिवास संबंधी जरूरतों को छोड़कर सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों की सभी सीटों को सामान्य परामर्श के लिए केंद्रीय पूल को सौंप दें। ○ 15% एमबीबीएस सीटें, 50% स्नातकोत्तर सीटें लेकिन 100% सुपर स्पेशियलिटी सीटें केंद्र को सौंप दी जाती हैं, जिसे एआईक्यू के रूप में जाना जाता है ○ सरकारी डॉक्टरों का आरक्षण समाप्त करना भी अनिवार्य हो गया। **नई नीट नीति की आलोचना** ● जब तमिलनाडु द्वारा नए नियम को चुनौती दी गई तो केंद्र सरकार ने न्यायालयों के समक्ष सेवाकालीन आरक्षण का विरोध करने वाले हलफनामे दाखिल किए। इसे संघीय भावना के खिलाफ माना जाता है, खासकर जब यह राज्य के साथ पर्याप्त परामर्श के बिना किया गया हो। ● तमिलनाडु राज्य सरकार का कहना है कि सेवारत डॉक्टरों के प्रोत्साहन को समाप्त करने से राज्य में स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली खतरे में पड़ जाएगी। इसने यह भी आलोचना की है कि एमसीआई जो एक मात्र नियामक प्रहरी है, के पास ऐसी नीति बनाने के लिए कोई कानूनी अधिकार नहीं है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** ● नीट के विरुद्ध तमिलनाडु का मामला ● **चिकित्सा शिक्षा:** अति-केंद्रीकरण कठिन है (NEET की आलोचना) ● राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग
शासन 4.0 (Governance 4.0)	**संदर्भ:** आने वाले वर्ष में कोविड महामारी और इससे पैदा हुए असंख्य संकटों में कमी आनी शुरू हो सकती है, लेकिन जलवायु कार्रवाई की विफलता से लेकर सामाजिक एकता के क्षरण तक कई ऐसी ऐसी चुनौतियाँ मौजूद हैं जिनका कोई समाधान होता नज़र नहीं आता। ● जब संस्थान अच्छी तरह से शासित होते हैं, तो उन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। वे अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के लिए अदृश्य समर्थन हैं।

शासन 1.0 (Governance 1.0):

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शासन 1.0 की अवधि में सार्वजनिक और कॉर्पोरेट शासन दोनों को ही एक 'मज़बूत नेता' के शासन द्वारा चिह्नित किया गया।
- इस प्रकार का नेतृत्व एक ऐसे समाज के लिये बेहतर था, जहाँ
    - सूचना की लागत अधिक थी
    - पदानुक्रमित प्रबंधन अपेक्षाकृत सुचारू रूप से कार्य करता था और
    - तकनीकी एवं आर्थिक प्रगति ने लगभग सभी को लाभान्वित किया था।

शासन 2.0 (Governance 2.0):

- इस मॉडल का उभार 1960 के दशक के अंत में हुआ और इसने भौतिक संपदा की प्रधानता की पुष्टि की।
- इसका उभार 'शेयरधारक पूंजीवाद' (Shareholder Capitalism) और प्रगतिशील वैश्विक वित्तीयकरण (Progressive Global Financialization) के उदय के साथ-साथ हुआ।
- इस मॉडल के तहत केवल शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह प्रबंधकों ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया।
- हालाँकि वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने इस मॉडल को एक झटका दिया लेकिन इसकी संकीर्ण दृष्टि आगे भी बनी रही है।

शासन 3.0 (Governance 3.0):

- इसके अंतर्गत 'निर्णयन प्रक्रिया' में 'संकट प्रबंधन' काफी महत्त्वपूर्ण हो गया, जहाँ नेतृत्वकर्त्ताओं का मुख्य ध्यान परिचालन संबंधी विषयों पर रहा है और वे संभावित अनपेक्षित परिणामों के प्रति एक सापेक्षिक उपेक्षा का प्रदर्शन करते हैं।
- कोविड संकट का उभार इसी शासन 3.0 के दौरान हुआ है और इस मॉडल के 'परीक्षण-और-त्रुटि दृष्टिकोण' (Trial-And-Error Approach) से महामारी के बेतरतीब प्रबंधन एवं प्रभाव सामने आए हैं।
- महामारी समाप्त होने के बाद, हमें एक नए शासन मॉडल (4.0 संस्करण) की आवश्यकता होगी
- एक नए शासन मॉडल की आवश्यकता: संस्थाएँ और नेतृत्वकर्त्ता दोनों ही अब अपने उद्देश्य के लिये उपयुक्त नहीं हैं।
- चूँकि चौथी औद्योगिक क्रांति (Fourth Industrial Revolution) और जलवायु परिवर्तन द्वारा वर्तमान जीवन को बाधित किया जा रहा है, ऐसे में सार्वजनिक और कॉर्पोरेट शासन में परिवर्तन की आवश्यकता है।
- विश्व के लिये एक नया शासन मॉडल अत्यंत आवश्यक है, जो व्यापार एवं वित्त जगत को प्राथमिकता देने के बजाय समाज और प्रकृति की प्रधानता पर ध्यान केंद्रित करता हो।

शासन 4.0 में दृष्टिकोण क्या होना चाहिए?

दीर्घकालिक रणनीतिक योजना का निर्माण:

- शासन 4.0 के तहत वर्तमान अल्पकालिक प्रबंधन दृष्टिकोण को दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण द्वारा प्रतिस्थापित करना होगा।
- वहीं महामारी, सामाजिक-आर्थिक संकट और मानसिक स्वास्थ्य जैसी समस्याओं पर ध्यान देने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये कार्रवाई, मानव गतिविधि से होने वाली जैव विविधता की हानि एवं पर्यावरण की क्षति को दूर करने और अनैच्छिक प्रवास जैसी संबंधित चुनौतियों को संबोधित किया जाना भी आवश्यक है।

टनल विजन और टॉप-डाउन दृष्टिकोण बदलना

- नए मॉडल के अंतर्गत अतीत के 'टनल विज़न' (Tunnel Vision) या संकीर्ण दृष्टिकोण और अधोमुखी दृष्टिकोण (Top-Down Approach) को प्रतिस्थापित करना होगा।
- विसंगतियों से भरी जटिल और परस्पर-संबद्ध दुनिया में समाज के प्रत्येक हितधारक की भूमिकाओं में परिवर्तन लाया जाना चाहिये।

	• व्यवसाय अब अपने सामाजिक एवं पारिस्थितिक प्रभावों की उपेक्षा नहीं कर सकते और यह जवाबदेही सरकार की होगी कि वह सुनिश्चित करे कि व्यवसाय उत्तरदायित्व ग्रहण करें। **समाज पर प्रधानता** ○ अर्थशास्त्र और अल्पकालिक वित्तीय हितों की एक संकीर्ण अवधारणा पर जोर देना बंद कर देना चाहिए। इसके बजाय, समाज और प्रकृति की प्रधानता किसी भी नई शासन प्रणाली के मूल में होनी चाहिए। ○ वित्त और व्यवसाय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन उन्हें समाज और प्रकृति की सेवा करनी चाहिए, न कि इसके विपरीत। ○ **नए नेतृत्वकर्त्ता:** कई नेतृत्वकर्त्ता शासन के एक नए युग का नेतृत्व करने को इच्छुक हैं, जिनमें पर्यावरण, समाज एवं शासन संबंधी मेट्रिक्स की वकालत करने वाले व्यावसायिक कार्यकारी से लेकर कुछ राजनीतिक नेता तक सभी शामिल हैं। ○ ऐसे नेतृत्वकर्त्ताओं का स्वागत किया जाना चाहिये जो अपने संकीर्ण हितों के बाहर मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं और जलवायु परिवर्तन से मुकाबले तथा सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिये विशिष्ट कार्रवाई का समर्थन करते हैं।

अर्थव्यवस्था

विदेशी फंड और मिशनरीज ऑफ चैरिटी	**संदर्भ:** हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम पंजीकरण (FCRA Registration) को फिर से बहाल कर दिया है। यह 25 दिसंबर को एफसीआरए पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए मदर टेरेसा द्वारा कोलकाता में स्थापित ''मिशनरीज ऑफ चैरिटी' के आवेदन को पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण खारिज कर दिया था। • मिशनरीज ऑफ चैरिटी (Missionaries of Charity) एक कैथोलिक धार्मिक मण्डली है जिसकी स्थापना 1950 में नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा (Mother Teresa) ने गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए की थी। • एफसीआरए के तहत मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पंजीकरण 31 अक्टूबर 2021 तक वैध था। गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने कहा कि वैधता को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाया गया था। • एमएचए ने कहा कि उसने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के किसी भी खाते को फ्रीज नहीं किया है, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक ने उसे सूचित किया था कि संगठन ने खुद बैंक को अपने खातों को फ्रीज करने का अनुरोध भेजा था, जिसकी पुष्टि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने की। • गैर-सरकारी संगठनों के लाइसेंस की नियमित रूप से जाँच कर उन्हें निलंबित कर दिया जाता है यदि गृह मंत्रालय को देश में उनके काम करने में कोई अनियमितता मिलती है। **एफसीआरए क्या है?** • विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 विदेशी दान को नियंत्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि इस तरह के योगदान आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। • पहली बार 1976 में अधिनियमित किया गया था, इसे 2010 में संशोधित किया गया था जब विदेशी दान को विनियमित करने के लिए कई नए उपायों को अपनाया गया था। • एफसीआरए उन सभी संघों, समूहों और गैर सरकारी संगठनों पर लागू होता है जो विदेशी चंदा प्राप्त करना चाहते हैं। • ऐसे सभी एनजीओ के लिए एफसीआरए के तहत पंजीकरण करना अनिवार्य है, जो शुरू में पांच साल के लिए वैध होता है जिसे बाद में सभी मानदंडों का अनुपालन करने पर नवीनीकृत किया जाता है। • पंजीकृत संघ सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए विदेशी योगदान प्राप्त कर सकते हैं। • आयकर की तर्ज पर वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। • वर्ष 2015 में, एमएचए ने नए नियमों को अधिसूचित किया, जिसके लिए गैर सरकारी संगठनों को यह प्रतिज्ञा देना आवश्यक था कि विदेशी धन की स्वीकृति से भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की

	संभावना नहीं है या किसी भी विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित नहीं करता है। ● यह भी कहा गया है कि ऐसे सभी गैर सरकारी संगठनों को या तो राष्ट्रीयकृत या निजी बैंकों में खातों का संचालन करना होगा, जिनके पास वास्तविक समय के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच की अनुमति देने के लिए कोर बैंकिंग सुविधाएं हैं। **विदेशी चंदा कौन नहीं ले सकता?** ● विधायिका के सदस्य, राजनीतिक दल, सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश, मीडियाकर्मी किसी भी विदेशी योगदान को प्राप्त करने से प्रतिबंधित हैं। ● हालांकि, 2017 में, वित्त विधेयक मार्ग के माध्यम से MHA ने 1976 के निरस्त FCRA कानून में संशोधन किया, जिससे राजनीतिक दलों के लिए एक विदेशी कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी से धन प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ, जहां एक भारतीय के पास 50% या अधिक शेयर हैं। **क्या विदेशी योगदान प्राप्त करने का कोई अन्य उपाय है?** ● विदेशी अंशदान प्राप्त करने का दूसरा उपाय पूर्व अनुमति के लिए आवेदन करना है। यह विशिष्ट गतिविधियों या परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक विशिष्ट दाता से विशिष्ट राशि की प्राप्ति के लिए दिया जाता है। ● लेकिन एसोसिएशन को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 आदि जैसे कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। ● धन और उद्देश्य को निर्दिष्ट करते हुए विदेशी दाता से प्रतिबद्धता पत्र भी आवश्यक है। ● वर्ष 2017 में, एमएचए ने तंबाकू नियंत्रण गतिविधियों पर सांसदों के साथ लॉबी करने के लिए 'विदेशी धन' का उपयोग करने के आधार पर, भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य सिफारिश समूहों में से एक, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई) के एफसीआरए को निलंबित कर दिया। ○ PHFI द्वारा सरकार को कई अभ्यावेदन के बाद, इसे 'पूर्व अनुमति' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था। **पंजीकरण कब निलंबित या रद्द किया जाता है?** ● खातों के निरीक्षण पर और किसी एसोसिएशन के कामकाज के खिलाफ कोई प्रतिकूल इनपुट प्राप्त होने पर एमएचए एफसीआरए पंजीकरण को शुरू में 180 दिनों की अवधि के लिए निलंबित कर सकता है। ● जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक एसोसिएशन को कोई नया दान नहीं मिल सकता है और एमएचए की अनुमति के बिना नामित बैंक खाते में उपलब्ध राशि के 25% से अधिक का उपयोग नहीं कर सकता है। ● गृह मंत्रालय किसी ऐसे संगठन का पंजीकरण रद्द कर सकता है जो रद्द होने की तारीख से तीन साल तक पंजीकरण या 'पूर्व अनुमति' के लिए पात्र नहीं होगा। ● एमएचए के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011 के बाद से जब अधिनियम में बदलाव किया गया था, 20664 संघों के पंजीकरण को उल्लंघन के लिए रद्द कर दिया गया था जैसे कि विदेशी योगदान का दुरुपयोग, अनिवार्य वार्षिक रिटर्न जमा न करना और अन्य उद्देश्यों के लिए विदेशी धन को डायवर्ट करना। o 29 दिसंबर तक, 22,762 FCRA-पंजीकृत एनजीओ हैं। **बिंदुओं को कनेक्ट करना:** ● **FCRA परिवर्तन:** निगरानी में आसानी बनाम गंभीर प्रतिबंध ● लोकतंत्र में गैर सरकारी संगठनों का महत्व ● एफडीआई नीति और आत्मनिर्भर भारत
फ्लेक्स-फ्यूल वाहन	**संदर्भ:** सरकार ने कार निर्माताओं को भारत में ऑटोमोबाइल निर्माताओं को फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स (FFV) और फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FFV-SHEV) का निर्माण शुरू करने की सलाह दी है।' **फ्लेक्स ईंधन वाहनों (एफएफवी) के बारे में** • फ्लेक्स ईंधन वाहन 100 फीसदी पेट्रोल या 100 फीसदी जैव-इथेनॉल के संयोजन पर चलने में सक्षम हैं। • 'इस कदम से वाहनों से वेल-टू-व्हील आधार पर ग्रीनहाउस गैस (Greenhouse Gas) उत्सर्जन में भारी कमी आएगी, जिससे भारत को 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को एक बिलियन टन कम करने के लिए COP26 में की गई अपनी प्रतिबद्धता का पालन करने में मदद मिलेगी।

- फ्लेक्स-फ्यूल इंजन के इस्तेमाल से भारत के ईंधन आयात बिल में काफी कमी आ सकती है और साथ ही किसानों की आय में भी सुधार हो सकता है।
- फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FFSHEV) में अनिवार्य रूप से एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो पारंपरिक पेट्रोल इंजन के साथ वाहन को पावर देती है।
- हालांकि, ऐसे वाहनों को विश्व बाजारों में व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जाना बाकी है।
- दोहरे ईंधन वाले वाहन का मतलब है कि इंजन एक ही समय में दो ईंधन (गैस और डीजल) का उपयोग करता है।
- बीआई फ्यूल का मतलब है कि इंजन अलग से किसी भी ईंधन पर चल सकता है।
- फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल (FFV) पेट्रोल या इथेनॉल या दोनों के संयोजन पर चलने में सक्षम है इसलिए यह दोहरे ईंधन वाहन और द्वि ईंधन वाहन का संश्लेषण है।

वर्तमान में कितना सम्मिश्रण किया जा रहा है?

- बायो-एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में प्रति लीटर कम ऊर्जा होती है।
- हालांकि, उन्नत तकनीक के उपयोग से कैलोरी मान पेट्रोल के बराबर हो जाएगा।
- भारत में बेचे जाने वाले एक लीटर पेट्रोल में औसतन 8% इथेनॉल होता है, भले ही तेल विपणन कंपनियों के पास 10% (E10) सम्मिश्रण करने की मंजूरी हो।
- भारत में निर्मित सभी वाहनों को E10 के लिए ट्यून किया जाता है। वे 10% से अधिक इथेनॉल सामग्री पर नहीं चल पाएंगे।

फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए कारक सरकार पर दबाव क्यों डाल रहे हैं?

- **आयात बिल कम करना :** वित्त वर्ष 2011 में भारत का तेल आयात बिल $62.7 बिलियन था। सरकार इथेनॉल, हाइड्रोजन और बिजली जैसे ईंधन के विकल्प बनाकर तेल आयात बिल को कम करने के लिए चिंतित (desperate) है।
- **बचत:** E20 स्तर (20% सम्मिश्रण) तक एक प्रेरणा भी प्रति वर्ष $4 बिलियन की बचत कर सकता है। यह तभी संभव है जब फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को बाजार में उपलब्ध कराया जाए।
- **पेरिस जलवायु प्रतिबद्धताएं:** साथ ही, FFVs सरकार को उत्सर्जन कम करने की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भी मदद करेंगे। E20 के द्वारा हिटिंग
    - कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन दोपहिया वाहनों में 50% और चार पहिया वाहनों में पेट्रोल की तुलना में 30% कम होता है।
    - हाइड्रोकार्बन 20% कम थे।

फ्लेक्स-फ्यूल वाहन के साथ क्या चुनौतियाँ हैं?

- ग्राहकों की स्वीकृति एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि स्वामित्व की लागत और चलने की लागत 100 फीसद पेट्रोल वाहनों की तुलना में बहुत अधिक होने वाली है।
- फ्लेक्स ईंधन वाहन स्वयं सामग्री, इंजन भागों और ईंधन प्रणाली के उन्नयन के कारण नियमित वाहनों की तुलना में अधिक महंगे हो सकते हैं।
- इसके अलावा, 100 फीसग इथेनॉल (E100) के साथ चलाने पर चलने की लागत (कम ईंधन दक्षता के कारण) 30 फीसद से अधिक हो जाएगी।
- फ्लेक्स फ्यूल इंजन की कीमत अधिक होती है क्योंकि इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में बहुत अलग रासायनिक गुण होते हैं।
- इसके अलावा इथेनॉल में गैसोलीन की तुलना में बहुत कम (40 फीसद) कैलोरी मान होता है वहीं वाष्पीकरण की बहुत उच्च गर्मी चार्ज / दहन आदि को ठंडा करती है।
- इथेनॉल भी एक विलायक के रूप में कार्य करता है और इंजन के अंदर सुरक्षात्मक तेल फिल्म को मिटा सकता है इंजन खराब हो सकता है। फ्लेक्स ईंधन वातावरण में चलने के लिए बहुत विशिष्ट इंजन की लागत में वृद्धि करते हैं।
- फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल (FFV) लागू होने के बाद ऑटो कंपनियों के प्रोडक्शन लाइन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का खर्च बढ़ जायेगा । गौरतलब है कि पहले से ही 10 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के उपयोग और बीएस-6 फ्यूल की शुरूआत ने वाहन बनाने की लागत में इजाफा किया हुआ है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- स्वच्छ हवा के लिए बीएस VI वाहनों का महत्व

	• पेरिस जलवायु समझौता
डिजिटल बैंक	**संदर्भ:** नीति आयोग ने 'डिजिटल बैंक्स: ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रीजिम फॉर इंडिया' नामक परिचर्चा पत्र में इसका जिक्र किया है। इसमें आयोग ने देश में डिजिटल बैंक की लाइसेंसिंग और नियामकीय व्यवस्था के रोडमैप की भी चर्चा की है। • नीति आयोग (Niti Aayog) ने डिजिटल बैंक (Digital Bank) बनाने का प्रस्ताव किया है जो पूर्ण रूप से तकनीक आधारित होगा। डिजिटल बैंक अपनी सेवाएं देने के लिए इंटरनेट या ऐसे किसी चैनल पर सैद्धांतिक रूप से आधारित होगा। **डिजिटल बैंक क्या हैं?** • परिचर्चा पत्र में डिजिटल बैंकों को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के तहत बैंक के तौर पर परिभाषित किया गया है। • ये संस्थाएं डिजिटल बैंक डिपॉजिट्स और कर्ज जारी करेंगे और साथ ही वैसी सभी सेवाएं दे सकेंगे जिनका जिक्र बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में किया गया है। • डिजिटल बैंक अपनी सेवाएं देने के लिए इंटरनेट या दूसरे संभव चैनल्स का सैद्धांतिक रूप से इस्तेमाल करेंगे। ऐसे बैंकों की कोई भौतिक शाखा नहीं होगी।' • डिजिटल बैंक निम्नलिखित तरीकों से मदद करते हैं o देश में वित्तीय समावेशन चुनौतियों को दूर करने में o लेनदेन की लागत को कम करने में o जैम ट्रिनिटी (JAM trinity) के उपयोग के लिए उपयोगी o बैंकिंग-असमानता को कम करने में o भारत को फिनटेक में वैश्विक नेता बनाने में **भारत में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति क्या है?** • पिछले कुछ दशकों में, बैंकिंग-लाइसेंस श्रेणियों की संख्या में वृद्धि हुई है। • बैंकिंग क्षेत्र में शामिल हैं o सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक o निजी क्षेत्र के बैंक (21) o लघु वित्त बैंक (12) o भुगतान बैंक (6) o क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (43) o विदेशी बैंक (44) o स्थानीय क्षेत्र के बैंक (3) o वित्तीय संस्थान (4) o शहरी सहकारी बैंक (1,531) o बहु-राज्य सहकारी समितियां और बैंक (1,130) **क्या है नीति आयोग का सुझाव?** • यह पेपर दो-चरणीय दृष्टिकोण का भी सुझाव देता है: 1. डिजिटल बिजनेस बैंक लाइसेंस प्रदान करना 2. पूर्व के रूप में अनुभव प्राप्त करने के बाद एक डिजिटल (सार्वभौमिक) बैंक लाइसेंस प्रदान करना • डिजिटल बिजनेस बैंक लाइसेंस के साथ भी, यह एक सावधानीपूर्वक कैलिब्रेटेड दृष्टिकोण की सिफारिश करता है जिसमें प्रतिबंधित डिजिटल बिजनेस बैंक लाइसेंस (सेवारत ग्राहकों की मात्रा/मूल्य और इसी तरह के संदर्भ में) जारी करना शामिल है। • यह आरबीआई द्वारा अधिनियमित एक नियामक सैंडबॉक्स ढांचे में लाइसेंसधारी को सूचीबद्ध करने की सिफारिश करता है। • यह नियामक सैंडबॉक्स में लाइसेंसधारी के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर "पूर्ण-स्टैक" डिजिटल बिजनेस बैंक लाइसेंस जारी करने का भी सुझाव देता है। • इसने आगे सुझाव दिया कि एक नियामक सैंडबॉक्स (sandbox) में संचालित एक प्रतिबंधित डिजिटल व्यापार बैंक के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी प्रतिबंधित के रूप में अपनी स्थिति के अनुपात में हो सकती है।

	• उदाहरण के अनुसार, सैंडबॉक्स से अंतिम चरण में प्रगति पर, एक पूर्ण-स्टैक डिजिटल व्यापार बैंक को 200 करोड़ रुपये (लघु वित्त बैंक की आवश्यकता के बराबर) लाने की आवश्यकता होगी। । **चुनौतियां क्या हैं?** • निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ अतीत में लाइसेंस देने के साथ आरबीआई का अनुभव बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि आरबीआई को यस बैंक और एलवीबी जैसे निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में नुकसान को रोकने के लिए कदम उठाना पड़ा। • जबकि आरबीआई के पास अपने पीसीए ढांचे में "bank under repair" साइन-बोर्ड है, इसने भुगतान बैंक या एसएफबी जैसी विभिन्न अन्य बैंकिंग श्रेणियों की प्रभावकारिता के बारे में कुछ नहीं कहा। • कुछ बैंकिंग श्रेणियों के साथ-साथ पुरानी लाइसेंस श्रेणियों में व्यवहार्यता की कोई दृश्यता नहीं है और वे इच्छित उद्देश्य के संदर्भ में अपने महत्व को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं। • जब तक कानून लागू नहीं हो जाता, तब तक विनियमों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुकूलन करना होगा कि वित्तीय प्रणाली गैर-विघटनकारी तरीके से डिजिटल नवाचार को अवशोषित करती है। • विश्व के अन्य केंद्रीय बैंकरों की तरह आरबीआई को भी बैंकों के स्वामित्व को लेकर चिंता है। वैश्विक नियामकों को अपने अधिकार क्षेत्र में निवासी को प्राथमिकता देने वाले बैंकों के अंतिम स्वामित्व के बारे में चिंता है जो डिजिटल-बैंक लाइसेंस के कई उम्मीदवारों के लिए एक चुनौती हो सकती है। • डिजिटल बैंकों के लिए चुनौती यह दर्शाने की होगी कि वे ऋण-वित्त पोषण स्रोत के रूप में केवल बड़ी इक्विटी पूंजी का उपयोग करने के बजाय एक देयता पूल बढ़ा सकते हैं। • उपभोक्ता संरक्षण के संदर्भ में, साइबर सुरक्षा या डिजिटल डेटा सुरक्षा या गोपनीयता अधिकारों से संबंधित प्रत्येक चीज चिंता का विषय है। • बड़े पूंजी आधार वाली स्थिर एनबीएफसी को किसी भी उपभोक्ता संचार में खुद का वर्णन करने के लिए "बैंक" शब्द का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, जबकि कई नए जमाने के फिनटेक प्लेटफॉर्म ने खुद को एक नियो बैंक नाम दिया है।
एंट्रिक्स अवार्ड के लिए एएआई की 30 मिलियन डॉलर की संपत्ति जब्त : देवास	**संदर्भ:** देवास के शेयरधारकों ने 3 जनवरी को कहा कि उन्होंने कनाडा की एक अदालत के आदेश के बाद इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) के पास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के 30 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के धन को जब्त कर लिया है। ● दोनों भारतीय संस्थाओं ने इस आदेश को रद्द करने की मांग की है और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। **कनाडा में क्या हुआ था?** ● कनाडा की एक अदालत ने एयर इंडिया और एएआई की ओर से इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) द्वारा एकत्र की गई राशि को जब्त करने का आदेश दिया था। ● वर्ष 2011 में देवास शेयरधारकों द्वारा देवास-एंट्रिक्स सौदे को रद्द करने के बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणों में जीते गए मध्यस्थता पुरस्कारों को लागू करने का यह नवीनतम प्रयास है। ● अब तक, देवास ने एयर इंडिया की ओर से एकत्र किए गए 17.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के टिकट शुल्क और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों पर AAI को बकाया 12.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर के हवाई नेविगेशन और हवाई अड्डे के शुल्क को जब्त करने के लिए स्थानांतरित किया है। **एंट्रिक्स-देवास सौदा क्या था और इसे क्यों रद्द कर दिया गया था?** ● देवास मल्टीमीडिया ने 2005 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत एस-बैंड उपग्रह स्पेक्ट्रम का उपयोग करके मोबाइल उपयोगकर्ताओं को मल्टीमीडिया सेवाएं दी जानी थीं। ● यह सौदा 2011 में इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी धोखाधड़ी में हुई थी और सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य सामाजिक उद्देश्यों के लिए एस-बैंड उपग्रह स्पेक्ट्रम की जरूरत थी। ● हालांकि, रिश्वतखोरी का कोई सबूत नहीं मिला और दो अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता सुनवाई ने सौदे को गलत तरीके से रद्द करने के लिए भारत सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया। ● एंट्रिक्स-देवास सौदे में सीएजी द्वारा घाटे की गणना के बारे में भी सवाल उठाए गए हैं क्योंकि इसने दूरसंचार स्पेक्ट्रम के साथ उपग्रह स्पेक्ट्रम की तुलना की है।

	• देवास ने विदेशों में एएआई और एयर इंडिया की संपत्ति कुर्क करने की मांग क्यों की?
	• देवास-एंट्रिक्स सौदा 2011 में रद्द होने के बाद, देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके शेयरधारकों ने अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणों में तीन मध्यस्थता पुरस्कार जीते।
	• देवास के शेयरधारकों को दिए गए मुआवजे के बावजूद, भारत ने अभी तक कोई पैसा नहीं दिया है और पुरस्कारों को कई बार चुनौती दी है।
	• देवास का कहना है कि 2020 में भाजपा सरकार ने बातचीत के जरिए वैश्विक वित्तीय समझौता करने पर सहमति जताई, लेकिन इससे दूर चली गई और जब तक भारत वार्ता की मेज पर नहीं लौटता, उसके पास वैश्विक स्तर पर भारत की संपत्ति के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
	• 14 सितंबर, 2015 को नई दिल्ली में बैठे इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) ट्रिब्यूनल द्वारा पहला पुरस्कार, सर्वसम्मति से एंट्रिक्स के सौदे को रद्द करने को खारिज कर दिया और देवास को यूएस $ 562.5 मिलियन हर्जाना और 18% प्रति वर्ष ब्याज से सम्मानित किया।
	  ○ इसरो की वाणिज्यिक शाखा, एंट्रिक्स ने आईसीसी पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की, जो वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के अधीन है।
	• वर्ष 2012 में, मॉरीशस में शामिल एक देवास शाखा के शेयरधारकों ने भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) के तहत गारंटी के अनुसार अपने हितों की रक्षा के दायित्व के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए, भारत के खिलाफ स्थायी मध्यस्थता अदालत (पीसीए) का रुख किया।
	  ○ 25 जुलाई, 2016 को हेग में बैठे पीसीए ट्रिब्यूनल ने भारत को अपने दायित्वों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी पाया। 13 अक्टूबर, 2020 को पीसीए ट्रिब्यूनल ने देवास के शेयरधारकों को मुआवजे के रूप में 111 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का ब्याज दिया।
	• पीसीए में भारत-जर्मनी द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत देवास-ड्यूश टेलीकॉम (डीटी) के अन्य शेयरधारकों में से एक द्वारा तीसरी मध्यस्थता, डीटी को $132 मिलियन से अधिक ब्याज (दिसंबर 2017 और मई 2020 में) जीता।
	• इस बीच, जनवरी 2021 में, एंट्रिक्स की एक याचिका के बाद, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने धोखाधड़ी के आधार पर देवास को बंद करने का आदेश दिया, जिसे एनसीएलएटी ने सितंबर, 2021 में बरकरार रखा।
	• एनसीएलएटी ने एंट्रिक्स-देवास समझौते को भी अवैध करार दिया है। देवास ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और इसकी अपीलें लंबित हैं।
	एयर इंडिया की टाटा को बिक्री के बारे में
	• देवास ने एयर इंडिया की संपत्तियों को जब्त करने का कदम टाटा संस के एयरलाइन का अधिग्रहण करने के कुछ हफ्ते पहले लिया है।
	• हालांकि, कनाडा की घटनाओं से एयरलाइन के हस्तांतरण में बाधा आने की संभावना नहीं है क्योंकि टाटा संस को शेयरधारक के समझौते में पिछले कानूनी दावों से क्षतिपूर्ति दी गई है।
	बिंदुओं को कनेक्ट करना
	• कर आतंकवाद
	• द्विपक्षीय निवेश संधियाँ

जीएसटी सुधार के लिए नए बड़े सौदे की आवश्कता	**संदर्भ:** साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक से एक दिन पहले, कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व बात की और यह मांग की कि जीएसटी मुआवजा योजना को जून 2022 से आगे बढ़ाया जाए क्योंकि इसकी तिथि ख़त्म हो रही है। • तीन साल पहले, भारत संघ के केंद्र और राज्यों ने एक बड़ा सौदा किया जिसके परिणामस्वरूप एकीकृत माल और सेवा कर (जीएसटी) युग की शुरुआत हुई। • राज्यों ने कुछ कर एकत्र करने के अपने अधिकार को छोड़ दिया, और केंद्र ने उत्पाद शुल्क और सेवा कर को छोड़ दिया। • राष्ट्रव्यापी जीएसटी ने राज्य की सीमाओं के पार घर्षण रहित बाजार, उत्प्लावक और लीकप्रूफ कर अनुपालन, और "tax on tax" जैसी अक्षमताओं को दूर करने का वादा किया।

- यह ऐतिहासिक भव्य सौदा श्रमसाध्य सर्वसम्मति निर्माण का परिणाम था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जीएसटी के कारण राजस्व हानि की राज्यों की आशंकाओं को दूर करना शामिल था।

जीएसटी की चुनौतियां - केंद्र द्वारा जिम्मेदारी का त्याग

- राज्य की सहमति पांच साल की अवधि के लिए कर राजस्व में किसी भी कमी की प्रतिपूर्ति के वादे से सुरक्षित थी। इस प्रतिपूर्ति को एक विशेष उपकर द्वारा वित्त पोषित किया जाना था जिसे जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर कहा जाता है।
- वादा किया गया प्रतिपूर्ति पांच साल के लिए सालाना कर वृद्धि पर 14% वर्ष के अंतराल को भरने के लिए था।
- जैसा कि अर्थव्यवस्था एक महामारी और मंदी से जूझ रही है, कर संग्रह में काफी गिरावट आई, विशेषकर राज्य स्तर पर लड़ाई की अग्रिम पंक्ति में व्यय की जरूरतें तेजी से अधिक हो गई।
- लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यों से कहा गया राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए वे अपने आप हैं।
- वाणिज्यिक अनुबंधों में अप्रत्याशित घटना खंड के समकक्ष का उपयोग करते हुए, केंद्र राज्यों को जीएसटी राजस्व में 14% की वृद्धि में कमी की भरपाई करने की अपनी जिम्मेदारी का त्याग कर रहा है।
    - अप्रत्याशित घटना का अर्थ है ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियां जो किसी व्यक्ति को अनुबंध पूरा करने से रोकती हैं।

केंद्र पर जिम्मेदारी क्यों है

- केंद्र द्वारा जिम्मेदारी का त्याग कई मायनों में गलत है।
- पहला, राज्यों तथा केंद्र के पास मौजूद कोई विकल्पों का सहारा नहीं है, जैसे सॉवरेन बांड (डॉलर या रुपये में) जारी करना या भारतीय रिजर्व बैंक से सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिट शेयरों के खिलाफ ऋण।
- दूसरा, केंद्र वैसे भी राज्यों की तुलना में बाजारों से उधार की बहुत कम दरों का आदेश दे सकता है।
- तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के कुल उधार के मामले में, यह ऋण बाजारों के लिए कोई मायने नहीं रखता है, न ही रेटिंग एजेंसियों के लिए, चाहे वह राज्य हों या केंद्र जो अपनी ऋणग्रस्तता को बढ़ा रहे हैं।
- चौथा, बढ़े हुए राजकोषीय प्रोत्साहन के माध्यम से इस मंदी से लड़ना मूल रूप से व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण का काम है, जो कि केंद्र का अधिकार क्षेत्र है।
- पांचवां, इस महत्वपूर्ण वादे को तोड़ना, COVID-19 महामारी के बहाने का उपयोग करना केंद्र और राज्यों के बीच बनाए गए भरोसे को गंभीर नुकसान पहुंचाता है।
    - कौटिल्य ने सॉवरेन को वादा किए गए खैरात से मुकरने की सलाह दी होगी, क्योंकि दायित्व को पूरा करने से उप-सॉवरेन के साथ विश्वास बनाने में मदद मिलती है।
- राज्यों को जीएसटी मुआवजे का मुद्दा नए कर डिजाइन की तीन साल की ऊबड़-खाबड़ (bumpy) यात्रा में नवीनतम है। यह स्पष्ट है कि डिजाइन में आमूल परिवर्तन (radical overhaul) की आवश्यकता है।
- केवल मुआवजा तंत्र के साथ छेड़छाड़ करना, या बार-बार दर स्लैब बदलना, या अधिक माल को "sin tax" उपकर श्रेणी में धकेलना, राजस्व अर्जित करने के लिए जो राज्यों के साथ साझा करने योग्य नहीं है, इसके बजाय हमें सॉवरेनऔर उप-सॉवरेन संस्थाओं के बीच एक भव्य सौदेबाजी 2.0 की आवश्यकता है।

ऑस्ट्रेलियाई उदाहरण :ऑस्ट्रेलिया के साथ तुलना, जो संयोग से भारत के साथ अपनी जीएसटी वर्षगांठ साझा करता है, पिछले दो दशकों से उनकी जीएसटी दर 10% पर स्थिर है।

- शायद भारत की 12% की एकल दर में पेट्रोल, डीजल, बिजली, परिवहन और रियल एस्टेट भी शामिल है। राज्यों की राजस्व स्वायत्तता के लिए कुछ अतिरिक्त गुंजाइश राज्यों को शराब, तंबाकू, खेल उपयोगिता वाहनों जैसे प्रदूषणकारी सामान और डीजल, विमानन, टरबाइन ईंधन और कोयला जैसे औद्योगिक ईंधन की एक छोटी सूची पर गैर-वैटेबल अधिभार की अनुमति देकर प्राप्त की जाती है। ।
- 12% की निम्न मध्यम एकल दर बेहतर अनुपालन को प्रोत्साहित करती है, मनमानी वर्गीकरण और विवेक, मुकदमेबाजी को कम करती है और संग्रह में उछाल लाती है।
- संयोग से यह नया स्वरूप "राजस्व तटस्थ दर" (आरएनआर) के दलदल से बच जाएगा, जिसने अनावश्यक रूप से सांसदों और अधिकारियों का ध्यान खींचा।

	• जीएसटी एक दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार है, जबकि आरएनआर एक अल्पकालिक और मूल रूप से एक मायावी अवधारणा है। • लंबी अवधि में खपत पैटर्न, उत्पादन विन्यास और स्थानों में कई बदलाव होते हैं, जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और इसलिए आरएनआर की एक स्थिर अवधारणा संदर्भ नहीं हो सकती है। • ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य संघीय लोकतंत्रों के लिए कम और स्थिर दर की प्रतिबद्धता अनिवार्य है। • बेशक मुआवजा-सह-प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन बना रह सकता है, लेकिन वैट सामंजस्य के लिए जो किया गया था उसकी प्रकृति में अधिक। **सरकार का तीसरा स्तर** • इस नए बड़े सौदे को सरकार के तीसरे स्तर के बढ़ते महत्व को पहचानना चाहिए। • 73वें और 74वें संशोधन के 28 साल बाद भी, स्थानीय सरकारों के पास धन, कार्यों और पदाधिकारियों के हस्तांतरण का वादा नहीं है। • इन स्थानीय निकायों पर विशेष रूप से बढ़ते शहरीकरण और विकेंद्रीकरण को देखते हुए सरकारी सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। • 12% जीएसटी में से, 10% राज्यों और केंद्र के बीच समान रूप से साझा किया जाना चाहिए, और 2% विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए, जो उन्हें कुछ बुनियादी राजस्व स्वायत्तता सुनिश्चित करता है। • पंचायतों, जिलों और शहरों में वास्तविक वितरण संबंधित राज्य वित्त आयोगों द्वारा दिया जाएगा। • प्रत्येक नागरिक द्वारा भुगतान किया गया जीएसटी उपभोग कर शासित और सरकार के बीच एक कड़ी स्थापित करता है। • शासन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है, कर आधार सरकार के विभिन्न स्तरों की जिम्मेदारियों के साथ बेहतर ढंग से जुड़ा होता है। • हमें निर्यात को जीरो रेट करने की भी जरूरत है। जीएसटी एक महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार है जो भविष्य की वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकता है, सहकारी संघवाद को प्राप्त करने के लिए सही और वांछित संतुलन पर प्रहार कर सकता है और आर्थिक विकास को भी बढ़ा सकता है। • मौजूदा डिजाइन और क्रियान्वयन उस वादे को पूरा करने में विफल रहा है। एक नए बड़े सौदे की जरूरत है।
ग्रहीय दबाव समायोजित HDI	**संदर्भ:** संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट (वर्ष- 2020, शीर्षक :- "द नेक्स्ट फ्रंटियर- ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन") में एक प्लेनेटरी प्रेशर (ग्रहीय दबाव)- समायोजित मानव विकास सूचकांक नामक रिपोर्ट निकालने का प्रस्ताव रखा गया है। • वर्ष 1990 में महबूब-उल-हक़ तथा अमर्त्य सेन द्वारा दिए गए सिद्धांतो के उपरान्त यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक की गणना में असमानता का समायोजन किया गया। तब से असमानता- समायोजित मानव विकास सूचकांक के निष्कर्ष आने आरम्भ हुए। • इसके अतिरिक्त, कई अन्य सूचकांकों जैसे कि लिंग विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक और बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना की गई जो नीति निर्माताओं के ध्यान को आकर्षित करती हैं। ये सूचकांक विभिन्न मुद्दों के सन्दर्भ में नीतिनिर्माण में सहायक होते हैं। **ग्रहीय दाब- समायोजित मानव विकास सूचकांक (पीएचडीआई) का उद्देश्य क्या है?** • पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जिसे अब मानव विकास को मापने के लिए एक आवश्यक घटक माना जाता है। • वर्ष 2009 में स्टॉकहोम रेजिलिएंस सेंटर के जे. रॉकस्ट्रॉम के नेतृत्व में, दुनिया भर के वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा ग्रहों की सीमा की अवधारणा पेश की गई थी। • यह कैसे स्थापित होता है कि मानव-प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन पृथ्वी प्रणाली की दीर्घकालिक गतिशीलता को अपरिवर्तनीय रूप से अस्थिर कर सकता है, जिससे ग्रह की जीवन-सहायक प्रणाली बाधित हो सकती है। • वैश्विक और स्थानीय दोनों साक्ष्य इंगित करते हैं कि जैव विविधता हानि, जलवायु परिवर्तन, भूमि प्रणाली/भूमि-उपयोग परिवर्तन, जैव-भू-रासायनिक चक्रों में व्यवधान, और मीठे पानी की उपलब्धता की कमी एक खतरा है

और समाज की भेद्यता को बढ़ाती है।

- ग्रहीय दबाव बढ़ने के साथ ही साथ पीएचडीआई, एचडीआई से कम होता चला जाता है। इस प्रकार पीएचडीआई मानव विकास में ग्रह (पृथ्वी) पर पड़ने वाले मानवीय दबाव को आकलित करता है।

PHDI के कारण देश की रैंकिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- जब ग्रहीय दबाव को समायोजित किया गया तो वर्ष 2019 में HDI का वैश्विक औसत 0.737 से घटकर 0.683 रह गया।
- यह समायोजन प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन (उत्पादन) और प्रति व्यक्ति मटेरियल फुटप्रिंट को ध्यान में रखकर किया गया।
- औसत प्रति व्यक्ति वैश्विक CO2 उत्सर्जन (उत्पादन) 4.6 टन है और प्रति व्यक्ति मटेरियल फुटप्रिंट 12.3 टन है।
- ग्रहों के दबाव के समायोजन के साथ, कई देशों की वैश्विक रैंकिंग को सकारात्मक और नकारात्मक अर्थों में बदल दिया गया था।
  उच्च मानव विकास वाले देशों के समूह में स्विटजरलैंड एकमात्र ऐसा देश है, जिसकी रैंक ग्रहीय दबाव के समायोजन के बाद परिवर्तित नहीं हुई। हालांकि आवश्यक समायोजन के बाद स्विट्ज़रलैंड का का एचडीआई मूल्य 0.955 से घटकर 0.825 हो गया।
- ग्रहीय दबाव से समायोजन के बाद उच्च मानव विकास वाले 66 देशों में से 30 देशों की रैंकिंग में गिरावट हुई। जहां जर्मनी तथा मोंटेनेग्रो के रैंक में 1 स्थानों के गिरावट हुई वहीं लक्जमबर्ग के रैंक में 131 स्थानों की गिरावट हुई।
- भारत की बात करें तो औसत 2.0 टन प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन (उत्पादन) और 4.6 टन मटेरियल फुटप्रिंट के साथ 0.645 HDI के मुकाबले उसका PHDI 0.626 है।
- भारत ने वैश्विक रैंकिंग में आठ अंकों (HDI के तहत 131वीं रैंक और PHDI के तहत 123वीं रैंक) की बढ़त हासिल की, और इसका प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन (उत्पादन) और मटेरियल फुटप्रिंट वैश्विक औसत से पर्याप्त नीचे है।

भारत के लिये चुनौतियाँ

- भारत के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कुशलता से बहुत दूर है, पर्यावरणीय समस्याएँ बढ़ रही हैं और परिणामों पर मामूली चिंता रखते हुए प्रकृति पर हमला बेरोकटोक जारी है, जैसा कि विभिन्न कार्यान्वित और प्रस्तावित परियोजनाओं से स्पष्ट है।
- भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index) के अंतर्गत 27.9% लोग शामिल हैं (केरल में 1.10% से लेकर बिहार में 52.50% तक) और उनमें से एक बड़ा वर्ग अपनी जीविका के लिये प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है।
- गरीबी उपशमन और पर्यावरण सुरक्षा की दोहरी चुनौतियाँ जो पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने मानव पर्यावरण पर वर्ष 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में व्यक्त गरीबी उन्मूलन एवं पर्यावरण सुरक्षा की दोहरी चुनौतियाँ अभी भी उपेक्षित बनी हुई हैं और उन्हें संबोधित नहीं किया जा रहा है।
- पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना बेहद कठिन है जबकि भारत मानव विकास के अधिकाधिक प्राथमिक संकेतकों में पहले से ही कमतर प्रदर्शन कर रहा है।
- अब यह बात अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी है कि सामाजिक प्रक्रियाओं सहित पृथ्वी प्रणाली प्रक्रियाओं की अन्योन्याश्रताएँ हैं और उनके संबंध गैर-रैखिक एवं द्वंद्वात्मक हैं।
- इसलिये सामाजिक एवं आर्थिक प्रणालियों सहित मानव विकास को पारिस्थितिकी तंत्र के साथ संयुक्त करने और प्रकृति-आधारित समाधानों (जहाँ लोगों को केंद्र में रखा जाता है) के प्रति एक व्यवस्थित दृष्टिकोण पर आधारित जीवमंडल का निर्माण करने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- अब लोगों और ग्रह को एक परस्पर संबद्ध सामाजिक-पारिस्थितिक तंत्र का अंग मानने पर विचार करना आवश्यक है।
- सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं को अब अलग-अलग संबोधित नहीं किया जा सकता है; इसके लिये

	एक एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक है। ● इसे स्थानीय स्तर पर अभिकल्पित और संबोधित किया जा सकता है, जिसके लिये भारत के पास 73वें और 74वें संशोधन के रूप में संवैधानिक प्रावधान मौजूद हैं। ● अब नियोजन प्रक्रिया का पुनर्विन्यास, एक विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण का अंगीकरण, उचित संस्थागत व्यवस्था के लिये एक योजना और पर्यावरणीय तनाव को कुशलतापूर्वक संबोधित करने हेतु राजनीतिक निर्णयों को सक्षम करने वाले कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।
प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा गठबंधन (एनईएटी) योजना	**ख़बरों में :** हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिये 'प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन 3.0' (NEAT 3.0) की घोषणा की है। **प्रमुख बिंदु** ● **NEAT योजना का मॉडल:** यह सरकार और भारत की शिक्षा प्रौद्योगिकी (एडटेक) कंपनियों के बीच एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित है। ● **उद्देश्य:** NEAT का उद्देश्य समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों की सुविधा के लिये शिक्षा अध्यापन में सर्वोत्तम तकनीकी समाधानों को एक मंच पर लाना है। ● **लक्षित क्षेत्र:** इसके तहत अत्यधिक रोज़गार योग्य कौशल वाले विशिष्ट क्षेत्रों में सीखने या ई-सामग्री के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ● **कार्य पद्धति:** इसके तहत सरकार एडटेक कंपनियों द्वारा पेश किये जाने वाले पाठ्यक्रमों की एक शृंखला के लिये मुफ्त कूपन वितरित करने की योजना बना रही है। ● **कार्यान्वयन एजेंसी:** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) **एड-टेक** ● **एड-टेक के बारे में:** एडटेक एक अधिक आकर्षक, समावेशी और व्यक्तिगत रूप से सीखने के अनुभव हेतु कक्षा में आईटी उपकरण का अभ्यास से संबंधित है। ● एड-टेक के इच्छित लाभ: प्रौद्योगिकी में अविश्वसनीय क्षमता है और यह मानव को इच्छित लाभ प्राप्त करने में सक्षम है, जो इस प्रकार हैं: ○ शिक्षा के अधिक-से-अधिक निजीकरण को बढ़ावा। ○ सीखने की दर में सुधार करके शैक्षिक उत्पादकता में वृद्धि करना। ○ अवसंरचनात्मक सामग्री की लागत को कम करना और बड़े पैमाने पर सेवा प्रदान करना। ○ शिक्षकों/निर्देशकों के समय का बेहतर उपयोग करना। ● राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 निर्देश के हर स्तर पर प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के स्पष्ट आह्वान के लिये उत्तरदायी है। ○ शिक्षा, मूल्यांकन, योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान-प्रदान हेतु 'राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच' (National Educational Technology Forum- NETF) नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी। ● **स्कोप:** भारतीय एड-टेक इकोसिस्टम में इनोवेशन की काफी संभावनाएँ हैं। ○ 4,500 से अधिक स्टार्ट-अप और लगभग 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मौजूदा मूल्यांकन के साथ बाज़ार तेज़ी से विकास कर रहा है अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में इसके 30 अरब अमेरिकी डॉलर का बाज़ार बनने की संभावना है। **आगे की राह:** ● व्यापक एड-टेक नीति: एक व्यापक एड-टेक नीति संरचना में चार प्रमुख तत्त्वों पर ध्यान दिया जाना चाहिये: ○ विशेष रूप से वंचित समूहों को सीखने के लिये पहुँच प्रदान करना। ○ शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को सक्षम करना। ○ शिक्षक प्रशिक्षण और निरंतर व्यावसायिक विकास की सुविधा प्रदान करना।

	○ योजना, प्रबंधन और निगरानी प्रक्रियाओं सहित शासन प्रणाली में सुधार करना। ● प्रौद्योगिकी एक उपकरण है, रामबाण नहीं: सार्वजनिक शिक्षण संस्थान सामाजिक समावेश और सापेक्ष समानता में अनुकरणीय भूमिका निभाते हैं। ○ यह वह स्थान है, जहाँ सभी लिंग, वर्ग, जातियों और समुदायों के लोग मिलते हैं और एक समूह को दूसरों के सामने झुकने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता है। ○ इसलिये, प्रौद्योगिकी स्कूलों को प्रतिस्थापित या शिक्षकों की जगह नहीं ले सकती है। इस प्रकार इसे "शिक्षक बनाम प्रौद्योगिकी" नहीं बल्कि "शिक्षक और प्रौद्योगिकी" होना चाहिये। **उठाए गए प्रमुख कदम :** ○ ज्ञान साझा करने के लिये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर (दीक्षा)। ○ पीएम ई विद्या। ○ स्वयं प्रभा टीवी चैनल ○ स्वयं पोर्टल
भारत की अर्थव्यवस्था और अनौपचारिकता की चुनौती	**संदर्भ:** पिछले दो दशकों में तेजी से आर्थिक विकास देखने के बावजूद, भारत में 90% श्रमिक अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग आधा उत्पादन करते हैं। ● भारत की आधिकारिक परिभाषा के अनुसार, औपचारिक नौकरियां वे हैं जो कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करती हैं - जैसे कि ईपीएफ। ● आधिकारिक पीएलएफएस डेटा से पता चलता है कि 75% अनौपचारिक कर्मचारी स्व-नियोजित और आकस्मिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं जिनकी औसत आय नियमित वेतनभोगी श्रमिकों की तुलना में कम है। ● लगभग आधे अनौपचारिक कर्मचारी गैर-कृषि क्षेत्रों में लगे हुए हैं जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फैले हुए हैं। **भारत में अनौपचारिक क्षेत्र का विकास** ● शुरुआत में, रोजगार को बढ़ावा देने के प्रयास भारत ने श्रम गहन विनिर्माण में लगे छोटे उद्यमों को वित्तीय रियायतें प्रदान करके और लाइसेंस द्वारा बड़े पैमाने पर उद्योग को विनियमित करके संरक्षित किया। ● अकुशलता के कारण, ऐसे उपायों के कारण अनेक श्रम प्रधान उद्योग ● अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्रों में फैल गए। ● इसके अलावा, उन्होंने उप-अनुबंध और आउटसोर्सिंग व्यवस्था के माध्यम से अनौपचारिक और औपचारिक क्षेत्रों के बीच घने उत्पादन और श्रम बाजार के अंतर्संबंधों का निर्माण किया। ● कपड़ा उद्योग में, संगठित क्षेत्र में मिश्रित मिलों और असंगठित क्षेत्र में हथकरघा की कीमत पर पावरलूम का उदय नीतिगत परिणाम को सबसे अच्छा दिखाता है। ● हालांकि इस तरह की नीतिगत पहलों ने रोजगार को प्रोत्साहित किया हो सकता है, उद्यमों को कर के दायरे में लाना एक चुनौती रही है। ● करों का भुगतान किए बिना फल-फूल रहे उद्योग अनौपचारिक क्षेत्र के हिमशैल का सिरा मात्र हैं। घरेलू और स्व-रोजगार इकाइयों के रूप में काम करने वाली बड़ी संख्या में कम उत्पादकता वाले अनौपचारिक प्रतिष्ठान छिपे हुए हैं जो "छोटे उत्पादन" का प्रतिनिधित्व करते हैं। ● अधिकांश अनौपचारिक श्रमिकों (और उनके उद्यमों) के लिए उत्तरजीविता शायद सबसे बड़ी चुनौती है, और अनिश्चितता उनके अस्तित्व को परिभाषित करती है। ● वर्ष 2016 से, सरकार ने अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: ○ मुद्रा विमुद्रीकरण ○ वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) का परिचय ○ वित्तीय लेनदेन का डिजिटलीकरण ○ कई सरकारी पोर्टलों पर अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों का नामांकन **औपचारिकता के लिए प्रोत्साहन क्यों?**

	● अनौपचारिक क्षेत्र की तुलना में औपचारिक क्षेत्र अधिक उत्पादक है ● साथ ही, यह भी स्थापित किया गया है कि औपचारिक कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच है। ● महामारी ने औपचारिकता में हुई प्रगति को उलट दिया है, इसलिए औपचारिकता प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है। ○ हाल ही में एसबीआई के शोध ने रिपोर्ट की है कि 2020-21 के महामारी वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था को तेजी से औपचारिक रूप दिया गया है, अनौपचारिक क्षेत्र की जीडीपी हिस्सेदारी 20% से कम हो गई है, जो कुछ साल पहले लगभग 50% थी - विकसित देशों के आंकड़े के करीब। **अनौपचारिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं?** ● उद्यमों और श्रम का अत्यधिक राज्य विनियमन। ● उच्च कराधान ● अनौपचारिकता भी आर्थिक पिछड़ेपन के संरचनात्मक और ऐतिहासिक कारकों का परिणाम है। ● अध्ययनों से पता चलता है कि आर्थिक विकास के साथ अनौपचारिकता धीरे-धीरे कम हो जाती है। ● भारत सहित विकासशील दुनिया के कई हिस्सों में, अनौपचारिकता बहुत धीमी गति से कम हुई है, जो शहरी मलिन बस्तियों, गरीबी और (खुली और छिपी) बेरोजगारी में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। **औपचारिकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है?** ● पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाना, व्यवसाय संचालन के लिए नियमों में ढील देना और औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की सुरक्षा के मानकों को कम करना अनौपचारिक उद्यमों और उनके श्रमिकों को औपचारिकता के दायरे में लाएगा। ● साथ ही, अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप दिया जाएगा जब अनौपचारिक उद्यम (विशेष रूप से छोटे उत्पादन में शामिल) अधिक पूंजी निवेश के माध्यम से अधिक उत्पादक बन जाते हैं और इसके श्रमिकों को बढ़ी हुई शिक्षा और कौशल प्रदान किए जाते हैं। ● कई आधिकारिक पोर्टलों के तहत केवल पंजीकरण सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित नहीं करेगा, जब तक कि श्रम कानूनों का मजबूत कार्यान्वयन न हो। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** ● शहरी बेरोजगारी दर ● महिला रोजगार
बजट निर्माण को समझना	**संदर्भ:** अर्थव्यवस्था अभी भी महामारी से ग्रसित है, 1 फरवरी के बजट में विकास, मुद्रास्फीति और खर्च के आसपास की चिंताओं को दूर करने की संभावना है। **बजट के प्रमुख घटक क्या हैं?** ● तीन प्रमुख घटक हैं - o व्यय o रसीदें o घाटा संकेतक (Deficit indicators) ● संपत्ति और देनदारियों पर उनके प्रभाव के आधार पर, कुल व्यय को पूंजीगत और राजस्व व्यय में विभाजित किया जा सकता है। ○ स्थायी प्रकृति की परिसंपत्तियों को बढ़ाने या आवर्ती देनदारियों को कम करने के उद्देश्य से पूंजीगत व्यय किया जाता है। जैसे: नए स्कूल या नए अस्पताल बनाना। ○ राजस्व व्यय में कोई भी व्यय शामिल होता है जो परिसंपत्तियों में वृद्धि या देनदारियों को कम नहीं करता है। उदाहरण: मजदूरी और वेतन का भुगतान, सब्सिडी या ब्याज भुगतान। ● जिस तरह से यह विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है, उसके आधार पर व्यय को भी वर्गीकृत किया जाता है- (i) सामान्य सेवाएं (ii) आर्थिक सेवाओं में परिवहन, संचार, ग्रामीण विकास, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर व्यय शामिल होना

(iii) सामाजिक सेवाओं में शिक्षा या स्वास्थ्य सहित सामाजिक क्षेत्र पर व्यय होना
(iv) सहायता अनुदान और योगदान।

- आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर व्यय का योग मिलकर विकास व्यय का निर्माण करता है। फिर से, परिसंपत्ति निर्माण या देयता में कमी पर इसके प्रभाव के आधार पर, विकास व्यय को आगे राजस्व और पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- सरकार की प्राप्तियों के तीन घटक हैं -
    - राजस्व प्राप्तियों में ऐसी प्राप्तियां शामिल हैं जो देनदारियों में वृद्धि से जुड़ी नहीं होती हैं और इसमें करों और गैर-कर स्रोतों से राजस्व शामिल है।
    - गैर-ऋण प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा हैं जो अतिरिक्त देनदारियां उत्पन्न नहीं करती हैं। उदाहरण: विनिवेश से ऋण और आय की वसूली।
    - ऋण-सृजन पूंजी वे प्राप्तियां हैं जिनमें सरकार की उच्च देनदारियां और भविष्य की भुगतान प्रतिबद्धताएं शामिल हैं।
- परिभाषा के अनुसार राजकोषीय घाटा कुल व्यय और राजस्व प्राप्तियों तथा गैर-ऋण प्राप्तियों के योग के बीच का अंतर है। इसलिए, राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी को इंगित करता है।
- प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है।
- राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे से पूंजीगत व्यय घटाकर प्राप्त किया जाता है।

बजट का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है?

- बजट का अर्थव्यवस्था की समग्र मांग पर प्रभाव पड़ता है।
    - सभी सरकारी व्यय अर्थव्यवस्था में समग्र मांग उत्पन्न करते हैं क्योंकि इसमें सरकारी क्षेत्र द्वारा निजी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद शामिल है।
    - सभी कर और गैर-कर राजस्व निजी क्षेत्र की शुद्ध आय को कम करते हैं और इससे निजी और समग्र मांग में कमी आती है।
- व्यय जीडीपी अनुपात में कमी या राजस्व प्राप्ति-जीडीपी अनुपात में वृद्धि सकल मांग को कम करने के लिए सरकार की नीति को इंगित करती है और इसके विपरीत।
- इसी तरह के कारणों से, राजकोषीय घाटा-जीडीपी अनुपात और प्राथमिक घाटा-जीडीपी अनुपात में कमी मांग को कम करने की सरकार की नीति को इंगित करती है और इसके विपरीत।
- चूंकि व्यय और राजस्व के विभिन्न घटकों का विभिन्न वर्गों और सामाजिक समूहों की आय पर अलग-अलग प्रभाव हो सकता है, बजट का आय वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है।
    - उदाहरण के लिए, रोजगार गारंटी योजनाओं या खाद्य सब्सिडी जैसे राजस्व व्यय सीधे गरीबों की आय को बढ़ा सकते हैं।
    - कॉर्पोरेट टैक्स में छूट कॉर्पोरेट आय को सीधे और सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।
    - यद्यपि रोजगार गारंटी योजनाओं के लिए व्यय में वृद्धि या कॉर्पोरेट कर में कमी दोनों ही राजकोषीय घाटे को बढ़ाएंगे, आय वितरण के लिए इसके निहितार्थ अलग होंगे।

राजकोषीय नियम क्या हैं और वे नीति को कैसे प्रभावित करते हैं?

- राजकोषीय नियम विशिष्ट नीति लक्ष्य प्रदान करते हैं जिनके आधार पर राजकोषीय नीति बनाई जाती है। विभिन्न नीतिगत साधनों का उपयोग करके नीतिगत लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है।
- भारत के मामले में, इसका वर्तमान वित्तीय नियम एन.के. सिंह कमेटी की रिपोर्ट
- असाधारण समय में कुछ विचलन की अनुमति देते हुए, इसके तीन नीतिगत लक्ष्य हैं -
  o ऋण-जीडीपी अनुपात (स्टॉक लक्ष्य) का एक विशिष्ट स्तर बनाए रखना
  o राजकोषीय घाटा-जीडीपी अनुपात (प्रवाह लक्ष्य)
  o राजस्व घाटा-जीडीपी अनुपात (संरचना लक्ष्य)।
- हालांकि व्यय और राजस्व प्राप्तियां दोनों संभावित रूप से राजकोषीय नियमों के एक विशिष्ट सेट को पूरा करने के लिए नीतिगत साधनों के रूप में कार्य कर सकते हैं, मौजूदा नीति ढांचे के भीतर कर दरों को अर्थव्यवस्था की

	व्यय आवश्यकता से स्वतंत्र रूप से निर्धारित किया जाता है। ● तदनुसार, भारत में वर्तमान संस्थागत ढांचे में मुख्य रूप से व्यय है जिसे दिए गए कर-अनुपातों पर राजकोषीय नियमों को पूरा करने के लिए समायोजित किया जाता है। इस तरह के समायोजन तंत्र में राजकोषीय नीति के लिए कम से कम दो संबंधित, लेकिन विश्लेषणात्मक रूप से अलग, निहितार्थ हैं। ○ पहला, मौजूदा वित्तीय नियम तीन नीतिगत लक्ष्यों को लागू करके व्यय पर एक सीमा प्रदान करते हैं। ○ दूसरा, किसी भी स्थिति में जब ऋण-अनुपात या घाटा अनुपात लक्षित स्तर से अधिक होता है, तो नीतिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए व्यय को समायोजित किया जाता है। ○ निहितार्थ से, अर्थव्यवस्था की स्थिति और विस्तारवादी राजकोषीय नीति की आवश्यकता से स्वतंत्र, मौजूदा नीतिगत लक्ष्य सरकार को व्यय कम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। **निष्कर्ष** बेरोजगारी और कम उत्पादन वृद्धि दर की समकालीन चुनौतियों का समाधान करने के लिए राजकोषीय नीति की अपर्याप्तता के बीच, भारत में राजकोषीय नियमों की प्रकृति और उद्देश्य की फिर से जांच करनी होगी। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** ○ बजट और आर्थिक सुधार ○ केंद्रीय बजट सार 2021-22 ○ सहभागी बजटिंग
डीएलआई योजना और चिप बनाने का उद्योग	**संदर्भ:** भारत ने डिजाइन-लिंक्ड इंसेंटिव (design-linked incentive-DLI) योजना का हिस्सा बनने के लिए 100 घरेलू कंपनियों, स्टार्टअप्स और छोटे और मध्यम उद्यमों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। ● इसके अलावा, आईटी मंत्रालय ने अर्धचालक डिजाइन और निर्माण पर 85,000 योग्य इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिए अकादमिक, स्टार्ट-अप और एमएसएमई से प्रस्ताव मांगे हैं। **क्या आप जानते हैं?** ● यह अनुमान है कि सेमीकंडक्टर उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और इस दशक में 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। भारत तेजी से वर्ष 2026 तक 27 अरब डॉलर से 64 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। ● मोबाइल, वियरेबल्स, आईटी और औद्योगिक घटक भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग में प्रमुख खंड हैं जो 2021 में लगभग 80% राजस्व का योगदान करते हैं। ● मोबाइल और वियरेबल्स खंड का मूल्य $ 13.8 बिलियन है और 2026 में $ 31.5 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। **डीएलआई योजना क्या है?** ● डीएलआई योजना का उद्देश्य भारत में फैब या सेमीकंडक्टर बनाने वाले संयंत्र स्थापित करने वाली कंपनियों को वित्तीय और ढांचागत सहायता प्रदान करना है। ● यह उन पात्र प्रतिभागियों को कुल लागत का 50% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जो देश में इन फैबों को स्थापित कर सकते हैं। ● यह इस योजना के तहत, भारत में यौगिक अर्धचालक, सिलिकॉन फोटोनिक्स और सेंसर संयंत्रों के निर्माण के लिए प्रतिभागियों को पूंजीगत व्यय के 30% की वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। ● इंटीग्रेटेड सर्किट, चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स, सिस्टम और आईपी कोर के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन की कंपनियों को पांच साल के लिए शुद्ध बिक्री पर 4% से 6% का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। ● इससे कम से कम 20 ऐसी कंपनियों के विकास में मदद मिलने की उम्मीद है जो आने वाले पांच वर्षों में Rs.1500 करोड़ से अधिक का कारोबार हासिल कर सकती हैं। **यह योजना भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण उद्योग में कैसे बदलाव ला सकती है?** ● चिप्स और अर्धचालक घटकों की मांग में अचानक वृद्धि ने भारत में एक मजबूत अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। ● ऑटो, दूरसंचार और चिकित्सा प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों को केवल कुछ देशों द्वारा निर्मित चिप्स की कमी के कारण नुकसान उठाना पड़ा।

- कुछ देशों या कंपनियों पर उच्च निर्भरता से बचने के लिए डीएलआई जैसी योजनाएं महत्वपूर्ण हैं।
- नई कंपनियों की स्थापना से घरेलू मांग को पूरा करने और भारत में नवाचार को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।
- डीएलआई योजना का उद्देश्य मौजूदा और वैश्विक प्लेयर्स को आकर्षित करना है क्योंकि यह डिजाइन सॉफ्टवेयर, आईपी अधिकार, विकास, परीक्षण और तैनाती से संबंधित उनके खर्चों का समर्थन करेगा।
- सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए भारत को विश्व मानचित्र पर लाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

चिप बनाने की दौड़ में प्रमुख होने के लिए अन्य देश क्या कर रहे हैं?

- वर्तमान में, सेमीकंडक्टर निर्माण में यू.एस., जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, इज़राइल और नीदरलैंड की कंपनियों का दबदबा है। वे चिप की कमी की समस्या को दूर करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं।
- अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में वापस लाना चाहते हैं और बड़े पैमाने पर ताइवान और दक्षिण कोरिया में स्थित चिपमेकर्स की एक छोटी संख्या पर देश की निर्भरता को कम करना चाहते हैं। ये चिपमेकर दुनिया के 70% सेमीकंडक्टर का उत्पादन करते हैं।
- वर्ष 2030 तक यूरोपीय आयोग ने यूरोप की चिप उत्पादन हिस्सेदारी को 20% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ एक सार्वजनिक-निजी अर्धचालक गठबंधन की भी घोषणा की है।
- दक्षिण कोरिया ने 2030 तक 450 अरब डॉलर के निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों की पेशकश की है।

भारत में अर्धचालक बनाने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- भारत में, 90% से अधिक वैश्विक कंपनियों के पास पहले से ही अर्धचालकों के लिए अपने अनुसंधान एवं विकास और डिजाइन केंद्र हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी निर्माण इकाइयां स्थापित नहीं की हैं,
- हालांकि भारत के मोहाली और बंगलौर में सेमीकंडक्टर फैब हैं, वे विशुद्ध रूप से केवल रक्षा और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए रणनीतिक हैं।
- फैब स्थापित करना पूंजी गहन है और इसमें 5 अरब डॉलर से 10 अरब डॉलर के बीच निवेश की जरूरत है।
- भारत में फैब स्थापित करने के लिए निवेश और सहायक सरकारी नीतियों की कमी कुछ चुनौतियाँ हैं।
- हवाई अड्डों, बंदरगाहों और गैलन शुद्ध पानी की उपलब्धता जैसी बुनियादी सुविधाएं भारत में फैब स्थापित करने के लिए कुछ अन्य चुनौतियां हैं।

निष्कर्ष

- डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना के साथ-साथ हालिया प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना भारत को एक कुशल, न्यायसंगत और लचीला डिजाइन और निर्माण केंद्र के रूप में आकार देने में महत्वपूर्ण हो गई है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- अर्धचालक और उद्योग 4.0
- सेमीकंडक्टर की कमी

IAS BABA

Kickstart your IAS/UPSC 2023 Journey with

Baba's Foundation Course

(Baba's FC) - 2023

The Most Comprehensive CLASSROOM & MENTORSHIP Based Program for Fresher's

OFFLINE Classes begin at

Bengaluru

Admissions Open

ENROLL NOW

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 91691 91888

नेट जीरो रेस में वन बहाली (Forest Restoration in the Net Zero Race)	**संदर्भ:** COP26 शिखर सम्मेलन, ग्लासगो में 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य निर्धारित करने की भारत की प्रतिज्ञा ने फिर से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को कम करके मदद करने के लिए एक निर्विवाद तंत्र के रूप में वनों के महत्व पर प्रकाश डाला है। **वनों का महत्व** • अध्ययन के अनुसार, भूमि आधारित सिंक (प्राकृतिक जलवायु समाधान जिसमें वन भी शामिल हैं) 37% तक उत्सर्जन में कमी प्रदान करते हैं और वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने में मदद कर सकते हैं। • इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की एक रिपोर्ट के अनुसार, जंगलों को लगभग 32% कार्बन भंडारण सुरक्षित करने के लिए कहा जाता है। **भारत में वनों का निरंतर क्षरण** • हालांकि कहा जाता है कि भारत ने पिछले छह वर्षों में अपने वन क्षेत्र में 15,000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है, लेकिन वर्तमान में वनों का क्षरण जारी है। • वन राज्य रिपोर्ट (1989) के अनुसार, देश में खुले वन श्रेणी के तहत 2,57,409 वर्ग किमी (भौगोलिक क्षेत्र का 7.83%) था, जिसका घनत्व 10% से 40% से कम था। • हालांकि, 30 वर्षों (2019) में इसे बढ़ाकर 3,04,499 वर्ग किमी (9.26%) कर दिया गया है। इसका मतलब है कि प्रत्येक वर्ष औसतन लगभग 1.57 लाख हेक्टेयर वन नष्ट हो गए। • यह क्षरण अतिक्रमण, चराई, आग सहित मानवजनित दबावों की उपस्थिति को उजागर करता है, जो हमारे जंगलों के अधीन हैं। • वर्ष 1980 के बाद से लगभग 1.5 मिलियन हेक्टेयर वनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए मोड़ दिया (diverted) गया है और लगभग 1.48 मिलियन हेक्टेयर वनों को अतिक्रमणकारियों के हाथों खो दिया गया है, साथ ही गरीबी और बेरोजगारी के बीच भारत में जंगलों का भारी क्षरण और वनों की कटाई देखी जा रही है। **वनों को बहाल करने का सबसे अच्छा मार्ग क्या है?** • वनों का क्षरण तथा वनों की बहाली के माध्यम से कार्बन पृथक्करण के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक और प्रभावी मार्ग के रूप में लोगों की भागीदारी की गारंटी देता है। • व्यावसायिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने से लेकर एक भागीदारी तरीके तक लोगों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए (राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में परिकल्पित), भारत ने 1990 में, वनों की रक्षा और प्रबंधन करते हुए स्थानीय समुदायों को एक साझेदारी मोड में शामिल करने का प्रयास किया। • संयुक्त वन प्रबंधन की इस अवधारणा ने राज्यों और वन-सीमांत समुदायों के लिए बहुत आशा जगाई। • इस सहभागी दृष्टिकोण को क्रियाशील बनाने के प्रयासों के परिणामस्वरूप लगभग 1.18 लाख संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का गठन हुआ, जो 25 मिलियन हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र का प्रबंधन करती हैं। • राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और बाघ अभयारण्यों के मामले में संयुक्त प्रबंधन की समान प्रणाली, जो पर्यावरण-विकास समितियों के नाम पर मौजूद थी, शुरू में प्रभावी साबित हुई क्योंकि यह इन भाग लेने वाले समुदायों का समर्थन करती थी। • ऐसी स्थानीय भागीदारी न केवल जैव विविधता के संरक्षण और विकास के लिए बल्कि मानव-पशु संघर्षों में उल्लेखनीय कमी और जंगलों को आग और चराई से बचाने में भी है। **संयुक्त वन प्रबंधन के साथ मुख्य सरोकार क्या हैं?** • हालांकि, परियोजना अवधि के पूरा होने और बाद में वित्त पोषण की कमी ने उनकी कार्यक्षमता को प्रभावित किया और संबंधित गैर-सरकारी संगठनों सहित स्थानीय समुदायों से समर्थन की कमी के कारण वनों की सुरक्षा को भी प्रभावित किया। • राष्ट्रीय हरित भारत मिशन को छोड़कर, अन्य सभी केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों में, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के संस्थानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता और नीति समर्थन की

	कमी ने धीरे-धीरे उनकी भागीदारी को प्रथागत बना दिया। इससे उनकी प्रभावशीलता में धीरे-धीरे गिरावट आई। • ग्राम पंचायत या संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के स्थानीय संस्थानों की भूमिका अब योजना और कार्यान्वयन में भागीदार होने के बजाय एक सलाहकार संस्था तक सीमित है। • विभिन्न योजनाओं की सहभागी योजना और कार्यान्वयन से यह उदासीनता और अलगाव वन विभागों और समुदायों के बीच सामंजस्य को प्रभावित करता है, जिससे वनों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। **तेलंगाना मॉडल** • शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मौजूदा कानूनी और नीति तंत्र पर फिर से विचार करने, स्थानीय समुदायों को उचित रूप से प्रोत्साहित करने और स्थानीय संस्थानों के माध्यम से योजना बनाने और कार्यान्वयन में स्थानीय लोगों की पर्याप्त भागीदारी के लिए विधिवत रूप से बहाली के हस्तक्षेप के लिए निधि प्रवाह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। • राजनीतिक प्राथमिकता और उचित नीतिगत हस्तक्षेप, हाल ही में तेलंगाना में पर्यावरण संबंधी चिंताओं के लिए पंचायत और नगरपालिका अधिनियमों में संशोधन करके, वृक्षारोपण और संबंधित गतिविधियों के लिए ग्रीन फंड, या तेलंगाना हरिता निधि के लिए प्रावधान करके, अन्य राज्यों में प्रतिकृति की आवश्यकता है। • वन संसाधनों के संरक्षण और विकास के प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय समुदायों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय और संस्थागत सहायता तंत्र और हितधारकों के साथ बातचीत को सक्षम करके इनका समर्थन किया जाना चाहिए। • हालांकि भारत वनों और भूमि उपयोग पर ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं बना, लेकिन त्वरित वित्त के साथ सहभागी समुदायों के भूमि कार्यकाल और वन अधिकारों के विचार नेट जीरो की दौड़ में सहायता के कदमों में मदद करेंगे। • राजनीतिक प्राथमिकता के साथ यह समावेशी दृष्टिकोण न केवल उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा बल्कि 'हमारे वन कवर' को 'हमारे कुल क्षेत्रफल का एक तिहाई' तक बढ़ाने और बढ़ाने में भी मदद करेगा। यह समृद्ध और बहुमूल्य जैविक विविधता की रक्षा भी करेगा।
वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021	• पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा तैयार 'इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021' जारी की। • देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62 प्रतिशत है। **वन आवरण की परिभाषा** • भारतीय वन सर्वेक्षण 'वन आवरण' को एक हेक्टेयर या उससे अधिक की सभी भूमि के रूप में परिभाषित करता है जिसमें पेड़ के पैच (patches) 10 प्रतिशत से अधिक के छत्र घनत्व के साथ होते हैं। • इसमें सभी भूमि शामिल हैं, चाहे कानूनी स्वामित्व और भूमि उपयोग कुछ भी हो। • 'अभिलेखित वन क्षेत्र' में केवल वे क्षेत्र शामिल हैं जिन्हें सरकारी अभिलेखों में वनों के रूप में दर्ज किया गया है और इसमें प्राचीन वन शामिल हैं। **वन की श्रेणियाँ** • वनों की तीन श्रेणियों का सर्वेक्षण किया गया है जिनमें शामिल हैं- अत्यधिक सघन वन (70% से अधिक चंदवा घनत्व), मध्यम सघन वन (40-70%) और खुले वन (10-40%)। • स्क्रबस (चंदवा घनत्व 10% से कम) का भी सर्वेक्षण किया गया लेकिन उन्हें वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया। • खुले वनों का वर्तमान में देश के वन क्षेत्र में सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसमें कुल वन क्षेत्र का 9.34 प्रतिशत (307,120 वर्ग किमी) है। बहुत घने जंगल (प्राचीन प्राकृतिक वन) कुल वन क्षेत्र का सिर्फ 3.04 प्रतिशत (99,779 वर्ग किमी) हैं। **ISFR 2021 की विशेषताएं:** • इसने पहली बार टाइगर रिज़र्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं में वन आवरण का

	आकलन किया है। ● वर्ष 2011-2021 के मध्य बाघ गलियारों में वन क्षेत्र में 37.15 वर्ग किमी (0.32%) की वृद्धि हुई है, लेकिन बाघ अभयारण्यों में 22.6 वर्ग किमी (0.04%) की कमी आई है। ● इन 10 वर्षों में 20 बाघ अभयारण्यों में वनावरण में वृद्धि हुई है, साथ ही 32 बाघ अभयारण्यों के वनावरण क्षेत्र में कमी आई। ● बक्सा (पश्चिम बंगाल), अनामलाई (तमिलनाडु) और इंद्रावती रिज़र्व (छत्तीसगढ़) के वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है जबकि कवल (तेलंगाना), भद्रा (कर्नाटक) और सुंदरबन रिज़र्व (पश्चिम बंगाल) में हुई है। ● अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिज़र्व में सबसे अधिक लगभग 97% वन आवरण है। ● **मैंग्रोव:** मैंग्रोव में 17 वर्ग किमी. की वृद्धि देखी गई है। भारत का कुल मैंग्रोव आवरण अब 4,992 वर्ग किमी. हो गया है। **कुल कार्बन स्टॉक:** ● देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें वर्ष 2019 से 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ● वन कार्बन स्टॉक का आशय कार्बन की ऐसी मात्रा से है जिसे वातावरण से अलग किया गया है और अब वन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संग्रहीत किया जाता है, मुख्य रूप से जीवित बायोमास और मिट्टी के भीतर और कुछ हद तक लकड़ी और अपशिष्ट में भी। ● **बाँस के वन:** वर्ष 2019 में वनों में मौजूद बाँस की संख्या 13,882 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2021 में 53,336 मिलियन हो गई है। **चिंताएँ** ● **प्राकृतिक वनों में गिरावट:** ○ मध्यम घने जंगलों या 'प्राकृतिक वन' में 1,582 वर्ग किलोमीटर की गिरावट आई है। ○ यह गिरावट खुले वन क्षेत्रों में 2,621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ-साथ देश में वनों के क्षरण को दर्शाती है। ○ साथ ही झाड़ी क्षेत्र में 5,320 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो इस क्षेत्र में वनों के पूर्ण क्षरण को दर्शाता है। ○ बहुत घने जंगलों में 501 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। **उच्चतम वन क्षेत्र/आच्छादन वाले राज्य:** ● **क्षेत्रफल की दृष्टि से**: मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं। ● कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष पाँच राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नगालैंड हैं। ● शब्द 'वन क्षेत्र' '(Forest Area) सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है, जबकि 'वन आवरण' (Forest Cover) शब्द किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है। **क्या आप जानते हैं:** ● विश्व धरोहर वनों पर यूनेस्को के आकलन के अनुसार, भारत का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उन पांच स्थलों में शामिल है, जिनके पास विश्व स्तर पर सबसे अधिक ब्लू कार्बन स्टॉक है
बाघ को बचाना (Saving the Tiger)	**संदर्भ:** वर्ष 2021 में भारत ने एक दशक में बाघों की संख्या में गिरावट का सबसे बड़ा अंतर दर्ज किया है। ● पिछले साल 127 बड़ी बिल्लियां (big cats) शिकारियों और दुर्घटनाओं से लेकर प्राकृतिक कारणों से मानव-पशु संघर्ष के साथ हर चीज का शिकार हो चुकी हैं। ● भारत वैश्विक बाघों की एक तिहाई आबादी का घर है और बड़ी बिल्ली को बचाने में देश की सफलता उनकी संख्या की रक्षा के वैश्विक प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है। **वर्तमान संख्या**

- वर्तमान में, भारत में बाघों की आबादी का लगभग 75% और दुनिया के 13 बाघ रेंज वाले देशों में इसके स्रोत क्षेत्र हैं।
- देश के भौगोलिक क्षेत्र का 2.24% 18 राज्यों में 51 बाघ अभयारण्यों में फैला हुआ है।

सुरक्षा की स्थिति

- **भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची I।
- **IUCN रेड लिस्ट:** संकटापन्न।
- **उद्धरण:** परिशिष्ट I

बाघ बचाओ, जंगल बचाओ

बाघ न केवल हमारा राष्ट्रीय पशु है बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतीक है।

- एक शीर्ष शिकारी के रूप में, जंगली बाघ ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र के सामंजस्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टाइगर इको-सिस्टम त्रिकोण के शिखर पर होता है। यदि बाघ गायब हो जाता है, तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है और हमारे वनस्पतियों और जीवों को भारी नुकसान होता है।
- बाघ के संरक्षण में, हम न केवल एक विशेष प्रजाति को बचा रहे हैं, बल्कि हमारे लुप्तप्राय पारिस्थितिकी तंत्र को भी बचा रहे हैं। बाघों के लिए आवश्यक विशाल रेंज हमें लैंडस्केप कनेक्टिविटी और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है, जो पूरे जीवमंडल के लिए फायदेमंद है।
- 20वीं सदी की शुरुआत में, भारतीय बाघों की संख्या लगभग 40,000 थी; आजादी के बाद, बाघों को बेरहमी से मार दिया गया और 1972 के बाघों ने उनकी संख्या 1500 से भी कम कर दी।
- हर साल, 100 से अधिक बाघ कई कारणों से मर जाते हैं (जैसे स्वास्थ्य कारक या अवैध शिकार)। वे विभिन्न आवासों के बीच रहते हैं, इसलिए संरक्षित क्षेत्र उनके अस्तित्व के लिए मौलिक हैं, परिदृश्य को जोड़ना भी आवश्यक है। इन क्षेत्रों में अक्सर सीमित सुरक्षा होती है क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में कई विकास, खनन और निष्कर्षण परियोजनाएं आ रही हैं। ये गतिविधियाँ न केवल हमारे वन क्षेत्रों को कम करती हैं बल्कि शिकारियों को बाघों और तेंदुओं को मारने और शिकार करने के अतिरिक्त अवसर देती हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए प्रयास

- भारत दुनिया का पहला देश था जिसने बाघों और उसके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण का समर्थन किया।
- 1973 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर, विश्व स्तर पर अपनी तरह की सबसे बड़ी संरक्षण पहलों में से एक था। 1973 में नौ बाघ अभयारण्यों से शुरू होकर, अब भारत में लगभग 40000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 50 बाघ अभयारण्य हैं।
- बाघ की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। यह वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के समझौते की वर्षगांठ है।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) (पहले प्रोजेक्ट टाइगर) ने एम-स्ट्रिप्स (बाघों के लिए निगरानी प्रणाली - गहन सुरक्षा और पारिस्थितिक स्थिति), वन रक्षकों के लिए एक मोबाइल निगरानी प्रणाली शुरू की है।
- भारत की 2018 टाइगर जनगणना ने वन्यजीव सर्वेक्षण में दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैपिंग होने के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई थी।

बाघों की जनगणना की आवश्यकता क्यों है?

- बाघ आकलन अभ्यास में निवास स्थान का आकलन और शिकार का आकलन शामिल है।
- ये संख्याएं संरक्षण प्रयासों की सफलता या विफलता को दर्शाती हैं।
- यह भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से महत्वपूर्ण संकेतक है जहां विकास के दबाव अक्सर संरक्षण की मांगों के विपरीत होते हैं।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

- यह टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद दिसंबर 2005 में स्थापित किया गया था, जिसका गठन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर और भारत में कई टाइगर रिजर्व के पुनर्गठित प्रबंधन के लिए किया गया था।
- वर्ष 2006 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 को इसके गठन के लिए संशोधित किया गया था।

	• यह लुप्तप्राय बाघों की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। • राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने महामारी के दौरान बाघों और जंगलों की सुरक्षा के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान को पहचानने के लिए कुछ वन फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को 'बाघरक्षक' के रूप में सम्मानित किया। **निष्कर्ष** • "जंगल को उसके बाघों के साथ मत काटो और बाघों को जंगल से मत निकालो। बाघ जंगल के बिना नष्ट हो जाता है और जंगल बाघों के बिना नष्ट हो जाता है" (उद्योगपर्व)। • भारत के बाघ अभ्यारण्य सहित जंगलों और अन्य प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने की तुरंत आवश्यकता है। हमें बाघों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदायों को शामिल करना चाहिए। बाघ संरक्षण के माध्यम से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए एक मजबूत संदेश जन-जन तक पहुंचना चाहिए।
भारतीय पर्यावरण सेवा के लिए एक प्रस्ताव	**संदर्भ:** सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या वह 2014 में पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के अनुसार एक भारतीय पर्यावरण सेवा (आईईएस) बनाएगी। **पर्यावरण पर टी.एस.आर सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट क्या है?** • अगस्त 2014 में देश के हरित कानूनों और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था। • यह सरकार के आर्थिक विकास के एजेंडे के साथ संरेखित करने के लिए कई संशोधनों का सुझाव दिया। • तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय क्षेत्र की मंजूरी सहित लगभग सभी हरित कानूनों में संशोधन का सुझाव दिया गया था। • हालांकि, रिपोर्ट की जांच करने वाली एक संसदीय स्थायी समिति ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाए गए पर्यावरण कानून के प्रमुख पहलुओं को कमजोर कर दिया। • संसदीय समिति ने सुझाव दिया कि पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के लिए अधिक विशेषज्ञता और समय के साथ एक अन्य समिति का गठन किया जाए। **T.S.R रिपोर्ट ने क्या सिफारिश की?** • **समर्पित विधान (Dedicated Legislation) :** रिपोर्ट ने एक 'पर्यावरण कानून (प्रबंधन) अधिनियम' (ईएलएमए) का प्रस्ताव दिया, जिसमें पूर्णकालिक विशेषज्ञ निकायों-राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण (एनईएमए) और राज्य पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण (एसईएमए) की कल्पना की थी। ○ साथ ही, वायु अधिनियम और जल अधिनियम को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में समाहित किया जाना है। ○ नए निकायों के अस्तित्व में आने के बाद मौजूदा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को एनईएमए (National Environmental Management Authority-NEMA) और सेमा (State Environmental Management Authority-SEMA) में एकीकृत करने का प्रस्ताव है। • **पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाना:** NEMA और SEMA एकल-खिड़की मंजूरी प्रदान करते हुए, समयबद्ध तरीके से परियोजना मंजूरी (प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता का उपयोग करके) का मूल्यांकन करते है। ○ पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, उन्होंने "रैखिक" परियोजनाओं (सड़कों, रेलवे और पारेषण लाइनों), बिजली और खनन परियोजनाओं और "राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं" के लिए "फास्ट ट्रैक" प्रक्रिया का सुझाव दिया। • **अपीलीय तंत्र:** इसने NEMA/SEMA या MoEF&CC के निर्णयों के विरुद्ध एक अपीलीय तंत्र का भी सुझाव दिया, जिसमें परियोजना की मंजूरी के संबंध में, अपीलों के निपटान के लिए तीन महीने की समय सीमा निर्धारित की गई थी। • **पर्यावरण लागत:** रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि नुकसान हुए पर्यावरण के आधार पर प्रत्येक परियोजना के लिए "पर्यावरण पुनर्निर्माण लागत" का आकलन करके इसे लागत में जोड़ा जाना चाहिए। इस लागत को परियोजना प्रस्तावक से उपकर या शुल्क के रूप में वसूल किया जाना है। • **अनुसंधान संस्थान:** रिपोर्ट में पर्यावरण प्रशासन में उच्च तकनीक के अनुप्रयोग को लाने के लिए "भारतीय

	वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की तर्ज पर" एक राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान का भी प्रस्ताव है। • **समर्पित सिविल सेवा:** अंत में, रिपोर्ट ने पर्यावरण क्षेत्र में योग्य और कुशल मानव संसाधन की भर्ती के लिए एक भारतीय पर्यावरण सेवा की सिफारिश की। **क्या सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है?** • केंद्र ने कभी भी इस रिपोर्ट को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया और न ही संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार नई समिति का गठन किया। • हालांकि, इनमें से कई सिफारिशें पर्यावरण विनियमन की प्रक्रिया में परोक्ष रूप से अपना रास्ता बना रही हैं। • सरकार ने वन संरक्षण कानूनों को फिर से लिखने का प्रस्ताव किया है, उस गति के लिए समय-सीमा निर्धारित की है जिस गति से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने वाली विशेषज्ञ समितियों को आगे बढ़ना चाहिए। **आईईएस का विषय कैसे सामने आया?** • सुप्रीम कोर्ट एक वकील समर विजय सिंह द्वारा दायर एक याचिका का जवाब दे रहा था, जिसके वकील ने बताया कि पर्यावरण के मामलों में विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। • वर्तमान में पर्यावरण विनियमन के मामले पर्यावरण और वन मंत्रालय के वैज्ञानिकों के साथ-साथ भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के नौकरशाहों पर निर्भर हैं। • शीर्ष अदालत ने सरकार के प्रशासनिक मामलों में शामिल नहीं हुए, लेकिन फिर भी केंद्र से पूछा कि क्या वह इस तरह के तंत्र के गठन के बारे में जाने की उम्मीद करता है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** • जलवायु संकट से निपटना • जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी की रिपोर्ट • पेरिस जलवायु समझौता
केरल की सिल्वरलाइन परियोजना	**प्रसंग:** सम्पूर्ण केरल में सिल्वरलाइन के विरुद्ध हो रहे विरोध के बावजूद, राज्य सरकार परियोजना को लागू करने पर अडिग है। **केरल की सिल्वरलाइन परियोजना क्या है?**

	• यह प्रस्तावित रेल-लिंक लगभग 529.45 किलोमीटर का है और तिरुवनंतपुरम को कासरगोड से जोड़ेगा। यह 11 स्टेशनों के माध्यम से 11 जिलों को कवर करेगा। • सिल्वरलाइन परियोजना एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। इसमें केरल के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच 200 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों की परिकल्पना की गई है। • मौजूदा भारतीय रेलवे नेटवर्क पर अब 12 घंटे लगते हैं। • यह परियोजना "केरल रेल विकास निगम लिमिटेड (KRDCL)" द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। • यह परियोजना केरल सरकार और केंद्रीय रेल मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम है। इस परियोजना के कार्यान्वयन की समय सीमा 2025 है। • के-रेल के अनुसार, इस परियोजना में इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) प्रकार की ट्रेनें होंगी, जिनमें से प्रत्येक में अधिमानतः नौ कारें होंगी जिन्हें 12 तक बढ़ाया जा सकता है। एक नौ-कार रेक में व्यवसाय और मानक श्रेणी की सेटिंग में अधिकतम 675 यात्री बैठ सकते हैं। **सिल्वरलाइन परियोजना का महत्व** • कई शहरी नीति विशेषज्ञ चिंता जताते हैं कि केरल में मौजूदा रेलवे बुनियादी ढांचा भविष्य की मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। • मौजूदा खंड पर वक्र और मोड़ के कारण अधिकतर ट्रेनें 45 किमी/घंटा की औसत गति से चलती हैं। • इसलिए सरकार सिल्वरलाइन परियोजना पर काम कर रही है, जो मौजूदा खंड से यातायात का एक महत्वपूर्ण भार उठा सकती है और यात्रियों के लिए यात्रा को तेज कर सकती है। • इसके अलावा, परियोजना ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को भी कम करेगी, रोजगार के अवसर पैदा करेगी और रो-रो सेवाओं के विस्तार में मदद करेगी, हवाई अड्डों और आईटी कॉरिडोर को एकीकृत करेगी और साथ ही उन शहरों में तेजी से विकास को सक्षम करेगी जहां से यह गुजरती है। **परियोजना का विरोध क्यों हो रहा है?** • राजनीतिक दल और नागरिक संगठन अलग-अलग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। • राज्य के 17 विपक्षी सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका में कहा गया है कि o परियोजना आर्थिक रूप से अव्यवहार्य थी o राज्य को और अधिक कर्ज में डुबो देगा। 0 30,000 से अधिक परिवारों का विस्थापन होगा o एक "खगोलीय घोटाला चल रहा है" • ग्रीन एक्टिविस्ट का आरोप है कि सिल्वरलाइन से पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा क्योंकि इसका रूट कीमती आर्द्रभूमि, धान के खेतों और पहाड़ियों से होकर गुजरता है। • नागरिक संगठनों का आरोप है कि लाइन के बड़े हिस्से के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण प्राकृतिक जल निकासी को अवरुद्ध करेगा और भारी बारिश के दौरान बाढ़ का कारण बनेगा। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** • पेरिस जलवायु समझौते पर • सीओपी26 जलवायु सम्मेलन

इतिहास

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बंगाल की भूमिका	**संदर्भ:** बंगाल, जैसा कि पश्चिम बंगाल लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपने अपार योगदान के लिए प्रसिद्ध है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, बंगाल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र के साथ-साथ बंगाली पुनर्जागरण के केंद्र के रूप में उभरा। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में स्वदेशी आंदोलन के मद्देनजर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बंगाल में एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल प्रांत के विभाजन से बंगाल में उत्पन्न आक्रोश की अभिव्यक्ति थी। **भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल का योगदान:**

- सन्यासी विद्रोह 1763 ई. से प्रारम्भ होकर 1800 ई. तक चला। यह बंगाल के गिरि सम्प्रदाय के सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया था। इसमें जमींदार, कृषक तथा शिल्पकारों ने भी भाग लिया।
- नील विद्रोह काफी हद तक अहिंसक था और इसने बाद के वर्षों में गांधीजी के अहिंसक सत्याग्रह के अग्रदूत के रूप में काम किया। इस विद्रोह को नील दर्पण नाटक में इसके चित्रण और गद्य तथा कविता के कई अन्य कार्यों में भी बेहद लोकप्रिय बनाया गया था। इसने बंगाल की राजनीतिक चेतना में विद्रोह को केंद्र में ले लिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई बाद के आंदोलनों को प्रभावित किया।
- बंकिम चंद्र चटर्जी ने मातृभूमि को देवी-देवता के साथ पहचान कर राष्ट्रवाद को धर्म के स्तर तक उठाया। आनंदमठ में ही उन्होंने 'वंदे मातरम' कविता लिखी थी।
- बंगाल पुनर्जागरण ने महिलाओं के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक सुधार लाने के लिए कई जर्नल हाउस बनाए और कई समाचार पत्रों, पत्रकार प्रकाशनों जैसे तत्वबाधिनी पत्रिका, संपर्क, सर्वशुभंकर पत्रिका और हिंदू देशभक्त के साथ जुड़े। इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक सामाजिक आधार प्रदान किया।
- स्वदेशी आंदोलन के कारण बंगाल राष्ट्रीय चेतना में उभरा और आगे वामपंथी, समाजवादी तत्वों मुख्य रूप से बंगाल बुद्धिजीवी (भद्रलोक) का केंद्र भी बन गया।
- एमएन रॉय के नेतृत्व में वामपंथियों ने समाजवादी नीति के साथ लोकतांत्रिक, नागरिक स्वतंत्रतावादी राजनीति के विकास को भी प्रभावित किया जिसे भारतीय राज्य ने अंततः खुद को विकसित किया।
- किसान भी स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख हितधारक बन गए क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन ने अपने मूल सिद्धांतों में से एक कट्टरपंथी कृषि सुधार की विचारधारा को अपने ऊपर ले लिया, जो बंगाल में कम्युनिस्ट संघर्षों से भी प्रभावित था।
- बंगाल की एकता के समर्थन में आंदोलन और देश के कई हिस्सों में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन आयोजित किए गए। बंगाल के बाहर आंदोलन के प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाने वाले तिलक ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत में देखा। उन्होंने महसूस किया कि देश को आम सहानुभूति के बंधन में बांधने के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोकप्रिय जन संघर्ष को संगठित करने की चुनौती और अवसर था।
- बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ने एक विशिष्ट भारतीय आधुनिकतावाद को बढ़ावा दिया जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश राज के दौरान पूरे भारत में फला-फूला। लोक कला, भारतीय चित्रकला परंपराओं, हिंदू कल्पना, स्वदेशी सामग्री और समकालीन ग्रामीण जीवन के चित्रणों का संश्लेषण करके, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के कलाकार मानवतावाद का जश्न मनाते और भारतीय पहचान, स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए एक गतिशील गूँज लाये ।
- अनुशीलन समिति और जुगंतर दो मुख्य संगठनों के रूप में काम किये गए जिसको "अग्नि युग" (अग्नि का युग) के रूप में जाना जाता है। भारतीयों को हथियार और बम बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए अंडरग्राउंड सेल बनाए गए। विदेशी अधिकारियों की हत्याएं, जिन्होंने विरोध प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचल दिया ये आम बात हो गई। इस तरह की रणनीति और सफलता पंजाब में भगत सिंह से लेकर चटगांव में सूर्य सेन और बाद में सुभाष चंद्र बोस तक पूरे देश में क्रांतिकारियों को प्रेरित किया।
- क्रांतिकारी गतिविधि स्वदेशी बंगाल की सबसे महत्वपूर्ण विरासत के रूप में उभरी, जिसका शिक्षित युवाओं पर एक या अधिक पीढ़ी तक प्रभाव पड़ा। इसके अलावा, इसने क्विक्सोटिक वीरता (quixotic heroism) को प्रोत्साहित किया। जनता की भागीदारी की परिकल्पना नहीं की गई थी, जिसने बंगाल में आंदोलन के संकीर्ण उच्च जाति के सामाजिक आधार के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधि के दायरे को गंभीर रूप से सीमित कर दिया था।
- हालांकि, लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक नवाब सलीम उल्लाह को बहिष्कार में भाग नहीं लेने के लिए पर्याप्त राशि प्रदान करके अपनी फूट डालो और राज करो की नीति को पूरा किया था। मुसलमानों के बीच अलगाववाद और असंतोष के उदय को बाद में अलग निर्वाचक मंडलों के माध्यम से बढ़ावा दिया गया और अक्सर मुस्लिम लीग के नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग नहीं करेंगे जैसा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देखा गया था।

यह निष्पक्ष रूप से निष्कर्ष निकला कि 1905 की घटनाओं में वे बीज (seeds) थे जिन्होंने राष्ट्रवाद, आर्थिक नीति और शैक्षिक सुधारों के संदर्भ में आने वाले वर्षों के लिए उपमहाद्वीप के भविष्य को आकार दिया। दुर्भाग्य से, इसने विभाजन के बीज भी बोए, जिसकी परिणति 1947 में देश के विभाजन के रूप में हुई।

निष्कर्ष

	स्वतंत्रता आंदोलन में बंगाल का योगदान 1757 में प्लासी की लड़ाई से शुरू होकर फरवरी 1946 में भारतीय नौसेना के विद्रोह के साथ एकजुटता में कलकत्ता में 700000 श्रमिकों की हड़ताल तक रहा है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष निम्नलिखित का उल्लेख किए बिना अधूरा है। जिसमे बंगाल की अहम भूमिका है।
वांडीवाश की लड़ाई (Battle of Wandiwash)	● यह तीसरा कर्नाटक युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। **के बीच:** भारत में ब्रिटिश तथा फ्रान्सीसी सेनाओं के बीच हुआ एक निर्णायक युद्ध था। इसमें फ्रान्सीसी सेना की हार हुई थी। फ्रांसीसी जनरल-काउंट डे लैली ब्रिटिश लेफ्टिनेंट-जनरल सर आयर कूटे (General Sir Eyre Coote) **के लिए:** फ्रांसीसी द्वारा वंदवसी (Vandavasi) के किले को जीतने का प्रयास। **कहा पर :** तमिलनाडु में वंदवसी **जीत :** ब्रिटिश **युद्ध की अवधि** ● यूरोप में, जब ऑस्ट्रिया 1756 में सिलेसिया को पुनः प्राप्त करना चाहता था, तो सात वर्षीय युद्ध (1756-63) शुरू हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस एक बार फिर विपरीत दिशा में थे। ● 1758 में, फ्रांसीसी जनरल, काउंट थॉमस आर्थर डी लैली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट डेविड और विजयनगरम के अंग्रेजी किलों पर कब्जा कर लिया। ● मसूलीपट्टनम में एडमिरल डी'आचे के नेतृत्व में अंग्रेज आक्रामक हो गए और फ्रांसीसी बेड़े को भारी नुकसान पहुंचाया। ● अंग्रेजों ने भारत में फ्रांस को हराया; फ्रांसीसी ने अंग्रेजों और अन्य क्षेत्रों पर कब्जा खो दिया। पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध समाप्त हो गया। ● दोनों पक्षों के अधिग्रहित क्षेत्रों को बहाल कर दिया गया, लेकिन फ्रांसीसियों ने भारत में अपना प्रभाव हमेशा के लिए खो दिया। **युद्ध का महत्व** ● फ्रांसीसियों ने भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव हमेशा के लिए खो दिया। ● अंग्रेज बिना किसी प्रतिद्वंदी के भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति बन गए। यह अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था जिसने पूरे देश में अपना प्रभुत्व और शासन स्थापित किया। **अंग्रेजों की जीत और फ्रांसीसियों की हार कैसे हुई?** **A. अंग्रेजों पर कम सरकारी नियंत्रण होना :** ● अंग्रेजी कंपनी एक निजी उद्यम (private enterprise) थी। इस पर कम सरकारी नियंत्रण था, यह कंपनी सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना जरूरत पड़ने पर तत्काल निर्णय ले सकती थी। इसका कथन था - त्वरित निर्णय >> बेहतर परिणाम। ● दूसरी ओर, फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांसीसी सरकार द्वारा नियंत्रित और विनियमित थी और सरकार की नीतियों तथा निर्णय लेने में देरी होती थी। **B. सुपीरियर ब्रिटिश नौसेना और नियंत्रण में बड़े शहर का होना :** ● अंग्रेजी नौसेना फ्रांसीसी नौसेना से श्रेष्ठ थी। ● भारत और फ्रांस में फ्रांसीसी आधिपत्य के बीच महत्वपूर्ण समुद्री संपर्क को काट दिया **C. भारतीय भूमि पर अंग्रेजों की ज्यादा उपस्थिति होना :** ● अंग्रेजों के पास तीन महत्वपूर्ण स्थान कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास थे, ● उस समय बंगाल सबसे धनी प्रांत था जो अंग्रेजों को अपनी सेना के रखरखाव के लिए अधिक धन उपलब्ध कराता था। ● फ्रांसीसियों के पास केवल पांडिचेरी था। **D. मौद्रिक स्थिति के मामले में ब्रिटिशों का मजबूत होना :** ● फ्रांसीसी ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की तुलना में अपने व्यावसायिक हितों पर ध्यान नहीं दिया, जिससे फ्रांसीसी कंपनी को धन की कमी हो गई।

- अपने साम्राज्यवादी इरादों के बावजूद, अंग्रेजों ने अपने व्यावसायिक हितों की कभी उपेक्षा नहीं की।

E. सुपीरियर ब्रिटिश कमांडर होना :

- भारत में अंग्रेजों की सफलता का एक प्रमुख कारक ब्रिटिश खेमे में कमांडरों की श्रेष्ठता थी- सर आयर कूटे, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव और कई अन्य थे।
- फ्रांसीसी पक्ष में केवल डुप्लेक्स था।

ध्यान देने योग्य बातें :

1. प्रथम कर्नाटक युद्ध (1746-1748):

- फ्रांस और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया।
- फ्रांस और अंग्रेजों के बीच लड़े गए 3 में से पहला युद्ध।
- यूरोप में एंग्लो-फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता का विस्तार, उत्तराधिकार का ऑस्ट्रियाई युद्ध।

2. दूसरा कर्नाटक युद्ध (1749-1754)

- एक तरफ नासिर जंग के बीच, अंग्रेजों द्वारा समर्थित, और दूसरी तरफ चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग, फ्रांसीसी द्वारा समर्थित, यह आर्कोट के नवाब (Nawab of Arcot) बनने की होड़ में ।
- यह युद्ध 1754 में हस्ताक्षर किए गए पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसने मुहम्मद ऐ खान वालाजाह को कर्नाटक के नवाब के रूप में मान्यता दी।

क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?

1. आंतरिक प्रतिद्वंद्विता ने किस प्रकार भारत में प्रारंभिक ब्रिटिश विस्तार और नियंत्रण की ओर अग्रसर किया? चर्चा कीजिए।

2. तीसरे कर्नाटक युद्ध के कारणों और परिणामों की व्याख्या करें?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

बैटरी तकनीक में सफलता (Breakthrough in battery tech)

संदर्भ: कैलिफोर्निया स्थित क्वांटमस्केप कॉर्प के शेयरधारकों, सॉलिड-स्टेट बैटरी स्टार्टअप, जो पिछले साल एक ब्लैंक-चेक डील के माध्यम से सार्वजनिक हुआ, ने अपने शीर्ष कार्यकारी के लिए एक मल्टीबिलियन-डॉलर के वेतन पैकेज को मंजूरी दी।

- इस समझौते के तहत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगदीप सिंह को संभावित रूप से 2.3 बिलियन डॉलर के स्टॉक विकल्प प्राप्त हो सकते हैं, अगर कंपनी विभिन्न मील के पत्थर को पूरा करती है।

एक क्वांटम उछाल (A quantum leap)

- क्वांटमस्केप की सॉलिड-स्टेट बैटरी को दो इलेक्ट्रोड को अलग करने वाले एक ठोस इलेक्ट्रोलाइट के साथ लिथियम धातु की एक संभावना के रूप में देखा जाता है।
- एक दशक पहले सिंह द्वारा सह-स्थापित कंपनी का मूल्य लगभग 50 बिलियन डॉलर था, इस वादे पर कि इसकी नई बैटरी तकनीक लिथियम-आयन बैटरी के लिए एक सुरक्षित, सस्ता विकल्प पेश कर सकती है।
- लिथियम धातु के साथ काम करने में सक्षम सॉलिड-स्टेट सेपरेटर (इलेक्ट्रोलाइट) बनाने के पहले के प्रयासों में चक्र जीवन और बैटरी के ऑपरेटिंग तापमान, और एनोड पर अतिरिक्त लिथियम जमा के मुद्दे जैसे पहलुओं पर समझौता करना पड़ा।
- क्वांटमस्केप का दावा है कि वह कई वर्षों में लिथियम-आयन बैटरी की लागत के मुकाबले बैटरी की लागत को 15-20% तक कम करने का लक्ष्य बना रहा है।
- यह तकनीक कार की बैटरी को सस्ता, अधिक विश्वसनीय और जल्दी रिचार्ज करने में मदद कर सकती है।
- कार निर्माता वोक्सवैगन ने क्वांटमस्केप के साथ साझेदारी के माध्यम से वर्ष 2025 तक सॉलिड-स्टेट बैटरी के उत्पादन की योजना बनाई है।

लिथियम-आयन बैटरी के साथ क्या चुनौतियाँ हैं?

- आज के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली लिथियम-आयन कोशिकाओं का ऊर्जा घनत्व पुरानी पीढ़ी की निकल-कैडमियम बैटरी की तुलना में लगभग चार गुना अधिक है।
- लंबी चार्जिंग अवधि।
    - एक बड़ी समस्या यह है कि लिथियम धातु अत्यंत प्रतिक्रियाशील है। जिससे कई बार इन बैटरियों में आग लगने की घटनाएँ सामने आने से इसे लेकर सुरक्षा चिंताएँ भी बनी रहती हैं।

	● खर्चीली निर्माण प्रक्रिया। ○ यद्यपि लिथियम-आयन बैटरी को फोन और लैपटॉप जैसे अनुप्रयोगों के लिये पर्याप्त रूप से कुशल माना जाता है, परंतु इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में इसकी बैटरी की रेंज (एक चार्जिंग में अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता) के संदर्भ में प्रौद्योगिकी में इतना सुधार नहीं हुआ है जो इन्हें आतंरिक दहन इंजन वाले वाहनों की तुलना में एक वहनीय विकल्प बना सके। **क्वांटमस्केप द्वारा विकसित सॉलिड-स्टेट बैटरी में नवाचार क्या है?** ● क्वांटमस्केप का कहना है कि इसकी सॉलिड-स्टेट लिथियम-मेटल बैटरी पारंपरिक लिथियम-आयन बैटरी में इस्तेमाल होने वाले पॉलीमर सेपरेटर को सॉलिड-स्टेट सेपरेटर से बदल देती है। ● विभाजक का प्रतिस्थापन पारंपरिक कार्बन/ग्रेफाइट एनोड के स्थान पर लिथियम-मेटल एनोड के उपयोग को सक्षम बनाता है। ● लिथियम धातु एनोड पारंपरिक एनोड की तुलना में अधिक ऊर्जा-सघन है, जो बैटरी को समान मात्रा में अधिक ऊर्जा संग्रहीत करने की अनुमति देता है। **सॉलिड-स्टेट बैटरी के क्या लाभ हैं?** ● सॉलिड-स्टेट बैटरी तकनीक के फायदों में शामिल हैं ○ उच्च सेल ऊर्जा घनत्व (कार्बन एनोड को समाप्त करके) ○ कम चार्ज समय (पारंपरिक लिथियम-आयन कोशिकाओं में लिथियम को कार्बन कणों में फैलाने की आवश्यकता को समाप्त करके), ○ अधिक चार्जिंग साइकिल चलाने की क्षमता ○ बेहतर सुरक्षा ○ कम लागत एक गेम-चेंजर हो सकती है, यह देखते हुए कि कुल लागत के 30 प्रतिशत पर, बैटरी खर्च वाहन की लागत का एक प्रमुख चालक है। ○ लिथियम-आयन बैटरी की लागत वर्तमान में लगभग $137 प्रति kWh है, और 2023 तक $101/kWh तक पहुंचने की उम्मीद है। क्वांटमस्केप का दावा है कि यह कई वर्षों में लिथियम-आयन बैटरी की लागत के सापेक्ष बैटरी की लागत को 15-20% कम करने का लक्ष्य रखता है।
कंप्यूटर चिप्स की कमी	**संदर्भ:** कारों का उत्पादन ठप पड़ा है, दुकानों पर प्ले स्टेशन ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं और ब्रॉडबैंड मुहैया कराने वालों को राउटर के लिए महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। पूरी दुनिया में ये स्थिति एक जैसी ही है और इसकी वजह भी एक ही है- सेमीकंडक्टर, जिसे आम भाषा में चिप के तौर पर भी जाना जाता है। ● चिप दुनिया के सबसे छोटे लेकिन सबसे सटीक उत्पादों में से एक है। ● लागत और उनके उत्पादन में कठिनाई के संयोजन ने दो एशियाई बिजलीघरों - ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (TSMC) और दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी पर दुनिया की निर्भरता बढ़ गई थी। ● कोविड महामारी के दौरान जब अमेरिका (America) और चीन (china) के बीच तनाव बढ़ा तो इस निर्भरता में बढ़ोतरी हो गई। ● अब वैश्विक स्तर पर इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए आने वाले वर्षों में अरबों डॉलर खर्च किए जाने हैं। **एक चिप क्या है?** ● चिप इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को स्मार्ट बनाने का काम करता है। ● यह आमतौर पर सिलिकॉन से बना होता है जो बिजली का अर्ध संचालन यानी सेमी कंडक्ट करता है, चिप कई तरह के काम करता है। ● मेमोरी चिप जो डेटा संग्रहण का काम करती है, इसी तरह लॉजिक चिप जो प्रोग्राम चलाने और किसी उपकरण के दिमाग की तरह काम करता है। ● आमतौर पर इसे एप्पल या एनवीडिया के नाम से जाना जाता है. लेकिन यह कंपनिया सेमीकंडक्टर के डिजाइन का काम करती हैं। इन्हें जहां निर्माण किया जाता है उन्हें फाउंड्री कहा जाता है. **चिप्स का उत्पादन करना इतना कठिन क्यों है?** ● उन्नत किस्म की लॉजिक चिप बनाने में असाधारण सटीकता की ज़रूरत होती है जिसके साथ ही तेजी से होते

बदलावों के चलते लंबी अवधि का दांव लगा होता है।

- एक प्लांट को बनाने में अरबों डॉलर की लागत आती है और इस निवेश की भरपाई के लिए इन्हें 24 घंटे, 7 दिन लगातार चलते रहना होता है, इसके लिए इन्हें भारी मात्रा में बिजली और पानी की ज़रूरत होती है।
- यही नहीं यह इतना नाजुक होता है कि धूल के कण, दूर आया भूकंप का झटका और बहुत छोटा सा आघात भी इसे नुकसान पहुंचा सकता है।

चिप निर्माण में प्रमुख निर्माता

- फाउंड्री जगत में टीएसएमसी शुरुआती कंपनियों में से है, जो विशुद्ध रूप से दूसरों के लिए चिप निर्माण का ही काम करती है।
- इसकी शुरुआत 1980 में सरकार की मदद से हुई थी।
- अब यह सबसे बेहतरीन चिप का निर्माण करती है।
- वैश्विक स्तर पर फाउंड्री बाजार में तीन सबसे बड़ी निर्माता कंपनियों का कुल साझा भी इससे कम है।
- सैमसंग मेमोरी चिप निर्माण में अग्रणी कंपनी है और लगातार टीएसएमसी को मात देने की कोशिश करती रही है।
- यह लगातार अपने उत्पादन तकनीक को बेहतर कर रही है और नई कंपनियों जैसे क्वालकोम इंक और एनवीडिया कॉर्प के ऑर्डर इन्हें मिल रहे हैं।
- इंटेल कॉर्प, इस फील्ड में एक और बड़ा नाम है, लेकिन अमेरिका की यह कंपनी अपने खुद के ब्रांड के निर्माण पर ही केंद्रित है, जो लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू) के तौर पर काम करती है।

कमी क्यों हैं?

- **स्टे-एट-होम शिफ्ट:** महामारी के वजह से जब दुनिया भर ने लॉकडाउन देखा तो लोग घरों से काम करने पर मजबूर हुए, स्कूल बंद हो गए ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की मांग में अब तक की सबसे ज्यादा तेजी देखी गई, जिसकी वजह से चिप की मांग में भी कल्पना से परे का इजाफा देखा गया। घरों में काम करने के चलते लैपटॉप की मांग बीते दशकों में सबसे ज्यादा रही। इसी तरह घरेलू नेटवर्किंग से जुड़े उपकरण जैसे राउटर, वैबकैम, मॉनिटर, क्रोमबुक, घरेलू उपकरण जैसे टीवी, एयरप्यूरीफायर की मांग में भी इजाफा देखने को मिला।
- **अनुमान में उतार चढ़ाव:** महामारी के दौरान कार निर्माताओं को उम्मीद नहीं थी कि कारों की बिक्री में इतनी तेजी से इजाफा हो सकता है, उन्होंने 2020 के अंत में मांग को बढ़ाने में जल्दी तो दिखाई, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी क्योंकि चिप निर्माता कंप्यूटर और स्मार्टफोन की बड़ी कंपनी जैसे एप्पल की मांग को पूरा कर रहे थे।
- **जमाखोरी :** कंप्यूटर निर्माताओं ने 2020 की शुरुआत में आपूर्ति की कमी को लेकर चेतावनी दी थी। इसी साल के मध्य में हुआवेई टेक्नोलॉजी कंपनी, जो चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है और वैश्विक बाज़ार में नेटवर्किंग से जुड़े उत्पाद निर्माण पर अपनी पकड़ के लिए जानी जाती है। उसने चिप की जमाखोरी करना शुरू कर दिया ताकि अमेरिका के लगाए प्रतिबंध के बावजूद वह बची रह सके। उधर चीन का चिप आयात करीब 380 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया जबकि इससे पहले वाले साल में यह 330 बिलियन डॉलर था।
- **आपदाएं:** फरवरी में भयानक सर्दी के चलते टेक्सास में बिजली की आपूर्ति ठप पड़ गई जिससे ऑस्टिन के इर्द गिर्द एरिया में सेमीकंडक्टर बनाने वाले प्लांट बंद पड़ गए. इसकी वजह से सैमसंग को सामान्य स्थिति में आने में मार्च तक का समय लग गया. उधर जापान के रेनेसस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्प जो स्वचालित चिप का बड़ा प्रदाता है उसकी यूनिट में भयानक आग लग गई जिससे पूरे महीने भर उत्पादन बाधित रहा।

कौन प्रभावित है?

- चिप की कमी के चलते कार निर्माताओं को इस साल करीब 210 बिलियन डॉलर के नुकसान का अनुमान है और वे करीब 7.7 मिलियन वाहन कम बना सके हैं।
    - टोयोटा मोटर्स कॉर्प ने सितंबर में अपने 14 प्लांट में निर्माण को स्थगित कर दिया था।
- सैमसंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि आपूर्ति और मांग में वैश्विक स्तर पर घोर असंतुलन देखने को मिल रहा है। वहीं टीएसएमसी का अनुमान है कि कमी 2022 में भी बनी रह सकती है कुछ ब्रॉडबैंड प्रदाता तो एक साल से इंटरनेट राउटर के आने का इंतजार कर रहे हैं।
- एप्पल का कहना है कि आइ पैड और मैक्स की बिक्री में कमी आई जिससे उनकी तीसरी तिमाही की बिक्री पर 3 से 4 बिलियन डॉलर का असर पड़ा. टोयोटा मोटर्स कॉर्प ने सितंबर में अपने 14 प्लांट में निर्माण को स्थगित कर

	दिया था।
महामारी से लड़ना (Fighting Epidemics)	**संदर्भ:** 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिह्नित किया गया - जिसका उद्देश्य महामारी की रोकथाम, तैयारी और साझेदारी पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देना है। • संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किए गए एक आह्वान के आधार पर वर्ष 2020 में महामारी की तैयारी के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिह्नित किए जाने के बाद, यह दूसरे वर्ष को चिह्नित करेगा। • हमारे लिए इस तथ्य से अवगत रहना महत्वपूर्ण है कि कैसे संक्रामक रोग दुनिया भर में फैल सकते हैं, स्वास्थ्य प्रणालियों को कगार पर धकेल सकते हैं और जीवन और परिवारों को तबाह कर सकते हैं। • कोविड-19 के कहर से पता चलता है कि दुनिया ने इबोला, जीका, सार्स और अन्य जैसे प्रकोपों से कोई सबक नहीं सीखा। **प्रमुख महामारी** *दुनिया की प्रमुख महामारियों के बारे में एक झलक जिसमें जानमाल का भारी नुकसान हुआ:*

जस्टिनियन प्लेग (Justinian Plague)	• इस महामारी के कारण लगभग 25 से 100 मिलियन लोग मारे गए। • इस बीमारी ने यूरोप की आधी आबादी को साफ कर दिया था। इसका सबसे अधिक प्रभाव बिजेटिनियन साम्राज्य और मेडिटेरिनियन पोर्ट पर पड़ा था। • येर्सिनिया पेस्टिस के कारण होने वाला जस्टिनियन प्लेग संक्रामक बुखार था।
ब्लैक डेथ (Black Death)	• इसकी शुरुआत 1347 और 1351 के बीच, यह पूरे यूरोप में फैल गया, जिसमें लगभग 25 मिलियन लोग मारे गए। • ब्लैक डेथ महामारी को मानव इतिहास में दर्ज सबसे घातक महामारी माना जाता है। • इस महामारी का प्रभाव 14वीं शताब्दी के दौरान यूरोप और एशिया महाद्वीपों में रहा।
चेचक (15वीं - 17वीं शताब्दी)	• अमेरिका में चेचक ने लगभग 20 मिलियन लोगों की जान ले ली, जो लगभग 90% आबादी थी। • महामारी ने यूरोपीय लोगों को नए खाली क्षेत्रों को उपनिवेश बनाने और विकसित करने में मदद की। • चेचक विभिन्न तरीकों से प्रसारित वेरियोला वायरस के संक्रमण के कारण होता है।
हैजा (1817 - 1823)	• पहली हैजा महामारी भारत के जेसोर (Jessore) में हुई। • यह 7 प्रमुख हैजा महामारियों में से पहली थी जिसने लाखों लोगों की जान ली थी। • विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैजा को "the forgotten pandemic" कहा है। • इसका सातवां प्रकोप, जो 1961 में शुरू हुआ और आज भी है। • यह विब्रियो हैजा नामक जीवाणु से दूषित खाना खाने या पीने के पानी के कारण होता है।
स्पैनिश फ़्लू या H1N1 (1918 - 1919)	• यह H1N1 वायरस के कारण होता है। • इसने उस समय के लगभग 500 मिलियन लोगों, या दुनिया की आबादी का एक तिहाई संक्रमित किया। • वैश्विक स्तर पर 50 मिलियन से अधिक लोगों की जान लेने के लिए महामारी जिम्मेदार थी।
हांगकांग फ्लू या H3N2	• वैश्विक मृत्यु दर लगभग दस लाख थी।

(1968 - 1970)	• यह इन्फ्लूएंजा A वायरस के H3N2 स्ट्रेन के कारण हुआ था। • ऐसा माना जाता है कि एशियाई फ्लू के लिए जिम्मेदार वायरस विकसित हुआ और 10 साल बाद इस तथाकथित "हांगकांग फ्लू" में फिर से उभरा। • H3N2 असाधारण रूप से संक्रामक था।
एचआईवी/एड्स (1981 - वर्तमान)	• 1981 से अब तक 75 मिलियन लोगों को एचआईवी वायरस हो चुका है और इसके परिणामस्वरूप लगभग 32 मिलियन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। • एचआईवी/एड्स एक सतत महामारी है जो हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती है। • एचआईवी संक्रमण मानव इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस (एचआईवी) के कारण होता है। • वायरस संक्रमित रक्त, वीर्य या योनि तरल पदार्थ के संपर्क में आने से फैल सकता है।
सार्स (SARS) (2002 - 2003)	• सार्स, या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्यों को संक्रमित करने वाले 7 कोरोनावायरस में से एक के कारण होती है। • वर्ष 2003 में, चीन के गुआंगडोंग प्रांत में उत्पन्न हुआ एक प्रकोप एक वैश्विक महामारी बन गया। • इसने लगभग 8,000 लोगों को संक्रमित किया और उनमें से 774 लोगों की मौत हो गई। • वर्ष 2003 में SARS महामारी के परिणाम वैश्विक अधिकारियों द्वारा एक गहन सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया के कारण काफी हद तक सीमित थे।
स्वाइन फ्लू या H1N1 (2009 - 2010)	• यह इन्फ्लूएंजा वायरस का एक नया रूप था जो 2009 में उभरा। • इसने 151,700 से 575,400 के बीच वैश्विक मौतों वाले लगभग लाखों लोगों को संक्रमित किया। • इसे "स्वाइन फ्लू" कहा जाता है क्योंकि यह सूअरों से मनुष्यों में फैलता है। • इस वायरस से होने वाली 80% मौतें 65 साल से कम उम्र के लोगों में हुईं।
इबोला (2014 - 2016)	• यह 2014 में गिनी के एक छोटे से गांव में शुरू हुआ और पश्चिम अफ्रीका के कई देशों में फैल गया। • यह फाइलोविरिडे परिवार, जीनस इबोलावायरस के एक वायरस के संक्रमण के कारण होता है। • वायरस ने 28,600 संक्रमित लोगों में से 11,325 लोगों की जान ले ली, जिनमें से अधिकांश मामले गिनी, लाइबेरिया और सिएरा लियोन में हुए।
कोरोनावायरस, या COVID-19 (2019 - वर्तमान)	• कोरोनावायरस रोग (COVID-19) एक नए खोजे गए कोरोनावायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। • वैश्विक स्तर पर 24,000 से अधिक मौतों के साथ दुनिया भर में मामले 500,000 से अधिक हो गए हैं। • ऐसा माना जाता है कि यह जानवरों से इंसानों में फैलता है। • इसके अधिकांश मामले अब संयुक्त राज्य अमेरिका से रिपोर्ट किए जाते हैं। • 11 मार्च को, WHO ने इस प्रकोप को एक महामारी के रूप में वर्णित किया। • अनुमान बताते हैं कि कोरोनावायरस अंततः वैश्विक आबादी के 40% से 70% को संक्रमित कर सकता है। • इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जाती है।

	• विश्व अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान से महामंदी या 1800 के दशक की "panics" के बाद से सबसे खराब मंदी का खतरा है, जो सरकारी प्रतिक्रियाओं के पैमाने पर निर्भर करता है।

महामारी की रोकथाम, तैयारी और उसके खिलाफ भागीदारी इस आवश्यकता पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान की कमी के परिणामस्वरूप भविष्य में महामारियां तीव्रता और गंभीरता के मामले में पिछले प्रकोपों से आगे निकल जाएंगी। दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल संरचनाओं को बढ़ते बोझ के गिरने से रोकने के लिए महामारी की तैयारी महत्वपूर्ण है जो आमतौर पर महामारी पर होता है।

- प्रभावित देशों से आने वाले बुखार या बीमारी के किसी अन्य लक्षण से पीड़ित लोगों की पहचान करने के लिए सीमा पार, बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसे देश में प्रवेश के बिंदुओं पर निगरानी करना और लोगों को नजदीकी स्वास्थ्य इकाई में भेजा जाना चाहिए।
- स्वास्थ्य अधिकारी समुदाय के भीतर निगरानी करने और किसी भी प्रकोप की जांच करने के लिए कर्मियों और रैपिड रिस्पांस टीमों को तैयार करें
- ICMR (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद) और इसकी नामित प्रयोगशालाएँ COVID के परीक्षण के लिए बुखार के मामलों के नमूनों का परीक्षण करने के लिए।
- कौशल विकास के साथ-साथ क्षमता निर्माण का समर्थन करते हुए शैक्षणिक-उद्योग इंटरफेस के माध्यम से टीके विकसित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
- ज्ञात और अज्ञात संक्रामक रोग खतरों से निपटने के लिए तेजी से वैक्सीन विकास और परीक्षण के लिए आंतरिक अंतर-मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करना।
- जहां उपयुक्त हो, नए टीकों के उपयोग के लिए विकास ढांचे, निगरानी और रसद को मजबूत करना।

भारत देश भर में एक मजबूत टीकाकरण अभियान की मदद से महामारी की तीसरी लहर में देरी नहीं करेगा, अगर कोई लापरवाही नहीं हुई, और यह सुनिश्चित करने की उम्मीद कर रहा है कि किसी भी संभावित महामारी के लिए त्वरित टीका विकास किया जा सकता है। जो भारत की महामारी की तैयारियों में एक मजबूत बिंदु हो सकता है।

दूसरी ओर, कोरोनावायरस की दूसरी लहर ने देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की कई कमियों को उजागर कर दिया, जिसमें बिस्तर, दवाएं और ऑक्सीजन की मांग कम हो गई। हालांकि सच यह है कि दूसरी लहर की भयावहता अभूतपूर्व रूप से अधिक थी, यह भी सच है कि देश भर में स्वास्थ्य प्रणालियों में व्यापक अंतर से कमी आई है।

- जैसा कि हम इस स्वास्थ्य संकट का जवाब देते हैं, हमें अगले के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है।
- हर देश में बेहतर निगरानी, जल्दी पता लगाने और तेजी से प्रतिक्रिया योजनाओं में निवेश को बढ़ाना - विशेष रूप से सबसे कमजोर को।
- पतन को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़ बनाना।
- सभी लोगों के लिए टीके जैसे जीवन रक्षक उपायों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना।
- हर देश को अपने रास्ते में संक्रामक रोगों को रोकने के लिए लड़ने का मौका देने के लिए वैश्विक एकजुटता का निर्माण करना।

निष्कर्ष

कोरोनावायरस आखिरी महामारी नहीं होगी जिसका लोग सामना करेंगे; इसलिए भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयार करने के लिए दुनिया द्वारा तत्काल, समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है।

क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?

1. क्या भारत के लिए सीखने की अवस्था खत्म हो गई है? क्या भारत तीसरी लहर को संभालने के लिए तैयार है?

2. उन कमियों की चर्चा कीजिए जो भारत ने कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के दौरान अनुभव की।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध की चुनौती (The challenge of	**संदर्भ:** हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (Global Research on Antimicrobial Resistance-GRAM) रिपोर्ट एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (Antimicrobial resistance-AMR) के वैश्विक प्रभाव का अब तक का सबसे व्यापक अनुमान प्रदान करती है।

antimicrobial resistance)	**रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्या है?** सूक्ष्म जीवों जैसे- बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी आदि का एंटीमाइक्रोबियल दवाओं (जैसे एंटीबायोटिक) के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेना। इन सूक्ष्म जीवों को सुपर बग (Super Bug) कहते हैं। मल्टीड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इसी का एक भाग है। **क्या आप जानते हैं?** • 1980 और 2000 के बीच, नैदानिक उपयोग के लिए 63 नई एंटीबायोटिक दवाओं को मंजूरी दी गई थी। 2000 और 2018 के बीच, केवल 15 अतिरिक्त एंटीबायोटिक दवाओं को मंजूरी दी गई थी। • सात सबसे घातक दवा प्रतिरोधी जीवाणुओं में से केवल दो (स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस) के लिए टीके उपलब्ध हैं। **GRAM रिपोर्ट में क्या पाया गया?** • वर्ष 2019 में बैक्टीरियल एएमआर से कम से कम 4.95 मिलियन मौतें हो सकती हैं। • एएमआर वैश्विक स्तर पर मौत का एक प्रमुख कारण है, जो एचआईवी/एड्स या मलेरिया से अधिक है। • दक्षिण एशिया में, 2019 में एएमआर के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 389,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। • पश्चिमी उप-सहारा अफ्रीका में मृत्यु दर सबसे अधिक प्रति 100,000 में 27.3 मृत्यु थी, और ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम, प्रति 100,000 में 6.5 मृत्यु थी। • वर्ष 2019 में कम श्वसन पथ के संक्रमणों के कारण प्रतिरोध से जुड़ी 1.5 मिलियन से अधिक मौतें हुईं, जिससे यह सबसे आम संक्रामक सिंड्रोम बन गया। **इस अध्ययन के निहितार्थ क्या हैं?** • **मृत्यु दर में वृद्धि:** सामान्य संक्रमण अब हर साल सैकड़ों हजारों लोगों की जान ले रहे हैं क्योंकि बैक्टीरिया उपचार के लिए प्रतिरोधी बन गए हैं। इसमें ऐतिहासिक रूप से इलाज योग्य बीमारियां शामिल हैं, जैसे निमोनिया और खाद्य जनित बीमारियां। • **खतरे में बच्चे:** सभी को एएमआर से खतरा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि छोटे बच्चे विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। 2019 में, एएमआर के कारण होने वाली पांच वैश्विक मौतों में से एक पांच साल से कम उम्र के बच्चों में हुई। • **चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं:** एएमआर मरीजों को संक्रमण से सुरक्षित रखने की अस्पतालों की क्षमता को खतरे में डाल रहा है और सर्जरी, प्रसव और कैंसर के उपचार सहित आवश्यक चिकित्सा पद्धतियों को सुरक्षित रूप से करने की डॉक्टरों की क्षमता को कम कर रहा है क्योंकि इन प्रक्रियाओं के बाद संक्रमण एक जोखिम है। **आगे की राह क्या है?** • **बेहतर निगरानी:** वे विश्व स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अलग-अलग अस्पतालों में संक्रमणों की निगरानी और नियंत्रण के लिए अधिक कार्रवाई की अनुशंसा करते हैं। • **बुनियादी आवश्यकताओं तक बेहतर पहुंच:** एएमआर से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम होने के लिए टीकों, स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुंच का विस्तार किया जाना चाहिए। • **एंटीबायोटिक दवाओं का इष्टतम उपयोग:** मानव रोग के उपचार से संबंधित एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग, जैसे भोजन और पशु उत्पादन में "अनुकूलित" होना चाहिए • रोगाणुरोधी उपचारों के उपयोग के बारे में "अधिक विचारशील" होने की सिफारिश की जाती है - जहां आवश्यक हो वहां जीवन रक्षक एंटीबायोटिक दवाओं तक पहुंच का विस्तार करना, जहां मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए आवश्यक नहीं हैं वहां उपयोग को कम करना। • **बढ़ी हुई फंडिंग:** नए एंटीमाइक्रोबियल विकसित करने और के. न्यूमोनिया तथा ई. कोलाई जैसे प्राथमिकता वाले रोगजनकों को लक्षित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे दुनिया के अधिकांश लोगों के लिए सुलभ हैं, फंडिंग बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** • स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना

वेब 3.0: भविष्य के लिए एक दृष्टि (Web 3.0 : A vision for the future)	**संदर्भ:** वेब 3 की अवधारणा, जिसे वेब 3.0 भी कहा जाता है, का उपयोग इंटरनेट के संभावित अगले चरण का वर्णन करने के लिये किया जाता है और यह वर्ष 2021 में काफी चर्चा में रहा है। ● वेब 3.0 एक विकेंद्रीकृत इंटरनेट है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है यह उपयोग में आने वाले संस्करणों, वेब 1.0 और वेब 2.0 से अलग होगा। ● वेब 3.0 में उपयोगकर्त्ताओं के पास प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन में स्वामित्व हिस्सेदारी होगी जो तकनीकी प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करते हैं। **उपयोग में आने वाले संस्करणों के बारे में हमें क्या जानने की आवश्यकता है?** ● वेब 3.0 को समझने के लिए हमें वेब 1.0 और वेब 2.0 से शुरुआत करनी चाहिए। ● वेब 1.0 वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट है जिसका आविष्कार वर्ष 1989 में हुआ था। यह वर्ष 1993 से लोकप्रिय हुआ और वर्ष 1999 तक चला। ● वेब 1.0 के समय में इंटरनेट अधिकतर स्टैटिक वेब पेज थे, जहाँ उपयोगकर्त्ता एक वेबसाइट पर जाते थे और फिर स्टैटिक या स्थिर जानकारी प्राप्त करते थे। ● भले ही शुरुआती दिनों में ई-कॉमर्स वेबसाइट्स थीं, फिर भी यह एक अपेक्षाकृत बंद वातावरण था और उपयोगकर्त्ता स्वयं कोई सामग्री नहीं बना सकते थे या इंटरनेट पर समीक्षा पोस्ट नहीं कर सकते थे। ● वेब 2.0 किसी-न-किसी रूप में वर्ष 1990 के दशक के अंत में ही शुरू हुआ था, हालाँकि इसकी अधिकांश सुविधाएँ पूरी तरह से वर्ष 2004 में उपलब्ध हो सकीं। गौरतलब है कि अभी भी वेब 2.0 का युग जारी है। ● वेब 1.0 की तुलना में वेब 2.0 की विशिष्ट विशेषता यह है कि उपयोगकर्त्ता स्वयं भी कंटेंट पोस्ट बना सकते हैं। वे टिप्पणियों के रूप में वार्ता कर सकते हैं, अपनी पसंद बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं और अपनी तस्वीरें या वीडियो अपलोड कर सकते हैं तथा ऐसी अन्य सभी गतिविधियाँ कर सकते हैं। ● मुख्य रूप से एक सोशल मीडिया प्रकार की वार्ता वेब 2.0 की विशिष्ट विशेषता है। **चिंताएँ क्या हैं?** ● वेब 2.0 में, इंटरनेट और इंटरनेट ट्रैफ़िक के अधिकांश डेटा का स्वामित्व या प्रबंधन बहुत कम बड़ी कंपनियों के पास होता है। ● इसने डेटा गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और डेटा के दुरुपयोग से संबंधित समस्याएँ पैदा कर दी हैं। ● इसके कारण इंटरनेट का मूल उद्देश्य विकृत हो गया है। इसी संदर्भ में वेब 3.0 के बारे में चर्चा महत्वपूर्ण है। ● पिछले कुछ वर्षों में, क्रिप्टो-मुद्रा की लोकप्रियता के कारण, वेब 3.0 पर अधिक चर्चा हुई। **वेब 3.0 क्या है और यह डेटा एकाधिकार की समस्याओं का समाधान कैसे करेगा?** ● वेब 3.0 एक विकेंद्रीकृत और निष्पक्ष इंटरनेट प्रदान करेगा, जहाँ उपयोगकर्त्ता अपने स्वयं के डेटा को नियंत्रित कर सकते हैं। ● वर्तमान में यदि किसी विक्रेता को खरीदार को व्यवसाय करना है, तो खरीदार और विक्रेता दोनों को अमेज़ॅन या ऐसे किसी ई-कॉमर्स पोर्टल जैसे "दुकान" या "प्लेटफ़ॉर्म" पर पंजीकृत होना आवश्यक है। ● यह "प्लेटफ़ॉर्म" वर्तमान में जो करता है वह यह प्रमाणित करता है कि खरीदार और विक्रेता लेनदेन के लिए वास्तविक पक्ष हैं। ● वेब 3.0 "प्लेटफ़ॉर्म" की भूमिका को हटाने का प्रयास करता है। ● क्रेता को प्रमाणित करने के लिए, ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी द्वारा सहायता प्राप्त सामान्य प्रमाणों का उपयोग किया जाएगा। वही विक्रेता के लिए जाता है। ● ब्लॉक चेन के साथ, लेन-देन का समय और स्थान स्थायी रूप से दर्ज किया जाता है। ● इस प्रकार, वेब 3.0 मध्यस्थ की भूमिका को समाप्त करके सहकर्मी से सहकर्मी (विक्रेता से खरीदार) लेनदेन को सक्षम बनाता है। इस अवधारणा को अन्य लेनदेन में भी बढ़ाया जा सकता है। ● एक सोशल मीडिया एप्लिकेशन पर विचार करें जहां कोई अपने अनुयायियों के साथ तस्वीरें साझा करना चाहता है। यह ब्लॉकचैन द्वारा सहायता प्राप्त व्यक्ति से एक प्रसारण संचालन हो सकता है और सभी प्रतिभागियों को इसे करने में सक्षम होने के लिए सोशल मीडिया खातों की कोई आवश्यकता नहीं है।

	● वेब 3 विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन (DAO) पर केंद्रित है। DAO सभी व्यावसायिक नियमों से संबंधित है एवं किसी भी लेन-देन में शासी नियम किसी को भी देखने के लिये पारदर्शी रूप से उपलब्ध हैं तथा इन नियमों के अनुरूप सॉफ्टवेयर के द्वारा लिखा जाएगा। ● DAO के साथ प्रमाणित या मान्य करने के लिये केंद्रीय प्राधिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रिप्टो-मुद्रा और ब्लॉक चेन ऐसी प्रौद्योगिकियां हैं जो डीएओ सिद्धांत का पालन करती हैं। **आगे की राह** ● उद्योग और अकादमिक समुदाय में शीर्ष तकनीकी दिमागों से बहुत संदेह है कि वेब 3 उन समस्याओं का समाधान नहीं करता है जिन्हें वह हल करना चाहता है। ● एलोन मस्क और जैक डोर्सी (ट्विटर के संस्थापक), उदाहरण के लिए, कुछ तकनीकी उद्यमी हैं जो वेब 3 के लिए भविष्य की कल्पना नहीं करते हैं। ● वेब 3 को वर्तमान आर्किटेक्चर से अलग करने की आवश्यकता होगी जहां एक फ्रंट-एंड (Front-End) मिडिल लेयर (Middle Layer) और बैक-एंड (Back-End) है। ● Web 3 के आर्किटेक्चर को ब्लॉकचेन को संभालने, ब्लॉक चेन में डेटा को बनाए रखने और इंडेक्स करने, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशंस आदि हेतु बैकएंड सॉल्यूशंस की आवश्यकता होगी। ● इसी तरह मिडिल लेयर (Middle Layer), जिसे बिज़नेस रूल्स लेयर (Business Rules Layer) भी कहा जाता है, को ब्लॉकचेन आधारित बैकएंड से संभालने की आवश्यकता होगी। ● यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि वेब 3 इंटरनेट को संभालने का प्रमुख तरीका बन जाएगा या नहीं लेकिन इसके द्वारा उठाए गए प्रश्न प्रासंगिक हैं। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** ● ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी और वोटिंग

अंतरराष्ट्रीय संबंध

चीन का भूमि सीमा कानून और भारत	**संदर्भ:** 23 अक्टूबर को पारित भूमि सीमाओं पर चीन का नया कानून 1 जनवरी को लागू हुआ। ● यह ऐसे समय में हुआ है यह ऐसे समय में आया है जब पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध अनसुलझा है और हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों का नाम बदलकर अपने अंतर्गत होने का दावा किया है। **चीन के नए सीमा कानून के बारे में** ● नया कानून बताता है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) सीमा को स्पष्ट रूप से चिह्नित करने के लिये अपनी सभी भूमि सीमाओं पर सीमा चिह्न स्थापित करेगा। ● चीन की अखंडता और संप्रभुता पवित्र और अपरिहार्य है। इसकी रक्षा के लिए सरकार को प्रयास किए जाने की जरूरत है ताकि कोई भी अतिक्रमण न कर सके। ● कानून में कहा गया है कि सरकार को सीमा सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक विकास किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, सीमाओं पर लोगों के जीवन को आसान बनाने और आबादी को बसाने की जरूरत है। ● इसका मतलब है कि यह सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों के लिए गांवों के विकास को प्रोत्साहित कर रहा है। ● इसके अलावा, कानून भूमि सीमा प्रबंधन पर बातचीत करने और सीमा संबंधी मुद्दों को हल करने के लिये उक्त देशों के साथ नागरिक एवं सैन्य दोनों संयुक्त समितियों के गठन का प्रावधान करता है। ● कानून चार शर्तों को निर्धारित करता है जिसके तहत राज्य सीमा बंद करने सहित आपातकालीन उपाय लागू कर सकता है। **चीन ने क्यों बनाया है यह नया कानून?** ● यह कानून अपनी भूमि सीमा की सुरक्षा पर बीजिंग की नई चिंताओं को दर्शाता है, जबकि यह अपने समुद्री मोर्चे पर कई अनसुलझे विवादों का सामना करता है। ● हाल के वर्षों में चीन-भारतीय सीमाओं पर टकराव ने बीजिंग को याद दिलाया होगा कि एक उत्कृष्ट भूमि-समुद्र शक्ति के रूप में चीन को महाद्वीपीय और समुद्री दोनों क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए खुद को हमेशा तैयार रखना चाहिए।

	• कोविड -19 महामारी बीजिंग के लिए अपनी कुछ छिद्रपूर्ण भूमि सीमा (porous land border) पर अधिक नियंत्रण रखने की अनिवार्यता को भी रेखांकित करती है। • इसके अलावा, यह कानून मध्य एशिया की सीमा से लगे अपने भीतरी इलाकों की स्थिरता के बारे में बीजिंग की चिंताओं को दर्शाता है क्योंकि अमेरिकी सेना की वापसी और अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है जो आतंकवाद और चरमपंथ के लिए एक केंद्र बन सकता है जो शिनजियांग में फैल सकता है। **भारत के लिए चिंता की बात है चीन का नया कानून?** • चीन की ओर से लागू नए कानून में भारत का यूं तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन असर जरूर पड़ेगा। • चीन और भारत 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं और इस पर विवाद है। चीन की 22,457 किलोमीटर लंबी सीमाएं हैं और इन्हें वह 14 देशों के साथ साझा करता है। • भारत के अलावा भूटान के साथ चीन 477 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और उससे भी विवाद है। • चीन के इस नए कानून को लेकर यह संदेह जताया जा रहा है कि वह अब पूर्वी लद्दाख में विवाद के हल के लिए बातचीत के रास्ते से हट सकता है। दोनों देशों के कॉर्प्स कमांडर्स के बीच अक्टूबर में वार्ता हुई थी। • भारत को उम्मीद थी कि चीन की सेनाओं ने हॉट स्प्रिंग्स से पीछे हट सकती है, लेकिन उसने अब तक नहीं किया है। यही नहीं मीटिंग के बाद दोनों देशों की ओर से साझा बयान भी नहीं जारी किया गया। • एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह हो सकता है कि नया कानून चीन की अनुमति के बिना सीमा के करीब स्थायी बुनियादी ढांचे के निर्माण पर रोक लगाए। गतिरोध शुरू होने के बाद से भारत और चीन दोनों नई सड़कों, पुलों और अन्य सुविधाओं का तेजी से निर्माण कर रहे हैं; दरअसल, चीन ने पहले भी भारत के कामगारों पर आपत्ति जताई थी। **चीन से भारत के संबंधों पर क्या असर होगा** • विदेश नीति के कुछ जानकारों का कहना है कि इस कानून के चलते भारत और चीन के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। • कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नया कानून चीन को चल रहे गतिरोध के साथ-साथ बड़े सीमा मुद्दे के समाधान के लिए काम करेगा। ○ ऐसा कहा जाता है कि "बीजिंग अपनी पसंदीदा शर्तों पर सीमा विवादों को हल करने के लिए दृढ़ संकल्प का संकेत दे रहा है। नया कानून पहले से ही संकल्प का एक समग्र स्वर निर्धारित करता है। ” • अन्य लोगों को लगता है कि नया कानून केवल एक उपकरण है जिसका उपयोग चीन सरकार चाहेगी, क्योंकि इस कानून से पहले भी इसकी कार्रवाई आक्रामक रही है। यह देखा गया है कि कानून ने सीमा मुद्दे के 'सैन्यीकृत समाधान' के लिए स्थितियां बनाई हैं। ○ गौतम बंबावाले, जो 2017-18 में चीन में भारत के राजदूत थे, वे कहते हैं कि नया कानून केवल स्पष्ट करता है और चीनी स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं कि वे बातचीत के माध्यम से सीमा या एलएसी को हल करने की कोशिश करके थक चुके हैं; वे संकेत दे रहे हैं कि वे बल प्रयोग के जरिए ऐसा करेंगे।" • चीन सभी क्षेत्रों में LAC के पार "अच्छी तरह से" सीमा रक्षा गांवों का निर्माण कर रहा है, जिसे नया कानून प्रोत्साहित करता है। परिणामस्वरूप, जब भारत दोनों पक्षों के बीच सीमा पर चर्चा शुरू करता है, तो वे कहेंगे कि हमने [चीन] इस क्षेत्र में आबादी को बसाया है और इस प्रकार दावा को और अधिक मजबूत बना देते है।
चीन ने अपने हिस्से में पैंगोंग त्सो झील पर पुल बनाया है	**संदर्भ:** चीन अपने क्षेत्र के भीतर पैंगोंग त्सो में उत्तर और दक्षिण किनारों को जोड़ने वाला एक पुल बना रहा है जिससे दोनों पक्षों के बीच सैनिकों और उपकरणों को ले जाने में लगने वाले समय में कमी आएगी। चीन यह ब्रिज अपने खुर्नाक इलाके में बना रहा है। पैंगोंग त्सो लेक का यह सबसे संकरा और दुर्गम हिस्सा है। • चीनी सेना ने यह कदम अगस्त 2020 में भारतीय सेना के ऑपरेशन से मिले झटके के बाद उठाया है। तब भारतीय सेना ने चीनी सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) को पछाड़ते हुए पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी हिस्से में मौजूद तमाम पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। **पूर्वी लद्दाख में जमीनी स्थिति क्या है?** • 14वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन की ओर चुशुल-मोल्दो बैठक स्थल पर हो रही है। • इन इलाकों से सैनिकों की वापसी पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बनने की वजह से ही पिछले साल 10 अक्टूबर को कोर कमांडरों की 13वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही थी।

- साथ ही, दोनों सेनाओं ने ऊंचाई वाले क्षेत्र में भीषण सर्दी के दौरान दोनों तरफ से 1 लाख से अधिक सैनिकों को तैनात रखने की तैयारी की थी।
- मई 2020 से, दोनों पक्ष गतिरोध को हल करने के लिए कोर कमांडर स्तर की 13 दौर की वार्ता के अलावा जमीनी स्तर पर नियमित रूप से सैन्य से सैन्य वार्ता कर रहे हैं और राजनयिक स्तर की वार्ता भी कर रहे हैं।
- इतना ही नहीं कोर कमांडर स्तर की वार्ता में भारत लगातार अपने इस रुख पर कायम है कि एलएसी पर अप्रैल-मई 2020 में चीनी अतिक्रमण की घटनाओं से पूर्व की यथास्थिति बहाल की जानी चाहिए।
- इसमें स्पष्ट रूप से हाट स्प्रिंग, गोगरा और देपसांग प्लेन से चीनी सैनिकों के पीछे हटने पर भारत का जोर है और इसको लेकर ही दोनों देशों के बीच मतभेद है।
- भारत ने पूर्वी लद्दाख में स्थिति को व्यापक रूप से कम करने पर जोर दिया है जिसमें सभी घर्षण बिंदुओं से मुक्ति, डी-एस्केलेशन और नए प्रोटोकॉल से बाहर काम करना शामिल है।

पैंगोंग त्सो पर पुल का क्या महत्व है?

- पैंगोंग त्सो पर पुल चीनी क्षेत्र में LAC से लगभग 25 किलोमीटर अंदर है और उत्तरी और दक्षिण तट पर चीनी की आवाजाही के लिए लगने वाली दूरी को लगभग 200 किलोमीटर कम कर देगा।
- मई 2020 में गतिरोध शुरू होने के साथ ही प्रारंभिक तनाव पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर था, जिसमें पीएलए के सैनिक फिंगर 4 तक जा रहे थे और स्थायी संरचनाओं का निर्माण कर रहे थे।
- हालांकि, अगस्त 2020 में दक्षिण तट पर तनाव बढ़ गया था। भारतीय सेना ने अगस्त के अंत में दक्षिण तट पर पीएलए पर सामरिक लाभ प्राप्त किया और 1962 के बाद से खाली पड़ी कई चोटियों पर कब्जा कर लिया तथा स्पैंगगुर गैप और मोल्दो क्षेत्र पर हावी हो गई।
- इस दौरान दोनों पक्षों ने 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर टैंक भी तैनात किए थे और दशकों में पहली बार LAC पर हवा में गोलियां चलाई गई।
- अधिकारियों ने कहा कि इसने चीन को दृष्टि की रेखा से दूर घर्षण बिंदुओं के पीछे गहरी वैकल्पिक सड़कों का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया।
- LAC के करीब सैनिकों के लिए बड़े पैमाने पर आवास का निर्माण किया गया और सैनिकों और मशीनीकृत औजारों के आने -जाने के लिए सड़क के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया।
- पहले, पीएलए को पैंगोंग झील के दोनों किनारों के बीच चक्कर लगाना पड़ता था, जिसमें लगभग 12 घंटे लगते थे, लेकिन 500 मीटर लंबा नया पुल 3-4 घंटे तक का समय कम कर देगा।
- भारत में 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित 135 किमी लंबी बुमेरांग आकार की झील का एक तिहाई हिस्सा है।

भारत जमीन पर विकास का जवाब कैसे दे रहा है?

- यह पुल चीनी क्षेत्र में है, अधिकारियों का कहना है कि इस नए पुल के निहितार्थ बताते हुए भविष्य के लिए भारतीय सेना की

	परिचालन योजना में शामिल होना होगा। ● अपनी ओर से, पिछले कुछ वर्षों में भारत आगे के क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास और आगे के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। LAC के साथ-साथ सड़कों, पुलों और सुरंगों का बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा है। ● सर्दियों से पहले, सेना ने अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों के लिए उन्नत शीतकालीन स्टॉकिंग का काम पूरा कर लिया था, जिसमें राशन, विशेष ईंधन और गोला-बारूद के साथ-साथ आवास और बुनियादी ढांचे की मरम्मत शामिल था। ● जबकि समाप्ति (disengagement)और डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया जारी है, दोनों सेनाएं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने के लिए तैयार हैं। ○ डी-एस्केलेशन यानि de-escalation की बात करें तो इसका संदर्भ होता है कि किन्हीं दो देशों के बीच तनाव को उसकी तीव्रता को कम करना।
परमाणु अप्रसार संधि की स्थिति	**संदर्भ:** 3 जनवरी को पांच वैश्विक परमाणु शक्तियों, चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने परमाणु हथियारों को फैलने से रोकने और परमाणु संघर्ष से बचने का संकल्प लिया। ● संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के रूप में पांच शक्तियों द्वारा जारी किया गया बयान, जिसे P5 के रूप में भी जाना जाता है। ● संयुक्त बयान परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) की नवीनतम समीक्षा के बाद जारी किया गया था, जो पहली बार 1970 में लागू हुई थी, जिसे 4 जनवरी की निर्धारित तिथि से बाद के वर्ष में COVID-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। **एनपीटी का लक्ष्य क्या रहा है?** ● एनपीटी का प्राथमिक लक्ष्य रहा है। o परमाणु हथियारों की होड़ की समाप्ति o न केवल परमाणु ऊर्जा के अधिक शांतिपूर्ण उपयोग की दिशा में काम करना o पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण। ● NPT आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (PTBT), सामरिक शस्त्र सीमा संधि (SALT I और SALT II), सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधियाँ (I और II), व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT), और परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW) दूसरों के बीच में जुड़ा है। स्पष्ट रूप से संधियों और समझौतों की कोई कमी नहीं है, और फिर भी स्थिति में काफी सुधार नहीं हुआ है। ● हालांकि यह कागज पर आसान लग सकता है, लेकिन यह कुछ भी हो गया है। जबकि 'क्या' और 'क्यों' संधि के काफी सीधे पहलू हैं, 'कैसे' असली चुनौती है। ● प्रमुख शक्तियों के बीच परमाणु प्रतिस्पर्धा परमाणु हथियारों के बिना राज्यों को अपना हासिल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इसे हल करने का एक आदर्श तरीका यह होगा कि सभी परमाणु देश अपने परमाणु भंडार को छोड़ दें। यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं हुआ है। ● एक अधिक व्यावहारिक समाधान, जिसने सबसे लंबे समय तक काम किया, लेकिन अब कम होता दिख रहा है, बड़ी शक्तियों के बीच परमाणु प्रतिरोध के लिए जाना और गैर-परमाणु राज्यों को परमाणु छत्र प्रदान करना है। **एनपीटी के लिए नया खतरा क्या है?** ● दूसरे देश की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं तक पहुंच हासिल करने के लिए चीन के आधिपत्य में वृद्धि और उसकी ऋण फंसाने की रणनीति ने चीन के भौगोलिक प्रभाव के तत्काल क्षेत्र के भीतर अन्य देशों को आश्चर्यचकित कर दिया है कि क्या उन्हें अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिए रणनीतिक क्षमताओं को हासिल करने या विकसित करने की आवश्यकता है। ● ऑस्ट्रेलिया, AUKUS के माध्यम से, चीन का मुकाबला करने के लिए, अपने नौसैनिक बेड़े के लिए परमाणु क्षमता हासिल करने की राह पर है। हालांकि यह हिंद-प्रशांत में चीन के जुझारूपन के लिए एक प्रभावी काउंटर की तरह लग सकता है, लेकिन इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं क्योंकि यह एक भयानक मिसाल कायम करता है। **संख्याएँ हमें क्या बताती हैं?** ● P5 के भीतर के प्रकाशिकी, कागज पर आशाजनक दिखते हुए, वास्तविकता में एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। o चीन का वर्तमान भंडार लगभग 350 है

	o फ्रांस का लगभग 290 o रूस का लगभग 6,257 o U.K. का लगभग 225 o यू.एस. का लगभग 5,600 ● जबकि अमेरिका और रूस के बीच का अंतर काफी लग सकता है, रूस का परिचालन भंडार लगभग 1,600 है और अमेरिका के लिए यह लगभग 1,650 है। ● P5 के बाहर, o पाकिस्तान के पास लगभग 165 o भारत के पास लगभग 160, o इजराइल और उत्तर कोरिया के पास या तो क्रमशः लगभग 90 और लगभग 45 हथियार बनाने के लिए पर्याप्त विखंडनीय सामग्री है। ● 1980 के दशक के दौरान दुनिया का भंडार चरम पर था और 2005 तक काफी कम होना शुरू हो गया था। ● तब से, अधिकांश कमी सेवानिवृत्त स्टॉकपाइल के विखंडन से आई है। ● प्रौद्योगिकियों में विकास का मतलब यह भी है कि दुनिया इन परमाणु हथियारों को तैनात करने के नए तरीके देखती रहती है जो एक और चिंताजनक प्रवृत्ति है। **आगे क्या छिपा है?** ● ऑस्ट्रेलिया पहले से ही परमाणु क्षमता हासिल करने की राह पर है, इसका कारण यह है कि अन्य राष्ट्र परमाणु हथियार विकसित करने या प्राप्त करने की दिशा में काम करेंगे। यह, सिद्धांत रूप में, हथियारों की एक और दौड़ को फिर से प्रज्वलित कर सकता है। ● परमाणु हथियारों का जांचा-परखा इतिहास यह आभास देता है कि एनपीटी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है-लेकिन यह एक गंभीर विफलता भी नहीं है। ● एनपीटी ने जिस मार्ग को प्रशस्त किया है (भले ही वह घुमावदार हो) और हथियारों की दौड़ को समाप्त करने और पूरी तरह से निरस्त्रीकरण की दिशा में अपने कार्यों के माध्यम से प्रतिबद्धता का संकेत देने वाली प्रमुख शक्तियों पर प्रोत्साहन है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** ● भारत-अमेरिका परमाणु समझौता ● AUKUS और भारत
विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, चीन एक विकासशील देश	**संदर्भ:** हाल ही में चीन को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में 'विकासशील देश' का दर्जा मिला है। यह कई देशों के फैसले के खिलाफ चिंताजनक और एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। ● देश तर्क दे रहे हैं कि चीन, एक उच्च-मध्यम आय वाला देश होने के नाते, विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के तहत विकासशील देशों के लिए आरक्षित लाभ प्राप्त कर रहा है। ● साथ ही, देशों ने बांग्लादेश को 'अल्प विकासशील देश' (एलडीसी) का दर्जा प्रदान किए जाने पर भी आपत्ति व्यक्त की है, जिसने प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है। **'विकासशील देश' टैग के क्या लाभ हैं?** ● जैसा कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य खुद को विकासशील राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, यह चीन जैसे देश को वैश्विक व्यापार में अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के लिये लाभ प्रदान करता है, जबकि वह खुद को विकासशील के रूप में वर्गीकृत करता है और इस तरह विशेष और विभेदित उपचार (S&DT) प्राप्त करता है। ● विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने हेतु कतिपय उद्योगों को सरकारी सहायिकी (सब्सिडी) कम करना है। यद्यपि, विकासशील देशों को उदार लक्ष्य दिए जाते हैं एवं उन्हें ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अधिक समय प्रदान किया जाता है। ● वर्गीकरण अन्य देशों को बेहतर पेशकश करने की भी अनुमति देता है। ● एक 'विकासशील देश' कैसे तय किया जाता है और कुछ को चीन के खिलाफ एक के रूप में वर्गीकृत क्यों किया जाता है? ● विश्व व्यापार संगठन ने 'विकसित' और 'विकासशील' देशों को परिभाषित नहीं किया है और इसलिये सदस्य देश यह घोषणा

करने के लिये स्वतंत्र हैं कि वे 'विकसित' हैं या 'विकासशील'।

- हालांकि, विश्व बैंक के अनुसार चीन की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को देखते हुए एक उच्च मध्यम आय वाला देश बन गया है और देश के अनुचित व्यापार प्रथाओं जैसे कि राज्य के उद्यमों के लिए बेहतर व्यवहार, डेटा प्रतिबंध और बौद्धिक संपदा अधिकारों के अपर्याप्त प्रवर्तन के देश के कथित उपयोग को देखते हुए , कई देशों ने चीन से आह्वान किया है कि या तो विकासशील देशों के लिए उपलब्ध लाभों की मांग करने से परहेज करें या एक विकासशील देश के रूप में इसके वर्गीकरण को पूरी तरह से त्याग दें।
- ऑस्ट्रेलिया ने भी सिफारिश की थी कि चीन "एस एंड डीटी (S&DT) तक अपनी पहुँच" को छोड़ दे, विश्व बैंक के अनुसार, चीन की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020 में 10,435 अमेरिकी डॉलर जबकि भारत की 1,928 अमेरिकी डॉलर थी।

चीन ने कैसे प्रतिक्रिया दी है? चीन के इस दर्जे को खोने का क्या असर होगा?

- चीन ने लगातार यह सुनिश्चित किया है कि वह "दुनिया की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था" है, लेकिन उसने हाल ही में संकेत दिया है कि वह विकासशील देश होने के कई लाभों को छोड़ने के लिये तैयार हो सकता है।
- इसने कथित तौर पर सूचित किया है कि वह अत्यधिक 'फिशिंग' पर अंकुश लगाने के लिये 'फिशिंग' सब्सिडी में कटौती करने के उद्देश्य से विकासशील देशों को उपलब्ध सभी छूटों को वापस ले सकता है।
- चीन के "विकसित देश" की स्थिति में बदलाव से भविष्य के समझौतों में बातचीत प्रभावित होगी। "वास्तव में चीन ने (विकसित देशों की तरह) अधिकांश उत्पादों पर अपने टैरिफ को काफी हद तक कम कर दिया है।"

एलडीसी वर्गीकरण के क्या लाभ हैं?

- विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र के वर्गीकरण के आधार पर अल्प विकसित देश (एलडीसी) का अभिनिर्धारण करता है, जिसकी प्रत्येक तीन वर्ष में समीक्षा की जाती है। एलडीसी को अक्सर डब्ल्यूटीओ संधि के कुछ प्रावधानों से छूट दी जाती है।
- बांग्लादेश अपने सकल घरेलू उत्पाद के प्रदर्शन के कारण 2026 में एलडीसी की स्थिति से आगे पदोन्नत होने हेतु तैयार है।

भारत-नेपाल संबंधों में सुधार की आवश्कता

संदर्भ: उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में लिपुलेख क्षेत्र में सड़क का विस्तार करने की घोषणा के बाद नेपाल और भारत के बीच एक ताजा राजनयिक विवाद पैदा हो गया है।

- नेपाल में भारतीय दूतावास ने सूचित किया है कि भारत-नेपाल सीमा पर भारत की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट बनी हुई है।

भारत और नेपाल के बीच संबंध खराब क्यों हुए?

- भारत व नेपाल के मध्य हालिया विवाद का कारण उत्तराखंड के धारचूला (Dharchula) को लिपुलेख दर्रे (Lipulekh Pass) से जोड़ती एक सड़क है। नेपाल का दावा है कि कालापानी के पास पड़ने वाला यह क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और भारत ने नेपाल से वार्ता किये बिना इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य किया है।
- नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन मानचित्र जारी किया गया, जो उत्तराखंड के कालापानी (Kalapani) लिंपियाधुरा (Limpiyadhura) और लिपुलेख (Lipulekh) को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है।

Image courtesy: TKP

कालापानी और नक्शे

- अंग्रेजों और नेपाल के गोरखा राजा के बीच 1816 में हुए सुगौली समझौते में काली नदी के जरिए भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था।
- काली नदी के उद्गम स्थल, यानी ये सबसे पहले कहां से निकलती है, इसे लेकर दोनों देशों के बीच विवाद रहा है।
- उत्तराखंड के पिथौराढ़ जिले में स्थित कालापानी भारत-नेपाल-चीन के बीच रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण ट्राई-जंक्शन है।
- 1879 के नक्शे में सीमा में बदलाव हुआ। अब कालापानी से लिपुलेख के पूर्व -दक्षिण की धार का टिंकर नदी के जल विभाजक तक का हिस्सा भारतीय क्षेत्र में था। इस तरह कालापानी से नीचे ही काली नदी सीमा रेखा रही, इससे ऊपर नहीं।
- नेपाल ने परिवर्तन को स्वीकार किया और भारत को यह सीमा 1947 में विरासत में मिली।
- 1949 में चीन में माओवादी क्रांति, जिसके बाद तिब्बत पर अधिकार कर लिया गया, ने नेपाल में गहरी शंका पैदा कर दी और भारत को नेपाल-तिब्बत सीमा पर 18 सीमा चौकियां स्थापित करने के लिए 'आमंत्रित' किया गया।
- 1969 तक, भारत ने नेपाली क्षेत्र से अपनी सीमा चौकियों को वापस ले लिया था। लिपुलेख का आधार शिविर कालापानी में बना रहा, जो लिपुलेख के पश्चिम में 10 किमी से भी कम दूरी पर है।
- अपने-अपने नक्शों में, भारत और नेपाल दोनों ने कालापानी को काली नदी के उद्गम और अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाया।
- 1979 के बाद, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ने लिपुलेख दर्रे की निगरानी की है। वास्तविक व्यवहार में, खुली सीमा और लोगों तथा सामानों की मुक्त आवाजाही को देखते हुए स्थानीय लोगों (ब्यांसिस) के लिए जीवन अपरिवर्तित रहा।
- 1996 की महाकाली की संधि के बाद (काली नदी को महाकाली/सारदा भी कहा जाता है जो आगे की ओर बहती है) जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना की परिकल्पना की गई थी, काली नदी के उद्गम का मुद्दा पहली बार 1997 में उठाया गया था।
- मामला संयुक्त तकनीकी स्तर की सीमा समिति को भेजा गया था जिसे 1981 में भारत-नेपाल सीमा पर पुराने और क्षतिग्रस्त सीमा स्तंभों को फिर से पहचानने और बदलने के लिए स्थापित किया गया था।
- समिति ने 2008 में भंग होने पर कालापानी और सुस्ता (Susta) (तराई में) के अनसुलझे मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए 98% सीमा को स्पष्ट किया।
- बाद में इस बात पर सहमति हुई कि इस मामले पर विदेश सचिव स्तर पर चर्चा की जाएगी।
- भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू और कश्मीर की स्थिति में परिवर्तन को दर्शाने के लिए 2 नवंबर, 2019 को एक नया राजनीतिक मानचित्र (आठवां संस्करण) जारी किया। नेपाल ने विरोध दर्ज कराया, हालांकि नक्शे ने भारत और नेपाल के बीच की सीमा को किसी भी तरह से नहीं बदला था।
- हालांकि, 8 नवंबर को नौवां संस्करण जारी किया गया था। रेखाचित्र समान रहा लेकिन काली नदी का नाम हटा दिया गया। जाहिर है, इससे काफी विरोध हुआ, नेपाल ने मुद्दों को हल करने के लिए विदेश सचिव स्तर की वार्ता का आह्वान किया।

नेपाली राष्ट्रवाद

- अप्रैल 2020 तक श्री ओली की घरेलू राजनीतिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी। नेपाली संविधान के तहत, एक नए प्रधानमंत्री को दो साल की गारंटीकृत अवधि प्राप्त है, जिसके दौरान अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति नहीं होती है।
- यह सुरक्षित अवधि फरवरी में समाप्त हो गई और श्री ओली की शासन शैली तथा प्रदर्शन के खिलाफ उग्र आक्रोश फैल गया।
- कालापानी विवाद का फिर से उदय, जब भारत ने उत्तराखंड के पिथौरागठ जिले में लिपु लेख दर्रे तक जाने वाली नवनिर्मित 80 किलोमीटर की सड़क का उद्घाटन किया। इसने श्री ओली को एक राजनीतिक जीवन रेखा प्रदान की।
- इसी तनातनी के दौरान जनरल नरवणे ने भी बयान दिया जिससे नया विवाद पैदा हो गया था। हालांकि नरवणे ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा चीन की तरफ़ ही माना जा रहा था।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लिपुलेख में भारत द्वारा सड़क निर्माण पर नेपाल की आपत्ति के बाद कहा था कि नेपाल को इस मुद्दे पर गुमराह किया गया है।

	• वर्ष 2017 में श्री ओली ने अपना नेपाली राष्ट्रवाद कार्ड दिखाकर चुनाव जीता था, जिसका दूसरा पहलू भारत विरोधी है। यह कोई नई घटना नहीं है बल्कि हाल के वर्षों में और अधिक स्पष्ट हो गई है। • गरबयांग के उत्तर-पश्चिम में लिंपियाधुरा से निकलने वाली काली नदी को दर्शाने वाले पुराने ब्रिटिश सर्वेक्षण पर आधारित नेपाल का एक नया नक्शा संसद द्वारा अपनाया गया था और 20 मई को अधिसूचित किया गया था। नया संरेखण नेपाली क्षेत्र में 335 वर्ग किमी जोड़ता है, जो क्षेत्र कभी नहीं रहा है लगभग 170 वर्षों से एक नेपाली मानचित्र में परिलक्षित होता है। • यह संक्षिप्त विवरण भारत-नेपाल के मुद्दों में अंतर्निहित जटिलता को दर्शाता है जिसे बयानबाजी या एकतरफा नक्शा बनाने के अभ्यास से हल नहीं किया जा सकता है। **आगे की राह : बुनियादी बातों को फिर से दर्शाना** • भारत ने अक्सर "पड़ोस पहले (neighbourhood first)" नीति की बात की है। • नेपाल, भारत का एक महत्त्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण वह हमारी विदेश नीति में भी विशेष महत्त्व रखता है। • वर्ष 2015 में भारत-नेपाल संबंधों में गिरावट आई, जब भारत को पहले नेपाल में संविधान-मसौदे में हस्तक्षेप करने और फिर एक "अनौपचारिक नाकाबंदी" के लिए दोषी ठहराया गया, जिसने देश के खिलाफ व्यापक आक्रोश पैदा किया। • इसने इस धारणा को पुष्ट किया कि नेपाली राष्ट्रवाद और भारतीय विरोधीवाद एक ही सिक्के के दो पहलू थे जिनका श्री ओली ने सफलतापूर्वक दोहन किया। • नेपाली सोच में, चीन कार्ड ने उन्हें गुटनिरपेक्षता के अपने संस्करण का अभ्यास करने के लिए उत्तोलन प्रदान किया है। • अतीत में, चीन ने पैलेस के साथ एक संबंध बनाए रखा और इसकी चिंता मुख्य रूप से तिब्बती शरणार्थी समुदाय पर नजर रखने से संबंधित थी। आज का चीन अधिक मुखर विदेश नीति अपना रहा है और नेपाल को अपने बढ़ते दक्षिण एशियाई पदचिह्न में एक महत्वपूर्ण तत्व मानता है। • भारत इस बात से संतुष्ट था कि जब नेपाली नेताओं ने सार्वजनिक रूप से भारत विरोधी रुख अपनाया तब भी शांत कूटनीति द्वारा उसके हितों की रक्षा की गई। • भारत द्वारा लंबे समय से उपेक्षित, इसने नेपाली इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में विकृतियां पैदा की हैं और इसके दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। • आज तत्काल आवश्यकता क्षेत्रीय राष्ट्रवाद पर बयानबाजी को रोकने और एक शांत बातचीत के लिए आधार तैयार करने की है जहां दोनों पक्षों को संवेदनशीलता प्रदर्शित करने की आवश्यकता है क्योंकि वे "विशेष संबंध" के रीसेट की शर्तों का पता लगाते हैं। **आपके पास इस सवाल का जवाब है?** • भारत-नेपाल संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या हैं? उनके नतीजे क्या हैं? जांच कीजिए।
भारत-जर्मनी संबंध	**संदर्भ:** सभी COVID बाधाओं के विरुद्ध और उचित स्वास्थ्य सावधानियों के साथ, जर्मन नौसेना का युद्धपोत बायर्न 20 जनवरी, 2022 को मुंबई पहुंचा। • जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, सिंगापुर और इस क्षेत्र के अन्य देशों का दौरा करने के बाद, बायर्न के जर्मनी लौटने से पहले मुंबई अंतिम स्टेशन था। • यह भारत-प्रशांत नीति दिशानिर्देशों का एक ठोस परिणाम है जिसे जर्मनी ने शीत ऋतु 2020 में अपनाया और यूरोपीय संघ की भारत-प्रशांत रणनीति 2021 में प्रकाशित की। **जर्मनी के लिए भारत का महत्व** • **मुक्त और समावेशी व्यापार:** जर्मनी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इंडो-पैसिफिक के माध्यम से व्यापार मार्ग खुले रहें और विवादों को अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। भारत एक समुद्री महाशक्ति है और मुक्त और समावेशी व्यापार का प्रबल समर्थक है। • इंडो-पैसिफिक में पदचिह्न: जर्मनी ने महसूस किया है कि दुनिया का राजनीतिक और आर्थिक गुरुत्वाकर्षण केंद्र इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थानांतरित हो रहा है। • इसलिए, यह भारत के साथ एक रणनीतिक साझेदार और लंबे समय से चले आ रहे लोकतांत्रिक मित्र के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है।

	हिंद-प्रशांत क्षेत्र जर्मनी और यूरोप के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? • **जनसंख्या:** इंडो-पैसिफिक क्षेत्र वैश्विक आबादी का लगभग 65% और दुनिया के 33 मेगासिटीज में से 20 का घर है। • **अर्थव्यवस्था:** इस क्षेत्र का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 62% और विश्व के व्यापारिक व्यापार का 46% हिस्सा है। 20% से अधिक जर्मन व्यापार इंडो-पैसिफिक पड़ोस में आयोजित किया जाता है। • **जलवायु सहयोग:** भारत-प्रशांत क्षेत्र भी सभी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के आधे से अधिक का स्रोत है। यह भारत जैसे क्षेत्र के देशों को जलवायु परिवर्तन और सतत ऊर्जा उत्पादन तथा खपत जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में प्रमुख भागीदार है। • जर्मनी महाराष्ट्र के धुले (Dhule) (सकरी) में एक विशाल सौर संयंत्र के निर्माण का समर्थन कर रहा है। 125 मेगावाट की क्षमता के साथ, यह 2,20,000 घरों के लिए होगा और 155,000 टन की वार्षिक CO2 बचत करेगा।
पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति	**संदर्भ:** हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुभारंभ किया। • सात साल के गहन मंथन और दर्जनों बैठक के बाद इसका प्रारूप तय किया गया है। • इस नीति को नागरिकों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है और आर्थिक सुरक्षा को केंद्र बिंदु बनाया गया है। इसमें पाकिस्तान को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर है। • इसमें साल 2022-2026 के लिए पंचवर्षीय नीति की भी घोषणा की गई है जो अपने तरह का पहचान रणनीति दस्तावेज है जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि और इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दिशानिर्देश का जिक्र है। • राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का वास्तविक मसौदा गोपनीय श्रेणी में बना रहेगा। • राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य थीम राष्ट्रीय सामंजस्य, आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करना, रक्षा एवं क्षेत्रीय अखंडता, आतंरिक सुरक्षा, बदलती दुनिया में विदेश नीति और मानव सुरक्षा के ईर्द-गिर्द है। • नई नीति के तहत पाकिस्तान एकीकृत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे की ओर बढ़ेगा जिसका लक्ष्य पाकिस्तान के नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना है। **आगे की राह** • एक शासन के लिए सबसे खतरनाक क्षणों में से तब होता है जब वह पाठ्यक्रम बदलना चाहता है। जब आंतरिक या बाहरी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन एक तत्काल आवश्यकता बन जाता है। लेकिन बड़े बदलाव की तलाश में, संप्रभु काफी राजनीतिक जोखिम उठाता है। लेकिन इसको न बदलने से और भी बड़े जोखिम होते हैं। • वर्तमान दस्तावेज़ एक आंशिक अकादमिक और आंशिक नौकरशाही अभ्यास के रूप में है - लगभग एक थिंक टैंक के आउटपुट की तरह। ऐसा लगता है कि इसमें कोई राजनीतिक इनपुट नहीं है, जो एक स्पष्ट और बड़ी कमजोरी है। • यह भी तथ्य है कि यह पाकिस्तान की "राष्ट्रीय सुरक्षा को केवल भारत के इर्द-गिर्द केंद्रित नहीं करता है और इसमें गैर-पारंपरिक तत्वों सहित राष्ट्रीय सुरक्षा का व्यापक दृष्टिकोण रखता है"। • लेकिन विशेष रूप से भारत के साथ क्षेत्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एक भू-आर्थिक रणनीति को आगे बढ़ाने की पाकिस्तान की रणनीति में एक अंतर्निहित द्विभाजन है, जबकि भारत के साथ एक प्रतिकूल संबंध को भी आगे बढ़ाता है, जिसे इसके खतरे का मुख्य स्रोत माना जाता है। • पाकिस्तान को "इस क्षेत्र में व्यापार और आर्थिक सहयोग की उम्मीद करने से पहले" इस द्विभाजन को हल करने की आवश्यकता है। जब तक पाकिस्तान में सभी संस्थाएं उदार शब्दों में शासन कला को परिभाषित करने के लिए एक साथ काम नहीं करती हैं और धर्मनिरपेक्ष अभिजात वर्ग इस्लामवादियों के साथ अपवित्र गठजोड़ करना बंद कर देता है, जो भारत की एक "शाश्वत दुश्मन" के रूप में छवि को बढ़ावा देते हैं, तब तक बदलाव की संभावना नहीं है। भारत को निश्चित रूप से देखना चाहिए, और उसके अनुसार प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना चाहिए। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?** **1.** क्या पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति भारत पर पुनर्विचार का संकेत देती है? चर्चा कीजिए। **2.** पाकिस्तान भू-आर्थिक परिवर्तन अपनी भारत नीति में बदलाव के बिना सफल नहीं हो सकता। टिप्पणी कीजिए।
भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन	**संदर्भ:** हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने आभासी प्रारूप में पहले भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसमें कज़ाखस्तान गणराज्य, किर्गिज़ गणराज्य, ताजिकिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपतियों ने भाग लिया। • यह पहल भारत-मध्य एशिया सम्मेलन भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं

वर्षगाँठ के साथ मेल खाता है। यह शिखर सम्मेलन चीन-मध्य एशिया सम्मेलन के दो दिन बाद हुआ था, जिसमें चीन ने सहायता के तौर पर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पेशकश की थी और प्रतिवर्ष लगभग 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वर्तमान स्तर से व्यापार को 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का वादा किया था।

भारत-मध्य एशिया संबंध में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **व्यापार का निम्न स्तर होना :** भारत को कजाकिस्तान के ऊर्जा निर्यात पर केवल 2 अरब डॉलर खर्च किया गया। इसकी तुलना में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में निवेश किए गए अरबों डॉलर के अलावा, इस क्षेत्र के साथ चीन के व्यापार के आंकड़े 41 अरब डॉलर से अधिक हो गए हैं, वे 2030 तक दोगुना हो सकते हैं।
- **ओवरलैंड कनेक्टिविटी का अभाव:** भारत का भूमि से घिरे मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ कोई सीधा पारगमन मार्ग नहीं है, इसलिए इसे क्षेत्र के साथ व्यापार संपर्क के लिए तीसरे पक्ष पर निर्भर रहना पड़ता है।
    - **पाकिस्तान द्वारा बाधाएं होना :** पाकिस्तान द्वारा अपनी भूमि के माध्यम से भारत के पारगमन व्यापार से इनकार करने के साथ, भारत के लिए पांच मध्य एशियाई गणराज्यों (सीएआर) से शामिल होना मुश्किल है।
    - **ईरान के साथ चुनौतियाँ:** मध्य एशिया के मार्ग को सुगम बनाने के लिए नई दिल्ली के पास ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से दूसरा विकल्प है। हालांकि, इसमें सीएआर के साथ ईरान की उत्तरी सीमाओं के लिए रेल और सड़क मार्गों में अधिक निवेश शामिल होगा, कुछ ऐसा जो भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के सामने करने से हिचकिचाता है।
    - रूस के साथ चुनौतियां: एक अन्य विकल्प बंदर अब्बास बंदरगाह के माध्यम से रूस-ईरान अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे का उपयोग करना है, लेकिन यह पूरी तरह से चालू नहीं है और कम से कम दो सीएआर (उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान) सदस्य नहीं हैं।
    - तापी (TAPI) अभी एक सपना है: भारत ने पाकिस्तान के साथ तनाव को देखते हुए, आपूर्ति की गारंटी के कारण, तापी गैस पाइपलाइन योजनाओं (तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत) पर अपने पैर खींच लिए हैं।
- **अफगानिस्तान पहेली:** अफगानिस्तान मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच की कड़ी है। अफगानिस्तान पर तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के बाद, कोई आधिकारिक सरकार नहीं है, एक मानवीय संकट पैदा हो रहा है, और इसकी सीमाओं पर आतंकवाद और कट्टरवाद के फैलने की चिंताएं हैं।
    - **इस क्षेत्र में बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा:** जहां रूस सबसे रणनीतिक खिलाड़ी है, वहीं चीन अब देशों के लिए सबसे बड़ा विकास और बुनियादी ढांचा का भागीदार है।
    - पाकिस्तान ने ग्वादर और कराची में हिंद महासागर में व्यापार पहुंच की पेशकश किया तथा पारगमन व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करते हुए, सीएआर तक अपनी पहुंच बढ़ा दी है।

सीएआर के साथ भारत के पहले शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें

- प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि भारत और इस क्षेत्र के बीच संबंध ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ रहे हैं, "सभ्यता, सांस्कृतिक, व्यापार और लोगों से लोगों के बीच संबंध"।
- द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन, विदेश, व्यापार और सांस्कृतिक मंत्रियों और सुरक्षा सचिवों (राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार) की वार्षिक बैठकों सहित दोनों पक्षों के बीच कई उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान स्वीकार किए जाते हैं जो राजनयिक संबंधों को बढ़ाएंगे।
- नई दिल्ली में "मध्य एशिया केंद्र" बनाने की योजना।
- अफगानिस्तान और चाबहार बंदरगाह परियोजना पर दो "संयुक्त कार्य समूहों" (जेडब्ल्यूजी) की घोषणा की।
- नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि कनेक्टिविटी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और यह व्यापार तथा आर्थिक सहयोग, देशों और लोगों के बीच संपर्कों के लिए एक बल-गुणक हो सकता है।

निष्कर्ष

भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए चतुराई से आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी कि वह परिवर्तनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधों का भविष्य दूर के अतीत के गहरे संबंधों से अधिक निकटता से मिलता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
- भारत का मध्य एशियाई आउटरीच

प्रैक्टिस MCQs

Q.1 भारत के मानदंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उच्च स्तर के भारत मानदंडों का अनुपालन करने के लिए, तेल रिफाइनरियों को कम सल्फर सामग्री वाले डीजल का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है।

2. देश भर में बीएसवी और बीएस VI उत्सर्जन मानदंडों का कार्यान्वयन क्रमशः वर्ष 2020 और 2024 से होगा।

उपरोक्त में से कौन -सा सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.2 GST परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है?

a) केंद्रीय वित्त मंत्री
b) आरबीआई गवर्नर
c) नीति आयोग के सीईओ
d) वरिष्ठतम IRS अधिकारी

Q.3 राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?

a) यह पहले राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (NICD) था।
b) यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रयोगशाला विज्ञान और कीट विज्ञान सेवाओं के लिए विशेष जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है तथा विभिन्न अनुप्रयुक्त अनुसंधान गतिविधियों में शामिल है।
c) यह पूरे देश में बीमारी के प्रकोप की जांच करता है।
d) इसका मुख्यालय मुंबई में है।

Q.4 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. अभयारण्य, जो दुनिया के दो-तिहाई महान एक-सींग वाले गैंडों की मेजबानी करता है, एक विश्व धरोहर स्थल है।

2. काजीरंगा में जंगली जल भैंसों की सबसे बड़ी आबादी है, जो दुनिया की आबादी का लगभग 57% है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.5 इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है?

a) छत्तीसगढ़
b) झारखंड
c) मध्य प्रदेश
d) उत्तर प्रदेश

Q.6 हाल ही में खबरों में रहा आर्क डी ट्रायम्फ स्मारक, निम्नलिखित में से किस देश के सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है?

a) फ्रांस
b) नीदरलैंड
c) जर्मनी
d) बेलारूस

Q.7 पैंगोंग त्सो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह पूरी तरह से भारत में स्थित है।

2. इसमें एक भूमि से घिरा बेसिन है जो सिंधु नदी के बेसिन से एक छोटे से ऊंचे रिज द्वारा अलग किया गया है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.8 ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एक ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान के लिए इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है।

2. इस तरह के लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण के एक अतिरिक्त कारक की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.9 Fimbristylis sunilii और Neanotis prabhuii निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हुए हैं?

a) चावल की कीटनाशक प्रतिरोधी प्रजातियां
b) पूर्वी घाट की आक्रामक प्रजातियां
c) हिमालय में नई खोजी गई तितली प्रजाति
d) पश्चिमी घाट से नई पौधों की प्रजातियां

Q.10 स्वचालित उत्पादन नियंत्रण (AGC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इससे वर्ष 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन क्षमता के सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा होने की उम्मीद है।

2.एजीसी के माध्यम से, एनएलडीसी (नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर) 50 से अधिक बिजली संयंत्रों को सिग्नल भेजता है जो परिवर्तनीय और रुक-रुक कर नवीकरणीय उत्पादन को संभालने के लिए अधिक कुशल तथा स्वचालित आवृत्ति नियंत्रण सुनिश्चित करेगा।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.11 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. भारत में अनुसूचित बैंक उन बैंकों को संदर्भित करते हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।

2. हाल ही में, एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को एक शेड्यूल बैंक के रूप में नामित किया गया था

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.12 हाल ही में NEAT 3.0 को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था?

a) पर्यावरण मंत्रालय
b) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
c) वित्त मंत्रालय
d) शिक्षा मंत्रालय

Q.13 चिल्का झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. चिल्का विश्व का सबसे बड़ा लैगून है।

2. वर्ष 1981 में, चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.14 मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एफटीए दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने के लिए एक समझौता है।

2. मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद को जन्म देती है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.15 'नई तालीम' का दर्शन निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने दिया था?

a) राजा राममोहन राय
b) अबुल कलाम आज़ादी
c) महात्मा गांधी
d) खान अब्दुल गफ्फार खान

Q.16 हाइपरसोनिक हथियारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वे युद्धाभ्यास योग्य हथियार हैं जो मच 5 से अधिक गति से उड़ सकते हैं।

2. हाइपरसोनिक हथियार वातावरण के बाहर यात्रा करते हैं और बीच में ही पैंतरेबाज़ी कर सकते हैं जिससे उनका पता लगाना और अवरोधन बेहद मुश्किल हो जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.17 निम्नलिखित में से कौन सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (CSTO) का सदस्य नहीं है:

a) ऑस्ट्रिया
b) बेलारूस
c) कजाकिस्तान
d) किर्गिस्तान

Q.18 हॉर्न ऑफ अफ्रीका निम्नलिखित में से किस देश से मिलकर नहीं बनता है?

a) इथियोपिया
b) इरिट्रिया
c) जिबूती
d) सूडान

Q.19 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत आता है।

2. यह हर साल औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) को संकलित और जारी करता है

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.20 ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है?

a) केवल वे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, को आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाना है।
b) जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से कम है, उन्हें EWS के रूप में पहचाना जाना है।

c) जिन व्यक्तियों के परिवार के पास एक निश्चित आकार की भूमि है जैसे कम से कम पांच एकड़ कृषि भूमि, या कम से कम 1,000 वर्ग फुट का आवासीय फ्लैट भी श्रेणी में शामिल हैं।

d) हाल ही में 31 दिसंबर, 2021 को अजय भूषण पांडे के नेतृत्व वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा ईडब्ल्यूएस को प्रतिधारण के लिए अनुशंसित किया गया था।

Q.21 निम्नलिखित में से कौन भारत की बैलिस्टिक मिसाइल है?

a) अग्नि पी मिसाइल
b) शौर्य मिसाइल
c) पृथ्वी मिसाइल
d) उपरोक्त सभी

Q. 22 प्रवासी भारतीय दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

1. प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जाता है।
2. युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2014 में शुरू किया गया था।

सही उत्तर का चयन कीजिए :

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.23 गुरु गोबिंद सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वह खालसा को संस्थागत बनाने के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद सिखों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
2. गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी मृत्यु से पहले 1708 में गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ घोषित किया था।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.24 इस वर्ष से, साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को चिह्नित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तारीख को 'वीर बाल दिवस' मनाया जाएगा?

a) 26 जुलाई
b) 26 दिसंबर
c) 15 अगस्त
d) 13 जनवरी

Q.25 खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

1. यह केवीआईसी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
2. यह वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

सही उत्तर का चयन कीजिए :

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.26 'समुद्री ड्रैगन अभ्यास' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह कनाडा और दक्षिण कोरिया के साथ क्वाड देशों का एक अभ्यास है।
2. यह अभ्यास मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध (एएसडब्ल्यू) प्रशिक्षण पर केंद्रित है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.27 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है?

a) त्रिपुरा
b) अरुणाचल प्रदेश
c) नागालैंड
d) मिजोरम

Q. 28. कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

1. कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की स्थापना का निर्णय भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच तीन हिंद महासागर देशों के बीच समुद्री और सुरक्षा मामलों पर घनिष्ठ सहयोग बनाने के लिए लिया गया था।
2. 'कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव' का विचार भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2011 में शुरू किया था।

सही उत्तर का चयन कीजिए :

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.29 ब्रह्मोस मिसाइल के 'Sea to Sea' वेरिएंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. मिसाइल के इस संस्करण को जमीन और समुद्र दोनों लक्ष्यों को लक्षित करने के लिए चलती/स्थिर संपत्तियों से लंबवत या क्षैतिज मोड में लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
2. मैक 2.8 की गति से दागी गई मिसाइलें लंबी दूरी के लक्ष्यों को भेदने में जहाजों की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करती हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.30 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?

a) गृह मंत्रालय

b) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
c) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
d) नीति आयोग

Q.31 भीमबेटका गुफा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

1. यह महाराष्ट्र में स्थित है।
2. भीमबेटका रॉक शेल्टर वी एस वाकणकर द्वारा 1957 में पाए गए थे।

सही उत्तर का चयन कीजिए :

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 32 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में केवल एक सींग वाला बड़ा गैंडा पाया जाता है।
2. सुमात्रा राइनो सभी राइनो प्रजातियों में सबसे छोटा है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.33 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से ली गई है?

a) मौलिक कर्तव्य
b) समवर्ती सूची की अवधारणा
c) एकल नागरिकता
d) राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत

Q.34 घड़ियाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

1. इसकी IUCN स्थिति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है।
2. राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियाल की सुरक्षा के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा का एक त्रि-राज्य संरक्षित क्षेत्र है।

सही उत्तर का चयन कीजिए :

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.35 डिब्रू-सैखोवा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान है?

a) अरुणाचल प्रदेश
b) असम
c) नागालैंड
d) मणिपुर

Q.36 xenotransplantation के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

a) यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवित कोशिकाओं का एक मानव प्राप्तकर्ता में केवल एक अमानवीय पशु स्रोत से प्रत्यारोपण शामिल है।
b) यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अमानवीय पशु स्रोत से एक अमानवीय प्राप्तकर्ता में जीवित कोशिकाओं का प्रत्यारोपण शामिल है।
c) यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवित कोशिकाओं का एक मानव प्राप्तकर्ता में एक अमानवीय पशु स्रोत या मानव शरीर के तरल पदार्थ से प्रत्यारोपण शामिल है।
d) यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवित कोशिकाओं को एक अमानवीय पशु स्रोत से रोगग्रस्त पौधों में प्रत्यारोपित किया जाता है।

Q.37 तिरुवल्लुवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

1. वह एक प्रसिद्ध मलयालम कवि और दार्शनिक थे।
2. उन्हें नैतिकता, राजनीतिक और आर्थिक मामलों तथा प्रेम पर दोहों के संग्रह तिरुक्कुण्ण के लेखक के रूप में जाना जाता है।

सही उत्तर का चयन कीजिए :

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.38 वैश्विक जोखिम रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है?

a) विश्व स्वास्थ्य संगठन
b) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन
c) विश्व आर्थिक मंच
d) विश्व व्यापार संगठन

Q.39 FAME योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) छात्र छात्रवृत्ति और फैलोशिप
b) इलेक्ट्रिक वाहन
c) पारंपरिक भारतीय खेलों को प्रोत्साहन
d) स्वास्थ्य क्षेत्र

Q.40 नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

1. यह भारत में एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो भारत में कंपनियों से संबंधित मुद्दों का निर्णय करता है।
2. इसका गठन जस्टिस एराडी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।

सही उत्तर का चयन कीजिए :

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.41 कथक भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है?

a) कर्नाटक
b) उत्तर प्रदेश
c) गुजरात
d) राजस्थान

Q.42 वियना वार्ता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) ईरान का परमाणु कार्यक्रम
b) वियना के जलवायु परिवर्तन के मुद्दे
c) ऑस्ट्रिया का आपदा प्रबंधन
d) रूस-यूक्रेन शत्रुतापूर्ण संबंध

Q.43 लाइन ऑफ क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

1. यह एक बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा सरकार, व्यवसाय या व्यक्तिगत ग्राहक को दी गई एक क्रेडिट सुविधा है, जो ग्राहक को अधिकतम ऋण राशि निकालने में सक्षम बनाती है।

2. उधारकर्ता किसी भी समय क्रेडिट लाइन से धन का उपयोग कर सकते हैं जब तक कि वे समझौते में निर्धारित क्रेडिट सीमा से अधिक न हों।

सही उत्तर का चयन कीजिए :

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.44 वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक 2022 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है?

a) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
b) विश्व बैंक
c) विश्व आर्थिक मंच
d) विश्व व्यापार संगठन

Q.45 समुद्र के स्तर में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा/से प्राथमिक कारक हैं/हैं?

a) थर्मल विस्तार
b) पिघलने वाले ग्लेशियर
c) ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों का नुकसान
d) उपरोक्त सभी

Q.46 गुरु रविदास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

1. वह भगत रामानंद के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे।

2. उन्होंने 'सहज' का उल्लेख किया है, एक रहस्यमय राज्य जहां कई और एक के सत्य का मिलन होता है।

सही उत्तर का चयन कीजिए :

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.47 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत काम करता है?

a) शहरी मामलों का मंत्रालय
b) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
c) ग्रामीण विकास मंत्रालय
d) वाणिज्य मंत्रालय

Q.48 पूर्वी दलदली हिरण की IUCN स्थिति क्या है?

a) कमजोर
b) विलुप्त
c) गंभीर रूप से संकटग्रस्त
d) कम से कम चिंता

Q.49 सोमनाथ मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

1. हिंदू इसे शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से पहला मानते हैं।

2. वर्तमान सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हिंदू मंदिर वास्तुकला की मारू-गुर्जर शैली में किया गया है।

सही उत्तर का चयन कीजिए :

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.50 कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर सतत कृषि मिशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

a) कृषि मंत्रालय
b) विद्युत मंत्रालय
c) पर्यावरण मंत्रालय
d) वाणिज्य मंत्रालय

Q.51 निम्नलिखित में से किस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर के बहिष्करण के अधीन 27% आरक्षण को बरकरार रखा?

a) केशवानंद भारती मामला
b) मिनर्वा मिल्स मामला
c) इंदिरा साहनी मामला
d) एस.आर. बोम्मई मामला

Q.52 लोक सभा की विशेषाधिकार समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

1. इस समिति में अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 10 सदस्य होते हैं।

2. इसका कार्य सदन या उसके किसी समिति के सदस्यों के सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित प्रत्येक प्रश्न की जांच करना है।

सही उत्तर का चयन कीजिए :

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.53 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पुलों की जीवित जड़ें लोकप्रिय हैं?

a) कर्नाटक
b) असम
c) मेघालय
d) गुजरात

Q.54 हाल ही में 'भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग' निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था?

a) टाटा मोटर्स
b) नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (आरएमआई), और आरएमआई इंडिया
c) सड़क मार्ग मंत्रालय
d) उपरोक्त सभी

Q.55 भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

1. यह केवल जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा समन्वित है।
2. यह संघ देश में SARS-CoV-2 के एक नए संस्करण की स्थिति का पता लगाता है।

सही उत्तर का चयन कीजिए :

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.56 नारियल तना रोट (Coconut stem rot) निम्नलिखित में से किस प्रकार के सूक्ष्मजीव के कारण होता है?

a) बैक्टीरिया
b) वायरस
c) कवक
d) प्रोटोजोआ

Q.57 हाल ही में भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस भारत के किस राज्य द्वारा जारी किया गया था?

a) असम
b) राजस्थान
c) हिमाचल प्रदेश
d) केरल

Q.58 इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

1. इरेडा 1987 में एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है
2. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा इरेडा को 2015 में "मिनी रत्न" का दर्जा दिया गया है।

सही उत्तर का चयन कीजिए:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.59 अपूरणीय टोकन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं?

a) कई दवाओं के लिए कवक प्रतिरोधी
b) क्रिप्टोवर्ल्ड
c) अक्षय ऊर्जा
d) रक्षा हथियारों की खरीद

Q.60 बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?

a) तमिलनाडु
b) कर्नाटक
c) केरल
d) उपरोक्त सभी

Q.61 पर्यावरण प्रभाव आकलन के तहत विकासात्मक परियोजनाओं को वर्गीकृत करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

1. श्रेणी ए परियोजनाएं - उन्हें अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है और इस प्रकार वे स्क्रीनिंग प्रक्रिया से नहीं गुजरती हैं।
2. श्रेणी बी परियोजनाएं- वे स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजरती हैं

सही उत्तर का चयन कीजिए:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.62 निम्नलिखित में से कौन सा गलत है?

a) भारत का चुनाव आयोग (ECI) एक संवैधानिक निकाय है।
b) भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ECI बनाया गया था।
c) 25 जनवरी को भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिह्नित करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
d) पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 2020 को मनाया गया था

Q.63 हाल ही में खबरों में रहे हाजोंग और चकमा समुदाय मूल रूप से निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं?

a) वियतनाम
b) भूटान
c) बांग्लादेश
d) म्यांमार

Q.64 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

1. यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार 2010 में स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
2. एनजीटी के अध्यक्ष हमेशा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं।

सही उत्तर का चयन कीजिए:

a) केवल 1

b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.65 डंपिंग रोधी शुल्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है?

a) डंपिंग के मार्जिन की भरपाई
b) घरेलू उपभोक्ताओं को उच्च कीमत वाले आयातित सामान खरीदने के लिए दंडित करना
c) विदेशी सरकारों को अपने निर्यातकों को सब्सिडी देने से हतोत्साहित करना
d) घरेलू सरकार के टैरिफ राजस्व को कम करना

Q.66 नजफगढ़ झील आर्द्रभूमि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?

a) दिल्ली
b) हरियाणा
c) पंजाब
d) दोनों (ए) और (बी)

Q.67 5G के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सही है/हैं:

1. 5G पांचवीं पीढ़ी की सेलुलर तकनीक है जो मोबाइल नेटवर्क पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड (1 Gbps की स्पीड) को बढ़ाती है।

2. यह ऊर्जा दक्षता भी बढ़ाता है और अधिक स्थिर नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करता है।

सही उत्तर का चयन कीजिए :

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.68 नए बैड बैंक, NARCL-IDRCL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एनएआरसीएल बैंकों से पहचाने गए एनपीए खातों का अधिग्रहण और एकत्रीकरण करेगा, जबकि आईडीआरसीएल, विशेष व्यवस्था के तहत, ऋण समाधान प्रक्रिया को संभालेगा।

2. संकल्प के लिए अंतिम अनुमोदन और स्वामित्व प्रिंसिपल के रूप में एनएआरसीएल के पास होगा।

सही उत्तर का चयन कीजिए:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.69 निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में दुनिया की सबसे तेज एंटी-शिप क्रूज मिसाइल है?

a) ज़र्बो
b) ब्रह्मोस
c) बराक 8
d) F-98 फाल्कन

Q.70 इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर 2.0 (इंडईए 2.0) निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत एक ढांचा है?

a) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय
b) शहरी मामलों के मंत्रालय
c) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
d) वाणिज्य मंत्रालय

Q.71 कुष्ठ रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है?

a) कवक
b) बैक्टीरिया
c) वायरस
d) बैक्टीरियोफेज

Q.72 ओमान का सापेक्षिक स्थान है:

a) अफ्रीका के पश्चिम
b) अरब प्रायद्वीप का दक्षिणी सिरा
c) सीरिया के उत्तर
d) इराक के पूर्व

उत्तर कुंजी

1. A
2. A
3. D
4. C
5. A
6. A
7. B
8. A
9. D
10. C
11. C
12. D
13. B
14. A
15. C
16. A
17. A
18. D
19. A
20. C
21. D
22. D
23. C
24. B
25. A
26. C
27. A
28. A
29. C
30. B
31. B
32. C
33. C
34. A
35. B
36. C
37. B
38. C
39. B
40. C
41. B
42. A
43. C
44. C
45. D
46. C
47. B
48. A
49. C
50. B
51. C
52. B
53. C
54. B
55. B
56. C
57. D
58. C
59. B
60. B
61. C
62. D
63. C
64. D
65. A
66. D
67. C
68. C
69. B
70. A
71. B
72. B

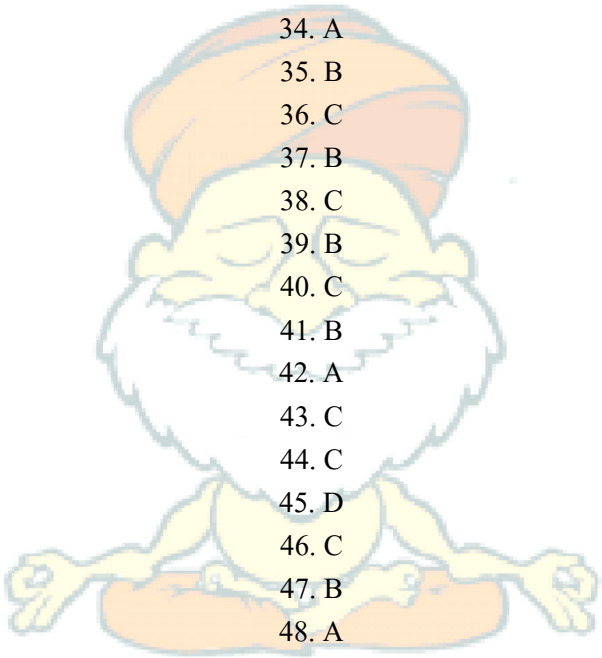

IAS BABA

Beat The Odds In UPSC Preparation With TLP CONNECT

- 30 Mains Tests
- 50 Prelims Tests
- 1:1 Mentorship
- Discussion classes after Every Test
- Babapedia (for Current Affairs)
- Approach Paper, Enriched Synopsis & Ranking

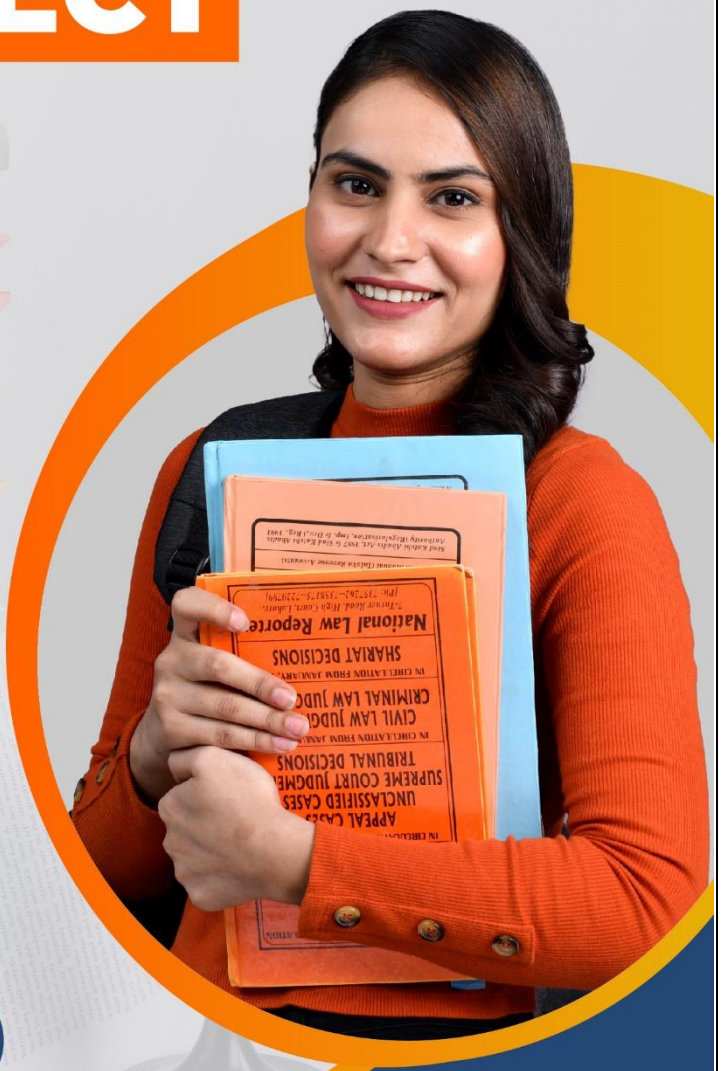

15% Discount!

Only Few Seats Left!

REGISTER NOW